अष्टम माला, खंड 14, अंक 18

मंगलवार, 18 मार्च, 1986
27 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 55
Date 15/11/86

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। इसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 14, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 18, मंगलवार, 18 मार्च, 1986/27 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 325 से 333	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	26—231
तारांकित प्रश्न संख्या : 334 से 336 और 338 से 345,	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3142, 3143, 3145 से 3332 और 3334 से 3374	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	231—235
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ...	235
चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	235—246
दिल्ली में मेनिन्जाइटिस महामारी फैलने से उत्पन्न चिन्ताजनक स्थिति का समाचार	
श्री शांताराम नायक	235

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

श्री एस० कृष्ण कुमार 236

श्री चिन्तामणि जेना 239

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया 241

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 246—250

(एक) एक यूरोपीय आर्थिक पत्रिका में प्रकाशित मानचित्र में, जिसमें जम्मू और काश्मीर और भारत के कुछ अन्य भागों को भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर दिखाया गया है, त्रुटि सुधार की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 246

(दो) पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर 247

(तीन) केरल में मट्टनचेरी पुल के स्थान पर एक नये पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस 247

(चार) योजना आयोग के पास विचाराधीन पड़ी सोन नहर के आधुनिकीकरण की योजना को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

प्रो० के० के० तिवारी 247

(पांच) पश्चिम बंगाल में हल्दिया में पैट्रो-रसायन परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ चटर्जी 248

(छह) काशी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दोबारा बरास्ता जौनपुर-प्रतापगढ़ चलाने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन 248

(सात) राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता

श्री शान्ति धारीवाल 249

विषय पृष्ठ

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक ... ... 250—294

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० ए० संगमा 251
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 251
श्री सोमनाथ रथ 254
श्री के० एन० प्रधान 252
श्री बाजूबन रियान 259
श्री मूल चन्द डागा 261
श्री ए० चार्ल्स 265
श्री थम्पन थामस 268
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 271
डा० गौरी शंकर राजहंस 273
श्री के० आर० नटराजन 275
श्री राज कुमार राय 275
श्री मानिक सान्याल 278
श्री राम प्यारे पनिका 279
श्री विजय कुमार यादव 282
श्री धर्मपाल सिंह मलिक 284
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 246
श्री हरीश रावत 287
श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव 289

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० ए० संगमा 294

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक ... ... 295—332

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी० माधव रेड्डी 295
श्री वाई० एस० महाजन 300

विषय पृष्ठ

डा० गौरी शंकर राजहंस	... ...	303
श्री रेणुपद दास	... ...	304
श्रीमती बसवराजेश्वरी	... ...	306
श्री गिरधारी लाल डोगरा	... ...	309
श्री के० एस० राव	... ...	310
श्री मूल चन्द डागा	... ...	313
श्री हरीश रावत	... ...	316
कुमारी ममता बनर्जी	... ...	318
श्री आशुतोष लाहा	... ...	321
श्री जनार्दन पुजारी	... ...	323

खंड 2 से 11 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी	... ...	331

रावी-व्यास जल अधिकरण विधेयक को वापस लेने के कारण दर्शाने वाला वक्तव्य

श्री बी० शंकरानन्द	... ...	314

रावी-व्यास जल अधिकरण विधेयक—वापस लिया गया 314

लोक सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 1986/27 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कोल इण्डिया लिमिटेड को हानि

*325. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति† }
श्रीमती एन॰ पी॰ झांसी लक्ष्मी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के समय कोल इंडिया लि॰ और इसकी सहयोगी कंपनियों की लाभप्रदता के बारे में क्या आशा की गई थी;

(ख) क्या कोयले के मूल्यों में इस वृद्धि के बावजूद भी कोल इंडिया लि॰ को लगातार घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में कोयले की प्रशासित कीमत में दो बार अर्थात् दिनांक 27-5-1982 एवं 8-1-1984 से संशोधन किया गया। कोयले की कीमत में दिनांक 9-1-1986 से फिर संशोधन किया गया है। कोयले की कीमतों में संशोधन आम तौर पर उत्पादन लागत के

आधार पर किया जाता है और इसमें मजदूरी में वृद्धि, अन्य उत्पादन सामग्री की कीमत में वृद्धि, मूल्यह्रास, ब्याज आदि के प्रभाव को हिसाब में लिया जाता है। फिर भी, उपभोक्ता क्षेत्रों पर एवं कुल मिलाकर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर मूल्य संशोधन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रशासित कीमत ऐसे उचित स्तर पर निश्चित रखी जिससे अक्सर निवेश पर कोई लाभ नहीं मिलता था बल्कि सारी प्रत्याशित उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती थी।

वर्ष 1982-83 में पूरी कोल इंडिया लि० को धारण कीमत लेखा को समायोजित करने के बाद रु० 5.34 करोड़ का मामूली घाटा हुआ था। परन्तु वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कोल इंडिया लि० का घाटा बढ़कर क्रमश: 242.68 करोड़ और रु० 78.03 करोड़ हो गया। यदि मूल्य में संशोधन नहीं किया जाता तो घाटा और भी अधिक रहा होता जिसके फलस्वरूप सरकार को व्यर्थ में ही गैर-योजना बजट सहायता देनी पड़ती।

कोल इंडिया लि० का लगभग पूरा घाटा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० एवं भारत कोकिंग कोल लि० में है जहां खनन की दशाएं कठिन हैं और उत्पादन पर अनिश्चित एवं अपर्याप्त बिजली सप्लाई, कामगारों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति तथा कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 1983-84 के दौरान हुआ घाटा काफी अधिक था क्योंकि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता III का विशाल आर्थिक प्रभाव पड़ा था। इस समझौते को दिनांक 1-1-1983 से प्रभावी बनाया गया था जबकि कीमत में संशोधन बहुत बाद में अर्थात् 8-1-1984 से लागू किया जाता था। वर्ष 1984-85 में घाटा होने के मुख्य कारण उत्पादन लागत में वृद्धि था। उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण थे - बोनस/अनुग्रह राशि देने की अधिकतम सीमा बढ़ाना, भूमिगत भत्ता में वृद्धि, औद्योगिक मंहगाई भत्ते की दर में संशोधन, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के फलस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की ऊंची दर तथा पैट्रोल, तेल, चिकनाई पदार्थों, लकड़ी, बिजली विभिन्न उत्पादन सामग्रियों की ऊंची लागत आदि।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : महोदय, जैसाकि हम स्वयं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आंकड़ों से देख सकते हैं, प्रशासित कीमतों में वृद्धि किये जाने के बावजूद कोल इंडिया लि० का घाटा वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1983-84 में इसे 242.68 करोड़ रुपये का कुल घाटा हुआ था। इसके अगले वर्ष हालांकि यह घटकर 78.03 करोड़ रुपये हो गया, फिर भी मेरी जानकारी के अनुसार 1985-86 में 350 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। क्या कारण है कि प्रशासित कीमतों में वृद्धि के बावजूद घाटे में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और कमी नहीं होती ?

श्री बसंत साठे : इसका मुख्य कारण यह है कि हम कभी भी उत्पादन लागत के अनुरूप कीमत निर्धारित नहीं करते। सार्वजनिक नीति सम्बन्धी कारणों से हमारा यह विचार है कि कोयले की कीमतों को अवश्य ही कम रखा जाना चाहिये ताकि ऊर्जा की कीमत अपेक्षाकृत कम रहे और इसलिए मैंने पाया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी साल-दर-साल यह स्थिति बनी हुई है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। वर्ष 1973-74 में प्रति टन औसत उत्पादन लागत 46.36 रुपये थी कोयले के मुहानों पर (पिट हैड) कीमत 37.50 रुपये प्रति टन की गई थी। 1974-75 में प्रति टन औसत

उत्पादन लागत 55 रुपये थी तथा प्रति टन कीमत 47 रुपये निर्धारित की गई थी। तदन्तर 1975 से 1978 में प्रति टन उत्पादन लागत क्रमश: 69 रुपये, 75 रुपये तथा 82 रुपये हो गई किन्तु कीमत 64.92 रुपये ही रही। बाद में वर्ष 1986-87 में प्रति टन लागत 110 रुपये से बढ़कर 215 रुपये हो गई और हमारे द्वारा दिये जाने वाली प्रति टन कीमत 101 रुपये से बढ़कर 183 रुपये हो गई। अब आप यह समझ सकते हैं कि यदि जानबूझ कर लागत और मूल्य के अंतर को इतना अधिक रखा जाये तो पूंजी पर प्रतिलाभ कमाना तो दूर की बात है, कोई भी कम्पनी इस स्थिति को सदा के लिए जारी नहीं रख सकती। हम तो उन्हें उनकी लागत से भी कम कीमत देते हैं। यही मुख्य कारण है; इस स्थिति के जारी रहते हुए वर्ष प्रति वर्ष घाटा होता रहेगा।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : पहला प्रश्न यह है कि कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में कोयले के मूल्यों में संशोधन करते समय सरकार का क्या अनुमान था। कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप कोल इंडिया और इसकी सहायक कम्पनियों को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? क्या कारण है कि इसके बावजूद उपर्युक्त सहायक कम्पनियां आर्थिक संतुलन (न लाभ न हानि की स्थिति) प्राप्त नहीं कर सकी हैं।

श्री बसंत साठे : महोदय, हमने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि मूल्य वृद्धि के साथ यह स्थिति होगी – यदि कोयले का मूल्य बढ़ाया नहीं जाता, तो 1984-85 के दौरान शुरू किये गये किफायत सम्बन्धी उपायों को 1985-86 में भी जारी रखने के बावजूद कोल इंडिया लि० को पिछले वर्ष लगभग 365 करोड़ रुपये का घाटा होता, और 1986-87 में लगभग 500 करोड़ रुपये का घाटा होता। कोयले की कीमतों में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप कोल इंडिया लि० को 9-1-1986 से 31-3-1986 तक 103 करोड़ रुपये की तथा 1986-87 के दौरान 367 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इस प्रकार इसके बावजूद भी हमें वर्ष के अंत में घाटा होगा। यदि अन्य बातें समान रहें, तो अब भी वर्ष 1985-86 के अन्त तक हमें लगभग 395 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं जान सकता हूं कि आप खानों के कार्यचालन से संतुष्ट हैं या नहीं ?

श्री बसंत साठे : मैं कहता हूं कि 'अन्य बातें वैसी ही रहें जैसी वे हैं। वर्तमान किफायती उपायों से भी मेरा आशय कीमतों की तुलना में उत्पादन लागत से ही है।

अध्यक्ष महोदय : उत्पादन लागत कार्यकुशलता पर भी निर्भर करती है ?

श्री बसंत साठे : जी हां, ऐसा भी है।

एक माननीय सदस्य : लागतें क्यों बढ़ रही हैं ?

श्री बसंत साठे : लागतें मूलत: पूंजीनिवेश, मूल्यह्रास, ब्याज में वृद्धि होने के कारण बढ़ रही

है और पूंजीनिवेश से शीघ्र प्रतिलाभ प्राप्त नहीं होता। महोदय उद्योग के पनपने में बहुत समय लगता है। और भी कई बातें हैं। यदि आप समस्त कोयला क्षेत्र के कार्यचालन के बारे में मुझसे आधारभूत प्रश्न करें, तो श्रम की लागत निषेधकारी है। हमारे देश में ओ० एम० एस० 1.50 है, जबकि यह 26 अथवा 27 होनी चाहिए। यह अन्तर बहुत अधिक है। आप इन दोनों की कल्पना कर सकते हैं। यदि यह स्थिति है, तो आप कभी भी यह आशा नहीं कर सकते कि हमारी कोयला कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। ये आधारभूत मुद्दे हैं। मेरा अनुरोध है कि किसी दिन इस विषय में उपयुक्त रूप से चर्चा की जाए, मैं सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा। मैं महसूस करता हूं कि अवस्थापना उद्योगों का समस्त उत्पादन असंतुलित है।

अध्यक्ष महोदय : तो इसमें पूर्ण रूप से सुधार करें।

श्री वसन्त साठे : यह मूलत: कोयला है।

अध्यक्ष महोदय : आओ हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें और इसमें पूर्ण रूप से सुधार करें।

श्री वसन्त साठे : महोदय यदि आप इस सम्बन्ध में चर्चा करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि···

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा हो सकती है इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप आधा घण्टे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आधा घण्टे की चर्चा नहीं, मैं इस पर पूर्ण रूप से चर्चा करने की अनुमति देने जा रहा हूं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मेरे पास पर्याप्त समय है।

(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : अब हम कुछ प्रश्न पूछें।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय अब कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पूछना है कि खदानों पर भी कोयला जल जाता है और उससे भी नुकसान बहुत बढ़ जाता है; तो सन् 1984-85 में कितना कोयला जला उसके फिगर्स भी आपके पास होंगे।

श्री बसंत साठे : एक्चुअल्ली कितना कोयला जला, उसके फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। मैं वे माननीय सदस्य को भेज दूंगा। काफी कोयला जल जाता है, उससे भी नुकसान होता है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

*326. श्री थम्पन थामस†
श्रीमती गीता मुखर्जी
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1985 में आयोजित बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विद्युत विकास कार्यक्रम में भाग लिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है;

(ग) क्या प्रस्तावित विद्युत विकास कार्यक्रम उस क्षेत्र द्वारा स्वयं आरम्भ किया जायेगा अथवा यह संयुक्त क्षेत्र में होगा; और

(घ) क्या सरकार ने सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में नये ताप संयंत्रों के लिए आस्थगित ऋण आधार पर आयातित जनरेटिंग सेट लगाने की अनुमति देने का निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान विद्युत विकास कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए थे।

(ख) विद्युत के उत्पादन और वितरण से संबंधित नीति औद्योगिक नीति संकल्प के द्वारा विनियमित की जाती है, जो राज्य पर विद्युत क्षेत्र के विकास में निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करने की सम्भाव्यता पर कोई रोक नहीं लगाता है।

(ग) विद्युत क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में निजी स्वामित्व वाली युटिलिटीज में यूनिटों के प्रतिस्थापन/विस्तार तथा औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अलग-अलग और संयुक्त रूप से नई कैप्टिव विद्युत यूनिटों की प्रतिष्ठापना की संकल्पना की गई है।

(घ) कुल मिलाकर, विद्युत उत्पादन उपस्कर स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। यदि उपस्कर का निर्माण स्वदेश में नहीं किया जाता अथवा जबकि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं अथवा द्विपक्षीय आधार पर प्राप्त वित्तीय सहायता की शर्तों में विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर उपस्कर प्राप्त करना निर्धारित हो अथवा यह निर्धारित हो कि उपस्कर उसी देश से प्राप्त किये जाने चाहिए जो देश वित्तीय सहायता दे रहा है, तो चयनात्मक आधार पर आयात का सहारा लिया जाता है। जिन मामलों में विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, स्वदेशी निर्माताओं को भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है।

श्री थम्पन थामस : महोदय, इस समय बिजली के उत्पादन और सप्लाई का कार्य मूलतः राज्य स्तरीय सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है। आधुनिक और विकासशील देशों में सौर

ऊर्जा, पन बिजली परियोजनाओं से कृषि पर आधारित ऊर्जा तक बिजली उत्पादन बहुत अधिक विकेन्द्रीकृत है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना अथवा कार्यक्रम है जिसके अनुसार बिजली के उत्पादन और सप्लाई का कार्य स्थानीय निकायों, निगमों जैसी विकेन्द्रीकृत एजेंसियों को दिया जाना है और लाभार्थियों को विकेन्द्रीकृत क्षेत्रो से सम्बद्ध किया जाता है ताकि बिजली के उत्पादन और उसकी सप्लाई का कार्य कारगर ढंग से किया जा सके।

श्री बसंत साठे : जहां तक आन्तरिक प्रयोजनों के लिए बिजली के उत्पादन का प्रश्न है, हम उन्हें उद्योगों के लिए भी पूर्वतः अनुमति दे रहे हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वस्तुतः हम गुजरात में काण्डिया के हाल ही के उदाहरण से बहुत प्रसन्न हैं। सारे गांव ने मिलकर एक ऊर्जा सहकारी समिति स्थापित की और गैरपारम्परिक स्रोत पर आधारित एक ऊर्जा यूनिट स्थापित कर दी। यह केवल जैविक गैस, सौर ऊर्जा पर ही नहीं बल्कि अन्य स्रोत जैसे गोबर गैस पर आधारित है। यदि ग्रामीण क्षेत्र अथवा आदिवासी क्षेत्र अथवा ग्राम पंचायत या जिला परिषद जैसे स्थानीय अधिकरण इस मामले में सामने आयें और ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी सहकारी समितियां स्थापित करें, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। इसके लिए हम उन्हें हर प्रकार से सहायता देंगे। हम उन्हें ग्राम विद्युतीकरण निगम और इस निगम के कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता देंगे। जो भी सहायता हमारे पास उपलब्ध होगी, हम वह सहायता उन्हें देंगे।

श्री थम्पन थामस : पश्चिमी घाट में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहने वाली अनेक नदियां हैं। राज्य सरकारों के उपक्रम जल बिजली परियोजनाओं से बिजली तैयार करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में ऐसी योजनायें हैं जिससे कि इन क्षेत्रों के तीनों राज्यों के प्राकृतिक स्रोतों का केन्द्रीय सरकार की भागीदारी से अधिकतम दोहन किया जा सके।

श्री बसंत साठे : वह एक सामान्य तरीका है। केन्द्र सरकार के क्षेत्र में समस्त दक्षिण क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं। ऊर्जा के सामान्य पारम्परिक स्रोतों सम्बन्धी हमारे सभी निवेश कार्यक्रम क्षेत्रीय विकास पर आधारित हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं होने देते ?

श्रीमती बसव राजेश्वरी : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि वे बिजली विकास कार्यक्रमों के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देंगे। सरकार को छोटी पनबिजली परियोजनाओं अथवा ताप बिजली परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा ये किन-किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं ?

श्री बसंत साठे : हमारे पास राज्यों से छोटी पनबिजली अथवा इस प्रकार की परियोजनाओं

के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। वे अधिकांशतः राज्य विद्युत बोर्डों के नियंत्रणाधीन हैं और वे वहां आवेदन दे सकते हैं और अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना के अंत में विद्युत उत्पादन और विद्युत आवश्यकताओं के मध्य कितना अंतर रहेगा और क्या हमारे विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने में हमारी सहायता करने के लिए कुछ विदेशी संगठनों, विदेशों ने प्रस्ताव किया है। यदि हां, तो इसकी वर्तमान वस्तु स्थिति क्या है ?

श्री बसंत साठे : सातवीं योजना के अंत में लगभग 9,000 मैगावाट क्षमता की कमी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए द्विपक्षी सहायता के सम्बन्ध में विदेशों के कुछ प्रस्ताव हैं। उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : 'इल्स घाटी' ताप विद्युत केन्द्र और तल्चर सुपरताप बिजली केन्द्र के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री बसंत साठे : ये विचाराधीन है।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : हम सरकार की नीति का स्वागत कर रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकारें छोटी योजनाओं को आरम्भ नहीं कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी पन बिजली योज-नाएँ शुरू की जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार को लघु एककों को कुछ आर्थिक सहायता और राज सहा-यता देनी चाहिए। यह हमारे लिए काफी उपयोगी होगा। क्या केन्द्रीय सरकार सबसे पहले छोटी पन-बिजली योजनाओं को अधिक सहायता दे सकती है। कुछ बड़ी योजनाएं राज्य सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं। केन्द्रीय सरकार को उनके लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उनके लिए कनाडा अथवा विश्व बैंक सहायता की आवश्यकता है जिसे केन्द्रीय सरकार को प्रोत्साहन देना होगा। राज्य सरकारें बड़ी योजनाओं के विकास के लिए भी भारी मात्रा में धनराशि खर्च नहीं कर सकती हैं। निकट भविष्य में केरल में बिजली की कमी होगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से छोटी पन-बिजली योजनाओं को अधिक सहायता देने का अनु-रोध करता हूं। बड़ी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को विदेशी सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए और साथ ही साथ विदेशी सहायता देने वाले देशों को भी राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देने की अनुमति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाए। हम इन दो क्षेत्रों—निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकते हैं ?

श्री बसंत साठे : यदि निजी क्षेत्र अतिरिक्त संसाधनों के साथ आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री बसंत साठे : हमारा दृष्टि कोण स्पष्ट है। हम उनके सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अतिरिक्त संसाधनों के साथ आना होगा।··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नजर ही तो है और कभी-कभी न चाहते हुए भी नजर पड़ जाती है। नजर ही तो है, उठ गई होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड में चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के पदों को अलग अलग करना

*327. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मारुति उद्योग में चेयरमैन के पद पर किसी प्रतिष्ठित जन-सेवक को नियुक्त करने और चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के पदों को अलग अलग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड में एक अंशकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक है, दोनों व्याव-सायिक प्रबन्ध हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री जी को प्रश्न में यह पूछा है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के स्थान पर प्रतिष्ठित जनसेवक को नियुक्त करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन उसका कोई प्रति उत्तर मन्त्री जी ने नहीं दिया है। दूसरा, यदि जन-सेवक को चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए तो उद्योग की उत्पादन शक्ति बढ़ सकती है और मारुति कार की बहुत लम्बी प्रतीक्षा सूची जो वर्षों से लम्बित पड़ी है वह जल्दी से खत्म हो सकती है या नहीं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं, सम्मानित सदस्या की भावनाओं का आदर करते हुए विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जो उत्तर है, वह स्वतः सम्पूर्ण है और उसमें उत्तर निहित है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं यह मानकर चलता हूं कि प्रत्येक सम्मानित सदस्य की दृष्टि दिव्य दृष्टि है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो भगवन् बहुत ही विशाल हृदय वाले मालूम होते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आपके सम्मुख तो उदार होना ही पड़ता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उदार चरितानाम् वसुधैव कुटुम्बकम।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, रमा की दृष्टि नारायण पर सदैव अच्छी रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नारायण की दृष्टि भी वही है, यथा नामा तथा गुणा।

...(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मारुति उद्योग लिमिटेड का इस समय इस प्रकार का ढांचा है, उसमें श्री वी० कृष्णामूर्ति एक प्रख्यात ख्यातिनामा, जाने-माने वेत्ता और प्राविधिक विशेषज्ञता हैं। उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए ही उनको अल्पकालिक, अर्धकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छे।

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावजि : मैंने तो जनसेवक की नियुक्ति के लिए पूछा था। क्या यह सच है कि अंशकालिक अध्यक्ष काम करते हैं इसकी वजह से उत्पादन कम होता है और बाजार में स्पेयर पार्ट्स और मोटरकारों के स्पेयर पार्ट्स की तुलना में बहुत महंगा और कम भी मिलता है। क्या ऐसी कोई शिकायत आई है और अई है तो उसका क्या नतीजा निकला है और पूर्णकालिक अध्यक्ष मन्त्री जी कब नियुक्त करना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्री वी० कृष्णामूर्ति पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर ही थे। लेकिन बाद में इनकी उपादेयता और योग्यता को देखते हुए इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इनके पुराने अनुभव को देखते हुए इन्हें यहां भी अर्धकालिक चेयरमैन

नियुक्त किया गया है। मैं समझता हूं कि इसका मारुति की कीमत से, मूल्यों से और जनसेवक के अध्यक्ष होने या न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री एच० एम० पटेल : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न यह है :

क्या जनसेवक चेयरमैन या प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। आपका उत्तर यह है कि आजकल व्यवसायिक प्रबन्धक अंशकालिक और पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक के पदों पर हैं।

यह सोचने के क्या कारण हैं कि व्यवसायिक प्रबन्धक जनसेवकों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। मैं यह पूछ रहा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने कोई तुलना नहीं की है और न ही मुझ में कोई तुलना करने का साहस है क्योंकि मेरे विचार से जनसेवक अपने क्षेत्र में ही प्रतिष्ठित होते हैं। मेरे विचार से उनका औचित्य और प्रभाव क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि मैं उनकी सेवाओं को केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी तक ही सीमित नहीं कर सकता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने शानदार शब्दों में अभी-अभी यह कहा कि उन्हें अनुभव, ज्ञान आदि है, क्या यह सच है कि वह व्यक्ति, श्री कृष्णामूर्ति है जिसे भारत सरकार ने सचिव के पद से बर्खास्त कर दिया था, वे कौन से आरोप थे जिनके कारण उन्हें बर्खास्त किया गया था और उन्हें दोबारा सरकार की सेवा में कैसे लाया गया। मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य ने जिस बर्खास्त किये गये व्यक्ति के बारे में कहा है, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह सच है कि उसे वर्ष 1983 में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया था और उन्हें फिर सरकारी सेवा में लाया गया है। मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेरा विचार है कि वे उस समय भी मन्त्री थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरा उत्तर निश्चित रूप से नाकारात्मक है। उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया था।

प्रो० के० के० तिवारी : फिर क्या हुआ था ?

अध्यक्ष महोदय : आप निदेश 115 के तहत मेरे पास आएं। अब मामला स्पष्ट है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : या तो मन्त्री महोदय का कहना ठीक है या माननीय सदस्य का कहना ठीक है। हम यह जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : यहां मैंने उनसे कहा है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, इना और नारायण के बीच का प्रश्न भरा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नर और नारायण हैं, साहब, क्या करें।

[अनुवाद]

समुद्र जल से ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र

*328. श्री पी० कुलनदईवेलु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यों में ऊर्जा की कमी के गम्भीर रूप से बाधक होने के कारण देश में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किन्हीं अन्य वैकल्पिक प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है; और

(ख) क्या कोयला और तेल जैसे स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करने में अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं, यदि हां, तो क्या सरकार समुद्र जल से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता और कोयला, तेल तथा गैस के उत्पादन को बढ़ाने; विद्युत उत्पादन, वितरण और संचारण प्रणालियों की दक्षता को सुधारने; औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और दक्षता उपायों को संस्थापित करने; तथा सौर, पवन, बायोगैस, बायोमास, लघु जलीय और समुद्री प्रणालियों के माध्यम से वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक दोनों प्रकार की ऊर्जा आवश्यकताओं को विकल्प प्रदान करने के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग को तेज करने का प्रस्ताव किया गया है।

कोयला और तेल जैसे पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करने में कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं; इन कठिनाइयों को दूर करने के उपायों के अलावा समुद्र से ऊर्जा का उत्पादन करने को सम्मिलित करके सरकार अपारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अनुसंधान, विकास और उपयोग पर कार्य कर रही है। कच्छ की खाड़ी में 600 मेगावाट ऊर्जा की एक ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए जांच-पड़ताल सम्भाव्यता अध्ययन किए जा रहे हैं। समुद्र तापीय ऊर्जा के उत्पादन और तरंग ऊर्जा पर अनु-

संधान और विकास अध्ययन भी किया जा रहे हैं तथा लक्षद्वीप (कवारती) में एक (1) मेगावाट ऊर्जा के एक ओटेक संयंत्र के लिए सम्भाव्यता अध्ययन शुरू किये जा रहे हैं। इन सिद्धांतों पर समुद्र जल से संयंत्रों को स्थापित करना उपलब्ध आर्थिक और वित्तीय आबंटनों पर निर्भर करेगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : विवरण में भी उन्होंने ऊर्जा तथा सौर पवन, बायोगैस, बायोमास, लघु जलीय और समुद्री प्रणालियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन की क्षमता में सुधार करने का ब्यौरा दिया गया है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सौर प्रणाली से हम केवल दिन के समय ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम रात के समय के लिए ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो हमें इसके परिरक्षण के लिए भी बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। यही बात भंडारण सुविधाओं के संबंध में भी है। और जहां तक भारत में कोयले का सम्बन्ध है यह बहुत खर्चीला तथा हानिकारक है। और हम खानों से कोयला निकालने के बारे में भी बहुत पिछड़े हुए हैं। जब हम कनाडा और अन्य देशों से भारत की तुलना करते हैं तब हमें पता लगता है कि खानों से कोयला निकालने में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसकी उत्पादन लागत भी पनबिजली अण ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके प्रस्तावों के अतिरिक्त किन्हीं वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार कर रही है अर्थात् गैर-परम्परागत स्रोत जिनसे समुद्री जल से ऊर्जा पैदा की जा सकती है।

श्री वसंत साठे : इस समय हमें पारंपरिक स्रोतों जिनमें पानी, कोयला और अणु शामिल हैं की जानकारी है। उन्हें स्थापित किया जा चुका है। लेकिन विश्व भर में गैर-परम्परागत स्रोतों का भी उपयोग किया जा रहा है जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, यद्यपि उन्हें अभी तक आर्थिक रूप से देश में वाणिज्यिक आधार पर स्थापित नहीं किया गया है। लेकिन अन्य देशों में अभी भी पवन चक्की फार्म के द्वारा समुचित मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। सौर प्रणालियां भी प्रचलित हैं और ज्वारीय ऊर्जा का भी उपयोग किया जा रहा है। हम अपने देश में इन तीनों प्रणालियों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : श्रीमन् मैं मन्त्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं मन्त्री महोदय से फिर पूछना चाहता हूं कि ज्वारीय ऊर्जा के सम्बन्ध में भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम उन्हीं स्थानों पर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जहां ज्वारीय ऊर्जा पर्याप्त है। हाल ही में जापान में समुद्री ताप ऊर्जा संयंत्र प्रतिस्थापित करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। मैं यह नहीं जानता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है या नहीं। फिर भी मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि समुद्री ताप बिजली संयंत्र है जो तेल ड्रिलिंग रिग के समान बड़े हैं। जहां तक इस संयंत्र की क्षमता का सम्बन्ध है, प्रारम्भ में ही यह 100 मेगावाट होगी। यह बहुत किफायती है और इसकी लागत 250 मिलियन डालर है और यह बढ़कर 350 मिलियन डालर हो सकती है और पांच वर्षों की अवधि में हम उस धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हमने इसके ऊपर निवेश किया है। यह ज्वारीय

विद्युत की अपेक्षा सस्ती है मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के संयंत्र प्रतिस्थापित करने में पहल करेगी क्योंकि हम वास्तव में 25 डिग्री दक्षिण में हैं और 25 डिग्री दक्षिण में होने पर भारत भाग्यशाली है। उस क्षेत्र में हम प्रचुर मात्रा में समुद्री जल प्राप्त कर सकते हैं। हम समुद्री जल को ऊर्जा में बदल सकते हैं।

श्री बसन्त साठे : समुद्र तापीय ऊर्जा के उत्पादन की यह प्रौद्योगिकी सतह और 500 से 1000 मीटर तक की गहराई पर समुद्री जल के विभिन्न तापमानों के उपयोग करने के सिद्धांत पर कार्य करती है।

तापमान में अन्तर 20 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा इससे अधिक होता है। लगभग 28 डिग्री सेल्सियस गर्म समुद्री तल को फ्लश को वाष्पीकरण करने तथा अमोनिया जैसे कैमिकलों को कम वाष्पीकरण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक नई प्रौद्योगिकी है। जैसा कि मैंने कहा था हम इन सभी नई प्रौद्योगिकियों का स्वागत करते हैं। हम उनका उपयोग करेंगे बशर्ते वे वाणिज्यिक आधार पर उपयोगी सिद्ध हों। हमें किसी भी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं है बशर्ते कि उसका वाणिज्यिक उपयोग के लिए उत्पादन किया जा सके और वह उपयोगी पाया जाये।

केरल को सीमेंट और मृदु इस्पात छड़ों का आबंटन

*329. प्रो० के० वी० थामस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सिंचाई, जलपूर्ति और मल व्ययन योजनाओं के लिए सीमेंट और मृदु इस्पात छड़ों के विशेष आबंटन का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी कितनी मात्रा की मांग की गई है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सीमेंट के बारे में केरल सरकार से दो अनुरोध प्राप्त हुए थे। अगस्त, 1985 में राज्य सरकार ने सूचित किया था कि जल आपूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए सीमेंट की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है और उन्होंने अनुरोध किया था कि वाटर एण्ड वेस्ट वाटर अथारिटी के लिए केरल को सीमेंट का विशेष कोटा दिया जाए। उन्होंने बताया था कि इस अथारिटी के लिए सीमेंट की न्यूनतम आवश्यकता 5000 मी० टन प्रति तिमाही है। अक्तूबर, 1985 में किए गए एक और अनुरोध में कल्लाड़ सिंचाई, परियोजना के लिए 1985 की चौथी तिमाही में 5000 मी० टन तथा 1986 की प्रथम

तिमाही में 15000 मी० टन सीमेंट के अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई थी।

2. जहां तक जल आपूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए सीमेंट की आवश्यकताओं का प्रश्न है ये राज्य के अपने आवंटनों का विषय है अतः यह राज्य सरकार का काम है कि वह इन योजनाओं के लिए राज्य के कोटे में से उचित मात्रा नियत करे। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार केरल राज्य को प्रति तिमाही 1,210 मी० टन सीमेंट का आवंटन करती रही है। कल्लाड परियोजना के लिए अतिरिक्त आवंटन के संदर्भ में यह प्रक्रिया है कि प्रत्येक तिमाही में इकट्ठे आवंटनों के लिए जो मात्रा केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी जाती है उसी मात्रा में से यह आयोग सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटन करता है। केन्द्रीय जल आयोग ने 1986 की पहली तिमाही के लिए 20,000 मी० टन सीमेंट का आवंटन किया था।

3. स्टील के बारे में केरल सरकार द्वारा अक्तूबर, 1985 में अनुरोध किया गया था कि उन्हें कल्लाड सिंचाई परियोजना के वास्ते 1985 की चौथी तिमाही और 1986 की पहली तिमाही में 6,000 मी० टन स्टील का आवंटन किया जाए। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते आवश्यकताओं के पूर्वानुमान कलकत्ता स्थित संयुक्त संयंत्र समिति को भेजे जाते हैं जो आयोग को इकट्ठे आवंटन भेजती है। अत: विभिन्न परियोजनाओं के वास्ते विशेष आवंटन आयोग द्वारा किये जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग से सम्पर्क स्थापित करने तथा स्टील की विशिष्ट वस्तुओं और आकारों आदि के विषय में सूचित करने की सलाह दी गई थी। उन्हें यह भी कहा गया था कि यदि उन्हें बार्स और राड्स चाहिए तो वे इनकी खरीद सीधे रीरोलिंग एककों से कर लें क्योंकि ये वस्तुएं एस० ए० आई० एल०, आई० आई० एस० सी० ओ० तथा टिस्को के पास सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं।

प्रो० के० वी० थामस : विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि केरल सरकार ने जल प्रदाय और मल व्ययन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए चौथी तिमाही में 5,000 मी० टन सीमेंट मांगा था। परन्तु केन्द्र सरकार ने प्रति तिमाही केवल 1,210 टन सीमेंट का आवंटन किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार किस प्रकार केरल जैसे राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने जा रही है जहां हम बड़े पैमाने पर जल प्रदाय योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। 20वीं सदी के अन्त तक भी हम अपने समस्या ग्रस्त गांवों में पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में सीमेंट सप्लाई करेगी क्योंकि केरल में कोई बड़ा सीमेंट संयंत्र नहीं है जिससे कि हम अपनी जल प्रदाय और मल व्ययन योजना को समय पर पूरा कर सकें।

श्री एम० अरुणाचलम : आप देखेंगे कि वर्ष 1985 की चौथी तिमाही में सीमेंट की सप्लाई में काफी वृद्धि की गई है। केन्द्रीय जल आयोग से की गई जांच से भी पता चलता है कि केरल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए सीमेंट की सप्लाई के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग को भी कोई गम्भीर शिकायतें नहीं हैं। वर्ष 1984 में केरल को 2,82,000 मीटरी टन सीमेंट का आवंटन किया गया और इसमें से 95 प्रतिशत सीमेंट भेजा जा चुका है। वर्ष 1985 में 3,04,000 मीटरी टन सीमेंट का

आवंटन किया गया जिसमें 72 प्रतिशत सीमेंट भेजा जा चुका है।

प्रो० के० वी० थामस : मेरा प्रश्न हमारी जल प्रदाय और मल व्ययन योजनाओं के लिए सीमेंट की सप्लाई के बारे में है न कि बिजली उत्पादन आदि जैसी अन्य योजनाओं के लिए सीमेंट की सप्लाई के बारे में यह विशिष्ट प्रश्न जल प्रदाय और मल व्ययन योजनाओं के लिए आवंटित की जाने वाली सीमेंट से सम्बन्धित हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि हम इस योजना के लिए प्रति तिमाही 1,210 मीटरी टन सीमेंट देते रहे हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक सीमेंट के आवंटन का संबंध है, हम इसका आवंटन कर रहे हैं। विशिष्ट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रो० के० वी० थामस : यह एक सामान्य उत्तर है। हम विशिष्ट प्रयोजन के लिए सीमेंट की मांग कर रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो हम कोई भी परियोजना पूरा नहीं कर पायेंगे। जल प्रदाय योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हमारे यहां अनेक समस्याग्रस्त गांव हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें सीमेंट क्यों नहीं दे सकते ?

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम दे रहे हैं, विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसका आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ?

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों की कालाबाजारी

*330. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों की कालाबाजारी के बारे में शिकायतों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार का काला बाजारी रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या सरकार का विचार गैस कनैक्शनों की मांग को ध्यान में रखते हुए देश में और गैस एजेन्सियां आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तेल कम्पनियों के सामान्य कार्यों के दौरान वितरकों द्वारा एल०पी०जी० के कनैक्शनों को काले बाजार में बेचने के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। इनकी जांच की जाती है तथा उचित कार्यवाही की जाती है जो चेतावनी पत्र से लेकर डीलरशिप को समाप्त करने तक का होता है।

(ख) इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ बेईमान वितरकों की देश के अधिकतर भागों में नए एल० पी० जी० कनक्शनों की भारी मांग से अनुचित लाभ उठाने की इच्छा होती है।

(ग) तेल विपणन कम्पनियां विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत एल० पी० जी० वितरकों की आवधिक और अचानक जांच करती हैं तथा उपयुक्त मामलों में दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करती हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजनाओं के अनुसार पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर एल० पी० जी० की वितरणशिपें बराबर स्थापित की जा रही हैं।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : माननीय मंत्री जी ने सचाई को स्वीकारते हुए कि ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो जवाब दिया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अब तक हाउस में हमेशा सचाई को छिपाने की कोशिश की जाती है, जोकि अच्छी बात नहीं है।

फिलहाल मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने डिस्टीब्यूटर्स के खिलाफ कम्प्लेंट्स आई, कितनों की वार्निंग दी गई और कितनों को डीलरशिप टर्मिनेट की गई? जिनकी नहीं की गई, उनकी क्या वजह है?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मेरे पास विभिन्न राज्यों के इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं। मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इस प्रकार के आंकड़ों को फिर कलैक्ट कर के यहां पर लाया जाये, देखा जाये, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन विभिन्न जगहों में जहां ऐसी शिकायतें आई हैं, वहां वार्निंग से लेकर टर्मिनेशन आफ डीलरशिप तक की कार्यवाही की गई है। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, इसलिए मैं उनको उद्धृत करना आवश्यक नहीं समझता हूं क्योंकि उससे हो सकता है कि सही स्थिति का आयजा न मिले, लेकिन इस बात की कार्यवाही की जा रही है कि पीरियौडिक इन्सपैक्शन्ज हों और जहां भी इस प्रकार की शिकायतें आयें वहां स्ट्रिन्जैंट एक्शन लिए जायें वार्निंग से लेकर टर्मिनेशन तक।

डा० चंद्रशेखर त्रिपाठी : सामान्यतया देश में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि कुकिंग गैस

एल० पी० जी० डीलर हाट-प्लेट, गैस के चूल्हे भी रखते हैं और कनैक्शन होल्डर को मजबूर करते हैं कि वह चूल्हा उन्हीं के यहां से खरीदे जिससे कि वह 200, 300 या 400 रुपये की बेईमानी कर ले। क्या मंत्री जी इस तरह का कोई निदेश जारी करेंगे कि एल० पी० जी० गैस डीलर चूल्हे अपने यहां रखे ही नहीं, उसके लिए दूसरा डीलर हो जिससे कंज्यूमर को दिक्कत न हो ?

अध्यक्ष महोदय : दो चोर इकट्ठे हो जायेंगे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जिस चीज का माननीय सदस्य ने जिक्र किया, यह शिकायतें काफी आई हैं, और इसके संबंध में...

श्री के० के० तिवारी : उस पर एक्शन भी लीजिए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : एक्शन भी लिया गया है। लेकिन यह मांग करना कि जो डीलर है वह हाट-प्लेट न रखे, ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग जहां से गैस लेते हैं, वहां से ही हाट-प्लेट भी लेना चाहते हैं। लेकिन उनको बाध्य न किया जाये, इसके सम्बन्ध में काफी स्पष्ट आदेश दिए गए हैं और हिदायत दी गई है कि किस तरह से दो स्टेज पर इसकी इंक्वायरी और इंसपेक्शन होकर यह साफ जाहिर हो जाए और इस प्रकार की शिकायतें सामने न आयें। माननीय सदस्य ने जिस बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, उसके सम्बन्ध में विशेष कार्यवाही की गई है और आशा की जाती है कि उसके सही परिणाम सामने आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय के नोटिस में ऐसी शिकायतें आई हैं कि एल० पी० जी० गैस सिलेंडरों में अधिकतर गैस की मात्रा कम होती है। यदि हां तो उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जा रहा है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : ये जो डीलर्स हैं, उनके लैवल पर ऐसी शिकायतें आई हैं और उसमें इस तरह के मकैनिज्म को इंट्रोड्यूज किया जा रहा है जिससे कि वैसी शिकायतें कम से कम हो सकें।

(व्यवधान)

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि जब घरों में गैस खत्म हो जाती है और वह गैस के लिए टेलीफोन करते हैं तो उनको टेलीफोन मिलता नहीं है। सुनने में आया है कि वह दुकानदार टेलीफोन का रिसीवर उठाकर रख देते हैं या बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरा, जब वह गैस लेने के लिए जाते हैं तो कह देते हैं कि गैस खत्म हो गई है। क्या वाकई गैस की कुछ कमी है या जानबूझकर लोगों को परेशान किया जाता है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : ऐसी खास शिकायतें जो आती हैं, उसके संबंध में कार्यवाही होती है।

अभी स्थिति यह है कि नार्दन रीजन में कुछ गैस की कमी जरूर हो गई है और उसको दूर करने की चेष्टा की जा रही है। ऐसी आशा है कि 1-2 महीने में स्थिति सामान्य हो जायेगी।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास : शायद मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होगी कि खाना पकाने की गैस-सिलेण्डरों का निर्माण करने वाली इकाइयों की स्थापना के मामले में बहुत अधिक क्षेत्रीय असंतुलन है। मुझे बताया गया है कि पैट्रोलियम मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री के राज्य को खाना पकाने की गैस-सिलेण्डरों के निर्माण की सर्वाधिक इकाइयां प्राप्त हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उनसे पूर्व के पैट्रोलियम मंत्री के समय में खाना पकाने की गैस सिलेण्डरों के निर्माण की सबसे अधिक इकाइयां गुजरात राज्य के लिए स्वीकृत की गई थीं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : खाना पकाने की गैस-सिलेण्डरों के निर्माण के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। उन्हें उनको केवल पंजीकृत करवाना होता है और इतने से ही वे निर्माण प्रक्रिया आरम्भ कर देते हैं। अतः इस सम्बन्ध में पक्षपात करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : तत्कालीन मंत्री, श्री पी० शिव शंकर द्वारा यह बताया गया था कि देश में 20,000 जनसंख्या वाले सभी नगरों में गैस एजेन्सियां होंगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले ऐसे नगरों को गैस-एजेन्सियां देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल 20,000 जनसंख्या वाले नगरों को ही क्यों ? 500 जनसंख्या वाले गांवों को भी यह सुविधा दी जानी चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हम इस बात से सहमत हैं कि इसे यथासंभव उदार बनाया जाना चाहिए किन्तु कठिनाइयां ये हैं कि काम ऐसा होना चाहिए जो अर्थक्षम भी हो और लाभप्रद भी। अन्यथा वहां कालाबाजारी या गलत काम होने लगेंगे। अतः हम इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिक्री केन्द्र स्वीकृत कर रहे हैं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक बिक्री केन्द्रों की संख्या जितनी भी होगी, उपभोक्ताओं की संख्या एक करोड़ से बढ़कर लगभग दो करोड़ होने की संभावना है।

कच्चे तेल का निर्यात और शोधित तेल का आयात

*331. **श्री रेणुपद दास** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे तेल के निर्यात में इस बीच कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(ग) क्या शोधित तेल का आयात भी उतनी ही मात्रा तक कम हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) इस समय क्रूड ऑयल का कोई निर्यात नहीं हो रहा है। 1984-85 में 6.5 मिलियन मी० टन तक और मई 1985-86 में केवल 0.525 मिलियन मी० टन तक का निर्यात किया गया। वर्ष 1984-85 में किए गये 5.2 मिलियन मी० टन के शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का आयात घट कर 1985-86 में अनुमानित: 2.6 मिलियन मी० टन हुआ है। शोधन इंवेंटरी के समंजनों के बाद मात्रा में आई कमी और हमारी आवश्यकता से अधिक उत्पादों का आयात जैसे कारणों से आयात और निर्यात ठीक से तुलनात्मक नहीं है।

श्री रेणुपद दास : विवरण में बताया गया है कि कच्चे तेल का निर्यात 6.5 मिलियन टन से घटकर 0.525 मिलियन टन रह गया है, जोकि बहुत ही कम है। देश में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ऐसा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : हमारी तेल शोधन क्षमता में वृद्धि के कारण ही ऐसा हुआ है।

श्री रेणुपद दास : जी हां, इसका दूसरा कारण यह है कि तेल शोधन क्षमता में वृद्धि हो गई है। विवरण में यह भी बताया गया है कि शोधित तेल का आयात भी 52 लाख टन से घटकर 26 लाख टन रह गया है जोकि कुल शोधित तेल का ठीक आधा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की यह घोषित नीति है कि तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाये और छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में वस्तुत: लगभग 70 प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई थी। किंतु इस बीच तेल सम्बन्धी आत्मनिर्भरता में कमी होने के कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह घटकर 61 प्रतिशत हो सकती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि तेल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता में कमी को रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किये गए हैं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : महोदय पहली बात तो यह है कि देश में कच्चे तेल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि इसमें तो वृद्धि हो रही है। जैसाकि बताया जा चुका है हमारी तेल शोधन क्षमता के कारण इसे कम कर दिया गया है। किंतु माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि सातवीं योजना अवधि में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता की मात्रा, जोकि वर्ष 1984-85 में 70 प्रतिशत थी, सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में घटकर 61 प्रतिशत रह जायेगी। इसका मूल कारण यह है कि हमारी मांग 30 लाख टन प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ रही है। हमारे उत्पादन में मांग के अनुरूप वृद्धि नहीं हो सकी है। मौजूदा अनुमान यह है कि सातवीं योजना की अवधि

में यदि हम काफी बड़ा भण्डार तैयार नहीं कर सकेंगे, तो यह अंतर और अधिक हो जायेगा और आत्मनिर्भरता के स्तर में गिरावट आएगी। किंतु इस स्थिति से यथासंभव बेहतर ढंग से निपटने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। सर्वप्रथम हम अपने गवेषणा कार्य में तीव्रता लाने और सही तथा आधुनिक नीतियां तैयार करके उत्पादन कार्यक्रम में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की दर में वृद्धि को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। स्थिति से निपटने के लिए मांग और पूर्ति, दोनों पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

श्री रेणुपद दास : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि उन्होंने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। किन्तु चालू वर्ष के दौरान खपत की दर में 7.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत रोकना किस प्रकार सम्भव होगा ? महोदय, इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह स्पष्ट रूप से बताएं कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैंने सदन में बताया है कि हमने दो प्रमुख उपाय किए हैं। पहला मूल्य तंत्र है, जिस पर सदन ने चर्चा की है। इससे हमारी खपत में निश्चित रूप से कुछ सीमा तक कमी आएगी और जैसाकि मैंने पहले बताया है, तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बचत करने के लिए कुछ व्यापक उपाय कर रहे हैं हमने इस मामले पर विचार किया है। और हमें आशा है कि अगले मास तक हम कुछ निर्णय कर लेंगे, जिनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जी० एस० मिश्र : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कैरोसीन आयल भी बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है और कैरोसीन आयल अधिकतर डीजल आयल में एडल्ट्रेशन के काम में आता है ? यदि ऐसा होता है तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : कैरोसीन तेल भी आयात किया जाता है और उसके एडल्ट्रेशन का कारण यह है कि दोनों में प्राइस डिफरेंशियल बहुत है। इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह बार-बार आया है कि दोनों का प्राइस इक्वेलाईजेशन कर लिया जाए ताकि एडल्ट्रेशन न हो सके लेकिन कैरोसीन तेल के जो उपभोक्ता हैं उनको देखते हुए कैरोसीन तेल का दाम बढ़ाना और डीजल के बराबर करना उचित नहीं समझा गया। इसी प्रकार से इसके बारे में कई बार यह उपाय सुझाया गया कि केरोसीन तेल को रंग दिया जाए, उसकी जांच भी कराई गई लेकिन यह सुझाव कारगर नहीं है। कुछ दूसरे उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। चूंकि दूसरे देशों में इस तरह की स्थिति नहीं है इसलिए इस मामले में अपने देश की रिसर्च पर ही हमें निर्भर करना पड़ता है और हमारा प्रयास चल रहा है···(व्यवधान) अगर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कि उसको अलग किया जा सके तो उसकी व्यवस्था निश्चित तौर से की जायेगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उनकी नौकरी चली गई है। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, तेल की खपत की योजना बनाते समय कोई भी देश युद्ध आदि जैसी आपात स्थितियों के लिए कुछ तेल अलग रखता है, किन्तु बताया जाता है कि हमारा भंडार सीमित है। आपात काल के लिए आपने कितना प्रतिशत आरक्षित किया हुआ है और कितनी मात्रा की आप दैनिक खपत कर रहे हैं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्रीमान्, देश में इस समय ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है। किन्तु हमारी तेल की आवश्यकता हमारे आर्थिक विकास की आवश्यकता से सम्बद्ध है और तेल की खपत एक देश के आर्थिक विकास की द्योतक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि आपातकाल में···

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम कभी भी इसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम तात्कालिक आवश्यकता और भविष्य तथा आपातकाल में होने वाली मांग के बीच सही सन्तुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सी० पी० ठाकुर : क्या इस दिशा में कोई विचार किया गया है या नहीं···

श्री चन्द्र शेखर सिंह : जी हां, निश्चित रूप से किया गया है।

श्री सी० पी० ठाकुर : आपातकाल में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि कोयले से तेल निकालने के लिए दिए गए व्यवहार्यता प्रतिवेदन, जिससे तेल के हमारे उत्पादन उपलब्धता में काफी वृद्धि होगी, के कार्यान्वियन के लिए क्या कार्यवाही की गइ है ?

यदि मंत्री जी से इस विचार को त्याग देने के लिए नहीं कहा गया, तो वह इस बारे में जानते होंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कोयले से तेल का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं नहीं बता सकता। मैं इस बारे में विस्तृत जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या माननीय मंत्री महोदय को इस परियोजना की जानकारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे जानते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे अपूर्ण उत्तर देने के बजाय स्पष्ट उत्तर देना चाहेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे नहीं जानते, तो आप उन्हें बता दीजिए।

केरल में विद्युत क्षेत्र में केन्द्र द्वारा पूंजी का निवेश

*332. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में विद्युत क्षेत्र में केन्द्र ने कुल कितनी पूंजी लगाई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है तथा राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य की समूची छठी योजना के लिए ब्लाक ऋण तथा अनुदान के रूप में केरल को मुहैया कराई गई केन्द्रीय सहायता लगभग 483 करोड़ रुपये थी।

श्री के० कुन्जम्बु : वर्तमान अनुमान के अनुसार केरल को अति निकट भविष्य में बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में बिजली की अनुमानित आवश्यकता कितनी है तथा इस आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाएगा ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है ?

श्री वसंत साठे : जैसा कि मैंने कहा, केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं क्षेत्रीय आधार पर स्थापित की जाती हैं। जहां तक केरल की विद्युत आवश्यकता का सम्बन्ध है, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1985-86 में केरल में बिजली की कोई कमी नहीं हुई। विद्युत आवश्यकता 4,753 मिलियन यूनिट थी तथा 4,753 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध की गई। कमी कोई नहीं रही।

लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत सर्वेक्षण के मांग निर्धारण के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात वर्ष 1989-90 में केरल में बिजली की सप्लाई की स्थिति निम्न प्रकार रहने का अनुमान है :

अधिकतम मांग	—	1659 मेगावाट
अधिकतम उपलब्धता	—	1400 मेगावाट
कमी	—	259 मेगावाट
ऊर्जा आवश्यकता	—	8647 मिलियन यूनिट
विद्युत उपलब्धता	—	6556 मिलियन यूनिट

2,091 मिलियन यूनिट की कमी होगी ।

सांतवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में समूचे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक जरूरत के समय 15 प्रतिशत की कमी होगी तथा ऊर्जा की 17.5 प्रतिशत कमी होगी ।

श्री के० कुन्जम्बु : मैं उन विद्युत परियोजनाओं के नाम जानना चाहता हूं जो केन्द्रीय मंजूरी के लिए लम्बित है तथा उन्हें शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री बसंत साठे : जहां तक केरल का सम्बन्ध है, इस समय ऐसी कोई परियोजनायें नहीं हैं जिन्हें केन्द्र से मंजूरी दी जानी है । विद्युत उत्पादन के लिए केरल को विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है । इनमें इडुक्की पन-बिजली परियोजना है जिसे कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से कार्यान्वित किया गया है तथा लोअर पेरियार पन-बिजली परियोजना है । जो विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है ।

परियोजनाएं, जिनके लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं लेकिन जिनके बारे में अग्रेतर जानकारी मांगी जा रही है, इस प्रकार है :—

बहुद्देशीय पन-परियोजनाएं : कोरापाड़ा कुरियाकुट्टी मानाथावादी (व्यवधान) यहां नाम कुछ भिन्न हैं । क्या यह मानन्दवाड़ी है ? चाहे जो भी हो इसके अतिरिक्त बड़ी/मध्यम दर्जे की केरल पन्हियार पुन्नापुझा तथा कुट्टीयाडी योजनाएं हैं । इन परियोजनाओं के बारे में केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव आये हैं हमने उनसे जानकारी मांगी है । ऐसे कई चरण हैं जिनके बारे में राज्य से अग्रेतर जानकारी अपेक्षित है ।

श्री टी० बशीर : क्या केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य सरकार से निर्माणाधीन परियोजना को पूरा करने के लिए, जो निर्धारित समय से पिछड़ गई है, कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है क्योंकि केरल के पास, इस निर्माणाधीन परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है; यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बसन्त साठे : मुझे ऐसे किसी अनुरोध की जानकारी नहीं है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार से निर्माणाधीन परियोजना को हमारे खर्चे पर पूरा करने को कहा हो । वहां जितनी भी योजनाएं हैं, उनके लिए पहले ही या तो कनाडा से या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : जैसा कि आप जानते ही हैं, कर्नाटक बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न केरल के बारे में है। नहीं।

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या उन्होंने केरा परमाणु ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना

*333. श्री वाई० एम० महाजन†
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी प्राप्त की है अथवा प्राप्त कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो किस देश से और किस लागत पर; और

(घ) तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की दीर्घावधि योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कदमों में कुछ ये हैं :—

(1) अन्वेषण कार्य को तेज करना जिससे उत्पादन में स्वतः वृद्धि होगी।

(2) वर्क-ओवर कार्यों में तेजी लाना।

(3) अधिक तेल निकालने की तकनीकों का प्रयोग।

(4) उच्च प्रौद्योगिकी को लगाना।

(ख) और (ग) जी, हां। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा फ्रांस आदि जैसे देशों से परामर्शदात्री सेवाओं, प्रशिक्षण, चार्टर हायर सेवाओं तथा

उपकरणों की खरीद के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करता है। लागत प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्वेषण की 20 वर्ष की सम्भाव्य योजना बनाई है जिसमें 1985 से 2005 तक पेट्रोलियम निकालने की योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का 144 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन का लक्ष्य है।

श्री वाई० एस० महाजन : निसंदेह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपना अन्वेषण कार्य तेज किया है और तेल के कई नए स्रोतों का पता लगाया है। तेल के वे नए स्रोत क्या हैं और उनकी तेल क्षमता क्या है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : अब तक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत गांधर में पता चला है। वहां उपलब्ध संसाधनों के बारे में पक्की जानकारी देना संभव नहीं है। किन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जो प्रक्षेपण किया है वह 1000 लाख टन है। किन्तु अब तक का हमारा मूल्यांकन केवल 60-70 लाख टन का किया गया है और शेष नए आंकड़ों पर निर्भर करता है।

श्री वाई० एस० महाजन : हम रूस, अमरीका और अन्य देशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त करते हैं। यह बताया गया है कि डिलिवरी तथा उपकरण और ड्रिलिंग रिग्स चालू करने में निरन्तर विलम्ब होने के कारण तेल कुंओं से कम तेल उपलब्ध होता है। यदि यह सच है तो यह देखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जो मशीनरी प्राप्त की जाती है उसका प्रयोग यथासम्भव शीघ्र किया जाये ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यद्यपि कहीं पर इस सम्बन्ध में विलम्ब होता हो, हम प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों पर निरन्तर निगरानी रखते हैं। मोटे तौर पर इस वजह से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सम्पूर्ण उत्पादन कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, गैस को ले जाने वाली जो पाइपलाइन हैं, उनका प्रोपर प्लानिंग एडवान्स में नहीं होता है और ऐसा न होने की वजह से आयल को प्रोडक्शन सफर करता है और उसकी स्लो प्रोग्रेस है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसको दूर करने के लिए क्या वे एडवान्स में पाइपलाइन का प्लानिंग करेंगे और पाइपलाइन बिछवाने की तरफ ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयल इण्डिया को गैस कम्प्रेसरों की सप्लाई

*334. डा० जी० विजय रामा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयल इंडिया को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गैस कम्प्रेसरों की सप्लाई की जा रही है; और

(ख) क्या विदेशी सप्लायरों से सप्लाई, जिसके लिए पहले क्रयादेश दिए गए थे, प्राप्त हो चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सप्लाई के कब प्राप्त होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय ऑयल इंडिया द्वारा भारत पम्प्स और कम्प्रेसर लि० को 4 गैस कम्प्रेसरों के लिए आर्डर दिया हुआ है जो कि मई, 1986 तक निर्धारित समय में सप्लाई किए जाने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सतलुज, रावी और व्यास नदियों से गंग नहर, भाखड़ा नहर और इन्दिरा गांधी नहर में गिरने वाले पानी के हैड वर्क्स

*335. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज, रावी और व्यास नदियों से राजस्थान की गंग नहर, भाखड़ा नहर और इंदिरा गांधी नहर में गिरने वाले पानी के हैड वर्क्स कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन "हैडवर्क्स" का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है;

(ग) क्या इस निर्णय का पालन किया जा रहा है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या इन "हैडवर्क्स" का निरीक्षण करने के लिए राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के कार्यालय फिरोजपुर और चंडीगढ़ में खोले गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) गंग नहर (बीकानेर नहर) में जल हरिके हैडवर्क्स तथा फिरोजपुर हैडवर्क्स से व्यपवर्तित किया जाता है। भाखड़ा नहर में जल नंगल डैम हैडवर्क्स से व्यपवर्तित किया जाता है। इन्दिरा गांधी नहर में जल हरिके हैडवर्क्स से व्यपवर्तित किया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने जनवरी, 1978 में पंजाब सरकार को निर्देश जारी किया था, जिसमें रोपड़, हरिके और फिरोजपुर के हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया था। तदुपरान्त, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने 31.12.1981 को प्रधान मंत्री की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सभी भागीदार राज्यों को जल का एक बराबर वितरण सुनिश्चित करने के उपायों के संबंध में व्यवस्था की गई थी। तदनुसार, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड विभिन्न राज्यों को जल मुहैया कराए जाने की नियमित रूप से समीक्षा करता आ रहा है। राजस्थान सहित सभी भागीदार राज्यों को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है तथा सप्लाई के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत राजस्थान के प्रतिनिधि द्वारा उठाई जाती है और उसे बोर्ड में ही दूर कर दिया जाता है।

(घ) नंगल और हरिके हैडवर्क्स से मुहैया कराए जाने वाले जल पर निगरानी रखने के लिए राजस्थान सरकार ने चण्डीगढ़/फिरोजपुर में जल नियंत्रण सेल स्थापित किए हैं।

सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहायता से चल रहे रसायन कारखाने

***336. श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहायता से कितने रसायन कारखाने चल रहे हैं और उनमें कौन-कौन सी गैसों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इन उद्योगों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वहां अपनाये गये सुरक्षा उपायों की जांच के क्या प्रबंध किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के दो रसायन एकक मै० हिन्दुस्तान ओर्गेनिक कैमिकल्स लि० और हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० इस समय विदेशी सहायता पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

मोटर गाडियों सम्बन्धी लाइसेंस नीति की पुनरीक्षा

*338. डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे विदेशी सहयोग तथा आयातों को, जिनसे पर्याप्त निर्यात क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, रोकने की दृष्टि से सरकार मोटर गाड़ियों सम्बन्धी लाइसेंस नीति की पुनरीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो मोटर गाडियों सम्बन्धी लाइसेंस नीति के सम्बन्ध में सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मोटर गाड़ी उद्योग में प्रौद्योगिकी के उन्नयन और उसके परिणामस्वरूप ईंधन में बचत की आवश्यकता को मानते हुए सरकार ने हाल के वर्षों में मोटर गाड़ी निर्माताओं को विदेशी सहयोग करने की अनुमति दी है। भावी नीति जिससे स्वदेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही जो विदेशों में होने वाले प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नवीकरणों से हमें पृथक नहीं करेगी, तैयार की जा रही है।

मारुति कारों का उत्पादन

*339. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1986 तक कितनी मारुति कारों का निर्माण हुआ;

(ख) क्या इनका निर्माण निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है; और

(ग) यदि हां, तो मारुति कारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 31-1-1986 तक लगभग 50,000 कारों का निर्माण किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले का अवैध व्यापार

*340. श्री सरफराज अहमद
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1986 के "जनसत्ता" में "करोड़ों की कोयला चोरी उजागर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोयले के अवैध व्यापार के बारे में ब्योरा क्या है और कितना कोयला चोरी हुआ तथा उसका मूल्य कितना था;

(ग) इस मामले में क्या कारंवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में कोयले की चोरी रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है और यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 22.1.1986 और 24.1.1986 को हजारीबाग जिले और कोकर औद्योगिक एरिया के कोयले के निम्नलिखित डीलरों और उपभोक्ताओं के अहातों में छापे मारे थे :—

1. आर० सी०/1/86-आर० ए० एन०—तलाशी की तारीख—22.1.1986

(1) अशोक सिनेमा कालोनी, रांची रोड, मरार, जिला—हजारीबाग स्थित रमेश कुमार जैन, कोयला हैंडलिंग एजेंट का अहाता।

(2) मे० पुष्पा रिफैक्टरीज, रांची रोड, डाकखाना मरार, जिला—हजारीबाग की फैक्टरी का अहाता।

2. आर० सी० 3/86 आर० ए० एन०—तलाशी की तारीख—24.1.1986

(1) श्री देनाबंधु राय, पुत्र श्री एन० जी० राय, 149, हजारीबाग रोड, रांची के कार्यालय-सह-निवास का अहाता।

(2) जतिन चन्द्र रोड, रांची स्थित मे० अस्टिन (इंडिया) का कार्यालय और उसी अहाते में स्थित मे० यूनाइटेड मोल्डिंग वर्क्स का गोदाम।

(3) मे० यूनाइटेड मोल्डिंग वर्क्स फैक्ट्री, कोकर इंडिस्ट्रयल एरिया, आर० ए० एन० की फैक्ट्री/अहाता।

(4) झंडा चौक, रामगढ़ कैन्ट, हजारीबाग के निवासी श्री आर० सी मेहता पुत्र श्री डी० सी० मेहता और श्री आर० एल० मेहता पुत्र श्री डी० सी० मेहता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस आरोप पर मामले दर्ज किये थे कि इनसे संबंधित उपभोक्ता, कोयले के उपभोग की झूठी घोषणा करके कोयला उठाते रहे हैं। मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। कोल इंडिया लि० के अधिकारियों के विरुद्ध कारंवाई करने का प्रश्न, यदि कोई रहा तो, तभी उठेगा जबकि जांच पूरी हो जाए और कोल इंडिया लि० के अधिकारियों के विरुद्ध किसी सांठ-गांठ का पता चले।

(घ) कोलियरियों से कोयले की चोरी रोकने के लिए कोल इंडिया लि० ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) आकस्मिक जांच करना,

(2) पुलिस, कोयला कंपनियों के निगरानी और सुरक्षा कर्मचारियों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों के मिले-जुले उड़न दस्ते के जरिए जांच करना,

(3) आठ किलोमीटर के अर्द्ध-व्यास की दूरी में स्थित गैर-सरकारी कोयला डिपों के लाइसेंस जिला-प्राधिकारियों द्वारा निरस्त करना,

(4) उपभोक्ताओं को घरेलू कोयले की सप्लाई का अधिक कड़ा विनियमन, और

(5) खान-मुहानों से रेलवे साइडिंगों तक कोयले/कोक के आंतरिक परिवहन का विभागीकरण।

[अनुवाद]

भारतीय सीमेंट निगम का कार्यकरण

*341. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ग) समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि समिति के कोई निष्कर्ष और सिफारिशें हैं; तो उनके आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का कार्य-क्षेत्र निम्नलिखित है: —

1. उत्पादन, क्षमता उपयोग, वित्तीय कार्य-निष्पादन, औद्योगिक सम्बन्ध और उच्च-स्तरीय प्रबन्ध-मण्डल किस तरह अपना कार्य कर रहा है, आदि सहित सभी पहलुओं से भारतीय सीमेंट निगम के कार्यों का व्यापक मूल्यांकन करना; और

2. माल-सूचियों के रख-रखाव और विवरण देने, हैंडलिंग, एजेंटों और भण्डारियों की नियुक्ति करने, ठेके और क्रयादेश देने के लिए भारतीय सीमेंट निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणालियों और पद्धतियों की समीक्षा करना।

समिति से निगम के कार्यों में सुधार करने और भारतीय सीमेंट निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली और पद्धति में, यदि आवश्यक हो, संशोधन/परिवर्तन करने के लिए सरकार और निदेशक-मंडल में सरकार के नामांकितों द्वारा किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में विशेष सिफारिशें करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) समिति द्वारा मार्च, 1986 के अन्त तक अपनी अन्तरिक सिफारिशें दे दिए जाने की आशा है।

सिक्किम में संचार व्यवस्था

*342. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिक्किम में संचार व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में खराब है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य की सामरिक स्थिति को देखते हुए वहां संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सिक्किम में संचार प्रणाली सामान्यतया संतोषजनक है और इस क्षेत्र के अन्य राज्यों के समान ही है।

(ख) सिक्किम राज्य में दूरसंचार सेवाओं में और आगे सुधार करने के लिए विभाग ने प्रचालन और विकास कार्यकलापों को तेजी से लागू करने के लिए योजनाएं बनाई हैं, जो इस प्रकार हैं:—

(1) कार्यप्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से टेलीफोन प्रणालियों की कड़ी निगरानी।

(2) गांतोक में मौजूदा एम० ए० एक्स०-II को 1,500 लाइनों के एम० ए० एक्स०-I द्वारा बदलना;

(3) गेजिंग व मनगांव, नामची को जोड़ने के लिए गांतोक में अंकीय यू० एच० एफ० लिंक की तथा गांतोक और दार्जिलिंग के बीच माइक्रोवेव लिंक की व्यवस्था।

(4) गांतोक में टेलेक्स एक्सचेंज।

दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए कार्य योजना

*343. डा० गौरी शंकर राजहंस
प्रो० नारायण चन्द पराशर } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक टेलीफोन जिले के लिए एक कार्य-योजना को अन्तिम रूप दिया है जिसमें लक्ष्य स्पष्ट किये गये हैं और सामान तथा संगठनात्मक आवश्यकताओं का ब्यौरा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नई कार्य-योजना से देश में दूरसंचार सेवाओं में किस सीमा तक सुधार होगा; और

(ग) क्या नई योजना में दूरसंचार सेवाओं में बार-बार होने वाली खराबी तथा गलत कनेक्शन मिलने, ट्रंक काल में विलम्ब होने तथा एस० टी० डी० व्यवस्था के खराब रहने, 199, 198, 197, 180 और 181 नम्बरों से सही उत्तर न मिलने आदि के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। प्रत्येक टेलीफोन जिले के लिए प्रचालन योजनाएं हैं, जिनमें विस्तार कार्यक्रम, नये टेलीफोन और विविध परफारमेंस पैरामीटरों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित हैं। बम्बई तथा दिल्ली की टेलीफोन प्रणाणियों को एक सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

(ख) अधिक कनेक्शन मुहैया कराके प्रतीक्षा सूचियों को छोटा किया जाएगा। प्रचालन योजना के अन्तर्गत शिकायत, दोष, ट्रंक कालों की अवधि तथा प्रभावी प्रतिशतता के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक सुधार करने का विचार है।

(ग) जी, हां।

अधिक तापमान पर पेट्रोल की सप्लाई के कारण कदाचार

*344. श्री अनूप चन्द शाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल पम्पों को अधिक तापमान पर पेट्रोल सप्लाई किये जाने के कारण पेट्रोल उड़ जाता है और इससे डीलरों को घाटा होता है जिसे पूरा करने के लिए डीलर पेट्रोल में मिलावट करते हैं और ऐसे ही प्रकार के अन्य कदाचारों का सहारा लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो सामान्य तापमान पर पेट्रोल की सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो पेट्रोल की सप्लाई के समय सामान्य तापमान कितना होना चाहिए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सामान्यतः पेट्रोल पम्पों को पेट्रोल की सप्लाई, तेल कम्पनियों के भण्डारण स्थानों अर्थात डिपुओं/स्थापनाओं से उस समय विद्यमान प्राकृतिक परिवात ताप पर की जाती है। डीलरों को सप्लाई किए गए पेट्रोल का तापमान मौसमी घट-बढ़ के आधार पर 250 सेंटीग्रेट के 330 सेंटीग्रेट के बीच होता है। यदि विद्यमान परिवात ताप से अधिक ताप पर पेट्रोल की सप्लाई की जाती है तो डीलरों को ताप की घट-बढ़ के अनुसार छूट देकर प्रतिपूर्ति की जाती है। अतः ताप की घट-बढ़ के कारण बेईमान डीलरों द्वारा किसी प्रकार की हेराफेरी करने की गुंजायश नहीं रहती है।

सरकारी उपक्रमों में महिलाओं को रोजगार

*345. श्री सुभाष यादव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में महिलाओं को अधिक रोजगार देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में कितनी महिलाओं को रोजगार दिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सुसंगत संविधान प्रावधानों के अधीन सरकार की नीति यह है कि महिलाओं सहित सभी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किये जाएं।

(ग) अगले 3 वर्ष के दौरान उद्योग मन्त्रालय के अधीन उपक्रमों में प्राय: नियुक्त की जाने वाली स्त्रियों की संख्या के बारे में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

"अमार्फस सिलिकन" विषयक प्रौद्योगिकी मिशन

3142. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक संस्थानों ने उच्च तकनीकी सेमी कंडक्टर उपकरणों और फोटोवोलाटिक्स के क्षेत्र में नवीनतम विकसित "अमार्फस सिलिकन" के बारे में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग 'अमार्फस सिलिकन' सौर सैलों पर विकास एवं अनुसंधान का एक समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित सात अकादमी तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं द्वारा निष्पादित किया जा रहा है : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली; राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली; भारतीय कृषि विज्ञान एसोसिएशन कलकत्ता; पूना विश्वविद्यालय; भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर। ये परियोजनाएं निर्माण, रूपरेखा और विद्युत तथा अमार्फस सिलिकन सौर सैलों के प्रयोग के लिए पतली फिल्मों की अनुकूलतम सम्पदाओं का अध्ययन, सिलाने गैस जो एक निवेश सामग्री है की तैयारी की भांति विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करती हैं। इन परियोजनाओं का पांच वर्ष की अवधि में कुल खर्च लगभग 2.2 करोड़ रुपयों से अधिक है। इस विभाग का अमार्फस सिलिकन सौर सैलों के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है जो अनुसंधान एवं विकास के प्रयत्न के लिए एक सुविधा के रूप में भी काम करेगा।

बल्क औषधों तथा फार्मूलेशनों पर मूल्य नियन्त्रण

3143. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध निर्माता एसोसिएशन ने हाल ही में आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में बल्क औषधों तथा फार्मूलेशनों पर मूल्य नियन्त्रण समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके इस अनुरोध पर अनुकूल दृष्टि से विचार कर रही है; और

(ग) क्या अनिवार्य औषधियों तथा सैकड़ों ब्रैंड नामों के अन्तर्गत बेची जाने वाली पेटेन्ट दवा-

दवाओं के खुदरा मूल्य साधारण व्यक्तियों की क्रय शक्ति से बाहर हो गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। परन्तु भारतीय औषध निर्माता एसोसिएशन द्वारा दिए गए अन्य सुझावों की जांच की गई है। नई औषध नीति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) अनिवार्य तथा पेटेन्ट फार्मूलेशनों सहित फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अधीन साविधिक मूल्य नियन्त्रण के कारण कम किए गए हैं।

कोयले का उत्पादन

3145. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान देश में कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1986 में कोयले के उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य क्या है और क्या यह उत्पादन 1986 में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) वर्ष 1985-86 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान देश में कुल 135.66 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए नियत 176.60 मिलियन टन कोयले की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1986-87 में 166.80 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। शेष मांग की पूर्ति स्टाक से लेकर की जाएगी। लक्ष्य उत्पादन का प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इनमें यह बातें शामिल हैं : आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना, नई खानें खोलना, कामगारों एवं मशीनों की उत्पादकता में सुधार करना, कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाना तथा अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करना।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा को-जेनेरेशन संयंत्रों की स्थापना

3146. **डा० ए० के० पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने को-जेनरेशन संयंत्रों की स्थापना संबंधी भारत

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की पेशकश रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों से अपेक्षित तकनीकी और कार्य-निष्पादन गारन्टी देने की तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की मांग को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद ऐसा किया गया है;

(ग) क्या यह ठेका अब किसी विदेशी कम्पनी को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) को-जेनरेशन संयंत्र की स्थापना के लिए किसी पार्टी को अभी ठेका नहीं दिया गया है।

केरल में डाक व तार कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों/फ्लैटों का निर्माण

3147. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में डाक व तार तथा दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों/फ्लैटों का निर्माण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी, हां ।

(ख) डाक विभाग

1. पारुतिपाड़ा (त्रिवेन्द्रम)
2. अलेपी
3. वन्चीपरियार
4. मप्पाड़ी
5. शालीपारम्बा
6. कसारगोड
7. कंजीरप्पापल्ली
8. तेनमाला

दूरसंचार विभाग

1. त्रिचूर

2. कोट्टायम

3. चिगांवनम

4. इदिक्की

5. अलेपी

6. त्रिवेन्द्रम

7. पल्लुरुत्ती

[हिन्दी]

राजस्थान में ऊन की धुलाई के लिए संयंत्र

3148. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने राजस्थान में ऊन की धुलाई और सफाई के लिए एक धोवन (स्काऊरिंग) संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में यह संयंत्र किस स्थान पर लगाया जाएगा; और

(ग) इस संयंत्र की स्थापना का कार्य कब शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) राजस्थान में ऊन की धुलाई और सफाई के लिए एक धुलाई (स्काऊरिंग) संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सिद्धांत रूप से सहमति हो गई है। किन्तु इस प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आटोमोबाइल उद्योग में सहयोग हेतु भारत तथा सोवियत संघ के बीच प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर

3149. श्री एन० डेनिस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और सोवियत संघ ने आने वाले वर्षों में अपने आर्थिक और

तकनीकी सहयोग क्षेत्र में आटोमोबाइल उद्योग में मिलकर उत्पादन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विभिन्न मदों तथा योजनाओं के लिए प्रोटोलोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारत और सोवियत संघ के बीच हाल ही में हुए प्रोटोकोल में इस बात का पता लगाया गया है कि मोटरगाड़ी क्षेत्र में दोनों देशों के निर्माणकारी संगठनों के बीच सहयोग की सम्भावना है। आगे और जांच के लिए अस्थायी तौर पर जिन सम्भावित वस्तुओं का पता लगाया गया है उनमें पिस्टन, रिंग, क्रैंकशाफ्ट और वाल्व आदि शामिल हैं।

आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग के साथ विदेशी सहयोग

3150. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान डाक एवं दूरसंचार विभाग के लिए आयात के माध्यम से विदेशी उपकरणों एवं अन्य अपेक्षित मशीनरी खरीदने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने आयात से बचने के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योगों के साथ विदेशी सहयोग प्राप्त करने पर विचार किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) डाक-तार विभाग द्वारा आयात के माध्यम से खर्च की गई कुल राशि निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	वर्ष	राशि (पोतपर्यन्त नि:शुल्क)
1.	1982-83	76.17 करोड़ रु०
2.	1983-84	84.73 करोड़ रु०
3.	1984-85	63.91 करोड़ रु०

(ख) सरकार का आयात से बचने के लिए मै० आई० टी० आई० द्वारा विदेशी सहयोग प्राप्त करने का सदैव विचार रहता है। इससे पूर्व मैसर्स आई० टी० आई० ने स्ट्रोजर तथा क्रासबार स्विचन उपस्कर के विनिर्माण के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त किया था। हाल ही में मै० आई० टी० आई० ने इलेक्ट्रोनिक स्विचन उपस्कर, टेलीफोन उपकरणों आदि के विनिर्माण के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग

प्राप्त किया है। मै० आई० टी० आई० अब पारेषण उपस्कर की दिशा में प्रौद्योगिकी अन्तरण की संभावनाओं का पता लगा रही है।

केन्द्रीय शीरा बोर्ड को सांविधिक निकाय बनाने का प्रस्ताव

3151. डा० सुधीर राय
　　श्री पी० एम० सईद } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा औद्योगिक एल्कोहल के आबंटन के बारे में की गई सिफारिशों की प्राय: उपेक्षा करती है…

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का शीरा बोर्ड को एक सांविधिक निकाय बनाने का विचार है ताकि राज्य सरकारों के लिए इसकी सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाए…

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है…और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जब कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय शीरा बोर्ड की सिफारिशों की उपेक्षा की है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय शीरा बोर्ड की स्थापना राज्य के आबकारी मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों के अनुसरण में की गई थी। बोर्ड ने अभी तक इसको सांविधिक बोर्ड बनाने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना

315२. श्री आर० एम० भोये
　　श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के लिए गत तीन वर्षों के दौरान किए गये आबंटन का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से राज्य-वार कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभ हुआ है; और

(ग) उनके द्वारा किस प्रकार के लाभ उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) देश में वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के लिए 2.50 लाख लाभग्राहियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा राज्य-वार स्वीकृत किए गए आवेदनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक लाभग्राही के लिए ऋण देने वाले बैंकों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की दर से ऋण की व्यवस्था की जाती है और यह ऋण 25000 रुपये से अधिक नहीं होता है। इसके अलावा प्रत्येक लाभग्राही अनुबंधित ऋण की 25 प्रतिशत तक की राजसहायता पाने का पात्र होता है।

विवरण

स्व-रोजगार योजना के अधीन बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5
				(31-1-86 को)
1.	आन्ध्र प्रदेश	14781	13084	1173
2.	असम	8021	7642	739
3.	बिहार	14230	14806	892
4.	गुजरात	10497	4072	750
5.	हरियाणा	6189	5478	1834
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	2156	399
7.	जम्मू एवं काश्मीर	1416	1119	शून्य
				(31-12-85 को यथास्थिति)
8.	कर्नाटक	12307	12810	2480
9.	केरल	13091	11907	2095
10.	मध्य प्रदेश	18786	18065	1277
11.	महाराष्ट्र	24579	18667	3695

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	991	994	207
13.	मेघालय	353	313	शून्य
14.	नागालैण्ड	189	269	56
15.	उड़ीसा	6823	7599	697
16.	पंजाब	9047	12212	1619
			(20-2-86 को यथास्थिति)	
17.	राजस्थान	15054	15382	7490
			(22-2-86 को यथास्थिति)	
18.	सिक्किम	15	49	शून्य
19.	तमिलनाडु	21247	22500	1907
20.	त्रिपुरा	696	707	—
21.	उत्तर प्रदेश	36857	34400	552
22.	प० बंगाल	23680	23107	2320
			(15-1-86 को यथास्थिति)	
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	66	101	6
24.	अरुणाचल प्रदेश	36	60	27
25.	चण्डीगढ़	325	300	25
26.	दादरा एवं नगर हवेली	54	68	8
27.	गोवा, दमन और दिउ	जि० उ० कें० काम नहीं कर रहा है।	337	—
28.	मिजोरम	196	202	शून्य
			(31-11-85 को यथास्थिति)	
29.	पाण्डिचेरी	414	400	86
		2,42405	2,28800	30334*

*रिपोर्टें 303 जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त हुई हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन के बकाया बिल

3153. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री और संसद सदस्य की ओर टेलीफोन के बिलों की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर टेलीफोन के बिलों की कितनी राशि बकाया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी यूनिटों से एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) टेलीफोन उपभोक्ताओं का रिकार्ड टेलीफोन नम्बरों के अनुसार रखा जाता है और उसमें यह संकेत नहीं होता कि टेलीफोन किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का है या नहीं। अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के लिए लाखों उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत रिकार्डों की जांच करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

"ओपेक" देशों से तेल की खरीद

3154. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1986 के "इकोनामिक टाइम्स" में "प्राइस वार पुट्स आरगेनाइजेशन आफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज (ओपेक) इन ए फिक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तेल बाजार में व्याप्त इस अनिश्चितता के मौके से लाभ उठाया है और पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के तेल से भरे तेल बाजारों में कम मूल्य पर तेल की खरीद की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने स्पाट मार्किट से खरीदकर कीमतों में कमी का लाभ उठाया है। कीमतें जो कि बाजार से सम्बन्धित होंगी के आधार पर जो देश हमें तेल की सप्लाई करते हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

3155. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में टेलीफोन लगाने के लिए प्रतीक्षा-सूची में उम्मीदवारों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) उन्हें टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-1-86 तक की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मौजूदा प्रतीक्षा सूची के आगामी 7 वर्षों की अवधि में उत्तरोत्तर निपटाए जाने की संभावना है बशर्ते कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

(ग) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा जहां कहीं संभव हो, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर, केबिल और अन्य सामग्री उपलब्ध हो जाए।

विवरण

क्र० सं०	टेलीफोन डिवीजन (राजस्व जिला सहित)	31-1-86 को प्रतीक्षा सूची		कुल
1	2	3	4	5
		ओवाईटी	गैर-ओवाईटी	
1.	अकोला (अकोला और बुलडाना)	81	1,585	1,666
2.	अमरावती (अमरावती और यवतमाल)	141	1,667	1,808
3.	औरंगाबाद और जालना	395	3,806	4,201

1	2	3	4	5
			ओबाईटी	गैर-ओबाईटी
4.	अहमदनगर (अहमदनगर और बीड)	159	2,216	2,375
5.	बंबई सिटी (थाना व रायगाड के भाग)	242	2,533	3,775
6.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर, गादचिरोली व वर्धा)	151	1,001	1,152
7.	धूली (धूली जिला)	72	1,344	1,316
8.	जालगांव (जालगांव जिला)	286	2,060	2,346
9.	कल्याण (कल्याण व थाना का भाग)	797	11,703	12,500
10.	कोल्हापुर (टी) (कोल्हापुर, आरटीओ और सिंधु दुर्ग)	50	1,307	1,357
11.	कोल्हापुर (पी) (कोल्हापुर सिटी)	268	2,628	2,896
12.	नांदेड़ (नांदेड़ और परभनी)	70	1,110	1,180
13.	नागपुर (नागपुर और भण्डारा)	614	108	722
14.	नासिक (टी) (नासिक जिला)	39	958	989
15.	नासिक (पी) (नासिक सिटी)	540	4,384	4,924
16.	पुणे (पुणे और सतारा का भाग)	393	2,767	3,160
17.	पंजिम (गोवा संघ शासित क्षेत्र)	680	3,552	4,232
18.	सोलापुर (टी) (सोलापुर, लातूर व ओस्मानाबाद)	120	1,264	1,384
19.	शोलापुर (पी) शोलापुर जिला+सिटी	179	1,817	1,996
20.	सांगली (सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिले का भाग)	390	4,632	5,022
21.	बंबई टेलीफोन जिला	14,922	1,62,210	1,77,132
	कुल :	20,589	2,14,644	2,35,233

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में ड्रिलिंग का कार्य बन्द करना

3156. श्री नारायण चौबे : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र में ड्रिलिंग का कार्य रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ड्रिलिंग के कार्यों को पुन: शुरू करवाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या पूर्वी क्षेत्र में पहले ही निवेश कर दी गई धनराशि को "बट्टे खाते में डालने" का विचार है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगला देश से खाना पकाने की गैस का आयात

3157. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगला देश से खाना पकाने की गैस का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई ऊर्जा योजना आरम्भ करना

3158. श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस नई ऊर्जा योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई परीक्षण किया गया है, यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) कितने गांव प्रथम चरण में इस योजना के अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) सातवीं योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों सहित ऊर्जा के सभी प्रकारों पर विचार किया है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ग्राम स्तर की समन्वित ऊर्जा परियोजनाओं, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित, जिनका लक्ष्य ग्रामों में ऊर्जा में आत्मनिर्भरता उपलब्धता करना है पर एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 ग्रामों में परियोजनाएँ पूरी कर दी गई हैं और अन्य 27 कार्यान्वयन के अन्तर्गत हैं। इन प्रयोगों के परिणाम उत्साहवर्धक हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर पता चला है कि इस प्रकार की परियोजनाएं ग्रामों में अधिकतर ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी कर सकती हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और अन्य एजेन्सियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। कुल ग्राम जो इस कार्यक्रम के दायरे में आ सकते हैं और इनके कार्य के पहलू उपलब्ध वित्तीय स्रोतों पर निर्भर करते हैं।

उड़ीसा को अल्कोहल और शीरे की अधिक मात्रा का आबंटन

3159. श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्कोहल के एक बड़े प्रतिशत भाग को उद्योगों के लिए आरक्षित करने और सभी राज्यों में अल्कोहल पर एक समान और उपयुक्त शुल्क लगाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अल्कोहल को उद्योगों के लिए आरक्षित करने सम्बन्धी इस योजना की विस्तृत रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा को शीरे और अल्कोहल दोनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और उसने केन्द्रीय सरकार से 23 लाख एल० पी० एल० अल्कोहल और 24,000 मीट्रिक टन शीरे की सप्लाई के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने पड़ोसी राज्यों से उड़ीसा को अल्कोहल और शीरे का

आबंटन किए जाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) किसी राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को अल्कोहल का आबंटन करने के साथ-साथ उस पर करों के लगाने का कार्य सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) 22-2-1986 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड (सी० एम० बी०) की गत बैठक के समय उड़ीसा सरकार ने चालू अल्कोहल वर्ष 1985-86 (दिसम्बर, 1985 से नवम्बर, 1986 तक अपने राज्य में 31,602 मी० टन शीरा तथा 1,64,932 लिटर अल्कोहल की कमी का अनुमान लगाया था।

उड़ीसा सरकार ने केवल 31,602 मी० टन शीरे के आबंटन के लिए अनुरोध किया है तथा अल्कोहल के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया।

(घ) 22-2-1986 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में किसी भी राज्य द्वारा शीरे के अधिशेष की सूचना नहीं दी गई थी, अतः उड़ीसा सहित किसी भी कमी वाले राज्य को शीरे का कोई आबंटन नहीं किया गया।

लोक अदालतों का कार्यकरण

3160. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कब से और कितनी लोक अदालते कार्य कर रही हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक अदालत ने अब तक कितने मामले विनिश्चित किए हैं; और

(ग) ऐसी अदालतों के गठन के बारे में लोकमत क्या है और अन्य सम्बन्धित न्यायालयों के कार्यकरण पर उनका क्या प्रमुख प्रभाव पड़ा है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :

(क) साधारणतया लोक अदालतें स्वैच्छिक और अस्थायी अभिकरणों के रूप में लगाई जाती हैं। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लगाई जा रही हैं। कर्नाटक राज्य में बंगलौर में भी एक लोक अदालत लगाने का प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य में, कुरुक्षेत्र और अम्बाला में दो स्थायी लोक अदालतें कार्यरत हैं, यद्यपि समय-समय पर उनके कार्मिकों में परिवर्तन होता रहता है।

(ख) लोक अदालतों द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों की संख्या का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है : –

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अन्तिम रूप से निपटाए गए कुल मामले
1.	आंध्र प्रदेश	2,000
2.	बिहार	2,595
3.	गुजरात	36,098
4.	हरियाणा	5,000 (लगभग)
5.	महाराष्ट्र	2,034
6.	उड़ीसा	490
7.	राजस्थान	29,086
8.	उत्तर प्रदेश	56,728
9.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	326

(ग) लोक अदालतें जन-साधारण में लोकप्रिय हो रही हैं। देश के विभिन्न भागों से, अधिकाधिक लोक अदालतें लगाई जाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। लोक अदालतें विद्यमान न्यायालयों की प्रतिस्थानी न होकर उनकी पूरक हैं और इस प्रकार इनसे नियमित न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती हुई संख्या कम करने में सहायता मिलेगी।

खाना पकाने के गैस के चूल्हों की बिक्री से पहले जांच

3161. श्री के० एस० राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाना पकाने की गैस के लाखों कनेक्शन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तेल निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाना पकाने की गैस के अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले गैस के चूल्हों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हो, कोई अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार खाना पकाने की गैस के अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले गैस के चूल्हों की कड़ी जांच करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषपूर्ण डिजाइन या निर्माण के तरीके के कारण रिसाव की सम्भावना न रहे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 31 दिसम्बर 1985 को देश में लगभग 10.1 मिलियन घरेलू एल० पी० जी० कनैक्शन थे।

(ख) और (ग) तेल विपणन कम्पनियों के एल० पी० जी० वितरकों को केवल ऐसे एल० पी० जी० स्टोवों की बिक्री के लिए प्राधिकृत किया गया है जो आई० एस० आई० मार्क के हों। ये स्टोव सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

3162. श्री साइमन तिग्गा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कितने विस्थापित व्यक्ति नियोजित हैं; और

(ग) उन विस्थापित व्यक्तियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों शारीरिक रूप से विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 20739।

(ख) 4150।

(ग) (1) अनुसूचित जाति	110
(2) अनुसूचित जनजाति	2332
(3) शारीरिक रूप से विकलांग	कोई नहीं
(4) भूतपूर्व सैनिक	कोई नहीं
(5) अन्य	1708
योग :	4150

इन्सुलिन की अनियमित सप्लाई

3163. श्री सोमनाथ रथ
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
} : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि देश में इन्सुलिन की सप्लाई अनियमित है और उसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में मधुमेह के रोगियों को कष्ट हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन्सुलिन, जो एक जीवन रक्षक औषधि है, के सम्बन्ध में एक आपूर्ति-कर्त्ता के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इन्सुलिन के उत्पादन के पहले ही लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा इसे एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 21 और 22 से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स सिनबायोटिक्स लि०, लोनोवो, डेनमार्क द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उच्च परिष्कृत क्रोमेटोग्राफ्ड इन्सुलिन के आयातकर्त्ता तथा वितरक हैं, ने इन फार्मूलेशनों की पर्याप्त उपलब्धि की सूचना दी है। उन्होंने दिनांक 27-2-1986 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में विज्ञान प्रकाशित कर के इस तथ्य का व्यापक प्रचार दिया है।

आटोमोबाइल टायर उद्योग के सम्बन्ध में अनुसन्धान और विकास के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना

3164. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आटो-मोबाइल टायर उद्योग के सम्बन्ध में अनुसन्धान और विकास के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगाल पेपर मिल रानीगंज (पश्चिम बंगाल) का बंद किया जाना

3165. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थित बंगाल पेपर मिल के बन्द होने के फलस्वरूप एक हजार पांच सौ श्रमिक पिछले बहुत अधिक समय से भुखमरी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) बंगाल पेपर मिल्स 1-11-1983 से बंद पड़ी है। राज्य सरकार ने मई, 1984 में यह सुझाव दिया था कि केन्द्र सरकार कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले ले। चूंकि वित्तीय संस्थानों ने एकक को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक पुनर्स्थापना योजना तैयार कर ली थी, अतः राज्य सरकार को यह सूचना दी गई थी कि कम्पनी के प्रबन्ध का अधिग्रहण करना उचित नहीं समझा गया।

वित्तीय संस्थानों के सूचित किया है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ किसी अन्य एकक के साथ विलय करके और संस्थानों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एकक को प्रदान की जाने वाली कुछ राहतों/रियायतों के आधार पर एकक के पुनर्स्थापित करने की संभावना का पता लगा रहे हैं। केन्द्र सरकार पुनर्स्थापना योजना के एक अंग के रूप में एकक द्वारा किश्तों में अदा किए जा रहे उत्पादन शुल्क की अधिकांश बकाया राशि अदा करने के लिए हाल ही में सहमत हो गई है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शताब्दी के बारे में स्मारक डाक टिकट

3166. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में किसी स्मारक टिकटों का डिजाइन तैयार किया गया था तथा मुद्रित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पर कितना खर्चा किया गया;

(ग) क्या ये डाक टिकट जनता को जारी/बेचे गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शताब्दी के उपलक्ष में स्मारक डाक-टिकटों की डिजाइन तैयार करके उनको मुद्रित किया गया था।

(ख) ये स्मारक डाक-टिकट चार डाक-टिकटों के एक सेट के रूप में तैयार किए गए। प्रत्येक डाक-टिकट 100 पैसे का था। इन डाक टिकटों पर 4,51,081 रु० का खर्च आया।

(ग) जी हां। ये डाक-टिकट जनता को जारी किए गए, बेचे गए।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3167. श्री जगन्नाथ प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उनको खाना पकाने की गैस के कनेक्शन शीघ्र मिल जायें; और

(ग) उनको गैस कनेक्शन कब तक मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) लगभग 6.45 लाख।

(ख) और (ग) देश में जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है तेल उद्योग के वार्षिक नामांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत नए कनेक्शन जारी किए जाते हैं और यह एल० पी० जी० की उपलब्धता बाटलिंग क्षमता, परिवहन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, करके किया जाता है।

[अनुवाद]

कोंकण तट पर पवन चक्कियों को काम में लाकर बिजली पैदा करना

3168. प्रो० मधु दण्डवते : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण का केन्द्रीय सहायता से औद्योगीकरण करने में ऊर्जा की कमी मुख्य रुकावट है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोंकण तट पर पवन चक्कियों को काम में लाकर बिजली पैदा करने की प्रक्रिया का पता लगाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण निवेश है। देश के विभिन्न भागों में विस्तृत किस्म के प्रयोगों के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए विशेषकर दूर-दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रयत्न किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के देवगढ़ के कोंकण तट पर 550 किलोवाट की पूर्ण क्षमता वाला एक पवन फार्म स्थापनाधीन है और वह शीघ्र ही प्रचालन की अवस्था में हो जाएगा। कोंकण तट पर पवन विद्युत उत्पादन के लिए अन्य स्थानों का पता लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पवन की उपलब्धता, अन्य तकनीकी तत्व एवं वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात् ही आगे की परियोजनाओं को अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र प्रबन्ध

3169. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र प्रबन्ध रखने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विद्युत की समस्या का समाधान करने से यह कहां तक सहायक होगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयातित टेलीफोन प्रयोग करने वाले टेलीफोन उपभोक्ता

3170. **श्री श्रीहरि राव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या क्या है जिनको (एक) आटो डायलों के अलावा सभी प्रकार की सुविधाओं सहित, (दो) आटो डायलर सहित, (तीन) बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के आयातित टेलीफोन, (चार) एस० टी० डी० की सुविधा रहित, (पांच) आटो डायलिंग सुविधा सहित और (छ:) मैमोरी डायलिंग सुविधा वाले टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं या जिन्होंने ऐसे टेलीफोन खरीदे हैं/आयात किये जिन पर भारत के दस प्रमुख नगरों (बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे, कानपुर, और जयपुर) में लाइसेंस शुल्क लगाया गया है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी की वार्षिक लाइसेंस फीस क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भाग (क) में निर्दिष्ट एटेचमेंट/उपकरणों के प्रयोगार्थ कोई लाइसेंस शुल्क नहीं है। तथापि एटेचमेंट/उपकरण को कुछ निर्धारित तकनीकी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर भरने के संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना

3171. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाना पकाने की गैस के सिलिण्डर भरने के वर्तमान संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) खाना पकाने की गैस के सिलिण्डर भरने के संयंत्र लगाने के लिए कर्नाटक और देश के अन्य भागों में किन स्थानों को चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तोतत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 846 करोड़ रुपये की लागत से एल० पी० जी० चरण-3 परियोजना के क्रियान्वयन के द्वारा।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	स्थान राज्य सहित	क्षमता मी० टन प्रतिवर्ष
1	2	3
1.	मैसूर (कर्नाटक)	12,500
2.	हुबेली (कर्नाटक)	12,500

1	2	3
3.	मंगलौर (कर्नाटक)	12,500
4.	हाजीरा (गुजरात)	25,000
5.	जमशेदपुर (बिहार)	25,000
6.	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	25,000
7.	सवाई माधोपुर (राजस्थान)	25,000
8.	मदनपुर (दिल्ली)	25,000
9.	टीकरीकलां (दिल्ली)	50,000
10.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	25,000
11.	जम्मू (जे० एण्ड के०)	7,000
12.	गोवा (गोवा)	12,500
13.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	12,500
14.	चन्द्रापुर (महाराष्ट्र)	12,500
15.	श्रीनगर (जे० एण्ड के०)	7,000
16.	खुर्दा रोड (उड़ीसा)	25,000
17.	जींद (पंजाब)	12,500
18.	विशाख (आन्ध्र प्रदेश)	12,500
19.	उरन (महाराष्ट्र)	75,000
20.	आसौटी (हरियाणा)	75 000
21.	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	25,000
22.	शोलापुर (महाराष्ट्र)	12,500
23.	जलगांव (महाराष्ट्र)	12,500
24.	अम्बाला (पंजाब)	25,000
25.	राजकोट (गुजरात)	12,500

1	2	3
26.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	25,000
27.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	25,000
28.	करनाल (हरियाणा)	25,000
29.	बारासोर (उड़ीसा)	25,000
30.	अजमेर (राजस्थान)	8,000
31.	परवानो (हिमाचल प्रदेश)	5,000
32.	हल्द्वानी (उत्तर प्रदेश)	5,000
33.	देहरादून (उत्तर प्रदेश)	8,000
34.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	12,500
35.	ट्यूटीकोरिन (तमिलनाडु)	12,500
36.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	6,500
37.	हिसार (हरियाणा)	6,500
38.	पूर्वी क्षेत्र में (उड़ीसा)	6,500
39.	जयपुर (राजस्थान)	6,500
40.	बरेली (उत्तर प्रदेश)	6,500
41.	चरलापल्ली (आन्ध्र प्रदेश)	25,000

जे० के० सिंथेटिक्स लि० द्वारा मंडावर (झालावाड) में औद्योगिक परियोजना शुरू करना

3172. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० के० सिंथेटिक्स लि० ने मंडावर (झालावाड जिला) में एक औद्योगिक परियोजना शुरू की थी ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आई थी;

(ग) क्या उक्त परियोजना विदेशी सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की गई है;

(घ) उक्त परियोजना में किन उत्पादों को तैयार किया जाएगा;

(ङ) उत्पादन कब तक शुरू होगा;

(च) केन्द्रीय राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी राशि का ऋण तथा वित्तीय सहायता दी गई है; और

(छ) उक्त परियोजना में कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जे० के० सिंथेटिक्स लि० माण्डावार में कोई परियोजना स्थापित नहीं कर रहा परन्तु वह जिला झालावार में गांव पार्थीपुर, तहसील झालावार पटन में, जोकि राजस्थान में एक 'ग' श्रेणी का पिछड़ा हुआ जिला है, एक परियोजना स्थापित पर रहा है।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 70.38 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस परियोजना में एक्रिलिक फाईबर का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) परियोजना के मार्च, 1987 तक चालू होने की आशा है।

(च) परियोजना को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। आयातित संयंत्र तथा मशीन तथा कुल जानकारी शुल्क के भाग की विदेशी मुद्रा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को वित्तीय संस्थाओं द्वारा 21.0 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान किया गया है।

(छ) परियोजना द्वारा 800 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष नियोजन प्रदान किये जाने की आशा है।

बिहार में जहानाबाद और रांची के बीच सीधी ट्रंक डायल सुविधा

3173. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में जहानाबाद और रांची के बीच सीधी ट्रंक डायल सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधन सीमित होने के कारण केवल जिला मुख्यालयों तथा 1000 लाइनों से अधिक (1-4-85 की स्थिति के अनुसार) की क्षमता वाले बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा सुलभ कराने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जहानाबाद के लिए एस० टी० डी० सेवा सुलभ कराने पर विचार किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा

3174. श्री टी० बाल गौड़ : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये टेलीफोन महीने के अधिकांश दिन खराब रहते हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन विभाग की सेवा में सुधार करके उन्हें नगरों के समकक्ष लाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उपयुक्त सेवा प्रदान किए बिना पूरे महीने का किराया वसूल किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को टेलीफोन खराब रहने की अवधि के लिए कोई छूट नहीं दी जा रही है; और

(घ) मन्त्रालय द्वारा ऐसी छूट की कब तक घोषणा की जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हमें इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन महीने में कुछ दिन खराब रहते हैं तथापि, ग्रामीण एक्सचेंजों के साथ जोड़े गए टेलीफोन सामान्यतया संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) जहां लम्बे समय तक बिजली नहीं मिल पाती वहां एक्सचेंजों में कम क्षमता वाली बैटरियों के स्थान पर उच्च क्षमता वाली बैटरियां लगाई जाएंगी।

(ii) जहां बिजली अधिक समय तक नहीं मिलती है ऐसे बड़े एक्सचेंजों में इंजिन आल्टर्नेटरों की व्यवस्था की जा रही है।

(iii) छोटे एक्सचेंजों में बैटरियों को चार्ज करने के लिए एक ग्रुप पर मोबाइल इंजिन आल्टर्नेटरों की व्यवस्था की जा रही है।

(iv) सेवा गुणवत्ता तथा दोषों को नियन्त्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की एक्सचेंजों हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रेक्षण तथा सुधार दलों का गठन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जिन उपभोक्ताओं की टेलीफोन सेवा 30 दिन से अधिक समय तक खराब रहती है उन्हें किराए में छूट देने के सम्बन्ध में आदेश पहले ही हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना

3175. श्री अनादि चरण दास : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना का ब्यौरा क्या है और इससे भावी उद्यमों को मशीनें आदि खरीदने में कहां तक मदद मिलेगी;

(ख) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना केवल उस निगम और इसके संस्थानों/औजार कक्षों द्वारा निर्मित/बेची गई मशीनों के लिए ही साथ होगी न कि भावी उद्यमियों द्वारा अन्य प्रमुख निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीनरी और संयंत्र की खरीद पर;

(ग) क्या यह भी पूर्व शर्त है कि लघु उद्योग को पहले पंजीकृत कराना होगा और/अथवा किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए औद्योगिक भू-खण्ड उसके पास होना चाहिए; और

(घ) इस तरह के ऋण के लिए क्या दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं और क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पंजीकृत लघु उद्योगों के उत्पादों, विशेषकर उड़ीसा में खाद्य तेलों/बाल पैन, रिफिल्स/फाइल कवर आदि के लिए कोई विपणन सुविधा प्रदान करता है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) किराया-खरीद आधार पर मशीनों की आपूर्ति, एक तरह से धनराशि देना, विदेशी मुद्रा की सुविधाएं देना और दोनों को संयुक्त रूप से देना भी है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सम्पूर्ण खरीद पद्धति को, जो आपूर्ति कर्त्ताओं से पूछताछ करने से शुरू होकर मशीनों की सुपुर्दगी पर समाप्त होती है, स्वयं ही पूरा करता है। आयातित मशीनों के मामले में, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करता है, आयात लाइसेंस प्राप्त करता है, ऋण-पत्र खोलता है और सीमा शुल्क विभाग की आवश्यकताओं को देखता है और मशीनों को छुड़वाता है। लघु उद्योग प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति अथवा उद्यमी को यह करना होता है कि आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र दें, जब उसे कहा जाए अग्रिम राशि जमा करें और

किराया-खरीद समझौता करे। मशीनों की सुपुर्दगी उसके घर पर की जाती है। तब उसे मशीनों का उचित प्रयोग करना चाहिए, उनके प्रयोग से पैसा कमाना चाहिए और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद किश्तों का समय पर भुगतान करना चाहिए। जब किराया-खरीद की अन्तिम किश्त और अन्य बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया जाता है, मशीनें उद्यमी को हस्तांतरित कर दी जाती हैं, और तब उस सम्पत्ति का स्वामी बन जाता है।

(ख) किराया-खरीद योजना के अनुसार, निगम न केवल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और संस्थानों/टूल रूमों द्वारा निर्मित मशीनों की आपूर्ति करता है बल्कि वह आवेदन की पसन्द के अनुसार देश में संयंत्र और मशीनों के अन्य प्रमुख/प्रसिद्ध उत्पादकों की अथवा विदेशी मशीनों की भी आपूर्ति करता है।

(ग) निगम केवल पंजीकृत लघु एककों को किराया-खरीद सुविधा प्रदान करता है। यह आवश्यक नहीं है कि एककों की अपनी भूमि/भवन हो, वे किराये के भवन में रखकर भी किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

(घ) राष्ट्रीय उद्योग निगम के अनुसार, आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भेजना आवश्यक है :—

(1) राज्य जिला उद्योग/जिला उद्योग केन्द्र से लघु एकक के रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र;

(2) जिन आपूर्ति कर्त्ताओं से मशीनें खरीदने का विचार है उनके भाव;

(3) आवेदक द्वारा इस तथ्य की घोषणा कि उसका आपूर्ति कर्त्ताओं के साथ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं है;

(4) यदि साझेदारी है, तो साझेदारी-पत्र की सत्यापति प्रतियां;

(5) कम्पनी के मामले में, संस्था का ज्ञापन-पत्र और अन्तर्नियम, पिछले दो वर्षों के वार्षिक लेखों की प्रतियां, आदि;

(6) परियोजना रिपोर्टों की दो प्रतियां ताकि किराया-खरीद की किश्तों को वापिस करने में उसकी जीव्यता और क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके;

(7) अनुसूचित-जाति/अनसूचित जन-जाति आदि जैसे कमजोर वर्गों के मामले में समर्थन करने वाले दस्तावेज ताकि योजना की रियायती शर्तों का लाभ उठाया जा सके।

पूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा जब कभी टेंडर जारी किए जाते हैं, निगम टेंडरों को मुफ्त देकर, अपने सरकारी खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत लघु उद्योगों को विपणन सुविधाएं प्रदान करता है। इन्हें अग्रिम राशि जमा करने से भी छूट दी जाती है। तथापि, उड़ीसा में खाद्य तेलों/

बाल पैन रिफिलों/फाइल कवरों का उत्पादन करने वाले किसी लघु एकक ने किसी प्रत्यक्ष विपणन सहायता का लाभ नहीं उठाया है।

[हिन्दी]

बांसवाड़ा, राजस्थान में गैस पर आधारित बिजलीघर

3176. श्री प्रभुलाल रावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांसवाड़ा (राजस्थान) में गैस पर आधारित बिजली घर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली घर की सम्भवतः कितने मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी और उस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और इसको कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमेंट की मांग और सप्लाई

3177. डा० चिन्ता मोहन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट की मांग उसकी सप्लाई से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी लागत कम करने और बिना पैकेजिंग के इसकी भारी मात्रा में बिक्री करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कमजोर वर्गों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी कम मूल्य पर सीमेंट सुनिश्चित करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार लागतों में कमी करने की दृष्टि से, नम प्रक्रिया को शुष्क प्रक्रिया में परिवर्तित करके ऊर्जा संरक्षण के अभ्युपाय करके नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे प्री-हीटर और प्री-कैल्सिनेटर आदि का उत्तरोत्तर अभिग्रहण करके आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देती रही है। जहां तक बल्क बिक्री का सम्बन्ध है, भारी सामान को लाने-ले-जाने की सम्भाव्यता का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने का कार्य मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज को सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 28-2-1982 से सीमेंट के आंशिक नियंत्रण की योजना के शुरू होने के बाद, सीमेंट 2 श्रेणियों अर्थात् लेवी और गैर-लेवी सीमेंट के अन्तर्गत बेचा जाता है। जहां लेवी सीमेंट मूल्य और वितरण नियंत्रण के अधीन है, वहां गैर-लेवी सीमेंट ऐसे नियंत्रण से मुक्त है।

समाज के कमजोर वर्ग के लोग 1 लाख और उससे अधिक की संजनख्या वाले शहरों में 100 वर्ग मीटर तक के प्लिथ क्षेत्र में और एक लाख से कम की जनसंख्या वाले शहरों में 120 वर्ग मीटर के प्लिथ क्षेत्र में मकान निर्माण करने के लिए लेवी सीमेंट प्राप्त करने के पात्र हैं। छठी योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों के विकास के लिए लेवी सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन सम्बद्ध राज्यों को किया जाता है, ताकि इन क्षेत्रों को अधिक मात्रा में नियंत्रित दर पर सीमेंट उपलब्ध हो सके।

उद्योग द्वारा दुर्लभ पैट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग

3178. श्री मानिक रेड्डी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्योग ने मिट्टी का तेल सहित दुर्लभ पैट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग कर अक्षम और महंगे विद्युत जेनरेशन का प्रयोग करना आरम्भ किया है जैसा कि यामाहा परियोजना के मामले में किया जाता है;

(ख) क्या सरकार तेल की कमी के बावजूद ऑयल बर्निंग जनरेटिंग सेट के लिए निरंतर लाइसेंस दे रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार पेट्रोल के क्षेत्र में मेथाइल और इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करने के मामले पर पुनः विचार करेगी और चुकन्दर, सड़े अनाजों, सैल्यूलोज तथा रासायनिक विधि से तैयार अल्कोहल का प्रयोग कर इथाइल अल्कोहल के निर्माण को प्रोत्साहन देगी जैसा अमरीका में होता है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) अनेक औद्योगिक एकक कुछ राज्यों की विद्युत आपूर्ति की स्थिति के अनुसार अपने कैपटिव विद्युत उत्पादन के लिए पेट्रोलियम ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं।

यदि ऐसा एकक किसी अनुज्ञेय स्थल पर स्थित है तथा एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० विनियमों के अध्यधीन नहीं है, तो 60 मैगावाट तक के गैस आदि के जैनरेटिंग सैटों के निर्माण के लिए निर्माण सुविधाएं स्थापित करने हेतु अब किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। कुछ एककों ने 0 05 किलोवाट से 4.5 किलोवाट तक के सुवाह्य जैनरेटिंग सेटों के निर्माण के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है। इन सुवाह्य सैटों का प्रयोग मुख्यत: छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसानों द्वारा सिंचाई तथा छोटे तथा गृह उद्योगों के लिए किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

[हिन्दी]

सहायक उद्योगों के विकास के बारे में नीति निदेश

3179. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा वर्ष 1971 से केन्द्र सरकार के उपक्रमों को समय-समय पर सहायक उद्योगों के विकास के लिए नीति निदेश जारी किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उन केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिन्होंने नीति निदेशों का अनुपालन किया है और तत्संबंधीं ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, बैलाडिला खानें, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (मध्य-प्रदेश) लि०, भिलाई इस्पात कारखाना, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० तथा नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि० नामक सरकारी उद्यमों ने सहायक उद्योगों का विकास किया है।

सहायक उद्योगों/लघु उद्योग एककों की संख्या तथा उनके वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपर्युक्त उद्यमों द्वारा की गई खरीद का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	सरकारी उद्यम का नाम	उन एककों की संख्या, जिनसे 1984-85 के दौरान खरीद की गई है।			1984-85 के दौरान सहायक उद्योगों और लघु उद्योग एककों से की गई कुल खरीद का विवरण (लाख रुपयों में)
		सहायक उद्योग	लघु उद्योग	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	भारत एल्यूमिनियम कं० लि०	9	52	61	163.75
2.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० (भोपाल)	48	135	183	1383.00

1	2	3	4	5	6
3.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (बेलाडिला खानें)	3	137	140	42.50
4.	नेशनल यून्जप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०	5	6	11	156.45
5.	ने० टे० का० (मध्य प्रदेश) लि०	2	63	65	171.19
6.	भिलाई इस्पात संयंत्र	44	29	73	274.85
7.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०@	35	124	159	1222 31
8.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०*	74	69	143	806.94

@वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

वेस्टर्न कोलफील्ड्स के कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है।

*सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०

कार्यालय क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र आते हैं। मध्यप्रदेश के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

बिहार में जयन्ती कोयला खान के निकट कोयले का भण्डार

3180. श्री सलाउद्दीन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के देवघर जिले में जयन्ती कोयला खान के निकट कोयले का विशाल भण्डार है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले के इस भण्डार का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि जयन्ती कोलियरी, जिला देवघर, बिहार के आस-पास कोयले का समृद्ध भण्डार नहीं है।

(ख) इस समय जयन्ती कोयला क्षेत्र के भण्डार से कोयला निकालने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

चैतन्यपुर, मिदनापुर जिले में पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

3181. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में चैतन्यपुर पुलिस स्टेशन सुतांहाता में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की वर्तमान स्थित क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) चैतन्यपुर, पी० एस० सुतहवा जिले में 25 लाइनों वाले एम० ए० एक्स-III टाईप एक्सचेंज का संस्थापना कार्य प्रगति पर है। मार्च, 1986 तक इस एक्सचेंज को चालू हो जाने की संभावना है।

(ग) इस एक्सचेंज को लक्ष्य के अनुसार ही चालू किया जाएगा।

भूमि सुधार से सम्बन्धित कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाएं और पुनरीक्षण याचिकाएं

3182. श्री गदाधर साहा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 के अन्त तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में भूमि सुधारों से सम्बन्धित कितनी रिट याचिकाएं और पुनरीक्षण याचिकाएं लंबित थीं; और

(ख) संविधान की नवीं अनुसूची में भूमि सुधार विधियों को सम्मिलित करने के बारे में, पश्चिम बंगाल सरकार के वे कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार है :

समाप्त होने वाला वर्ष	भूमि सुधारों से, जिनके अन्तर्गत भूमि की अधिकतम सीमा है, सम्बन्धित रिट याचिकाओं की संख्या	पुनरीक्षण के लिए लंबित याचिकाओं की कुल संख्या
31-12-80	21	46589
31-12-81	24	51482
31-12-82	23	59617
31-12-83	21	72421
31-12-84	44	90693

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने निम्नलिखित अधिनियमों को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया है :

1. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1977
2. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1978
3. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1978
4. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1975
5. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1978
6. पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1975
7. पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1975
8. पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1976
9. पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1978
10. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980
11. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1977
12. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965
13. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966

14. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1969

15. पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का प० बं० अधिनियम 56)

16 पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रात भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का प० बं० अधिनियम 24)

17. कलकत्ता ठेका अभिधृति अर्जन और विनियमन अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम 30-12)

18. पश्चिमी बंगाल भूधृति भू-राजस्व अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम 44)

19. पश्चिमी बंगाल भूधृति राजस्व धृति राजस्व संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम 33)

20. पश्चिमी बंगाल भूधृति राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 23)

21. कलकत्ता ठेका भूधृति अर्जन और विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम 41)

क्रम सं० 1 से 9 तक के अधिनियमों को नवीं अनुसूची में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझा गया है। क्रम सं० 15 और 16 के अधिनियमों को, मद 200 और 199 के रूप में नवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। अन्य अधिनियमों को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

दिल्ली में इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी के विभागीय पैट्रोल-सर्विस स्टेशन खोलना

3183. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड का दिल्ली में केवल एक ही विभागीय पैट्रोल पम्प और सर्विस स्टेशन है;

(ख) क्या यह सर्विस स्टेशन लाभ पर चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो समूचे देश में इस प्रकार के और यूनिट न खोलने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी ने राजधानी में पेट्रोल डीलरों और पम्प स्टेशनों के द्वारा दबाव डाले जाने पर कारों की सर्विसिंग के प्रभारों में हाल ही में दो बार वृद्धि की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) कम्पनी का एक और ऐसा बिक्री केन्द्र मालाद, बम्बई में है तथा चण्डीगढ़ में भी एक केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है ।

(घ) 1 नवम्बर 1984 तथा पहली दिसम्बर 1985 से दरों में किए गए संशोधन का कारण दिल्ली के अन्य पेट्रोल पम्प डीलरों का दबाव नहीं था ।

[हिन्दी]

बाल विवाह रोकने के उपाय

3184. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के अधिकांश भागों में बाल विवाह अभी भी प्रचलित है;

(ख) क्या समाज में बाल विवाह की बुराई दूर करने के लिए सरकार का विचार बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम को अधिक कठोर बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विवाह योग्य आयु बढ़ाकर, पुरुष के मामले में 21 वर्ष और स्त्री के मामले में 18 वर्ष करने के लिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को 1978 में संशोधन किया गया था । अधिनियम के अधीन अपराधों को, ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों (नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी) से भिन्न सभी मामलों के लिए और वारंट के या किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा संज्ञेय भी बना दिया गया है । बाल विवाह की प्रथा की जड़ें समाज के कुछ वर्गों में बहुत गहरी हो गई हैं और कोई विधान भले ही उसके उपबंध कितने ही कड़े क्यों न हों, इस प्रथा को रोकने में सफल नहीं हो सकता । इन वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करके ही इस प्रथा का उन्मूलन किया जा सकता है ।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण

3185. श्री राम स्वरूप राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महिला कल्याण संगठनों ने महिलाओं के समक्ष आने वाली विशिष्ट समस्याओं के कारण सरकारी उपक्रमों में उनके लिए नौकरियों का कोटा आरक्षित करने के बारे में अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार के पास महिलाओं के लिए नौकरियों का कोटा आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान संवैधानिक ढांचा ऐसे आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।

कृषि के लिए राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली/पावर का आरक्षण

3186. श्री बी० तुलसीराम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रिडों से प्रत्येक राज्य में बिजली/पावर की कुछ मात्रा कृषि प्रयोजन के लिए आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्नों की फसलों के उत्पादन में सहायता करने के लिए कुछ प्रतिशत बिजली पावर आबंटित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में "कॉयर बोर्ड" की और अधिक यूनिट खोलना

3187. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉयर बोर्ड ने रेशे और चटाई आदि जैसे नारियल जटा उत्पादों के निर्माण हेतु देश में अब तक कुल कितने यूनिट खोले हैं;

(ख) इन यूनिटों में इस समय कुल कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है; और

(ग) क्या कर्नाटक में बहुत बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होने की दृष्टि से वहां कॉयर बोर्ड की और अधिक यूनिट खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) यह नोट किया जाना चाहिए कि कॉयर बोर्ड एक संवर्धनात्मक अभिकरण है और फाइबर के निष्कर्षण अथवा कॉयर उत्पादों के उत्पादन से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। तथापि, कॉयर बोर्ड ने आधुनिक विद्युत करघों का प्रयोग करके मुख्यतया कॉयर मेटिंग और डिजाइनों की किस्म में सुधार करने के उद्देश्य से केरल राज्य के कलावूर और एल्लेपी जिलों में हिन्दुस्तान कॉयर नामक विभाग द्वारा परिचालित माडल पावर लूम फैक्टरी स्थापित की है।

(ख) हिन्दुस्तान कॉयर पावर लूम फैक्टरी में 63 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

बायोगैस संयंत्र

3188. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और आज तक बायोगैस संयंत्रों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्ष 1985-86 में अब तक कितने पाइलट गैस संयंत्र लगाए गए हैं; और

(ग) उक्त गैस संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाए गए हैं और इन गैस संयंत्रों को लगाने के लिए स्थानों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, एक बहुक्षेत्रीय पहुंच एवं देश में विभिन्न अनुसंधान संगठनों एवं संस्थाओं का समावेश करके एक कमी वाले क्षेत्र अनुसंधान कार्यक्रम के प्रवेशन के माध्यम से बायोगैस प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को अधिक तीव्र कर चुका है। उपर्युक्त कार्यक्रम के निम्नलिखित लक्ष्य हैं : नमूना प्रक्रिया और बायोगैस उत्पादन की कुशलता में सुधार; वैकल्पिक चारा भंडारणों का विकास; बायोगैस संयंत्र के लिए वैकल्पिक सामग्रियों का विकास; बायोगैस उपयोग उपकरणों एवं ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियों में सुधार; प्रयोगशाला-नमूना अध्ययनों एवं बेंच-स्केल संयंत्रों को बढ़ाना; बायोगैस संयंत्रों की लागत में कमी करना, आदि।

(ख) और (ग) प्रयोगशालाओं में बढ़ावा देने वाले और आशावादी अनुसंधान को ऊपर उठाने, मूल्यांकन करने और अनुकूलतम परिणामों के संदर्भ में प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना शुरू की जा चुकी है। इस प्रकार के संयंत्र उन स्थानों पर स्थित हैं जो पर्याप्त निवेशों और चारा भंडारों, अंतरिक्ष, भूमि, जल आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं विद्यमान होने के अतिरिक्त सम्बन्धित अनुसंधान संस्था एवं कार्मिक द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संकीर्ण मानीटरन नियंत्रण को सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार के प्रायोगिक संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	प्रायोगिक बायोगैस संयंत्र का नमूना	स्थान
1	2	3
1.	सौर सहायतित बायोगैस संयंत्र	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र) सुन्दर नगर (हि० प्र०) उदयपुर (राजस्थान)
2.	(i) प्रबलित सीमेंट संक्षेपक सहित बायोगैस संयंत्र	रुड़की (उ० प्र०) सांगली (महाराष्ट्र)
	(ii) मोडुलर प्रबलित सीमेंट बायोगैस संयंत्र	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)
3.	फाइबर प्रबलित प्लास्टिक गैस होल्डर सहित बायोगैस संयंत्र	बम्बई (महाराष्ट्र) गांधी ग्राम (तमिलनाडु)
4.	उच्चघनत्व पोलीथिन गैस होल्डर सहित बायोगैस संयंत्र	इटावा (उ० प्र०) बम्बई (महाराष्ट्र) गांधी ग्राम (तमिलनाडु)
5.	राजगिरी संक्षेपक सहित बायोगैस संयंत्र (गणेश नमूना) (यह अब विस्तार के अधीन है)	उदयपुर राजस्थान) कोयम्बतूर (तमिलनाडु) दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र) पन्त नगर (उत्तर प्रदेश)
6.	उच्चतर क्षमता स्थिर गुम्बद बायोगैस संयंत्र	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) लखनऊ (उ० प्र०) नैनीताल (उ० प्र०) सुन्दर नगर (हि० प्र०)

1	2	3
7.	उच्च दर संक्षेपक सहित बायोगैस संयंत्र	लुधियाना (पंजाब) पुणे (महाराष्ट्र)
8.	रेड मड बायोगैस संक्षेपक	भोपाल (म॰ प्र॰)
9.	कूड़ा-करकट पर आधारित	पडरौना, देवरिया (उ॰ प्र॰) *अयोध्या, फैजाबाद (उ॰ प्र॰) [illegible], बम्बई (महाराष्ट्र)
10.	मलविष्ठा/मानव मल-मूत्र पर आधारित	पटना (बिहार) पुरी (उड़ीसा)
11.	पिसा कूड़ा पर आधारित	बम्बई (महाराष्ट्र)
12.	जल हायसिन्थ पर आधारित	देवरिया (उ॰ प्र॰) गोरखपुर (उ॰ प्र॰) *पुणे (महाराष्ट्र) *जोरहट (असम) *हैदराबाद (आ॰ प्र॰) *बम्बई (महाराष्ट्र) सांगली (महाराष्ट्र)
13.	साल्विनिया पर आधारित	कालीकट (केरल)
14.	डी-आयल्ड कास्टर केकों पर आधारित	हैदराबाद (आ॰ प्र॰)
15.	नगर ठोस अपशिष्ट पर आधारित	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)
16.	आसवनी बहिःस्रावों पर आधारित	*अंकलेश्वर (गुजरात) *नीरा (महाराष्ट्र)
17.	अन्य बायोमास पर आधारित (पौधों की पत्तियां एवं अन्य हरी सामग्री)	मद्रास (तमिलनाडु) वल्लभनगर (गुजरात) लुधियाना (पंजाब)

*निर्माणाधीन/पूरे होने जा रहे हैं।

1	2	3
18.	बायोगैस पर संचालित आई० सी० इंजिन (100 प्रतिशत डीजल अदला-बदली)	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र) सिकन्दराबाद (आ० प्र०) भोपाल (म० प्र०) बंगलौर (कर्नाटक)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के राजस्व संबंधी लक्ष्य

3189. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के इस वर्ष के राजस्व संबंधा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और वास्तव में ये लक्ष्य कहां तक प्राप्त किये गये।

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 30 प्रतिशत कमी रही है और आगामी वर्षों में कमी के और बढ़ जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अधिकांश, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का लेखा वर्ष 1985-86, 31 मार्च, 1986 को ही समाप्त होगा और इसीलिए इस वर्ष की वास्तविक उपलब्धियों और कमियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

उद्योगों के लाइसेंसों में क्षमता सीमा विहित करने की व्यवस्था समाप्त करना

3190. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
डा० बी० एल० शैलेश
श्री सनत कुमार मण्डल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली बचत को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप से यह निर्णय किया है कि रसायन, इस्पात, इलैक्ट्रानिक्स, आटो-मोबाइल और इंजीनियरी जैसे अनेक उद्योगों के लाइसेंसों में क्षमता सीमा विहित न की जाये;

(ख) क्या सरकार को यह आशंका है कि केवल बड़े पैमाने के उद्योगों को लाइसेंस देने से एकाधिकार पनपेगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किन्हीं नई परियोजनाओं के लिए लाइसेंस देने से इन्कार किया गया है; और

(घ) क्या सभी क्षेत्रों में लघु एककों को प्रोत्साहन देने की वर्तमान नीति जारी रहेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सम्बन्धित उद्योग के संदर्भ में निर्धारित नीति के अनुसार परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए जाते हैं।

(घ) जी, हां।

दीवार (गोवा) में टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

3191. **श्री शांताराम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दीवार (गोवा) में टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से चालू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) जी हां।

(ख) 1986-87 में 50 लाइनों वाला एक स्वचल एक्सचेंज खोलने की योजना है बशर्ते कि एक्सचेंज यूनिट और अन्य साज सामान उपलब्ध हो।

शांत घाटी पन-बिजली परियोजना के स्थान पर वैकल्पिक विद्युत परियोजना

3192. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांत घाटी पन-बिजली परियोजना, जिसे छोड़ दिया गया था, के स्थान पर कोई वैकल्पिक योजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) पर्यावरण की दृष्टि से स्कीम को स्वीकार्य नहीं पाया गया है और कावेरी की सहायक नदी भवानी के जल समुपयोजन से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय पहलू भी इसमें निहित हैं जिनका अभी समाधान किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल और गैस क्षेत्र

3193. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान गैस और तेल के लिए कितने क्षेत्रों में खुदाई की गई और ये क्षेत्र कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ख) जिन क्षेत्रों में तेल और गैस काफी मात्रा में पाया गया है और जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान निम्नलिखिति क्षेत्रों/स्थानों में खनन का काम किया गया :—

तटवर्ती क्षेत्र

क्षेत्र/स्थान	कुओं की संख्या	
	1983-84 में	1984-85
गुजरात	35	42
राजस्थान	2	1
असम और नागालैंड/ अरूणाचल प्रदेश	40	45
त्रिपुरा	2	2
बंगाल	5	3
बिहार	1	1
कृष्णा-गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	4	6
कावेरी (तमिलनाडू)	—	2

अपतटीय क्षेत्र	क्षेत्र	कुओं की संख्या	
		1983-84 में	1984-85
	कृष्णा-गोदावरी	10	9
	बम्बई बेसिन	11	8
	कच्छ-सौराष्ट्र	1	3
	महानदी	3	2

(ख) असम और अरूणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर अन्य क्षेत्र सभी अन्वेष्णात्मक स्थिति में हैं। अभी तक उनकी आर्थिक व्यवहार्यता का पता नहीं लगाया गया है।

नई आटोमोबाइल नीति

3194. श्री शरद दिघे
श्रीमती किशोरी सिंह } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक नई आटोमोबाइल नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसमें क्या मुख्य परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या नई यात्री-कार नीति का बनाया जाना रोक दिया गया है जैसा कि 20 फरवरी, 1986 के "इकनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (घ) यात्री कारों आदि के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग हेतु मानदण्डों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि स्वदेशीकरण-कार्यक्रम और ईंधन क्षमता-मानकों में सुधार लाया जा सके।

मोटरगाड़ियों के पुर्जों के लिए जापान के साथ सहयोग करार

3195. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फर्मों और कंपनियों ने 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में मोटरगाड़ियों के पुर्जों, जैसे ब्रेक, गियर, हेडलाइट और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए जापान की अपनी समतुल्य फर्मों और कंपनियों के साथ सहयोग करार किये हैं; और

(ख) इन करारों के अन्तर्गत कितनी रायल्टी के भुगतान, लाइसेंस शुल्क और किट्स के

आयात की व्यवस्था है और मोटरगाड़ियों के निर्माण के लिए सहायक उद्योगों के विकास और उनके विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय की नीति की सामान्य रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विदेशी सहयोगों के बारे में सांख्यिकीय सूचना कैलण्डर वर्ष-वार रखी जाती है। वर्ष 1983, 1984 और 1985 में जापानी फर्मों से सहयोग के लिए क्रमश: 58,78 और 108 प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये थे। सभी अनुमोदित विदेशी सहयोगों के सम्बन्ध में भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु और सहयोग की किस्म सम्बन्धी ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूजलेटर" के परिशिष्ट के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है।

(ख) सरकार नीति के अनुसार प्रत्येक समझौते के संदर्भ में भुगतानों के ब्यौरे जनहित की दृष्टि से प्रकट नहीं किये जाते। किटों का आयात सहयोग समझौते का अंग नहीं माना जाता और इस पर सरकार द्वारा अनुमोदित प्रावस्थाबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम लागू होता है। आटो सहायक उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है और गुणावगुण के आधार पर विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है।

वर्ष 1985-86 के दौरान सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य

3196. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए सीमेंट का उत्पादन लक्ष्य कितना है;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 335 लाख मी० टन।

(ख) 1985-86 के अन्त तक लगभग 325 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन होने की आशा है।

(ग) कुल मिलाकर देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है। उसका उत्पादन जो 1982-83 में 233.2 लाख मी० टन था, 1985-86 में अनुमानतः 325 लाख मी० टन हो जायेगा। परिणामतः, अब बाजार में सीमेंट अधिक सुगमता से मिल रहा है।

डाक-घरों का दर्जा बढ़ाया जाना और नये डाक-घर खोलना

3197. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्षों पहले दी गई स्वीकृति के बावजूद डाकघरों का दर्जा बढ़ाने और नये डाक-घर खोलने का कार्य बचत उपायों के कारण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यान्वित की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी, 1984 तक निर्धारित मानदंडों के अनुसार जहां कहीं औचित्य पाया गया, डाकघर खोलने/दर्जा बढ़ाने के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता रहा है। तथापि, जनवरी, 1984 से नये पदों के सृजन पर सरकार द्वारा लगाई गई पाबन्दी के कारण, कुछ स्वीकृत प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।

डाकघर खोलने के ऐसे प्रस्तावों की संख्या 168 है जिन्हें मंजूर तो कर लिया गया है लेकिन खोला नहीं जा सका। इसी प्रकार डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के 73 मामले ऐसे हैं जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। तथापि, इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा केरल सर्किलों से सम्बन्धित प्रस्तावों की संख्या शामिल नहीं है। इन डाक सर्किलों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में फाफामऊ में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए माइक्रोवेव प्रणाली आरम्भ करना

3198. श्री राम पूजन पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फाफामऊ (इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए माइक्रोवेव प्रणाली आरम्भ करने के आदेश जारी करेगी ताकि उक्त एक्सचेंज सुचारू रूप से काम कर सके;

(ख) क्या यह भी सच है कि फाफामऊ टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वहां के उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर करने के लिए कोई सुस्पष्ट व्यवस्था की जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सीमित संसाधनों के कारण 1-4-85 की स्थिति के अनुसार केवल जिला मुख्यालयों तथा 1000 लाइनों से अधिक क्षमता वाले बड़े एक्सचेंजों में अभी एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है। प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर लेने के बाद फाफामऊ टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सेवा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) फाफामऊ जैसे छोटे एक्सचेंज के लिए इलाहाबाद एक्सचेंज में ट्रंक काल बुक करने की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी गई है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के चलते-फिरते टेलीफोन के उपभोक्ता

3199. डा० टी० कल्पना देवी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए 100 चलते-फिरते टेलीफोन लाइनों की क्षमता का एक अत्याधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज हाल ही में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी उपभोक्ताओं, मन्त्रियों और सरकारी विभागों को दिये गये चलते-फिरते टेलीफोनों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। दिल्ली में 100 लाइनों वाली मोबाइल रेडियो प्रणाली स्थापित की गई है।

(ख) 13-3-86 की स्थिति के अनुसार 24 मोबाइल टेलीफोन प्राइवेट उपभोक्ताओं को तथा 17 मोबाइल टेलीफोन मन्त्रियों और सरकारी विभागों को दिये गये हैं।

(ग) मोबाइल रेडियो प्रणाली पर लगभग कुल 1.25 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

उपभोक्ताओं को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई

3200. श्री चिन्तामणि जेना
श्री सोमनाथ रथ } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के उपभोक्ताओं की ओर से घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के बारे में शिकायतें आ रही हैं जिससे उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या विद्युत संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों और अन्य उद्योगों को कोयले की सप्लाई की समस्या की जांच के लिए नियुक्त की गई विभिन्न समितियों द्वारा जांच की गई है, यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष हैं और उनके द्वारा किये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले के उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सभी औद्योगिक इकाइयों को कोयले का संयोजन, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उनके लिए निर्धारित गुणात्मक परिमापों के अनुसार किया जाता है और जहां तक सम्भव होता है, उन्हीं के अनुसार कोयले की सप्लाई की जाती है। फिर भी उपभोक्ताओं से कोयले के आकार, कम ऊष्मा मूल्य और कोयले के फालतू पदार्थ होने के सम्बन्ध में शिकायतें मिलती रही हैं।

(ख) सरकार ने श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में, बिजलीघरों को कोयला सप्लाई की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति ने बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें की हैं, जैसे—निर्दिष्ट कोलियरियों से बिजलीघरों को संयोजन, बिजलीघरों को कोयले का परिवहन, कोल इंडिया लि० और राज्य बिजली बोर्डों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर, आदि। समिति की सिफारिशों की जांच कर ली गई है और इनमें से अधिकांश सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। कोयला कम्पनियों रेलवे और अन्य एजेंसियों से कहा गया है कि वे समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करें।

(ग) कोयले को ठीक आकार देने और फालतू सामग्री निकालने का काम सुनिश्चित करने के लिए कोलियरियों में "कोयला रख-रखाव संयंत्र" लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त किस्म में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए गए हैं। जिनमें यह बातें शामिल हैं :—

(1) प्रत्येक कोयला कम्पनी में एक स्वतन्त्र "गुणवत्ता नियंत्रण संगठन" बनाना।

(2) जहां कोयला रख-रखाव संयंत्र नहीं है, वहां आदमी लगाकर जरूरत से बड़े आकार के कोयले को तोड़ना और फालतू सामग्री बाहर निकालना।

(3) कोयला नियंत्रक को एक स्वतन्त्र प्राधिकारी के रूप में खानों में कोयला सीमों के और उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कोयले के भी ग्रेड निर्दिष्ट करने की शक्तियां दी गई हैं। इन उद्देश्यों के लिए उसे अपने-आप अथवा किसी उपभोक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत करने पर नमूना लेने और कोयले की जांच का प्रबन्ध करने की शक्ति दी गई है। ऐसे मामलों में कोयला-नियंत्रक का निर्णय अन्तिम होगा।

इसके अतिरिक्त, इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपचारी कार्रवाई की गई है :—

1. फीड कोयले से फालतू पदार्थ अलग करना और कड़ा किस्म नियंत्रण।

2. कच्चा कोयला सप्लाई के वह दोषपूर्ण स्रोत अलग करना जिनका पता लग जाए।

3. विद्यमान वाशरियों का बेहतर प्रबन्ध जिसके द्वारा इष्टतम कार्य-निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

4. जहां आवश्यक हो, उच्च प्राथमिकता देते हुए विद्यमान वाशरियों का आधुनिकीकरण।

5. यह सुनिश्चित करना कि जो वाशरियां चालू हो गई हैं और जिन्हें सातवीं योजना के दौरान चालू करने का प्रस्ताव था, उनका परिचालन इस प्रकार हो कि कार्य-निष्पादन डिजाइन स्तर के अनुरूप रहे।

6. कोयले के परिष्करण में नई प्रौद्योगिकी लागू करना।

अन्य उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की तुरंत जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां सुधार की कार्रवाई की जाती है।

सभी लदान-स्थलों पर "कोयला रख-रखाव संयंत्र" लगाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि समस्त उत्पादित कोयला सातवीं योजना के अन्त तक इन संयंत्रों से गुजारा जा सके।

उड़ीसा में बालंगीर और फूलबनी जिलों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित करना

3201. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बालंगीर और फूलबनी के उद्योगविहीन जिलों में अब तक बड़े पैमाने के कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ख) क्या सार्वजनिक उद्यम विभाग इन जिलों में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1983-1984 तथा 1985 के वर्षों में, जिला बालंगीर, उड़ीसा में निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण हेतु एककों को स्थापित करने के लिए एक (सी० ओ० बी०) लायसेंस सहित दो औद्योगिक लायसेंस जारी किये गये थे :—

(1) वुड वैनीर्स तथा प्लाईवुड पैनल;

(2) सूती धागे।

(ख) उड़ीसा के बालंगीर तथा फूलबनी जिलों में सरकारी क्षेत्र की परियोजना स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में कमी

3202. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल को कम करने के लिए कोई प्रयत्न किये गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत कमी हुई;

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की गई; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान इस मद पर कितनी बचत होने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा 1976 में गठित पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान (पी० सी० आर० ए०) विभिन्न संरक्षण कार्यों में लगी हुई है अर्थात :—

—उद्योग और परिवहन के संगठित क्षेत्रों में क्षेत्र अध्ययन।

— घरेलू परिवहन और कृषि के असंगठित क्षेत्रों में संरक्षण पर शिक्षण अभियान।

— मिट्टी के तेल का बत्तियों वाला नूतन स्टोव, नूतन एल० पी० जी० बर्नर तथा आई०आई० पी० औद्योगिक एल० पी० जी० फिल्म बर्नर जैसे ईंधन कुशल उपकरणों का विकास।

छठी योजना के दौरान पी० सी० आर० ए० की गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 400 करोड़ रुपये के मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों की बचत हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक मांग के अनुसार बचत लगभग एक प्रतिशत बैठती है।

(ग) छठी योजना अवधि में लगभग 330 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) सातवीं योजना के दौरान पी० सी० आर० ए० की गतिविधियों में तेजी लाने के परिणामस्वरूप आशा है कि लगभग 650 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की जा सकेगी।

मद्रास से बंगलौर तक पाइप लाइन बिछाना

3203. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से बंगलौर तक 350 किलोमीटर लम्बी तेल पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितने धन की आवश्यकता है;

(ग) क्या काम आरम्भ कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर काम कब आरम्भ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों में डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों को वर्दी की सप्लाई

3204. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहाड़ी क्षेत्रों में डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों को किस प्रकार की वर्दियां सप्लाई की जा रही हैं और सरकार द्वारा उस पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(ख) वर्दियों की सप्लाई के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं और उससे कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पर्वतीय क्षेत्रों के पात्र डाक कर्मचारियों को पोलिस्टर काटन पेंट तथा कमीज, ऊनी कोट तथा पेंट, ऊनी जर्सी, ऊनी ओवरकोट, ऊनी जुर्राबें, जूते-बूट एंकल वाटर-प्रूफ कोट आदि सप्लाई किए जाते हैं।

इस पर लगभग 20 लाख रुपये वार्षिक खर्च किया जा रहा है।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में इस किस किस्म की वर्दी की सप्लाई के मानदण्ड वहां के तापमान एवं सर्दी के मौसम की अवधि पर आधारित हैं। लगभग 10,000 डाक कर्मचारी इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

बंगाल पॉटरीज का राष्ट्रीयकरण

3205. श्री अनिल बसु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता की बंगाल पॉटरीज, जिसका पहले ही अधिग्रहण किया जा चुका है, के राष्ट्रीयकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि अधिग्रहण काल की अवधि 28 फरवरी, 1986 को समाप्त होनी थी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मैसर्स बंगाल पॉटरीज लिमिटेड के प्रबन्ध-अधिग्रहण की अवधि 31-8-1986 तक के लिए और आगे बढ़ा दी गई है ताकि उपक्रम के भावी निपटान की व्यवस्था हो सके।

खासिया मध्य प्रदेश में ताप बिजली घर की स्थापना

3206. कुमारी पुष्पा देवी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश, खासिया में एक ताप बिजली घर की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा खासिया के समीप मांड ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा गया था। परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के चरण-एक (2×210 मेगावाट) की लागत लगभग 371 करोड़ रुपये आंकी गई है।

स्कीम की, सम्बन्धित एजेंसियों के साथ जिसमें मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड भी शामिल है, परा-

मर्श करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को अभी राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की तथा वन और पर्यावरण दृष्टि से भी स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा केन्द्रीय भंडार से लेखन-सामग्री आदि की खरीद

3207. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 1981 में जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० (केन्द्रीय भंडार) से लेखन सामग्री तथा वर्दियों सहित वस्तुएं नहीं खरीद रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र के धुले जिले में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

3208. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के धुले जिले में वर्ष 1986-87 और 1987-88 की अवधि में टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए कोई धन आवंटित किया गया है, तो वह कितना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए अलग से निधि की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि निधि की व्यवस्था वर्ष के लिए सर्किल को आवंटित एक मुश्त अनुदान से की जाएगी।

विवरण

उदारीकृत नीति के अन्तर्गत मानदंड पूरा होने पर महाराष्ट्र के धुले जिले में 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान खोले जाने वाले संभावित टेलीफोन एक्सचेंजों का विवरण

1986-87

1.	मंजरोड	25 लाइनों का एस०ए०एक्स०
2.	न्याहोलोड	-वही-
3.	थालनेर	-वही-
4.	मुल्गी	-वही-

1987-88

1.	निमगुल	-वही-
2.	वर्षी	-वही-
3.	वडाली	-वही-
4.	ब्राह्मणपुरी	-वही-

[हिन्दी]

प्लास्टिक और टैनरी के लिए प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

3209. श्री बलराम सिंह यादव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्लास्टिक और टैनरी के लिए प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार का केन्द्र कब तक स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए दो प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) इस समय नई दिल्ली प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र के दो उपक्रम पहले से हीं हैं, पहला सामान्य मशीन शॉप, फिटिंग एण्ड शीट मैटल के क्षेत्र में काशीपुर में और दूसरा अलीगढ़ में तालों और अन्य औजारों के पैकेज के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में कोई अन्य प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बेकार पड़े कुंए को चालू करने के लिए विदेशी सहायता

3210. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने कुएं बेकार पड़े हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) यह कुएं कब के बेकार पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कुओं को चालू करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का है, ताकि देश में तेल का उत्पादन बढ़ाया जा सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1-1-86 को निम्नलिखित क्षेत्रों में 321 बेकार कुएं थे :—

पूर्वी क्षेत्र	122
पश्चिमी क्षेत्र	187
बम्बई अपतट	12
	321

(ख) कुओं का एक अवधि के बाद बेकार होना और उनका परिसमापन किया जाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बेकार कुओं में से कुछ को बेकार होने के तत्काल बाद ही परिसमापन के लिए हाथ में लिया जाता है। अधिकतर कुओं का परिसमापन 6 महीने से एक वर्ष की अवधि के अन्दर हो जाता है जबकि कुछ के लिए 2 वर्ष तक लग जाते हैं। यह बेकार होने की प्रकृति और किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है।

(ग) सोवियत विशेषज्ञ गुजरात के बेकार कुओं के परिसमापन के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की पहले से ही सहायता कर रहे हैं। वर्क ओवर रिंग सम्बद्ध उपकरण, फालतू पुर्जे तथा सोवियत विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सोवियत सहायता की दो संविदाएं की गई हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा शिवसागर में स्थानीय लोगों की भर्ती

3211. श्री पराग चालिहा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिवसागर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सभी श्रेणियों में कर्मचारियों की भर्ती को कई महीने स्थगित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आयोग के अन्य क्षेत्रों में भर्ती बिना रुकावट के जारी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सभी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत पदों के लिए भर्ती आवश्यकता के अनुसार की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी करने के लिए नीति बनाना

3212. श्री के० वी० शंकर गौडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पैट्रो-सामान के आयात को कम करने के लिए सरकार का क्या नीति अपनाने का विचार है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने वाणिज्यिक ऊर्जा की सप्लाई के लिए हाइड्रो-कार्बनों पर निर्भर करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, जो कि ऊर्जा के कुल आयोग में कच्चे तेल और गैस के भाग को कम करने की सरकार की नीति के प्रतिकूल है, पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को नियन्त्रित रखने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है। बढ़ती हुई मांग के प्रति सातवीं योजना में यथा उल्लिखित सरकार द्वारा बनाई गई योजना में आयात में हो रही वृद्धि को रोकना, शोधन क्षमता बढ़ाना और गौण सुविधाओं में सुधार लाना और अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद की खपत को कम करना सम्मिलित है।

(ग) और (घ) व्यापारिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हाइड्रोकार्बनों पर निर्भरता कम करने के लिए सातवीं योजना में हाइडल परियोजनाओं, कोयला क्षेत्र, सामाजिक वनरोपण और बायोमास, सौर ऊर्जा आदि जैसे अन्य गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने का कार्यक्रम है।

आटोमोबाइल उद्योग पर विदेशी तकनीकी जानकारी का प्रभाव

3213. श्री हुसैन दलवाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटोमोबाइल उद्योग में विदेशी तकनीकी जानकारी प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या सरकार का विदेशी सहयोग से संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा निर्मित नई कारों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) समकालीन डिजाइनों की ईंधनक्षमता गाड़ियों का उत्पादन करने के लिए उद्योग में प्रौद्योगिकी का उन्नयन हो रहा है।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण

3214. श्री बी० बी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा देश में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए छः वर्ष की आदर्श समय सीमा का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 100 मैगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी नई जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा छः वर्ष की अवधि को एक "राष्ट्रीय नीति" के रूप में घोषित करने का सुझाव दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना, चरण-1 (540 मेगावाट), अद्यतन निर्माण प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध प्रणालियों में कम्प्यूटर्स की मदद से और कनाडा के साथ आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता सुनिश्चित करके राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा एक माडल परियोजना के रूप में 6 वर्षों में पूरा करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम से अब तक कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मोलेसेज और एल्कोहल के मूल्य निर्धारण और वितरण के सम्बन्ध में नई व्यापक नीति

3215. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोलैसेज और एल्कोहल से सम्बन्धित सभी पहलुओं तथा उनके मूल्य निर्धारण और वितरण को शामिल करके कोई व्यापक नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि 24 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस नई नीति का ब्यौरा क्या है और उसके कब तक लागू और कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं; और

(घ) इससे मोलैसेज उद्योगों के एकाधिकार को कहां तक समाप्त कर दिये जाने की सम्भावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नीति को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र को गैस सप्लाई

3216. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कच्चे तेल का पता लगाने के बाद से वहां पर कच्चे तेल की कितनी मात्रा निकाली गई और कितनी गैस उत्पादित की गई है;

(ख) उत्पादित गैस में से प्रत्येक वर्ष और अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 के लिये महाराष्ट्र को कितने प्रतिशत गैस की सप्लाई की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र से गैस की मांग कितनी थी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) महाराष्ट्र राज्य में कोई तेल नहीं मिला है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

विद्युत उत्पादन में गैर सरकारी क्षेत्र का भाग लेना

3217. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्रीमती गीता मुखर्जी
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र को हाल ही में लाइसेंस देने और विद्युत उत्पादन में भाग लेने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए दी गई सुविधाओं तथा शर्तों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन गैर सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के नाम क्या हैं जो इस कार्य के लिए आगे आये हैं और अब तक विद्युत उत्पादन के लिए सहमत हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कम्पनियां नामश: कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन और मैसर्ज अहमदाबाद इलेक्ट्रिकसिटी कम्पनी के दो प्रस्तावों के अलावा तीन अन्य प्रस्ताव, नामश: मैसर्ज बम्बई सुबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई लि०, मैसर्ज टोरस्टील रिसर्च फाउण्डेशन इन इण्डिया तथा मैसर्ज फरीदाबाद इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन से प्राप्त हुए हैं। इन तीन प्रस्तावों में से दो प्रस्ताव कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में हैं।

सांताक्रूज, बम्बई में अस्पताल के समीप पेट्रोल पंपों को अन्यत्र ले जाना

3218. श्री मुकुल वासनिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सांताक्रूज बम्बई में श्रीमती भीखूभाई सी० जाभुंधलवाला जनरल अस्पताल के परिसर में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का एक पेट्रोल पम्प है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त पेट्रोल पम्प के कारण रोगियों को असुविधा हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त पेट्रोल पम्प को अन्यंत्र ले जाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सिवाय इस तथ्य के कि इस बिक्री केन्द्र के पास सभी निर्धारित क्लियरेंस हैं तथा यह उस क्षेत्र के सभी वाहनों वालों की आवश्यकता पूरी करता है, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन के पास बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 की शर्तों के अनुसार इस स्थान को 1995 तक रखने का अधिकार है।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज पूछताछ सेवा—197 के लिए संशोधित निर्देशिका की सप्लाई

3219. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज में पूछताछ सेवा--197 के लिए कार्यरत कर्मचारियों के पास संशोधित निर्देशिकायें होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें नई और संशोधित निर्देशिकायें उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) यदि अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तो मंत्रालय उन्हें कब तक उपलब्ध करा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, टेलीफोन डाइरेक्टरी को अद्यतन बनाने का कार्य दैनिक आधार पर किया जाता है, परन्तु किसी प्रकार के परिवर्तन होने और डाइरेक्टरी पूछताछ पोजीशन "197" पर कार्यरत टेलीफोन आपरेटर द्वारा वास्तविक जानकारी देने के बीच 15 दिन का अंतर पड़ जाता है।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता, तथापि, साप्ताहिक तथा तिमाही अद्यतन सूचना, परिवर्तित नम्बर, परिशिष्ट के बारे में जानकारी आदि की सूचना के लिए टेलीफोन आपरेटर उस सेवा से संबंधित पूछताछ नम्बर बता देते हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है। 1987 के दौरान डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा का कंप्यूटरीकरण करने के पश्चात् स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

आटोमोबाइल यूनिटों के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा

3220. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भुगतान संतुलन सम्बन्धी स्थिति की कठिनाइयों और पैट्रोलियम की खपत को कम करने की दृष्टि से विदेशी सहयोगों और आयात के सम्बन्ध में आटोमोबाइल उद्योग को लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग हेतु मानवण्डों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे स्वदेशीकरण कार्यक्रम और इंधन क्षमता मानकों में सुधार लाया जा सके।

[हिन्दी]

दिल्ली टेलीफोन सहित केन्द्रीय तारघर को (सेन्ट्रल टेलीग्राफ आफिस) को महानगर टेलीफोन निगम के अन्तर्गत रखना

3221. **श्री राजकुमार राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना के पश्चात् केन्द्रीय तारघर (सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस) को दिल्ली टेलीफोन से अलग करके उत्तर पश्चिम मण्डल के अन्तर्गत लाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली टेलीफोन सहित केन्द्रीय तारघर (सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस) को प्रस्तावित निगम के अंतर्गत रखे जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) सार्वजनिक तार सेवा की कार्य प्रणाली एवं आवश्यकताएं टेलीफोन, टेलेक्स आदि सेवाओं से भिन्न होती हैं। अतः आमतौर पर केंद्रीय तारघर एक राज्य को सेवा प्रदान करने वाले दूरसंचार सर्किलों से जुड़े होते हैं। संघ क्षेत्र दिल्ली के लिए कोई अलग दूरसंचार सर्किल नहीं है, अतः निगम का गठन हो जाने के बाद केंद्रीय तारघर को सबसे बड़ी दूरसंचार यूनिट जिसका मुख्यालय दिल्ली में हो और इस समय महाप्रबन्धक अनुरक्षण दिल्ली ही ऐसी यूनिट है, के साथ जोड़ दिया जाएगा।

[अनुवाद]

खंभात की खाड़ी में ज्वार विद्युत परियोजना

3222. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ की खाड़ी में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक ज्वार विद्युत परियोजना आरम्भ की जा रही है;

(ख) क्या खंभात की खाड़ी में केन्द्रीय क्षेत्र में इसी तरह की ज्वार विद्युत परियोजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उक्त प्रस्तावित परियोजना के बारे में जांच और अध्ययन आरम्भ करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना की सम्भाव्यता का अन्वेषण/अध्ययन इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) निधियों की कठिनाई के कारण, खम्भात की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए अन्वेषण और अध्ययन का कार्य सातवीं योजना अवधि के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अयोग्यताओं पर पुनर्विचार

3223. श्री विष्णु मोदी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अयोग्यताओं पर पुनर्विचार करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) अभ्यर्थियों की निरर्हता के लिए आधार हमारे संविधान और निर्वाचन विधियों में पहले से उपबंधित हैं। निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों को निरर्हित करने के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव के सुझाव दिए हैं जो संलग्न विवरण में संक्षेप में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने जो प्रस्ताव भेजे हैं वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सुधारों की बाबत किए गए प्रस्तावों के भागरूप हैं। सरकार आयोग के प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है और वह राजनैतिक दलों से परामर्श करने के पश्चात् इस पर अंतिम विनिश्चय करेगी। अत: यह बताना साध्य नहीं है कि इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और विधान लाने में कितना समय लगेगा।

विवरण

1. गैर-संजीदा अभ्यर्थियों का निकाला जाना :

किसी अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों की विहित न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करने में असफल रहने की दशा में निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।

2. अपराधी अभिलेख वाले व्यक्तियों की निरर्हता :

ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी आपराधिकता साबित हो चुकी है और विगत इतिहास धूमिल और जो पूर्वापराधी हैं तथा उन व्यक्तियों को निर्वाचन लड़ने से निरर्हित किया जाना चाहिए जिनके राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम आदि के अधीन निरोध को उपरोक्त अधिनियमों आदि के अधीन गठित न्यायिक सलाहकार बोर्डों ने अनुमोदित कर दिया है।

3. निर्वाचन सभाओं में विघ्न डालने को रोकने के लिए उपाय :

उन व्यक्तियों का, जो निर्वाचन अभियान के दौरान हिंसा करते हैं जिनके अन्तर्गत वे व्यक्ति हैं जो निर्वाचन सभाओं में विघ्न डालते हैं, संक्षिप्त रूप में विचारण किया जाना चाहिए और सिद्ध-दोष ठहराये जाने की दशा में उन्हें निरर्हित किया जाना चाहिए।

4. बूथ पर कब्जा करने को रोकने के उपाय :

(i) बूथ पर कब्जा करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जिम्मेदार पाए गए अभ्यर्थियों को अगले छह वर्षों के लिए निर्वाचन लड़ने से निरर्हित कर दिया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग को इस बात की शक्तियां होनी चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों को किसी न्यायालय के लिए निर्देशित किए बिना निरर्हित कर दे ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके और दोषी अभ्यर्थियों को, निर्वाचनों के पूरा हो जाने के पूर्व ही निरर्हित किया जा सके;

(ii) ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनके अपराध सम्बन्धी अभिलेख से यह साबित होता है कि वे बल और हिंसा वाले अपराधों से, जैसे डकैती आदि से, संबद्ध हैं, निर्वाचन लड़ने से निरर्हित किया जाना चाहिए।

दिल्ली-फैजाबाद के बीच सीधी टेलीफोन डायल सेवा

3224. श्री निर्मल खत्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिल्ली-फैजाबाद के बीच सीधे टेलीफोन डायल सेवा के दोषपूर्ण होने और इस प्रणाली के कार्य न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, फैजाबाद से दिल्ली के लिए एस० टी० डी० सेवाओं के असंतोषजनक कार्य निष्पादन के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) समस्या को स्पष्ट करते हुए इस शिकायत का उपयुक्त उत्तर भेज दिया गया था। फैजाबाद से दिल्ली के लिए एस० टी० डी० सेवाओं को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारण यह है कि फैजाबाद से कानपुर ट्रंक स्वचल एक्सचेंज (टी०ए० एक्स०) के लिए अपर्याप्त लाइनें हैं। फैजाबाद और लखनऊ के बीच माध्यम में क्षमता की कमी के कारण अभी अतिरिक्त लाईनें प्रदान करना संभव नहीं है। दिल्ली और इससे आगे के स्थानों के लिए कालों को कारगर ढंग से निपटाने के लिए कानपुर टी० ए० एक्स० और दिल्ली ई—I इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के बीच अतिरिक्त 20 लाइनें प्रदान की गई हैं।

लखनऊ में 1987 में एक अंकीय इलेक्ट्रॉनिक टी० ए० एक्स० चालू करने की योजना है जिसके साथ फैजाबाद को भी जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद फैजाबाद से की जाने वाली एस० टी० डी० कालों और वहां आने वाली कालों में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है।

गुजरात के गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

3225. श्री नरसिंह मकवाना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन गांवों की संख्या कितनी है जहां टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं और शेष गांवों में यह सुविधा कब तक हो जाएगी;

(ख) क्या सरकार ने नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कार्य शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुजरात के 1201 ग्रामों में टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध हैं। सरकार की नीति के अनुसार आर्थिक सहायता के आधार पर 1384 गांव इस योग्य पाए गए हैं कि वहां टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएं। इनमें से 446 ग्रामों को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(ख) जी हां।

(ग) इस वर्ष, 85-86 (10-3-86 तक) के दौरान 15 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए और मार्च, 86 के अंत तक लगभग पंद्रह और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है। यदि उदार बनाई गई नीति के अधीन निर्धारित मानदण्ड पूरे होंगे, तो 1986-87 में लगभग 40 एक्सचेंज और खोले जाएंगे।

[अनुवाद]

सहकारी व्यवस्था के आधार पर आवंटित खाना पकाने की गैस एजेंसियां

3226. श्री चिंता महाता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक सहकारी व्यवस्था के आधार पर गैस की कुल कितनी एजेंसियां आवंटित की गई हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस आधार पर गैस की कितनी एजेंसियां आवंटित किये जाने का विचार है और उन स्थानोंके नाम क्या हैं जहां वे एजेंसियां दी जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1-2-1986 तक सहकारी समितियों को दी गई एल० पी० जी० वितरणशिपों की कुल संख्या 166 हैं।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार सहकारी समितियों को एल० पी० जी० वितरणशिप देने के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं किया गया है। वितरणशिप देने के सम्बन्ध में तेल कम्पनियों द्वारा जारी विज्ञापनों के आधार पर इन्हें आवेदन देना होता है।

ताप बिजली संयंत्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

3227. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्तमान ताप बिजली संयंत्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) देश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यवाही योजनाएं तैयार की जाती हैं। जिन 32 ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं है, उनके सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

औषधियों का निर्माण

3228. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फार्मास्युटिकल उत्पादन सन् 1947 में कितना था और इस समय कितना है;

(ख) उस समय कितनी औषध यूनिटें थीं और अब कितनी हैं;

(ग) गैर-सरकारी, सरकारी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों में फार्मास्युटिकल एककों की संख्या क्या है और उनमें किन-किन औषधियों का उत्पादन होता है; और

(घ) विश्व औषध बाजार में अन्य देशों की तुलना में भारत के औषध निर्माण की प्रतिशतता कितनी है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जहां तक विवरण उपलब्ध है, 1947 के दौरान भेषजों के उत्पादन का मूल्य 10 करोड़ रुपये

था। 1984-85 के दौरान प्रपुंज औषधों तथा भेषजों का उत्पादन क्रमशः 377 करोड़ रुपये तथा 1827 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) जहां तक विवरण उपलब्ध है, इस समय संगठित क्षेत्र में औषधों तथा भेषजों के उत्पादन के लिए डी० जी० टी० डी० के पास 253 एकक पंजीकृत हैं। इनमें से 10 फेरा कंपनियां हैं जिनका विदेशी साम्य 40 प्रतिशत से अधिक है, 5 सार्वजनिक क्षेत्र के एकक हैं तथा अन्य प्राइवेट एकक हैं।

(घ) भारत में औषधों का उत्पादन संसार भर में औषधों के उत्पादन का लगभग 2 प्रतिशत है।

वर्ष 1986-87 के लिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य

3229. श्री राधाकांत डिगाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए बिजली उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त वित्तीय वर्ष में कितने-कितने ताप बिजली उत्पादन एकक, पन बिजली एकक, गैस टरबाइन बिजली उत्पादन एकक और परमाणु ऊर्जा उत्पादन एकक स्थापित करने का विचार है;

(ग) इनमें से प्रत्येक बिजली उत्पादक एकक से कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 1986-87 के दौरान 190 बिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किए जाने का कार्यक्रम है जिसमें 127.8 बिलियन यूनिट ताप-विद्युत, 5.7 बिलियन यूनिट जल-विद्युत तथा 5.2 बिलियन यूनिट न्यूक्लिय विद्युत शामिल है।

(ख) से (घ) 1986-87 के दौरान लगभग 3160 मेगावाट की नयी विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने का कार्यक्रम है जिसमें 1985-86 के कार्यक्रम से सम्भावित रूप से पिछड़ने वाली क्षमता शामिल नहीं है। चालू किए जाने वाले विद्युत उत्पादन यूनिटों के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन परियोजनाओं की सूची जिनसे 1986-87 के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने की सम्भावना है

क्र० सं०	परियोजना का नाम तथा यूनिट संख्या	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता लक्ष्य (मेगावाट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
जल विद्युत			
1.	पश्चिमी यमुना नहर यूनिट 3 और 4	हरियाणा	16
2.	आन्ध्र यूनिट 1—3	हिमाचल प्रदेश	16.95
3.	रोंगटोंग यूनिट 1—4	—वही—	2
4.	सलकना यूनिट 1 और 2	जम्मू और कश्मीर	4
5.	दोधर यूनिट 1—3	पंजाब	1.6
6.	थूही यूनिट 1 और 2	—वही—	0.8
7.	रोहती यूनिट 1 और 2	—वही—	0.8
8.	अनूपगढ़ यूनिट 1—6	राजस्थान	9
9.	सलाल यूनिट 1—3	केन्द्रीय क्षेत्र	345
	उप-जोड़ (जल-विद्युत)		396.15
ताप-विद्युत			
1.	पानीपत यूनिट-4	हरियाणा	110
2.	अन्पारा "क" यूनिट-2	उत्तर प्रदेश	210
3.	गैस टरबाइन यूनिट 1—6	दिल्ली	180

1	2	3	4
4.	सिंगरौली चरण-2 फेज-2, यूनिट-1	केन्द्रीय क्षेत्र	500
	उप-जोड़ (जल-विद्युत)		1000
	जोड़ : (उत्तरी क्षेत्र)		1396.15
पश्चिमी क्षेत्र			
जल-विद्युत			
1.	उकई एल० बी० सी० पी० एच० यूनिट 1 और 2	गुजरात	5
2.	पेंच यूनिट-2	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	80
3.	भीरा टेल रेस यूनिट-1	महाराष्ट्र	40
4.	वैतरना बांध दो	महाराष्ट्र	1.5
	उप-जोड़ (जल-विद्युत)		126.5
ताप-विद्युत			
1.	वानकबोरी विस्तार यूनिट-5	गुजरात	210
	जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र) :		336.5
दक्षिणी क्षेत्र			
जल-विद्युत			
1.	श्रीसेलम यूनिट 6 और 7	आन्ध्र प्रदेश	220
2.	पोचमपड यूनिट-1	—वही—	9
3.	इदुक्की यूनिट-3	केरल	130
4.	मओमैत्तुर यूनिट 1 और 2	तमिलनाडु	30
	उप-जोड़ (जल-विद्युत) :		389

1	2	3	4
ताप-विद्युत			
1	मैत्तुर चरण-1 यूनिट-1	तमिलनाडु	210
2.	नेवेली द्वितीय माइन कट यूनिट-2	केन्द्रीय क्षेत्र	210
	उप-जोड़ (ताप-विद्युत) :		4.20
	जोड़ (दक्षिण क्षेत्र) :		809
पूर्वी क्षेत्र जल-विद्युत			
1.	अपर कोलाब यूनिट-1	उड़ीसा	80
2.	फाजी विस्तार	पश्चिम बंगाल	1.2
3.	रिम्बी यूनिट 1 और 2	सिक्किम	1
	उप-जोड़ (जल-विद्युत) :		82.2
ताप-विद्युत			
1.	फरक्का यूनिट 2 और 3	केन्द्रीय क्षेत्र	420
2.	दा० घा० नि० गैस टरबाइन	—वही—	60
	उप-जोड़ (ताप-विद्युत) :		480
	जोड़ (पूर्वी-क्षेत्र) :		562 2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जल-विद्युत			
1.	कोपिली यूनिट-2	निपको	50

1	2	3		4
2.		मिनी/लघु जल-विद्युत यूनिटें		4.05
		उप-जोड़ (जल-विद्युत)		45.05
ताप-विद्युत				
1.		डीजल केन्द्र	मणिपुर	2
		उप-जोड़ (ताप-विद्युत)		2
		जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)		56.05
		अखिल भारत ...	..	3159.90
		जल-विद्युत ...	...	1047.90
		ताप-विद्युत ...	...	2112.00
		न्यूक्लीय ...	...	—

मिलावटी डीजल के विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाएं

3230. श्री गार्गी शंकर मिश्रा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी का तेल मिले हुए डीजल का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालाओं का संख्या कितनी है;

(ख) उक्त प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थित हैं और क्या ये प्रयोगशालाएं उनके मन्त्रालय के अधीन काम कर रही हैं अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन हैं;

(ग) उक्त प्रयोगशालाओं में कितने फील्ड आफिसर निरीक्षक कार्यरत हैं; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने नमूने एकत्र किए गए और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) तेल कम्पनियों की प्रयोगशालाओं की संख्या, उनके स्थान तथा उनमें काम कर रहे अधिकारियों/

प्रबन्ध कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) संग्रहित नमूनों की संख्या ...1261

परीक्षण के बाद विनिर्देशन के अनुसार पाए गए नमूनों की संख्या ...1240

परीक्षण पर विनिर्देशन के अनुसार न पाए गए नमूनों की संख्या ...21

विवरण

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड : 4 प्रयोगशालाएं

क्र० सं०	स्थान	आफिसर/मैनेजमेंट स्टाफ
1.	बम्बई रिफाइनरी	44
2.	विपणन प्रयोगशाला, बम्बई	19
3.	विशाख रिफाइनरी	44
4.	विपणन प्रयोगशाला, बज बज, कलकत्ता	4

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड : 4 प्रयोगशालाएं

1.	बी० पी० सी० रिफाइनरी, बम्बई	49
2.	टोंडियारपेट, मद्रास	3
3.	बज बज, कलकत्ता	10
4.	शकूरबस्ती, दिल्ली	3

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड : 25 अचल प्रयोगशालाएं और 1 चलती-फिरती प्रयोगशाला

उत्तरी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र
1. शकूरबस्ती	1. कलकत्ता
2. दिल्ली टर्मिनल	2. सिलीगुड़ी

उत्तरी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र
3. अम्बाला	3. गौरीग्राम
4. जालंधर	4. बज बज
5. कानपुर	5. राजबंद
6. मुगलसराय	6. पटना
7. इलाहाबाद	7. पोर्ट ब्लेयर
	8. हल्दिया

पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
1. बम्बई	1. कोरूकुपेट
2. साबरमती	2. विजाग
3. कांडला	3. सनतनगर
4. वास्को	4. वेस्ट इजलैंड
5. चलती-फिरती प्रयोगशालाएं	5. बंगलौर
	6. तूतकोरिन

उड़ीसा में रुग्ण एककों का पुनरुद्धार

3231. श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में औद्योगिक एककों की रुग्णता को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में उड़ीसा में कितने रुग्ण एककों का पुनरुद्धार किया गया; और

(ग) उड़ीसा में सभी रुग्ण औद्योगिक एककों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ग) सरकार ने सक्षम रूप से जीव्य एककों को पुनरुज्जीवित/पुनर्स्थापित करने के लिए अक्तूबर, 1981 में केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों (उड़ीसा सरकार सहित) तथा वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की दस बातें लोक सभा में, दिनांक 23-1-1985 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर में दी गई हैं। उस मामले जिसमें रुग्ण एककों का अधिग्रहण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई पुनर्स्थापन योज-

नाओं के एक अंग के रूप में कर लिया जाता है, ऐसी पुनर्स्थापन योजनाओं में पूंजी पुर्ननिर्माण, ब्याज की देयताओं का निग्रियन आसान शर्तों पर पूंजी और कार्यशील पूंजी सम्बन्धी ऋणों, ऋण-सेवा देयताओं की राहत या उनकी समय सूची का पुन:निर्धारण जैसी विभिन्न रियायतों और सहायताओं की व्यवस्था की जाती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भी अलग-अलग रुग्ण एकक के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाई गई पुनर्स्थापन योजनाओं के एक अंग के रूप में विभिन्न राजकोषीय और अन्य राहतें प्रदान करती हैं। इनके अलावा विलय करके रुग्ण एककों को अपने हाथ में लेने वाले स्वस्थ एककों को आय कर सम्बन्धी राहत देकर बढ़ावा दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1985-86 की सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिहार में तेल की खोज

3232. श्री सी० पी० ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पेट्रोलियम अथवा गैस का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1-1-1986 तक 5 ज्योलोजिकल पार्टी वर्ष, 12 ग्रेविटी मेग्नेटिक पार्टी वर्ष तथा 13 भूकम्पीय पार्टी वर्ष सर्वे किया गया है। 3 अन्वेषणात्मक कुएं भी खोदे गए हैं।

धारापुरम डाकघर, तमिलनाडु का दर्जा बढ़ाना

3233. श्री आर० अण्णानम्बी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में धारापुरम डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे "क" श्रेणी में सम्मिलित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। तमिलनाडु सर्किल के धारापुरम हेड-पोस्ट आफिस का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव

नहीं है। श्रेणी "घ" के भी कोई डाकघर नहीं होते हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

गांवों के विद्युतीकरण के मामले में केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण

3234. श्री सुरेश कुरूप : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में केरल का कार्य-निष्पादन कितना रहा; और

(ख) केरल में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना से पूर्व केरल राज्य में 1979-80 में शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। देश में छठी योजना के दौरान 123151 के लक्ष्य की तुलना में 119541 गांव विद्युतीकृत किये गये थे।

(ख) 1979-80 में शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो जाने को मद्देनजर रखते हुए केरल में सातवीं योजना अवधि के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए किसी प्रकार की राशि का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल म पम्पसेटों/टयूबवैलों के ऊर्जन के लिए 19.47 करोड़ रुपये की राशि प्रारक्षित रखी गई है।

सीमेंट का उत्पादन और आयात

3235. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान सीमेंट का कितना उत्पादन किया गया और सीमेंट की कितनी मात्रा आयात की गई और यह आयात किस दर पर किया गया; और

(ख) 1986 के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा उत्पादन का तथा कितनी मात्रा का आयात किए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1985 के दौरान देश में सीमेंट का उत्पादन और आयात क्रमशः लगभग 319 लाख मी० टन और 2.9 लाख मी० टन था। आयात की दर को बताना जनहित में नहीं है।

(ख) 1986 के दौरान सीमेंट का उत्पादन और आयात क्रमशः लगभग 350 लाख मी० टन और 2.2 लाख मी० टन होने की आशा है।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा श्री सलेम बिजली परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव

3236. श्री ई० अय्यपु रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड ने श्री सलेम पनबिजली परियोजना के विस्तार के प्रस्ताव किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रीसलेम में पन बिजली परियोजना के विस्तार के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। एक भूमिगत बिजली घर के निर्माण और 9 × 110 मेगावाट की टर्बाइन यूनिटें प्रतिष्ठापित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने श्रीसलेम बांया तट बिजली घर के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ग) परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

करीम गंज असम में सूक्ष्म तरंग उपग्रह सम्पर्क केन्द्र

3237. श्री सुदर्शन दास : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम में करीमगंज में सूक्ष्म तरंग उपग्रह सम्पर्क केन्द्र अधिष्ठापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) और (ख) करीमगंज से सिल्चर तथा असम के अन्य भागों से विश्वसनीय संचार के लिए हाल ही में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यू० एच० एफ०) वाली एक रेडियो रिले प्रणाली प्रदान कर दी गई है।

राज्यों में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3238. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का

प्रस्ताव करने वाले राज्यों के पास अपने तेल, कोयले अथवा अन्य अपेक्षित ईंधन के साधन हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इनका अपने देश के बाजारों से अथवा आयात द्वारा प्राप्त करने का विचार है; और

(ग) ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर आने वाला कितना प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन जैसे कोयला और तेल की आवश्यकताएं कुल मिलाकर स्वदेशी तौर पर पूरी की जाती हैं, जब अपरिहार्य हो जाता है तो आयात का सहारा लिया जाता है। स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न विद्युत केन्द्रों को ईंधनों की सप्लाई के स्रोतों का निर्धारण तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोणों और संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर समुचित ध्यान रखते हुए किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह किसी विशिष्ट कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं होती है।

सातवीं योजना के दौरान केरल का औद्योगिक उत्थान

3239. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक रूप से सबसे अधिक पिछड़ा राज्य कौन-सा है;

(ख) क्या इसके पिछड़ेपन के कारणों की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल के औद्योगिक उत्थान के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिकीकरण के स्तर के आधार पर विभिन्न राज्यों का वर्गीकरण विविध परिसीमाओं, धारणाओं और परिभाषाओं पर निर्भर करता है। कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों अर्थात् नवीनतम उपलब्ध उद्योगों के वर्ष 1982-83 के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर कारखाना क्षेत्र में कुल विनियोजित पूंजी, उत्पादन के मूल्य और शुद्ध वर्धित मूल्य की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) राज्य में उद्योगों की स्थापना करना सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। फिर भी, केन्द्र सरकार, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को कुछ प्रोत्साहन,

रियायतें, आयकर सम्बन्धी रियायतें, लाइसेंस देने में प्राथमिकता देकर उनके प्रयासों में योगदान देती है। ऐसी रियायतों, प्रोत्साहनों आदि का ब्यौरा दिनांक 9-4-1985 के प्रेस टिप्पण संख्या 14/2/83-बी० बी० ए०-1 के साथ पठित "इन्सेन्टिव्स फार इण्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिआज-अप्रैल 1984" नामक पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। राज्य सरकारें/वित्तीय संस्थान उद्यमियों को पहले केन्द्रीय राजसहायता वितरित कर देती हैं और बाद में वे केन्द्रीय सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करती हैं। वर्ष 1985-86 (फरवरी, 1986 तक) के दौरान केरल को 1.66 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के लिए राज्यवार विनियोजित पूंजी, उत्पादन का मूल्य और शुद्ध वर्धित मूल्य

करोड़ रुपये में

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1982-83		
		विनियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	शुद्ध वर्धित मूल्य
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3572.56	4747.38	1015.85
2.	असम	557.29	676.92	153.30
3.	बिहार	5962.54	5701.25	1123.18
4.	गुजरात	5660.31	10235.13	1524.48
5.	हरियाणा	1760.70	2818.34	519.69
6.	हिमाचल प्रदेश	517.15	252.92	136.15
7.	जम्मू और काश्मीर	171.41	167.46	36.14
8.	कर्नाटक	2708.74	3552.03	813.92
9.	केरल	1692.66	2487.73	483.79
10.	मध्य प्रदेश	4542.27	3611.76	956.18

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	10796.86	18999.53	3600.63
12.	मणिपुर	3.04	2.82	0.91
13.	मेघालय	92.54	39.11	9.47
14.	नागालैण्ड	0.05	0.19	0.03
15.	उड़ीसा	1761.34	1253.88	361.08
16.	पंजाब	2457.45	3431.48	457.91
17.	राजस्थान	2305.23	2086.47	395.28
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	5041.58	9008.53	1690.70
20.	त्रिपुरा	17.30	20.31	5.93
21.	उत्तर प्रदेश	6853.83	7169.43	1495.07
22.	पश्चिम बंगाल	5284.35	7396.67	1634.14
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.28	16.60	3.45
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	26.39	110.47	18.59
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	887.22	1948.57	271.66
28.	गोआ दमण एण्ड दीव	246.55	396.61	73.82
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—
31	पाण्डिचेरी	53.16	106.09	22.28

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का एक होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्गत समूहीकरण

3240. डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के तीन उद्यमों, अर्थात् हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को एक होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्गत समूहबद्ध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो होल्डिंग कम्पनी प्रणाली लागू करने से प्रथम दो कम्पनियों को होने वाले घाटे में कितनी कमी होने तथा उनकी कार्यकुशलता बढ़ने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस प्रकार का कोई निणय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों के लिए कृत्रिम स्वाद और रंगों का उत्पादन

3241. डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े मध्यम और लघु क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में प्रयोग के लिए कृत्रिम स्वाद रंगों और इस प्रकार की अन्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले एककों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह काफी लाभ वाला उपभोक्ता उद्योग है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी किसी स्तर पर इस प्रकार की कंपनियों के उत्पादनों की लागत लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रकार के कृत्रिम स्वादों के बाजार बिक्री के लिए रखे जाने से पूर्व इनके कृत्रिम तत्वों की जांच करने के लिए कोई अभिकरण है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत स्वाद और रंगों का उपयोग नियंत्रित है। सम्बन्धित राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा आवश्यक जांच आदि की जाती है।

विवरण

संगठित क्षेत्र में निम्न एकक कृत्रिम स्वादों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं :—

1. मैसर्स इंडस्ट्रियल परफ्यूम्स लि०,
   हैदराबाद रोड, सेवरी, बम्बई।

2. मै० नार्वन इंडिया लि०,
   मीकर चैम्बर 4, नरीमन पाइंट, मद्रास।

3. मै० मास्मैजर एरोमैटिक्स (एंडिया) लि०,
   3, लीथ कैसल, नार्थ स्ट्रीट, मद्रास।

4. मै० बुश बोक एलेन (इंडिया) लि०,
   3, सेंट थामस माउंड, मद्रास।

5. मै० दि कलकत्ता कैमिकल कं० लि०,
   35, पन्डितिया रोड, कलकत्ता।

6. मै० एस० एस० केलकर, एंड कं० बम्बई।

2. मै० हिकसन एंड दादाजी लि०, बम्बई खाद्य उत्पादों के लिए रंगों का निर्माण कर रहे हैं।

3. लघु क्षेत्र में, अधिकांश एकक केवल स्वादों का निर्माण कार्य ही कर रहे हैं, ऐसा समझा जाता है। लघु क्षेत्र के एककों के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बम्बई और विशाखापत्तनम स्थित तेल शोधक कारखानों का विस्तार

3242. श्री आर० एम० भोये
श्री वी० बी० देसाई } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन का विचार बम्बई और विशाखापत्तनम स्थित अपने तेल शोधक कारखानों की शोधन क्षमता का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या परियोजनाओं का कोई तकनीकी अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो बम्बई और विशाखापत्तनम तेल शोधक कारखानों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन में हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं तथा क्या योजना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं

3243. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सातवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में प्रदान की जाने वाली टेलीफोन सुविधा (लंबी दूरी के पी० सी० ओ०) का ब्यौरा निम्न प्रकार है। इस योजना के लिए निधि की व्यवस्था सम्बन्धित सर्किलों के लिए की गई एक मुश्त अनुदान से की जाएगी।

सर्किल	7वीं योजना में लंबी दूरी के पी० सी० ओ०
मध्य प्रदेश	556
उड़ीसा	180

आंध्र प्रदेश	25
राजस्थान	130

लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करना

3244. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए कुल कितना निवेश किया जाना अपेक्षित है; और

(ग) क्या लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उन क्षेत्रों में जहां बड़े सीमेंट संयंत्र नहीं लगाए जा सकते 100/200 मी० टन प्रति दिन तक की क्षमता वाले मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की अनुमति प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर दी जा सकती है। सम्बन्धित राज्य सरकार से इस आशय के एक प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। सामान्यतया वर्टिकल शाफ्ट किलन प्रौद्योगिकी पर आधारित संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) नेशनल कांउसिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स (उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन) के अनुमानों के अनुसार, मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रति मी० टन अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता के लिए औसत निवेश निम्न प्रकार होगा :—

(i) सीमेंट अनुसंधान संस्थान की वर्टिकल शाफ्ट किलन प्रौद्योगिकी पर आधारित	687 रु०
(ii) रोटरी किलन प्रौद्योगिकी पर आधारित 200 मी० टन प्रति दिन की क्षमता मिनी सीमेंट संयंत्र	1500 रु०

(ग) मिनी सीमेंट संयंत्र वित्तीय सहायता सीधे सरकार से न प्राप्त करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे सरकारी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करते हैं। तथापि, सरकार ने इन एककों को मूल्य और वितरण नियंत्रणों की प्रक्रिया से छूट दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े सीमेंट संयंत्रों, जिनके लिए ऐसे नियंत्रण लागू होते हैं, की तुलना में इन्हें कुल लागत में लाभ होता है। अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने वाले उद्यमी, अन्य उद्यमियों की तरह ही, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजनाओं के अनुसार केन्द्रीय राजसहायता पाने के पात्र हैं।

पदों के भरने और नए पद बनाने पर प्रतिबन्ध

3245. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदों के भरने और नए पद बनाने पर प्रतिबन्ध के दौरान डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जा सकता है, यदि इसमें एक उप डाकघर/प्रधान डाकघर से किसी अन्य डाकघर में पदों का अन्तर अन्तर्ग्रस्त हो और नए पद न बनाये जाने हों और रिक्त पदों को न भरा जाना हो;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के ऐसे कितने प्रस्तावों पर विचार किया गया और कितने प्रस्ताव मंजूर किये गये; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें मंजूर करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी नहीं। पदों के सृजन पर रोक लगे रहने के दौरान किसी उप डाकघर/प्रधान डाकघर के पदों को दूसरे डाकघर में ले जा कर दर्जा बढ़ाने की अनुमति नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं

हमीरपुर और जालंधर के बीच सीधा दूरसंचार सम्पर्क

3246. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमीरपुर और जालंधर के बीच सीधा दूरसंचार सम्पर्क स्थापित करने की योजना का कार्य अब तक आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस तारीख को आरम्भ किया गया था और इसके किस तिथि तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त परियोजना के किस तारीख तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी, हां।

(ख) भवन तथा टावर संस्थापना कार्य जनवरी, 1986 में पूरा हो चुका है। उपस्कर संस्थापन तथा निर्माण कार्यों को फरवरी, 1986 से हाथ में ले लिया गया है। इस योजना को 1986-87 के दौरान चालू करने का लक्ष्य है।

(ग) लागू नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में प्रधान डाकघर का भवन तथा डेरा में नए भवन का निर्माण

3247. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में प्रधान डाकघर भवन की तीसरी मंजिल और डेरा में प्रधान कार्यालय का नया भवन बनकर पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग द्वारा इस भवन पर किस तारीख तक कब्जा कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और किस तारीख तक इनके बनकर पूरा होने की सम्भावना है और प्रत्येक मामले में निर्माण पर कितनी अनुमानित लागत आई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) देहरा गोपीपुर प्रधान डाकघर का एक महीने के भीतर कब्जा ले लिए जाने की सम्भावना है। हमीरपुर प्रधान डाकघर इमारत का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

(ग) देहरा गोपीपुर प्रधान डाकघर के सम्बन्ध में विलम्ब का कारण टेलीफोन एक्सचेंज भवन खाली न होना तथा सीमेंट का अभाव है। देहरा गोपीपुर प्रधान डाकघर के निर्माण की अनुमानित लागत 22.22 लाख रुपए है और इसके एक महीने के भीतर पूरा होने की सम्भावना है। हमीरपुर डाकघर की इमारत का विस्तार करने पर अनुमानित लागत 6.81 रु० आएगी। इस इमारत के किस हिस्से का विस्तार किया जाना है, उसके छः महीने के भीतर शुरू किये जाने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र में पश्चिम जर्मनी की सहायता से टैक्नो-इण्डस्ट्रियल पार्क स्थापित करना

3248. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी सहायता से एक टेक्नो-इण्डस्ट्रियल पार्क स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में पश्चिमी जर्मनी के तकनीकी सहयोग से टेक्नो-इण्डस्ट्रियल पार्क स्थापित करने सम्बन्धी

कोई भी प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

उपभोक्ताओं को दिए गये खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

3249. श्री हन्नान मोल्लाह
श्रीमती बसवराजेश्वरी } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार देश भर में उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के राज्य-वार कितने कनेक्शन दिये गये हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के, राज्य-वार कितने कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में बनाये गये विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान 80 से 90 लाख उपभोक्ताओं के नामांकन का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,18,350	1,01,106	1,73,658	1,81,000
2.	असम*	45648	46,736	24,951	[illegible]
3.	बिहार	28,662	66,625	46,924	52,800
4.	गुजरात	1,15,377	1,79,959	1,63,096	1,86,000
5.	हरियाणा	41,083	40,895	31,224	35,200

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	8,424	4,934	10,004	11,000
7.	जम्मू और कश्मीर	7,600	6,331	11,657	18,600
8.	कर्नाटक	81,857	87,158	78,032	74,500
9.	केरल	34,370	52,221	57,865	66,000
10.	मध्य प्रदेश	66,907	1,30,145	85,336	1,25,000
11.	महाराष्ट्र	2,22,198	2,22,150	2,58,121	3,00,200
12.	मणिपुर	2,277	803	1,059	1,000
13.	मेघालय	1,047	13	217	1,000
14.	नागालैंड	405	127	259	1,000
15.	उड़ीसा	9,871	18,370	6,508	30,500
16.	पंजाब	94,186	66,622	54,770	48,000
17.	राजस्थान	78,985	59,630	32,916	40,200
18.	सिक्किम	229	251	395	1,000
19.	तमिलनाडु	1,42,741	2,30,974	1,71,096	1,48,000
20.	त्रिपुरा	433	626	816	4,000
21.	उत्तर प्रदेश	1,83,149	1,62,324	1,45,808	1,21,000
22.	वैस्ट बंगाल	26,728	1,92,588	30,279	81,300
	संघ राज्य क्षेत्र				
23.	अरुणाचल प्रदेश	593	383	193	1,000
24.	चण्डीगढ़	11,600	12,162	12,509	8,200
25.	दिल्ली	90,408	95,928	1,01,403	65,000
26.	मिजोरम	645	812	187	1,000
27.	पांडिचेरी	3,661	2,854	3,443	2,500

1	2	3	4	5	6
28.	गोवा	10,270	18,999	12,130	14,000
29.	दादर और नगर हवेली	800	500	300	2,000

*ए० ओ० डी० के आंकड़े शामिल हैं।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की भण्डारण क्षमता बढ़ाना

3250. श्री के० प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा यह बात उनके मन्त्रालय की जानकारी में गई है कि उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के पास डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, फरनेस आयल आदि की भण्डारण और हैंडलिंग क्षमता अपर्याप्त है और वहां राज्य जो, हल्दिया और विशाखापत्तनम तेल शोधक कारखानों पर निर्भर है और कई बार रेल यातायात की अस्थाई तौर पर अस्त-व्यस्त हो जाने से वहां तेल की कमी हो जाती है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने और सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचा तैयार करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

वर्तमान भण्डारण क्षमता तथा इसे बढ़ाने की स्कीमों (चरण-I और चरण-II-क) का काम पहले से ही चल रहा है तथा 1986-87 के अन्त तक ये मोटर स्प्रिट के लिये 19 दिन मिट्टी के तेल के लिए, 21 दिन तथा हाई स्पीड डीजल के लिए 26, दिन के भण्डारण की व्यवस्था करेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के सिवाय उन नए प्रस्तावों के जिन्हें कार्यात्मक रूप से आवश्यक समझा जायेगा, हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

हल्दिया तथा विजाग दोनों स्थानों से उड़ीसा के डिपुओं के लिए रेल साधन काफी सुदृढ़ हैं तथा पिछले एक वर्ष के दौरान सप्लाई में कोई बड़ा विघ्न नहीं देखा गया है। हल्दिया तथा विजाग से रेलों के आवागमन में स्थानीय रुकावटें अवश्य आती हैं जिन्हें अधिकतर देहाती स्थानों तक सड़क के आवागमन द्वारा पूरा कर लिया जाता है।

उड़ीसा को लेवी सीमेंट का आवंटन

3251. श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को इस समय प्रति तिमाही लेवी सीमेंट की कितनी मात्रा का आवंटन किया जाता है; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से उनका आवंटन बढ़ाने का अनुरोध करती रही है क्योंकि वर्तमान मात्रा का काफी बड़ा भाग काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए नियत किये जाने के कारण यह विभिन्न क्षेत्रों में इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उड़ीसा को सीमेंट का वर्तमान मूल तिमाही आवंटन 67,800 मी०टन है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत 810 मी०टन आवंटित किए जाते हैं। इसके अलावा, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए तिमाही आवंटन केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

(ख) सीमेंट के लिए राज्य सरकारों की आवश्यकताएं नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती हैं। फरवरी, 1984 में उड़ीसा सरकार ने 1,01,800 मी०टन के अपने तिमाही आवंटन की तुलना में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए किए गए आवंटन के अतिरिक्त अपने मूल तिमाही आवंटन में वृद्धि की मांग की थी। लेवी सीमेंट की प्रत्याशित उपलब्धता की समीक्षा के पश्चात् उनका मूल तिमाही आवंटन अक्तूबर-दिसम्बर, 1984 से बढ़ाकर 67,800 मी०टन कर दिया गया था।

कोंकण क्षेत्र में टेलीफोन संचार व्यवस्था में सुधार

3252. प्रो० मधु दंडवते : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्र कोंकण में सिंधुदुर्ग तथा रत्नगिरि जिलों और इसके बाहर के क्षेत्रों के साथ टेलीफोन संचार व्यवस्था गत अनेक वर्षों से बहुत ही असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इस असंतोषजनक संचार व्यवस्था के कारण क्या हैं; और

(ग) कोंकण क्षेत्र और इसके बाहर के क्षेत्रों के साथ टेलीफोन संचार व्यवस्था में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। सिंधुदुर्ग तथा रत्नगिरि जिलों के बीच टेलीफोन संचार आमतौर पर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रत्नगिरि से बम्बई के लिए माइक्रोवेव माध्यम से एस०टी०डी० सुविधा चालू कर दी गई है।

सावंतबड़ी से बम्बई के लिए सीधे आउटलेट की व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है।

नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पूरी करने के उपाय

3253. श्री मोहन भाई पटेल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी सीधी एक्सचेंज लाइनें हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश में टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-1-1986 को देश में सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या 30,19,359 थी।

(ख) देश में टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा जहां कहीं सम्भव हो मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हो सकें।

सोलर फोटोवोल्टाइक क्रिस्टल्स के लिए क्रिस्टल्स और वैफर्स के आयात पर शुल्क समाप्त करना

3254. श्री रेणुपद दास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलर फोटोवोल्टाइक क्रिस्टल्स के लिए क्रिस्टल्स और वैफर्स के आयात पर शुल्क समाप्त करने और सोलर क्रिस्टल्स के आयात पर शुल्क कम किए जाने सम्बन्धी सरकारी अधिसूचना से सिलिकोन मोनोक्रिस्टल्स और वैफर्स का निर्माण करने वाले प्रमुख, स्वदेशी उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त अधिसूचना के बाद स्वदेशी सिलिकोन उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपने पहले के निर्णय की पुनरीक्षा करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार को सिलिकान सिल्ली और पटालिकाओं के स्वदेशी निर्माताओं के यह मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सौर सैल उत्पादन के लिए प्रयुक्त इस प्रकार की पटालिकाओं और सिल्लियों के आयात पर लगने वाले शुल्क को समाप्त

करने वाली यह अधिसूचना उनकी क्षमता और आनुषंगिक वित्तीय समस्या के प्रयोगाधीन होने के कारण हैं।

(ग) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की लागत को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस स्तर पर सौर सैल उत्पादन के लिए प्रयुक्त सिलिकान सिल्लियों और पटालिकाओं पर सीमा शुल्क लगाने को उपयुक्त नहीं समझती है। फिर भी, स्वदेशी निर्माताओं को अपनी क्षमता के अच्छे उपयोग को शक्ति प्रदान करने के लिए सभी संभव सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। सिलिकॉन निर्माताओं और प्रकाशवोल्टीय उद्योग के प्रतिनिधियों की एक बैठक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा अभी हाल ही में बुलाई गई जहां स्वदेशी निर्माताओं की समस्याओं पर चर्चा हुई और उद्योग को सहायता देने के लिए विभिन्न छोटी अवधि के और लम्बी अवधि के उपाय निर्माताओं और अन्य संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

दिल्ली में एक भारी उद्योग को औद्योगिक प्लाट का आबंटन

3255. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के उद्योग विभाग ने पिछले वर्ष बादली (दिल्ली) में लगभग 2 एकड़ का औद्योगिक प्लाट 19.36 लाख रुपए में आबंटित किया है;

(ख) क्या यह प्लाट 500 वर्ग गज की अनुमत सीमा से अधिक क्षेत्र का प्लाट है;

(ग) क्या यह एक भारी उद्योग को आबंटित किया गया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए अनुमति दी है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम)) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन विभाग द्वारा सब स्टेशन शिकायत सेलों की स्थापना

3256. श्री मानिक रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में विद्यमान सब स्टेशन शिकायत सैलों की भांति दिल्ली में टेलीफोन विभाग में सब स्टेशन शिकायत सैल नहीं है जिससे कर्मचारियों को शिकायतों का

तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटारा करने में भारी कठिनाई होती है;

(ख) क्या टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों को रोशनी करने और फाल लगाने के लिए अपने चलते फिरते जनरेटर और छोटे उपकरण साथ ले जाने पड़ते हैं;

(ग) क्या टेलीफोन विभाग द्वारा ऐसी पृथक व्यवस्था किए जाने तक इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की सुविधाओं का लाभ उठाना संभव नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार महानगरों और बड़े शहरों में प्रत्येक बड़े टेलीफोन एक्सचेंज के लिए सलाहकार समितियां और जिलों में शीर्ष समितियां स्थापित कर टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली में टेलीफोन सेवा के विषय में शिकायतें प्रत्येक एक्सचेंज क्षेत्र के लिए मुहैया एक दोष निवारक सेवा (198) केन्द्र पर प्राप्त की जाती है। तब शिकायतों को दूर करने के लिए तत्सम्बन्धी दोषों को तुरंत संबद्ध फील्ड स्टाफ को सौंप दिया जाता है।

(ख) टेलीफोन स्टाफ के निर्माण/अनुरक्षण स्टाफ को टांका लगाने संबंधी गाज (बोल्ट) मुहैया की जाती है जोकि ब्लो लैम्प द्वारा गर्म की जाती है। उक्त स्टाफ को किसी जनरेटर की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) यह संभव नहीं है कि टेलीफोन विभाग के कर्मचारी डेसू के साथ सुविधाओं का लाभ उठाएं क्योंकि कार्यस्थल एवं आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं।

(घ) टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियों के टी० ए० सी० सदस्यों में से क्षेत्रीय प्रबंधक/निदेशक दूरसंचार स्तर पर उप समितियों के गठन के लिए अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

3257. **डा० डी० एन० रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल 0.5 प्रतिशत ग्रामीण जनता को ही मानव मल के व्ययन के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है और बाकी लोग खुले में ही निवृत्त होते हैं;

(ख) क्या चीन की भांति बड़े पैमाने पर सामुदायिक बायोगैस संयंत्र सफाई बनाए रखने में सहायक होंगे, यदि हां, तो क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) वास्तव में कितने बायोस गैसयंत्र लगाए गए हैं और कितने संयंत्र वास्तव में कार्य कर रहे हैं और प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी गैस तैयार होती है; और

(घ) भारत में प्रतिवर्ष कितनी गैस निकलती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं। छठी योजना के आरम्भ में 0.5 प्रतिशत जनसंख्या के लिए शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध थीं तथापि अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वास्थ्य-रक्षा दशक की मध्य अवधि समीक्षा प्रकट करती है कि 1984-85 तक 0.72 प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिए शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध थीं।

(ख) सामुदायिक शौचालयों से जुड़े हुए 45 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही पूरे किये जा चुके हैं तथा इस प्रकार के लगभग 30 और बड़े संयंत्र निर्माणाधीन हैं। केवल मानव मल पर आधारित बड़े आकार के बायोगैस संयंत्र भी बनाए जा रहे हैं। बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों को शौचालयों के साथ जोड़ने को अब प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) 5.5 लाख बायोगैस संयंत्र जनवरी, 1986 तक स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 4.5 लाख संयंत्र 1981-82 तक बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत निर्मित किए गए हैं; इन संयंत्रों का स्वतन्त्र मूल्यांकन दर्शाता है कि 85 प्रतिशत से अधिक संयंत्र अखिल-भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यह अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 56 करोड़ क्यूबिक मीटर बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है।

(घ) 1984-85 के दौरान लगभग 305.2 करोड़ क्यूबिक मीटर कृत्रिम गैस निकली। पैट्रोलियम विभाग द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप इस वर्ष इस मात्रा में महत्वपूर्ण कमी होने की संभावना है।

गलगण्ड रोग से प्रभावित क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की कमी

3258. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में गलगण्ड रोग से प्रभावित क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की कमी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ग) आयोडीन युक्त नमक का राज्य-वार उत्पादन और उसका विक्रय क्या है और क्या यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त है;

(घ) क्या भारतीय मानक संस्थान या अन्य किसी ऐसी एजेन्सी ने बाजार में आयोडीन युक्त नमक का परीक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) यद्यपि आयोडीन युक्त नमक की अत्यधिक कमी के बारे में किसी राज्य से भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, कुछेक क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की अनुपलब्धता और/या कम माल उठाना, प्रेषण में देरी और वैगनों की आपूर्ति आदि के बारे में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सरकार अच्छी तरह जानती है कि आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन पर्याप्त रूप में किया जाना है और गण्डमाला रोग से प्रभावित क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों को इसकी आपूर्ति की जानी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गण्डमाला रोग नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान देश की समूची आबादी के उपयोग के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम में खाद्य नमक की समस्त मात्रा को आयोडीन युक्त करने का निर्णय किया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र को भी आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन करने की अनुमति देकर आयोडीन युक्त नमक की उत्पादन क्षमता और उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। प्राथमिकता वाली श्रेणी के अन्तर्गत अधिक वैगन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। रेलवे से आयोडीन युक्त नमक के उत्पादकों के लिये रेलवे वैगनों का विशेष कोटा आबंटित करने के लिये भी अनुरोध किया गया है।

(ग) 1985 का आयोडीन युक्त नमक का राज्यवार उत्पादन निम्न प्रकार है :

	(हजार टनों में)
राजस्थान	102.5
गुजरात	190.3
तमिलनाडू	17.4
असम	16.4
पश्चिम बंगाल	8.9
हिमाचल प्रदेश	0.3
योग :	335.8

आयोडीन युक्त नमक की बिक्री राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई दरों पर गैर-सरकारी और सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती है। 1985 में आयोडीन युक्त नमक की बिक्री से

सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन उपभोक्ता केन्द्रों से आने वाली मांग तक सीमित है।

(घ) नमक विभाग में आयोडीन की मात्रा का निर्धारण करने के लिये विनिर्माण केन्द्रों और कभी-कभी बाजार में आयोडीन युक्त नमक के नमूनों का परीक्षण करता है। भारतीय मानक संस्थान परिवहन और भण्डारण पर आयोडीन की मात्रा के संधारण से संबंधित कुछेक परीक्षण कर रहा है। राज्य सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आयोडीन युक्त नमक की जांच करती है।

(ङ) नमक विभाग के विश्लेषण परिणामों का आयोडीनकृत नमक के अपेक्षित स्तर को बनाये रखने के लिये उत्पादन नियंत्रण के लिये ही उपयोग किया जाता है। अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियोगों से सम्बन्धित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

मारुति उद्योग द्वारा बेचे गये वाहन और व्यापारियों को कमीशन दिया जाना

3259. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा अब तक कितने वाहनों की बिक्री की गई है और व्यापारियों को कितना कमीशन दिया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा 28-2-1986 तक 69581 वाहनों की सप्लाई की गई थी। डीलरों को दिए गये कमीशन का वाहन-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

मारुति-800	2000 रुपये प्रति वाहन
मारुति-800 डी एक्स	2500 रुपये प्रति वाहन
मारुति-8000 वीटी	2000 रुपये प्रति वाहन
जिप्सी	2500 रुपये प्रति वाहन

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सार्वजनिक हित के मामले

3260. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक हित के मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) ऐसे कितने मामले स्वीकार किए गए हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं; और

(ग) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा कितने मामले निपटाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी निम्नलिखित है :

"वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान क्रमश: 76, 106 और 126 मामले संस्थित किए गए हैं। ऐसे 179 मामले निपटा दिए गए हैं और 311 मामले लंबित हैं। ग्रहण किए गए मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।"

पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में संस्थित किए गए, निपटाए गए और ग्रहण किए गए मामलों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

3261. **श्री थम्पन थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं : राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा दूरसंचार विभाग में कम्प्यूटरों का प्रयोग

3262. **श्री थम्पन थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में कम्प्यूटरों का प्रयोग किये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस विभाग में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या अन्य अवसर पैदा किए जा रहे हैं?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

एक समान विद्युत टैरिफ समिति का प्रतिवेदन

3263. श्री थम्पन थामस : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समान विद्युत टैरिफ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या अनेक राज्यों ने शिकायत की है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कुछ क्षेत्रों की तुलना में अन्य अनेक क्षेत्रों में अधिक दर पर प्रभार वसूल कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो एक समान दर/टैरिफ के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली विद्युत की टैरिफ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच भिन्न-भिन्न होती है जो कि परियोजनाओं की पूंजीगत लागत, ईंधन की लागत, ओ० एण्ड एम० लागतों आदि जैसे पहलुओं पर निर्भर करती है।

(ग) समिति द्वारा रिपोर्ट हाल ही में 26 फरवरी, 1986 को प्रस्तुत की गई है।

एर्नाकुलम में टेलीफोन कनेक्शन

3264. प्रो० के० वी० थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(ख) सभी आवेदकों को कब तक टेलीफोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1-2-86 की स्थिति के अनुसार एर्नाकुलम में 7955 आवेदन लम्बित पड़े हैं।

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को आठवीं योजना के प्रारंभ तक उत्तरोत्तर निपटाये जाने की संभावना है।

एर्णाकुलम को एस० टी० डी० द्वारा विदेशों के साथ जोड़ना

3265. प्रो० के० वी० थामस : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज को एस० टी० डी० द्वारा विदेशों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो एर्णाकुलम विदेशों के लिए यह एस० टी० डी० सेवा कब शुरू की जायेगी; और

(ग) एर्णाकुलम जिले में विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) एर्णाकुलम से विदेशों के लिए एस० टी० डी० सेवा 1987 तक सुलभ कराने की संभावना है।

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग (एन० एस० डी०) नेटवर्क के सभी स्थानों पर आई० एस० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी। अलवे, अंगमाली, एर्णाकुलम, काठ-मंगलम, मवातुपुझा, नरक्कल तथा एर्णाकुलम जिले के पेरम्बूर में एन० एस० डी० नेटवर्क पहले से ही उपलब्ध है। चालू योजना अवधि के दौरान कोल्लेनचेरी को इस नेटवर्क में लाये जाने की योजना है।

[हिन्दी]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ बिजली घर का बंद होना

3266. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का इन्द्रप्रस्थ बिजली घर बन्द होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इसे चलाने में असमर्थ है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इसे चालू रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र को काफी कुशलतापूर्वक चला रहा है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में तेल के भंडार

3267. श्री रेणुपद दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले ही पश्चिम बंगाल में तेल के भारी भंडार का पता लगा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान अथवा उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान के लिए मिट्टी के तेल की कमी

3268. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि के पश्चात राजस्थान के अधिकतम क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो मिट्टी के तेल की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान को मिट्टी के तेल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान चार महीनों के ब्लाक के आधार पर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में आवंटित मात्रा में 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर के लगाया जाता है तथा उस हिसाब से आवंटन किया जाता है। नवम्बर 1985 से फरवरी 1986 की सर्दियों के मौसम तथा मार्च-जून 1986 की गर्मियों के मौसम के लिए मिट्टी के तेल की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रमश: $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वृद्धि दे करके आवंटन किया गया है।

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें प्रयोग करना

3269. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए चुनाव सम्बन्धी कानूनों को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में मत पत्रों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें प्रयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी मशीनों का प्रायोगिक आधार पर कब तथा कहां प्रयोग किया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप मतदाताओं की संख्या में वृद्धि से देश के वित्तीय और प्रशासनिक साधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्वाचन कराने में प्रशासनिक व्यय को कम करने की दृष्टि से सरकार मतपत्रों द्वारा मतदान की विद्यमान पद्धति को बदलने के लिए इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें आरम्भ करने के एक प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है।

(ग) ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	निर्वाचन की प्रकृति	उस सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसमें मतदान मशीनें उपयोग की गई हैं	निर्वाचन का वर्ष
1	2	3	4
1. केरल	साधारण	परूर	1982
2. नागालैंड	—यथोक्त—	उत्तरी अंगामी	1982
3. आंध्र प्रदेश	—यथोक्त—	शाटनगर	1983
4. कर्नाटक	—यथोक्त—	शान्ति नगर	1983
5. त्रिपुरा	—यथोक्त—	बनमालीपुर	1983
6. दिल्ली (दिल्ली महानगर परिषद	—यथोक्त—	सरोजिनी नगर	1983
7. दिल्ली	—यथोक्त—	गोल मार्केट	1983
8. दिल्ली	—यथोक्त—	दिल्ली छावनी	1983
9. अरुणाचल प्रदेश	उप निर्वाचन	रोइंग	1983
10. बिहार	—यथोक्त—	चंडी	1983
11. त्रिपुरा	—यथोक्त—	चारिलाम	1983

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन

3270. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिला-वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं;

(ख) क्या सरकार का उक्त राज्य में सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) टोंक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं;

(घ) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है; और

(ङ) उस निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन लगवाने हेतु कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की जिलेवार सं० संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार टोंक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैंतीस लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर काम कर रहे हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) इस निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा के बारे में कोई मांग लंबित नहीं पड़ी है।

विवरण

31-3-1985 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की जिले-वार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सं०
1	2	3
1.	अजमेर	25
2.	अलवर	58
3.	बांसवाड़ा	38
4.	बाड़मेर	49
5.	भरतपुर और धोलपुर	41
6.	भीलवाड़ा	39

1	2	3
7.	बीकानेर	12
8.	बूंदी	11
9.	चित्तौड़गढ़	33
10.	चूरु	33
11.	डूंगरपुर	41
12.	जयपुर	60
13.	जैसलमेर	12
14.	जालौर	27
15.	झालावाड़	16
16.	झुनझुनू	52
17.	जोधपुर	64
18.	कोटा	16
19.	नागौर	72
20.	पाली	22
21.	सवाई माधोपुर	47
22.	सीकर	73
23.	सिरोही	11
24.	श्रीगंगानगर	47
25.	टोंक	21
26.	उदयपुर	76

[अनुवाद]

चीन के साथ उनके सीमेंट संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए समझौता

3271. श्री पी० एम० सईद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के सीमेंट संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने में उसकी मदद हेतु उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चीन ने भी परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर भारतीय उद्योग को कोई व्यापार सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सीमेंट संयंत्रों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार और चीन (पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना) की सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। किन्तु चीन के सीमेंट तथा सहायक उद्योगों का अध्ययन करने के वास्ते सीमेंट तथा भवन सामग्री राष्ट्रीय परिषद का एक शिष्टमंडल नवम्बर, 1984 में चीन गया था। इसी प्रकार का शिष्टमंडल चीन से भी भारत आया था जिसके साथ सीमेंट तथा भवन सामग्री राष्ट्रीय परिषद ने सहबद्ध क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत की थी।

(ग) भारत और चीन ने 15-8-84 को एक एम० एफ० एन० किस्म के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने हेतु दोनों सरकारें पारस्परिक आधार सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गई हैं। 1986 के दौरान 1000-1600 लाख अमेरिकी डालरों की चुनी हुई वस्तुओं के विनिमय हेतु नवम्बर, 1985 में इन दोनों सरकारों द्वारा एक व्यापार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

तेल की खोज में विदेशी सहयोग

3272. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल की खोज करने के लिए संयुक्त सहयोग करने के सम्बन्ध में विदेशी फर्मों को पिछली पेशकशों की तुलना में अधिक आकर्षक पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसके वास्तविक परिणाम क्या निकले हैं; और

(ग) क्या सहयोग संबंधी करारों के अन्तर्गत तेल क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी को भी अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) तेल कम्पनियों से अधिक से अधिक प्रतिवचन प्राप्त करने के लिए भारत में तेल की खोज हेतु बोलियों के तीसरे दौर के लिए लोचदार दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया है। उत्पादन में

हिस्सेदारी के आधार पर एक ऐसे अनुबन्ध की परिकल्पना की गई है जिसमें भूकम्पीय विकल्प हो, हस्ताक्षर और उत्पादन बोनस न हो, रायल्टी के लिए भुगतान न हो, 50 प्रतिशत तक निगमित आय-कर हो, वार्षिक कार्यक्रम के केवल कुछ प्रतिशत तक के लिए बैंक गारन्टी प्राप्त करना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने तक ठेकेदार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर समस्त लागत तेल और लाभ तेल सरकार को देना होगा।

अभी तक बोलियां आमंत्रित नहीं की गई हैं।

हरियाणा को डीजल की सप्लाई

3273. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान हरियाणा में डीजल की मांग कितनी थी तथा वास्तव में डीजल की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई; और

(ख) हरियाणा में डीजल की सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) डीजल मुक्त बिक्री के आधार पर उपलब्ध है तथा इस उत्पाद का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन नहीं किया जाता। 1985 के दौरान हरियाणा को 5,01,668 मी० टन डीजल की सप्लाई की गई जबकि 1984 में यह 4,87,157 मी० टन थी।

(ख) जहां तक सम्भव हो, डीजल की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए तेल कम्पनियों को स्पष्ट आदेश हैं।

हरियाणा में ऊर्जा का विकास

3274. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में ऊर्जा के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : सातवीं योजनावधि के दौरान हरियाणा में निम्नलिखित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं/यूनिटों को चालू करने का कार्यक्रम है :—

(1) पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना	48 मेगावाट
(2) दादुपुर जल विद्युत स्कीम	10 मेगावाट

(3) पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-2		220 मेगावाट*
(4) पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-3		210 मेगावाट
	जोड़	488 मेगावाट

*110 मेगावाट की एक यूनिट को 1.11.1985 को चालू कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त सातवीं योजनावधि के दौरान क्षेत्र में चालू की जाने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं/यूनिटों से भी हरियाणा को इसका आबंटित हिस्सा प्राप्त होगा।

सातवीं योजनावधि के दौरान हरियाणा में ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित कई स्कीमें क्रियान्वित की जाएंगी। प्रमुख स्कीमें, गोबर-गैस, सौर-ऊर्जा, सुधरे हुए चूल्हे की किस्म के लिए प्रोत्साहन देना, पीने के पानी की सप्लाई और लघु सिंचाई के लिए पवन ऊर्जा का समुपयोजन करना और गैस के जरिए ऊर्जा पैदा करना तथा विद्युत उत्पादन करना। स्कीमों की संख्या प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा राज्य सरकारों या राज्य एजेंसियों/संस्थानों से प्राप्त हुई परियोजनाओं पर निर्भर करेगी।

हरियाणा में नए डाकघर खोलना

3275. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में नए डाकघर खोलने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) प्रत्येक डाक सर्किल (जिनका कार्यक्षेत्र सामान्यतया एक राज्य के सीमा क्षेत्र में होता है) में और सर्किल के भीतर प्रत्येक डाक मंडल में खोले जाने वाले नए डाकघरों की संख्या का निर्धारण वर्ष प्रति वर्ष आधार पर किया जाता है। 1985-86 के दौरान पदों के सृजन पर प्रतिबंध जारी रहा और इस तरह डाकघर खोलने की दिशा में किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया गया। वर्ष 1986-87 के लिए कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही स्थापित डाक नेटवर्क और लाइसेंस शुदा डाक एजेंसियों की नई प्रणाली के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं को ध्यान में रखना होगा। इसके अतिरिक्त डाक सेवाओं में हो रहे भारी घाटे को देखते हुए, पहले से ही लगाए गए संसाधनों के प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर महत्व दिया जाएगा

और आगे विस्तार के लिए केवल कुछ चुनिंदे पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों पर ही विचार किया जाएगा।

जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है इस राज्य में डाक नेटवर्क पर्याप्त रूप से सुविकसित हैं। पूरे देश में जहां एक डाकघर औसत रूप से 21.94 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है वहीं हरियाणा में मात्र 17.96 वर्ग कि० मी० में एक डाकघर से सेवा प्रदान की जा रही है।

भारतीय सीमेंट निगम के लेखाओं को अन्तिम रूप देना

3276. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम के वर्ष 84-85 के लेखाओं को अभी तक भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष, 1984-85 के लिये कार्पोरेशन के लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने का मुख्य कारण था कार्पोरेशन के एक एकक द्वारा उत्पादन आरम्भ करने की तारीख की व्याख्या में अन्तर होना। अब यह मामला सुलझा लिया गया है।

(ग) विगत में कार्पोरेशन के लेखों को अन्तिम रूप कम्पनी अधिनियम के अधीन निर्धारित कानूनी अवधि के भीतर दिया जाता रहा है। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि वर्ष 1984-85 के लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हो गया। किन्तु यदि भविष्य में फिर इसी प्रकार विलम्ब हुआ तब सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा जिले (उत्तर प्रदेश) में चौनोलिया और स्योनी में सार्वजनिक टेलीफोन

3277. श्री हरीश रावत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में चौनोलिया और स्योनी में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो ये टेलीफोन कब तक लगा दिए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उर्यूपक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मौजूदा नीति के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के आधार पर अल्मोड़ा जिले के चौनोलिया और स्योनी ग्रामों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का औचित्य नहीं बनता।

अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) जिले में शाखा डाकघर

3278. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में किन-किन स्थानों पर शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस जिले के लिए पहले स्वीकृत सभी शाखा डाकघर खोल दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर खोले गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में 1985-86 के दौरान कोई शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 1984-85 के दौरान भी, पदों के सृजन पर लगी पाबन्दी के कारण इस जिले के लिए किसी भी शाखा डाकघर की मंजूरी नहीं दी जा सकी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल बिक्री केन्द्र खोलना

3279. श्री हरीश रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में लोहाघाट में एक पेट्रोल-डीजल फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव व्यवहारिक पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवार के चयन हेतु कोई साक्षात्कार आयोजित किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बिक्री केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त बिक्री केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तेल चयन बोर्ड (उत्तर) ने इस खुदरा बिक्री केन्द्र के लिये इन्टरव्यू लिया है तथा चुने गये व्यक्ति को आशय पत्र जारी कर दिया गया है। आशा है कि निर्धारित प्रक्रियाओं के पूरा होने पर ये केन्द्र अगले कुछ महीनों में काम करना आरम्भ कर देंगे।

[अनुवाद]

बोरीवली (बम्बई) टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

3280. श्री अनूप चन्द शाह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बोरीवली में एक और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बोरीवली (बम्बई) के वर्तमान एक्सचेंज के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, हां। बोरीवली में 1989-90 के दौरान 6000 लाइनों की क्षमता वाला एक नया एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस एक्सचेंज को मई, 1986 तक चालू करने के लिए इसका 4000 से 5000 लाइनों में विस्तार करने का कार्य पहले से ही चल रहा है।

खाना पकाने की गैस के वितरकों को दिए गए कमीशन में वृद्धि

3281. श्री अनूप चन्द शाह
श्री विष्णु मोदी } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की लागत में वर्ष 1960 से 198 तक की अवधि के दौरान 37 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वितरकों के कमीशन में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाना पकाने की गैस के वितरकों को वितरण शुल्क दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1971 में दिल्ली में 15 किलो एल०पी०जी० के सिलिण्डर की कीमत 22.01 रुपये थी जबकि इस समय एक सिलिण्डर (14.2 कि० ग्राम) की कीमत 57.62 रुपये है।

(ख) एल०पी०जी० डीलरों को दी जाने वाली कमीशन में 1981 में संशोधन किया गया था। उसके बाद डीलर शिप के लाभ को बढ़ाने के लिए डीलर की रिफिल क्षमता को समय-समय पर बढ़ाया गया है। अक्तूबर, 1985 में यह अन्तिम बार बढ़ाया गया था।

(ग) और (घ) इस समय डीलर की कमीशन का हिसाब लगाते समय डिलीवरी प्रभारों को भी शामिल किया गया है।

सरकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना

3282. श्री शांताराम नायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कराने के लिए क्या उपाय किये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार का विशेष बल सरकारी उद्यमों की कार्य-कुशलता और उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जाता है, जिससे स्वाभाविक तौर पर उनकी प्रतिस्पर्धा स्थिति में सुधार होगा।

जिप फास्टनर्स के निर्माता

3283. श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के क्षेत्र में जिप फास्टनर्स के निर्माता एकक 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्योग में बड़े औद्योगिक घरानों को स्थान देने के लिए इसे अनारक्षित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस आशय के अभ्यावेदन मिलते रहे हैं कि जिप उद्योग को अनारक्षित किया जाना चाहिए और इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नई बिजली परियोजनाओं को मंजूरी

3284. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बिजली परियोजनाओं में असाधारण विलम्ब होता है;

(ख) क्या इस विलम्ब के कारणों और अर्थव्यवस्था पर इससे होने वाले प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई बिजली परियोजनाओं को निर्धारित समय में मंजूरी देने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) ई विद्युत परियोजनाओं में इनके निर्माण सम्बन्धी कार्यों के दौरान इनको पूरा करने में विलम्ब हुआ है। इनको चालू करने में पता लगाए गए विलम्ब के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं; निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता, कमजोर परियोजना प्रबंध, उपस्कर और सिविल कार्यों के लिए आर्डर देने में विलम्ब और औद्योगिक सम्बन्ध असन्तोषजनक होना आदि।

परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के कारण केवल परियोजना की लागत में ही वृद्धि नहीं होती है अपितु विद्युत उत्पादन भी कम होता है जिसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के कारण अर्थव्यवस्था में हुई हानि की मात्रा का सही-सही पता लगाना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) और (ङ) नई परियोजनाओं को स्वीकृत करने की अवधि विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जिसमें किए गए अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों की उपयुक्तता, समुचित आंकड़ों और परियोजना की रिपोर्ट में शामिल किए गए इंजीनियरिंग सम्बन्धी ब्यौरे की पर्याप्तता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग आदि की टिप्पणियों के उत्तरों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया शामिल है।

बिजली की बचत के लिए दूरदर्शन पर अभियान

3285. श्री के० एस० राव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी मात्रा में ऊर्जा की हानि उपभोक्ताओं को बिजली के उपयोग की सही जानकारी न होने के कारण होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को बिजली के सही उपयोग और इसकी बचत करने की शिक्षा देने के लिए टेलीविजन और अन्य प्रचार माध्यमों पर प्रभावी अभियान शुरू करने का है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ मात्रा में विद्युत की हानि होती है।

(ख) जी, हां।

आन्ध्र प्रदेश में सुपर ताप बिजली संयंत्रों की स्थापना

3286. श्री वी० तुलसीराम : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1985 को सुपर ताप बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कुल कितने सुपर ताप बिजली संयंत्रों का निर्माण पूरा होने वाला है/निर्माणाधीन है और चालू होने की प्रतीक्षा में है;

(ग) इस समय आंध्र प्रदेश में कितने सुपर ताप बिजली संयंत्रों के आगामी दो वर्षों में चालू होने की सम्भावना है और उसमे कितनी बिजली का उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में कितने सुपर ताप बिजली संयंत्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है, और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सात सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया है जिनके नाम हैं :—सिंगरौली (5 × 200 + 2 × 500 मेगावाट), कोरबा (3 × 200 + 3 × 500 मेगावाट), रामगुंडम (3 × 200 + 3 × 500 मेगावाट), फरक्का (3 × 200 + 2 × 500 मेगावाट), विंध्याचल चरण-I (6 × 210 मेगावाट), रिहन्द चरण-I (2 × 500 मेगावाट) और कहलगांव चरण-I (4 × 210 मेगावाट)। 31 दिसम्बर, 1985 तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सिंगरौली में 5 × 200 मेगावाट यूनिट, कोरबा में 3 × 200 मेगावाट यूनिट तथा रामगुंडम में 3 × 200 मेगावाट यूनिट चालू किए जा चुके थे।

(ख) सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं को चालू किए जाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश में रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र का कोई यूनिट अगले दो वर्ष में चालू किए जाने की सम्भावना नहीं है। तथापि, रामगुंडम सुपर ताप-विद्युत केन्द्र के 500-500 मेगावाट के दो यूनिट सातवीं योजना के दौरान चालू किए जाने की सम्भावना है। योजनावधि के दौरान रामगुंडम परियोजना तथा सम्बद्ध पारेषण लाइनों के लिए 1010.7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण

वर्ष	चालू किए जाने वाले यूनिट
1986-87	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट
	फरक्का सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (पश्चिम बंगाल) में 2 × 200 मेगावाट
1987-88	सिंगरौली सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट
	कोरबा सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट
	विंध्याचल सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश) में 2 × 210 मेगावाट
	रिहन्द सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट
1988-89	कोरबा सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट
	रामगुंडम सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (आन्ध्र प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट
	विंध्याचल सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश) में 2 × 210 मेगावाट
	रिहन्द सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट

1989-90	कोरबा सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट
	रामगुंडम सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (आन्ध्र प्रदेश) में 1 × 500 मेगावाट
	विंध्याचल सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश) में 2 × 210 मेगावाट

आटोमोबाइल क्षेत्र में नये लाइसेंस के लिए अनुमति

3287. श्री बी० तुलसी राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आटोमोबाइल क्षेत्र में नये लाइसेंसों की अनुमति देना अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग प्रस्ताव स्थगित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में यात्री कारों के लिए जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) गाड़ियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश में मोटर गाड़ियों के निर्माण हेतु पर्याप्त क्षमता स्वीकृत कर दी गई है। इस बीच विदेशी सहयोग के लिए मानदण्डों को पुनरीक्षित किया जा रहा है जिससे स्वदेशीकरण हेतु और अधिक प्रतियोगिता और इंधन क्षमता प्राप्त हो सके।

उत्तर भारत में बिजली की कमी से औद्योगिक एककों को नुकसान

3288. श्री बी० तुलसी राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उत्तर भागों में बिजली की कमी से औद्योगिक एककों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय के अधीन कितने औद्योगिक एकक विद्युत की कमी से प्रभावित हुए हैं; और

(ग) बिजली की उपर्युक्त कमी के कारण उत्पादन में कितनी गिरावट हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण वर्ष 1982-83 में सर्वेक्षणाधीन 122 एककों के सम्बन्ध में 311.76 करोड़ रुपये और वर्ष 1983-84 में सर्वेक्षणाधीन 189 एककों के सम्बन्ध में 360.65 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन की हानि हुई।

उद्योग मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन आने वाले कुछ उद्योगों में बिजली की कमी के कारण हुई उत्पादन हानि सम्बन्धी सूचना निम्नलिखित है :—

उद्योग	हानि (करोड़ रुपयों में)	
	1982-83	1983-84
सीमेंट	90.94	68.86
कैल्सियम कारबाइड	4.30	16.29
रसायन	114.65	79.94
औषधि एवं भेषज	2.53	12.54
कागज और गत्ता	49.73	27.20
रबर	41.83	43.80

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा पता लगाए गए ऐसे क्षेत्र जहां उद्योग स्थापित किए जाएंगे

3289. श्री वी० तुलसी राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की बैठक हाल में नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में चर्चित विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बैठक में पता लगाए गए ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां उद्योग लगाये जाएंगे और वे क्षेत्र कहां-कहां हैं; और

(ङ) इस प्रकार के निर्णय से आंध्र प्रदेश में उत्पादकता में कितना सुधार हुआ होगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी हां। उसमें भाग लेने वाले राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सदस्य थे।

(ग) बैठक की कार्य सूची में शासी निकाय का चुनाव, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की प्रगति रिपोर्ट, परिषद के सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव, परिषद द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार, परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे, वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए क्रमशः संशोधित अनुमान बजट अनुमान, आदि शामिल हैं।

(घ) बैठक के कार्य-सत्र से पूर्व, परिषद के अध्यक्ष, जो कि उद्योग मन्त्री हैं ने परिषद द्वारा उद्योग लगाए जाने के लिए पता लगाए गए कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए सदस्यों को सम्बोधित किया। उद्योग लगाने के लिए पता लगाए गए कुछ क्षेत्र ये हैं :—

(1) तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए क्षमता उपयोग और उत्पादकता में सुधार करना;

(2) किस्म मण्डल का आयोजन करके प्रबन्ध और उत्पादकता समझौतों में कामगारों को शामिल करके कामगारों को प्रेरित करना; और

( ) विद्युत क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करना जिसकी ओर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(ङ) पता लगाए गए क्षेत्रों सम्बन्धी किये गये ऐसे निर्णय से देश में उत्पादकता में कितना सुधार होगा इसे बता पाना सम्भव नहीं है। तथापि, पता लगाए गए क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत को लाभ होगा।

[हिन्दी]

दूर-दराज के गांवों में आत्मनिर्भरता के लिए लघु उद्योग

3290. श्री मूल चन्द डागा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में दूर-दराज के उन अविकसित गांवों के नाम क्या हैं जहां दस्तकारों और छोटे उद्योगों को उद्योग विभाग द्वारा सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है;

(ख) उनकी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या है;

(ग) उन्हें किन एजेंसियों के माध्यम से यह सहायता दी गई है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है और यह धनराशि किस तारीख को तथा किन एजेंसियों के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराई गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही शिक्षित बेरोजगारों को स्व:रोजगार प्रदान करने की एक विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है। जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले जिलों में लघु और ग्रामोद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों द्वारा अपेक्षित सभी सहायता प्रदान करते हैं।

दूरस्थ अविकसित गांवों, के नाम, जिनमें दस्तकारों और लघु उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाया गया है, तथा तारीखों सहित दी गई कुल राशि से सम्बन्धित राज्यवार सूचना सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

छठी योजना में खोदे गए तेल कुओं का ब्यौरा

3291. श्री मूल चन्द डागा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा गैस भण्डारों का पता लगाने के लिए खोदे गए कुओं का वर्षवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, संख्या क्या है और प्रत्येक कुएं पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के संदर्भ में कितने मामलों में यह अन्वेषण कार्य सफल रहा;

(ग) अन्वेषण कार्य में असफलताओं के क्या कारण हैं; और

(घ) कितने मामलों में अन्वेषण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया तथा इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1978 में तेल/गैस मिली है।

(ग) तेल का अन्वेषण एक उच्च सम्भाव्य प्रकृति को होता है।

(घ) 4 कुओं को तकनीकी कठिनाइयों के कारण बन्द कर दिया गया।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोदे गये अन्वेषण कुओं की संख्या तथा व्यय की गई राशि

राज्य/क्षेत्र	1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
	खोदे गये कुओं की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ों में)	खोदे गये कुओं की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ों में)	खोदे गये कुओं की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ों में)	खोदे गये कुओं की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ों में)	खोदे गये कुओं की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गुजरात	29	5.86	28	5.77	37	8.20	39	11.14	40	20.42
असम नागालैण्ड अरुणाचल प्रदेश	10	8.91	21	9.03	14	11.13	19	14.69	21	29.52
त्रिपुरा	1	4.10	2	6.51	2	7.23	2	8.38	1	9.20
बंगाल	2	4.68	1	4.45	3	7.26	—	11.86	1	16.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस्थान	—	—	—	1.45	1	4.36	—	5.24	1	0.04
बिहार	—	—	—	—	—	1.02	—	3.99	1	3.20
महानदी उत्तरी-पूर्वी तट अपतटीय	1	18.98	—	—	—	4.88	3	36.74	2	38.80
कृष्णा-गोदावरी और कावेरी अपतटीय सहित	8	3.17	7	6.11	13	136.88	8	111.65	14	134.23
पश्चिमी तट	7	54.75	5	71.36	6	59.02	13	64.27	8	78.71

औषध निर्माण एककों द्वारा स्वीकृत उत्पादन क्षमता का उपयोग

3292. डा० टी० कल्पना देवी
डा० जी० एन० रेड्डी } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में औषध निर्माण एकक तथा लघु उद्योग अपनी स्वीकृत उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो स्वीकृत क्षमता का उपयोग न करने वाले एककों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र के 250 से अधिक एककों तथा हजारों लघु क्षेत्र एककों द्वारा 225 प्रपुंज औषधों तथा हजारों सूत्रयोगों का निर्माण किया जा रहा है। अलग-अलग उत्पादों और कम्पनियों में क्षमता उपयोग अलग-अलग होता है। अतः इसे समान रूप देना कठिन है। गत कई वर्षों में प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों का उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है तथा औषधों की कोई सतत कमी नहीं रही है।

वाणिज्यिक बाधाओं, प्रौद्योगिकी समस्याओं आदि जैसे विभिन्न कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र की औषध कम्पनियां अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ नहीं हो सकी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

कारों के निर्माण के लिए श्रमिकों की सहकारी समिति

3293. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूगो कार का निर्माण उन श्रमिकों द्वारा किया जाता है जिनका यूगोस्लाविया में एक कारखाना है; और

(ख) क्या सरकार का इसी तरह की कार प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और श्रमिकों तथा प्रयोक्ताओं को निर्माण सहकारी समिति आरम्भ करने तथा इसे टेलीफोन, रेल और बिजली आदि के क्षेत्र में अपनाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) मोटरगाड़ी क्षेत्र के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े तथा उन्नत राज्य तथा सातवीं योजना के लिए कार्यक्रम

3294. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा राज्य सबसे पिछड़ा हुआ है;

(ख) कौन-कौन से राज्य औद्योगिक रूप से सबसे अधिक उन्नत हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े राज्यों का औद्योगिक उत्थान करने का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिकीकरण के स्तर के आधार पर विभिन्न राज्यों का वर्गीकरण विविध परिसीमाओं, धारणाओं और परिभाषाओं पर निर्भर करता है। कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों अर्थात नवीनतम उपलब्ध उद्योगों के वर्ष 1982-83 के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर कारखाना क्षेत्र में कुल विनियोजित पूंजी, उत्पादन के मूल्य और शुद्ध वर्धित मूल्य की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य में उद्योगों की स्थापना करना सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। फिर भी केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना करने वाले उद्यमियों को कुछ प्रोत्साहन, रियायतें, आय कर सम्बन्धी रियायतें, लाइसेंस देने में प्राथमिकता देकर उनके प्रयासों में योगदान देती है। ऐसी रियायतों, प्रोत्साहनों आदि का ब्यौरा दिनांक 9-4-1985 के प्रेस टिप्पण संख्या 14/2/83-डी० बी० ए०-1 के साथ पठित "इन्सेन्टिव्स फॉर इन्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज-अप्रैल, 1984" नामक पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय निवेश मुख्यत: आधारभूत प्रकृति की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है। अत: ऐसी परियोजनाओं के स्थापना स्थल का निर्णय मोटे तौर पर तकनीकी-आर्थिक बातों के आधारपर लिया जाता है। सरकार की नीति यह रही है कि इन बातों के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान दिया जाता है।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता योजनाओं और अवस्थापना विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत, वर्ष 1985-86 (28-2-86 तक) के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 101 30 करोड रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई।

विवरण

वर्ष 1982-83 के लिए राज्यवार विनियोजित पूंजी, उत्पादन का मूल्य और शुद्ध मूल्य वर्धित वस्तुएं

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1982-83		
		विनियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	शुद्ध वर्धित मूल्य
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3572.56	4747.38	1015.85
2.	असम	557.29	676.92	153.30
3.	बिहार	5962.54	5701.75	1123.18
4.	गुजरात	5660.31	10235.13	1524.48
5.	हरियाणा	1760.70	2818.34	519.69
6.	हिमाचल प्रदेश	517.15	252.92	136.15
7.	जम्मू और काश्मीर	171.41	167.46	36.14
8.	कर्नाटक	2708 74	3552.03	813.92
9.	केरल	1692.66	2487.73	483.79
10.	मध्य प्रदेश	4542.27	3611.76	956.18
11.	महाराष्ट्र	10796.86	18999.53	3600.63
12.	मणिपुर	3.04	2.82	0.91
13.	मेघालय	9[illegible].54	39.11	9.47
14.	नागालैंड	0.05	0.19	0.03
15.	उड़ीसा	1761.34	1253.88	361.08

1	2	3	4	5
16.	पंजाब	2457.45	3431.48	457.91
17.	राजस्थान	2305.23	2086.47	395 28
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	5041.58	9008.53	1690.70
20.	त्रिपुरा	17.30	20.31	5.93
21.	उत्तर प्रदेश	6853.03	7169.43	1495.07
22.	पश्चिम बंगाल	5284.35	7396.67	1634.14
23.	अण्डमान एण्ड निकोबार	10.28	16.60	3.45
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25.	चंडीगढ़	36.39	110.47	18.59
26.	दादर एण्ड नगर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	887.22	1948.57	271.66
28.	गोवा, दमन एण्ड द्विव	246.55	396.61	73.82
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—
31.	पांडिचेरी	53.16	106.09	22.28

केरल में संचार विभाग में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग आरम्भ करना

3295. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में किसी भी स्थान पर संचार विभाग में इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का प्रयोग आरम्भ किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इसका प्रयोग आरम्भ किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। चंगनचेरी में चालू वर्ष के दौरान मैनुअल टेलीफोन प्रणाली के स्थान पर 2000 लाइनों का कनेटेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किया गया था।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम तथा कोट्टायम में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापन करने की योजना बनाई गई है।

उड़ीसा में टेलीफोन जिलों के लिए कार्य योजना

3296. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में टेलीफोन जिलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने हेतु कुछ टेलीफोन जिलों के लिए कार्य-योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसे टेलीफोन जिलों की संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या हैं जहां ऐसी कार्य-योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्य-योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित दूरसंचार सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में कोई टेलीफोन जिला नहीं है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, विभाग के पास देश भर में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए 1986-87 में वार्षिक कार्यान्वयन योजना है। इस कार्यान्वयन योजना में, विकास तथा प्रचालन संबंधी कार्य शामिल हैं। कार्यान्वयन योजना में ऐसे लक्ष्य होते हैं जिन्हें हर महीने पूरा करना होता है जैसे प्रतिमाह प्रति 100 टेलीफोन दोषों की संख्या, ट्रंक कालों की कुशलता, नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना आदि। इन पैरामीटरों की मुख्यालय से कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा विभाग में उच्च स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

औद्योगिक नीति को उदार बनाने और पिछड़े राज्यों में उद्योगों की स्थापना

3297. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति को पिछले एक साल से उदार बनाये जाने के कारण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों की स्थापना में कमी हुई है; और

(ख) वर्ष 1985 के दौरान उड़ीसा में कितने बड़े/मध्यम दर्जे के उद्योगों को लाइसेंस दिए गए, पंजीकृत किये गये और यह संख्या पिछले 2 वर्षों की संख्या की तुलना में कितनी है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना-स्थल के लिए जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या में, जिससे उद्योगों के पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने का पता चलता है, वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष 1985 में क्रमशः 23.4 प्रतिशत व 32.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) उड़ीसा में स्थापना-स्थलों के लिए आशयपत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरणों की संख्या निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	1983	1984	1985
जारी किए गए आशयपत्रों की संख्या	25 (12)	20 (7)	39 (23)
जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	14 (5)	15 (5)	25 (6)
तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरणों की संख्या	42 (21)	24 (14)	32 (18)

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं।)

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास

3298. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की विकास दर कितनी रही; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केरल में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की विकास दर कितनी रही ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन के बारे में कोई अलग सूचकांक संकलित नहीं करता। तथापि, 1980 से 1985 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों के पिछड़े क्षेत्रों के लिये जारी किये गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1980 से 1985 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस

	980		1981		1982		1983		1984		1985	
	आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०	आ० पत्र	औ० ला०
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आंध्र प्रदेश	39	15	38	19	47	9	50	25	56	23	88	37
2. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	—	1	—	7	2	2	3	1	6
4. असम	2	1	3	2	4	1	3	22	14	8	12	12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. बिहार	5	2	4	1	12	—	18	6	10	6	7	3
6. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	4	—	3	—	—	1	5	2
7. गोवा, दमन और द्वीव	9	2	8	5	9	7	12	3	9	10	15	4
8. गुजरात	62	27	50	26	62	25	64	36	58	30	84	34
9. हरियाणा	13	2	17	4	33	4	46	12	29	11	33	13
10. हिमाचल प्रदेश	9	1	13	1	14	5	20	5	17	5	29	12
11. जम्मू और काश्मीर	9	1	7	3	8	2	17	10	29	8	18	6
12. कर्नाटक	35	14	22	7	40	16	48	27	29	19	39	23
13. केरल	8	3	5	7	15	6	25	16	5	13	18	25
14. मध्य प्रदेश	30	10	25	11	52	5	45	19	71	23	79	29

बंगलौर शहर में एजेन्सी डाकघर

3299. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान बंगलौर शहर में कितने एजेन्सी डाकघर खोले गये;

(ख) ये एजेन्सी डाकघर किन क्षेत्रों में खोले गये; और

(ग) क्या प्रत्येक क्षेत्र में एजेन्सी डाकघर खोलने के बारे में अपेक्षित प्रचार किया गया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1985-86 के दौरान अभी तक बेंगलूर शहर में 16 लाइसेंसशुदा डाक एजेन्सियां गठित की गई हैं।

(ख) ये एजेन्सियां निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित हैं :

1. जे० पी० एन० नगर	9. सिवनचेट्टी गार्डन
2. के० जी० रोड	10. दूरवाणी नगर
3. त्यागराजा नगर	11. जुम्मा मस्जिद
4. चमरुजपेज	12. यशवन्तपुर
5. विलियन गार्डन	13. मालेश्वरम
6. बन्नेरघाट रोड	14. पीन्या इण्डस्ट्रियल एरिया
7. बासवनगुडी	15. प्रकाश नगर
8. इन्दिरा नगर	16. पैलेस गुट्टाहल्ली

(ग) जी, हां।

बंगलौर से विदेशों को हवाई डाक सेवा

3300. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर से हवाई डाक सेवा संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और मध्य पूर्व के देशों तक पहुंचने में 10-12 दिन लग जाते हैं;

(ख) क्या विदेशों को भेजे जाने वाले हवाई पत्रों को रेलगाड़ी द्वारा बम्बई या मद्रास होकर भेजा जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार हवाई डाक पत्रों को बंगलौर से सीधे सम्बन्धित देशों को हवाई मार्ग द्वारा भेजने का है; और

(घ) यदि हां, तो पारगमन के समय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। ये हवाई डाक से भेजी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एच० एम० टी० द्वारा निर्मित खराद मशीनों की मांग में कमी

3301. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच० एम० टी० द्वारा निर्मित खराद मशीनों की मांग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का विचार आधुनिकीकरण करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अविछिन्न कार्य के रूप में एच० एम० टी० पहले ही संयंत्रों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन में लगा हुआ है।

कोयला परियोजनाओं का कम्प्यूटरीकरण

3302. कुमारी पुष्पा देवी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सभी प्रमुख कोयला परियोजनाओं का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटरीकरण के लिए किन कोयला परियोजनाओं को चुना गया है;

(ग) क्या सरकार ने कम्प्यूटर व्यवस्था का चयन करने हेतु एक प्रतिनिधिमण्डल नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधिमण्डल ने क्या सिफारिश की है; और

(ङ) कम्प्यूटरों की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) कोल इण्डिया लि० का अपने कार्यों में महत्व-पूर्ण ढंग से कम्प्यूटर प्रयोग प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि सभी सहायक कम्पनियों के मुख्यालयों और एरिया मुख्यालयों का तथा उनमें 10 चुनींदा महत्वपूर्ण यूनिटों का मार्च, 1988 तक कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिज़ाइन संस्थान लि० ने एक योजना बनाई है। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिज़ाइन संस्थान लि०, कोल इण्डिया लि० एवं इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रतिनिधियों का एक दल सितम्बर, 1985 में केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० के लिए संगत साफ्ट वेयर पैकेज के साथ-साथ एक उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली का चयन करने के लिए अमेरिका/आस्ट्रेलिया गया था। इस दल की सिफारिशों के आधार पर एक उपयुक्त मुख्य कम्प्यटर प्रणाली की खरीद के लिए कार्रवाई की गई है।

विमानों में टेलीफोन सुविधाएं

3303. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सेवा कब तक प्रारम्भ की जायेगी; और

(घ) उसमें कितना धन व्यय होगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

अक्षम उद्योगों को अनधिसूचित करना

3304. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार कुछ और बीमार औद्योगिक उपक्रमों को जिनकी अक्षमता पर सन्देह है अनधिसूचित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे यूनिटों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 में जारी किए गए रुग्ण उद्योगों सम्बन्धी नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, ऐसे एककों को, जिनका अधिग्रहण उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया था और जिन्हें जीव्यक्षम नहीं पाया गया है और जिनके सम्बन्ध में कोई अन्य विकल्प नहीं निकल पाया है, अनधिसूचित कर दिया जाएगा। ऐसे रुग्ण एककों का भी जिनमें अत्यधिक फालतू श्रमिक, खराब कार्यदक्षता, कम उत्पादकता, काफी संचित हानि और देयताएं आदि विद्यमान हैं तथा जिनके जीव्य होने की संभावना नहीं है, अनधिसूचित कर दिया जाएगा।

न्यायिक सुधार

3305. श्री के० वी० शंकर गौडा : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में न्यायिक सुधार सम्बन्धी सभी प्रश्नों को विधि आयोग को निर्दिष्ट करने का विनिश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विधि आयोग को निदेश जारी किए हैं कि वह इस मामले को प्राथमिकता दे; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित तारीख दी गई है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विधि आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने के लिए कोई विनिर्दिष्ट तारीख नियत नहीं की गई है। किन्तु आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी सिफारिशें सरकार को यथासम्भव शीघ्र उपलब्ध कराए।

खाना पकाने की गैस का सिलेन्डर ले जाने की कैश एण्ड कैरी योजना

3306. श्री के० वी० शंकर गौडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1984 में नकद पैसे देकर घरेलू गैस का सिलेन्डर ले जाने की योजना आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना सफल रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके असफल होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस योजना को बन्द करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना पर मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है।

(ग) नकारात्मक प्रतिक्रिया मुख्यतः इन कारणों से हुई है :—

1. प्रति सिलिण्डर एक रुपए की कुल छूट अधिकतर मामलों में उपभोक्ता द्वारा रिफिल प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को पूरा नहीं करती।

2. वर्तमान आकार और भरे हुए सिलिण्डर का वजन (लगभग 33 किलोग्राम) उठाने-धरने में उपभोक्ता को असुविधा होती है।

(घ) प्रयोगात्मक स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊर्जा संरक्षण नीति

3307. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक ऊर्जा संरक्षण नीति तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) ऊर्जा संरक्षण नीति के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार की जा रही है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा ऊर्जा की खपत की मानीटरिंग करना, ऊर्जा की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए कार्यवाही करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना तथा ऊर्जा के संरक्षण को लोकप्रिय बनाने को अपेक्षित प्रोत्साहन देना शामिल है।

पेट्रोलियम का उत्पादन

3308. श्री हुसैन दलवाई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पेट्रोलियम का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) इस समय पेट्रोलियम किन-किन स्थानों से निकाला जाता है; और

(ग) पेट्रोलियम का स्थानवार उत्पादन कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) कच्चे तेल का वर्तमान उत्पादन लगभग 30 मिलियन मी० टन है जो इस प्रकार है : —

	मिलियन मी० टन
गुजरात	4.1
असम/नागालैंड/अरूणाचल प्रदेश	5·2
बम्बई हाई	20.6
	29.9
जोड़ अर्थात	30.0

कच्चे तेल का शोधन

3309. श्री हुसैन दलवाई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उपलब्ध कच्चे तेल का भारत में शोधन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में उपलब्ध कच्चे तेल के लिये मशीनरी केवल अरब की खाड़ी के देशों से आयातित कच्चे तेल के शोधन के लिए उपयुक्त हैं; और

(घ) भारत के कब तक अपने कच्चे तेल का शोधन करने में समर्थ हो जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरी यूनिटों को कोयले और विद्युत की सप्लाई

3310. श्री बी० वी० देसाई
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और विद्युत की अपर्याप्त सप्लाई से देश में उत्तरी यूनिटें प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर-दिसम्बर, 1985 की तिमाही में उद्योगों को कोयले की सप्लाई की स्थिति सबसे खराब रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या अपूरित अन्तर और प्राप्त मात्रा में जुलाई-सितम्बर, 1985 की तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना से दुगना अन्तर था और गत अप्रैल से जून की तिमाही के लिए बताई गई कमी की तुलना में लगभग तीन गुना से अधिक अन्तर था;

(घ) क्या इस निरन्तर कमी से कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ा और इसके परिणामस्वरूप देश में कार्य कर रही बहुत सी यूनिटों को उत्पादन में घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो कोयले और विद्युत की कमी के क्या कारण हैं और वर्ष 1986 के दौरान इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) वर्ष 1985-86 की पहली तीन तिमाहियों में उत्तरी भारत के राज्यों के कम महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों का कोल इंडिया लि० की तीन सहायक कम्पनियों अर्थात् भा० को० को० लि०, ई० को० लि० एवं से० को० लि० से कोयले के प्रेषण का

ब्यौरा तथा उसकी तुलना में पिछले साल की उसी अवधि का प्रेषण नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े लाख टनों में)

तिमाही	1984-85	1985-86	वृद्धि प्रतिशत
अप्रैल-जून	47.30	47.38	+ 0.2
जुलाई-सितम्बर	31.13	38.39	+23.1
अक्टूबर-दिसम्बर	39.72	42.23	+ 6.3

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष की एक तिमाही से दूसरी के प्रेषण में चक्रीय अन्तर है। वर्ष 1985-86 के प्रेषण में भी वही चक्रीय अन्तर दिखाई पड़ता है। फिर भी, इस वर्ष की प्रत्येक तिमाही में पिछले वर्ष की इन्हीं तिमाहियों की तुलना में प्रेषण अधिक रहा है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-फरवरी, 1986 में देश के विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों को कोयले के प्रेषण में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 की अवधि में समग्र रूप में उत्तरी क्षेत्र में कुल मिलाकर 11 प्रतिशत बिजली की कमी महसूस की गई है। बिजली की इस निरंतर कमी के कारण उत्तरी भारत के कुछ राज्यों के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इस क्षेत्र में बिजली की कमी का मुख्य कारण है क्षेत्र के कुछ ताप बिजली घरों में बिजली का कम उत्पादन होना एवं राजस्थान आणविक बिजली घर में न्यूक्लीय यूनिट-I में काम बन्द हो जाना— यहां 25.5.1985 से ही काम बन्द है। ताप बिजली घरों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों को सहायता।

(2) कोयले की अपेक्षित किस्म एवं मात्रा प्राप्त करने तथा देशी एवं विदेशी स्रोतों से अपेक्षित अतिरिक्त कलपुर्जे प्राप्त करने में राज्य विद्युत बोर्डों/बिजलीघरों को सहायता।

(3) ऐसे कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कार्य बल एवं घुमंतू दलों के दौरे जिनमें सुधार की जरूरत है और गलतियों का सुधार करने हेतु समय-बद्ध कार्यक्रम बनाना।

(4) इंजीनियरों एवं परिचालन तथा अनुरक्षण का प्रशिक्षण।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन।

कोयले के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता

3311. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए कोयले के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) फ्रांस किन-किन कोयला परियोजनाओं को सहायता देगा और इस समझौते से कोयले के उत्पादन में किस सीमा तक सुधार होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग का समन्वय-कार्य "कोयले पर भारत-फ्रांस कार्यकारी दल" करता है। इसकी हर छः महीने में एक बैठक होती है। इस दल की पिछली बैठक नई दिल्ली में 27-28 मई, 1985 को हुई थी। इस बैठक के राज-लेख के अनुसार, निम्नलिखित परियोजनाओं को फ्रांस के सहयोग के लिए निर्धारित किया गया है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कम्पनी का नाम
1.	अनंत भू० ग०	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
2.	नंदिरा भू० ग०	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
3.	केंदवाडीह भू० ग०	भारत कोकिंग कोल लि०
4.	ईस्ट कटरास भू० ग०	भारत कोकिंग कोल लि०
5.	अमलाबाद भू० ग०	भारत कोकिंग कोल लि०
6.	चोरा भू० ग०	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
7.	परासिया भू० ग०	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
8.	कोटाडीह भू० ग०	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
9.	मोएटर भू० ग०	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
10.	लीडो तीरप भू० ग०	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
11.	गोदावरी खानी नं० 10 इन्क्लाइन	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०

अमलाबाद भूमिगत परियोजना के लिए सहयोग केवल मेथान ड्रेनेज संयंत्र के डिजाइन और उसके निर्माण के लिए ही है। अन्य अधिकांश परियोजनाओं में सहयोग कार्य-निष्पादन गारंटी आधार पर एक ट्रायल पैनल की खुदाई तक सीमित रहेगा जिसमें यह बातें शामिल हैं— उपकरणों की सप्लाई, कार्यान्वयन के दौरान तकनीकी सहायता और भारतीय इंजीनियरों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण। फ्रांस के सहयोग से गहराई में स्थित मोटी कोयला सीमों से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

कार्यकारी दल की पिछली बैठक के राजलेख के अनुसरण में, दिसम्बर, 1985 में मेसर्स सी० डी० एफ०, फ्रांस और मेसर्स कोल इंडिया लि० (पहले समझौते के मामले में मेसर्स केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि०) के बीच निम्नलिखित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए :—

(1) असम की "लेडो-तीरप" खान में कोयले की मोटीसीमों के खनन के लिए नई प्रणाली अपनाने के लिए मेसर्स सी० डी० एफ०, फ्रांस द्वारा साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का करार। इसका उद्देश्य है— भंडार से कोयला निकालने की दर में और कार्य-स्थल से उत्पादन में वृद्धि करना और साथ ही कामगारों की सुरक्षा और कार्यान्वयन के दौरान तकनीकी सहायता तथा भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों का प्रशिक्षण।

(2) कार्य-निष्पादन गारंटी आधार पर भारत कोकिंग कोल लि० की कैंडवाडीह भूमिगत खान में रन आफ माइन कोयले के 400 टन प्रतिदिन औसत उत्पादन की दर से ट्रायल पैनल की खुदाई के लिए करार। इसमें यह बातें शामिल हैं --कार्यान्वयन के दौरान तकनीकी सहायता, उपकरणों की सप्लाई और भारतीय इंजीनियरों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण।

(3) कार्य-निष्पादन गारंटी आधार पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की चोरा भूमिगत खान में रन आफ माइन कोयले के 800 टन औसत दैनिक उत्पादन की दर से ट्रायल पैनल की खुदाई के लिए करार। इसमें यह बातें शामिल हैं— कार्यान्वयन के दौरान तकनीकी सहायता, भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों का प्रशिक्षण।

दूरसंचार प्रणाली में थर्टी चैनल डिजिटल पल्स कोड मोड्युलेशन इक्विपमेंट की शुरूआत

3312. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग के लिए एक थर्टी चैनल डिजिटल पल्स कोड मोड्युलेशन इक्विपमेंट का डिजाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण को सेवा में कब तक चालू किया जाएगा; और

(ग) दूरसंचार इस उपकरण का आरम्भ करने से इसकी कार्यक्षमता में किस सीमा तक सुधार होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस उपस्कर को वर्ष 1986-87 के दौरान उपयोग में लाने की संभावना है।

(ग) इस उपस्कर में सभी अंकीय संचारण प्रणालियों के लिए प्राइमरी ग्रिल्डिंग ब्लॉक की व्यवस्था है और इससे एक्सचेंजों के बीच जंक्शन सर्किटों की क्षमता में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

राजस्थान सूखा पीड़ित क्षेत्रों में ऊनी खादी की कताई और बुनाई के लिए सहायता

3313. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान ऊनी खादी के उत्पादन में अग्रणी है;

(ख) क्या राजस्थान में इस वर्ष भारी सूखा पड़ा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार सूखा पीड़ित क्षेत्रों में ऊनी खादी कताई और बुनाई के लिए विशेष सहायता देने का है ताकि राज्य में सूखे के कारण पैदा हुई स्थिति पर काबू पा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। वर्ष 1984-85 के दौरान राजस्थान में 1148.38 लाख रु० की ऊनी खादी का उत्पादन हुआ था जो देश में ऊनी खादी के हुए कुल उत्पादन का 38% बैठता है।

(ख) से (घ) राजस्थान इस वर्ष काफी सूखे का सामना कर रहा है। राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चलाने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सूती व ऊनी खादी के अतिरिक्त कार्यक्रम स्वीकृत किये हैं। सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को वर्ष 198 -86 में स्वीकृत की गई निधियों में से इस प्रयोजन के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से राजस्थान राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कार्य कर रहे सीधे ही सहायता प्राप्त करने वाले 26 संस्थानों को 6.2.1986 को 75 लाख रुपये की राशि पहले ही दे दी गई थी। शेष 75 लाख रुपये की राशि भी अभी 1.3.86 को वितरण हेतु राज्य निदेशक, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, जयपुर को दे दी गई है।

[अनुवाद]

नयागढ़ टेलीफोन केन्द्र से मल्टी आपरेटिंग डायलिंग प्रणाली समाप्त करना

3314. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयागढ़ टेलीफोन केन्द्र से मल्टी आपरेटिंग डायलिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप टेलीफोन प्रयोक्ताओं को भारी कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) क्या यह प्रणाली प्रयोक्ताओं के लिए अत्याधिक लाभकारी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नयागढ़ से कभी कोई मल्टी लिंक आपरेटर डायलिंग सर्किट व्यवस्था नहीं की गई थी। यहां पर सिंगल लिंग आपरेटर डायलिंग सर्किट की व्यवस्था थी जिसे मई, 1982 में इस उम्मीद से राष्ट्रीय उपभोक्ता डायल्ड नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए संशोधित किया गया था कि इसके ट्रंक परियात में वृद्धि होगी, परन्तु ऐसा हुआ नहीं। अतः फरवरी, 1985 में इस संशोधन को समाप्त कर दिया गया। इस सर्किट में संशोधन के न होने के कारण उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है क्योंकि साधारण तथा तुरन्त ट्रंक कालें औसतन क्रमशः 20 तथा 7 मिनट के विलंब से लगाई जा रही हैं।

(ख) जैसा कि उपरोक्त (क) के उत्तर से स्पष्ट है मई, 1982 में संशोधन करने या फिर फरवरी, 1985 में इसे समाप्त कर देने से ट्रंक काल मिलाए जाने की दर में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं पड़ा है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

प्रौद्योगिकी विकास निधि बनाना

3315. श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक प्रौद्योगिकी विकास निधि बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी औद्योगिकीकरण और प्रौद्योगिकीय अभ्युत्थान को बढ़ावा देने, क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और विद्यमान औद्योगिक एककों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्योग मन्त्रालय द्वारा एक तकनीकी विकास निधि का

प्रशासन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रति एकक एक करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा तक अनुमोदन किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली दूरसंचार द्वारा अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करना

3316. **श्री राजकुमार राय :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरसंचार द्वारा वर्ष 1985 से 28 फरवरी, 1986 तक उपभोक्ताओं को एक्सचेंज वार कितने अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं; और

(ख) अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन सामान्यतया चिकित्सा आदि के आधार पर व्यक्ति विशेष के आवास पर तथा सरकार के विभिन्न विभागों उद्योग, निर्यातकों विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों आदि की तत्काल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि एक्सचेंज में क्षमता उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों के नये टेलीफोन कनेक्शन

3317. **श्री अनादि चरण दास :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनेक्शन के मंजूर होने के पश्चात भी टेलीफोन लगाने में अधिक समय लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मंजूरी दिए जाने के पश्चात् टेलीफोन लगाने में सामान्य तथा कितना समय लिया जाता है; और

(ग) 1 जनवरी, 1986 से 15 जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान (एक) करोल बाग (दो) ईदगाह (तीन) तीसहजारी और (चार) शक्तिनगर टेलीफोन एक्सचेंजों से कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये और 24 फरवरी, 1986 तक वास्तव में कितने टेलीफोन लगाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, नहीं। टेलीफोन कनेक्शन आमतौर से मंजूर होने की तारीख के बाद 15 दिन के भीतर प्रदान किया जाता है। वैसे, दूरसंचार सेवाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार होने के कारण किसी टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करते समय अधिकाधिक टेलीफोन दिए जाने होते हैं। हालांकि केबिल बिछाने, नए वितरण प्वाइंट खोलने का कार्य पूरा करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाती है फिर भी, साज-सामग्री मिलने संबंधी दिक्कतों के कारण प्रायः लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है। कभी-कभी अपर्याप्त केबिल नेटवर्क, वितरण प्वाइंट तथा नए क्षेत्रों का विकास हो जाने के कारण विलम्ब हो जाता है।

(ग) जानकारी नीचे दी गई है :—

एक्सचेंज का नाम	1-1-86 से ; 5-2-86 तक मंजूर किए गए	24-2-86 तक संस्थापित किए गए
(1) करोलबाग	593	579
(2) ईदगाह	3009	(05
(3) तीसहजारी	3062	2 95
(4) शक्तिनगर	232	57

भारी उद्योगों की स्थापना

3318. श्री चित्त महाता : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के किन-किन स्थानों में भारी उद्योग स्थापित करने के लिए विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसी योजना अवधि में पश्चिम बंगाल में भारी उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (घ) सरकारी उद्यम विभाग के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल सहित देश में सरकारी क्षेत्र में इस समय किसी नई भारी इंजीनियरी परियोजना को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नई परियोजनाओं का स्थापित किया जाना तकनीकी-आर्थिक कारणों पर आधारित होता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में खाना पकाने की गैस एजेंसियां

3319. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय खाना पकाने की गैस की कुल कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) क्या ये एजेंसियां उत्तर प्रदेश और बिहार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इन राज्यों में और अधिक एजेंसियां खोलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और इनके कब तक खोले जाने की सम्भावना है तथा ये किन राज्यों में खोली जा रही हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में 265 तथा बिहार में 178 एल०पी०जी० वितरणशिपें हैं।

(ख) और (ग) ये एजेंसियां उत्तर प्रदेश के मौजूदा (1-1-86 को) 9.36 लाख और बिहार के 2.82 लाख उपभोक्ताओं की सेवा के लिए पर्याप्त हैं।

(घ) मौजूदा बाजारों में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को नए कनेक्शन देने तथा नए क्षेत्रों में एल० पी० जी० विपणन आरम्भ करने के उद्देश्य से तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजनाओं के अन्तर्गत नई वितरणशिपें खोलने की योजना है। तेल उद्योग की 1985-86 की तथा इससे पहले की विपणन योजनाओं में शामिल वितरणशिपों की स्थापना के लिए विज्ञापन, चयन और चुने हुए डीलरों द्वारा औपचारिकताएं पूरा करने जैसे विभिन्न चरणों में है। वितरणशिप चालू करने के लिए विभिन्न कार्यवाहियों को देखते हुए यह कहना व्यवहार्य नहीं हैं कि कब तक ये चालू हो जाएंगी।

पवन ऊर्जा का उत्पादन

3320. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न भागों मे पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु कार्यान्वियन के लिए तैयार की गई तथा तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पवन ऊर्जा के उत्पादन के आर्थिक पहलू, तकनीकी आंकड़ों तथा पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विदेशों के अनुभव का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) देश में पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। यह जल पम्पन के लिए पवन चक्कियों की भांति पवन फार्मों एवं बैटरी चार्जरों के रूप में विद्युत के उत्पादन के लिए परियोजनाओं को सम्मिलित करता है। मांडवी एवं ओखा में स्थापित क्रमश: 1 मेगावाट और 550 किलोवाट क्षमता के दो पवन फार्म ऊर्जा उत्पादन के लिए गुजरात में परिचालन में हैं; तूतीकोरिन में स्थापित 550 किलोवाट क्षमता का एक पवन फार्म तमिलनाडु में परिचालन में है; उड़ीसा में पुरी तथा महाराष्ट्र में देवगढ़ में शीघ्र ही प्रति 550 किलोवाट के दो अन्य पवन फार्म शुरू किए जाएंगे। देश के विभिन्न भागों में सूक्ष्म-सिंचाई एवं पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 1300 से अधिक पवन चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं। कुछ व्यक्तिगत पवन विद्युत जनित्र एवं बैटरी चार्जर स्थापित किए जा चुके हैं। पवन मानीटरन तथा अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां भी शुरू की जा चुकी हैं। सातवीं योजना में पवन ऊर्जा कार्यक्रम को और अधिक बढ़ाया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। मुख्य रूप से जल पम्पन के लिए पवन ऊर्जा का काफी लम्बी अवधि से कुछ विदेशों में विशेषरूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा यूरोप के देशों में उपयोग किया जा चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केलीफोर्निया में पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है जहां पर 1000 मेगावाट से अधिक पूर्ण योग क्षमता के पवन फार्म विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़ी लेख याचिकाएं और अन्य मुकदमे

3321. श्री जगदीश अवस्थी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में (एक) श्रम और (दो) कर सम्बन्धी मामलों की कितनी लेख याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में आय-कर, बिक्री-कर और अन्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र और संदर्भ लम्बित पड़े हैं; और

(ग) प्रत्येक उच्च न्यायालय में श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत कितनी लेख याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित
रिट याचिकाएं और अन्य मामले

न्यायालय का नाम	लम्बित सिविल रिट याचिकाओं* की संख्या		
	नियमित सुनवाई	आरम्भिक सुनवाई	योग
	(1-2-1986 तक)		
उच्चतम न्यायालय	12094	7289	19383

*इनमें श्रम और कर सम्बन्धी मामले भी सम्मिलित हैं जिनका अलग से विवरण नहीं रखा जाता है।

उच्च न्यायालय का नाम	लम्बित आवेदनों और निर्देशों की संख्या			लम्बित रिट याचिकाओं की संख्या जो श्रम विधि से संबंधित है
	आय-कर	विक्रय-कर	अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर	
1	2	3	4	5
	(31-12-1985 तक)			
आंध्र प्रदेश	701	—	94	1215
मुम्बई	5367	246	998	1567
गुजरात	2281	78	265	1991
जम्मू-कश्मीर	123	—	—	93
केरल	1887	380	—	826
उड़ीसा	218	378	61	452

1	2	3	4	5
		31-12-85 तक		
पटना	877	254	187	534
पंजाब और हरियाणा	1107	179	315	919
सिक्किम	—	—	—	—
		(30-6-1985 तक)		
इलाहाबाद	1880	452	554	1885
कलकत्ता	2646	19	338	76
दिल्ली	3718	205	1858	884
हिमाचल प्रदेश	42	—	1	5
कर्नाटक	977	—	361	2069
मध्य प्रदेश	437	297	137	513
मद्रास	5763	2493	—	1403
राजस्थान	741	336	212	1134
		(31-12-1984 तक)		
गुवाहाटी	130	16	37	63

[अनुवाद]

पन-बिजली संसाधनों का प्रयोग

3322. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 80 प्रतिशत पन-बिजली संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) देश की कुल जल विद्युत शक्यता में से 11.34% शक्यता का विकास कर लिया गया है और 7.16% अतिरिक्त शक्यता का विकास किया जा रहा है।

(ख) जल विद्युत शक्यता का विकास, वित्तीय साधनों की उपलब्धता, परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्वीकृति, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि में अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय जैसे घटकों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को नरेला में औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन

3323. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा नरेला औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन कराने अथवा शेडों का निर्माण करवाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों के परिवारों को ऐसे कितने भू-खण्डों अथवा शेडों का आबंटन किये जाने का प्रस्ताव है तथा इस प्रयोजन के लिए इन परिवारों से ली गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में इन भू-खण्डों अथवा शेडों को कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार स्वतन्त्रता सेनानियों की श्रेणी उन श्रेणियों में से एक थी जिनसे दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 1976 में आवेदन आमंत्रित किये थे। इस श्रेणी से 33 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनके साथ प्लाट की 10 प्रतिशत लागत के रूप में 95,400/- रु० की राशि प्राप्त हुई थी।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, आवंटन नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

विद्युत की कमी वाले राज्यों को बिजली की सप्लाई

3324. श्री डी० बी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत सप्लाई के बारे में प्रयोजन और कार्यपालन के प्रयोजन के

लिए देश को पांच क्षेत्रों में बांटा गया था;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के गठन का ब्योरा क्या है; और

(ग) 1984-85 तथा अप्रैल 1985 से दिसम्बर, 1985 में विद्युत की कमी वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी बार और किन राज्यों से बिजली सप्लाई की गई?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) पांच क्षेत्रों का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

पांच क्षेत्रों का गठन नीचे दिये अनुसार है :—

1. **उत्तरी क्षेत्र**

(क) जम्मू तथा कश्मीर

(ख) हिमाचल प्रदेश

(ग) हरियाणा

(घ) पंजाब

(ङ) राजस्थान

(च) उत्तर प्रदेश

(छ) चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)

(ज) दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)

2. **पश्चिमी क्षेत्र**

(क) मध्य प्रदेश

(ख) गुजरात

(ग) महाराष्ट्र

(घ) गोवा, दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्र)

(ङ) दादरा और नागर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)

3. दक्षिणी क्षेत्र

(क) कर्नाटक

(ख) आंध्र प्रदेश

(ग) केरल

(घ) तमिलनाडु

(ङ) पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)

4. पूर्वी क्षेत्र

(क) बिहार

(ख) पश्चिम बंगाल

(ग) उड़ीसा

(घ) सिक्किम

5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र

(क) असम

(ख) मेघालय

(ग) मणिपुर

(घ) त्रिपुरा

(ङ) नागालैंड

(च) मिजोरम (संघ शासित क्षेत्र)

(छ) अरुणाचल प्रदेश (संघ शासित क्षेत्र)

अन्तर्राज्यीय लाइनों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को ऋण

3325. श्री डी० बी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड की प्रक्रिया तेज करने हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को योजना के बाहर केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के रूप में अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध किए गये थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कब-कब और कितनी राशि के ये ऋण लिए;

(ग) इन ऋणों पर ब्याज की दर तथा इन्हें वापस करने की शर्तें क्या थीं; और

(घ) इस प्रकार निर्मित अन्तर्राज्यीय लाइनों की राज्य-वार कुल लम्बाई क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) 28-2-1986 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/संगठनों को मुहैया कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण—एक में दिया गया है।

(ग) ऋण पर ब्याज की दर 8% (आठ प्रतिशत) वार्षिक है और शीघ्र भुगतान करने पर प्रतिवर्ष 1/4% (चौथाई प्रतिशत) छूट दी जाती है। ऋण 25 (पच्चीस) सामान वार्षिक किस्तों में देय होगा और पहली किश्त प्राप्त करने के एक वर्ष के बाद, शेष राशि का ब्याज इसमें शामिल होगा।

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1986 तक पूरी की गई अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण—एक

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 28-2-1986 तक मुहैया कराई गई निधियों का ब्यौरा

(आंकड़े लाख रुपये में)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र आदि	1-4-1969 से 28-2-1986 के दौरान मुहैया कराए गए ऋण
	1	2
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	330.620
	2. हिमाचल प्रदेश	1738.870

		1	2	
	3.	जम्मू तथा कश्मीर	324.220	
	4.	पंजाब	10.050	
	5.	राजस्थान	697.030	
	6.	उत्तर प्रदेश	251.920	
पश्चिमी क्षेत्र	7.	गुजरात	268.990	
	8.	मध्य प्रदेश	2344.270	
	9.	महाराष्ट्र	652.230	
दक्षिणी क्षेत्र	10.	आन्ध्र प्रदेश	907.490	
	11.	कर्नाटक	789.060	
	12.	केरल	1349.400	
	13.	तमिलनाडु	253.050	
पूर्वी क्षेत्र	14.	बिहार	838.359	
	15.	उड़ीसा	1418.308	
	16.	पश्चिम बंगाल	1005.637	
	17.	सिक्किम	317.714	
	18.	दामोदर घाटी निगम	1903.460	
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	19.	असम	457.755	
	20.	नागालैंड	381.100	
	21.	मणिपुर	900.380	
संघ शासित क्षेत्र	22.	दिल्ली	10.000	
	23.	गोवा	304.630	
		जोड़ :	17454.543	(अर्थात् 174.55 करोड़ रु०)

विवरण—दो

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत फरवरी, 1986 तक पूरी की गई अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों का राज्यवार ब्योरा

(आंकड़े सर्किट किलोमीटर में)

राज्य		220 के० वी०	132 के० वी०	66 के० वी०	जोड़
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	113	50	—	163
2.	हिमाचल प्रदेश	—	93	—	93
3.	जम्मू तथा कश्मीर	105	—	—	106
4.	पंजाब	18	—	—	18
5.	राजस्थान	218	18	—	236
6.	उत्तर प्रदेश	70	40	—	110
पश्चिमी क्षेत्र					
7.	गुजरात	78	—	—	78
8.	मध्य प्रदेश	614	245	—	859
9.	महाराष्ट्र	408	45	—	453
दक्षिणी क्षेत्र					
10.	आंध्र प्रदेश	395	—	—	395
11.	कर्नाटक	302	—	—	302
12.	केरल	380	—	—	380
13.	तमिलनाडु	139	—	—	139

1	2	3	4	5	6
पूर्वी क्षेत्र					
14.	बिहार	209	117	—	326
15.	उड़ीसा	123	—	—	123
16.	पश्चिम बंगाल	21	172	67	260
17.	सिक्किम	—	—	74	74
18.	दामोदर घाटी निगम	437	—	—	437
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
19.	असम	—	239	15	254
20.	नागालैंड	—	79	5	84
21.	मणिपुर	—	222	—	222
संघ शासित क्षेत्र					
22.	गोवा	24	—	—	24
	कुल जोड़ :	3655	1320	161	5136

कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण तालचेर विद्युत संयंत्र में बिजली का कम उत्पादन

3326. श्री अनादि चरण दास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की अपर्याप्त सप्लाई विशेष रूप से कोल इंडिया लि० की अपर्याप्त क्रशिंग और बंकर क्षमता के कारण तालचेर विद्युत संयंत्र में कम बिजली पैदा होती है;

(ख) यदि इस अनुरोध को दूर करने के लिए जगन्नाथ खान के मुहाने पर स्टीम बंकर और स्लैक बंकर के निर्माण कार्य को जिसे बहुत समय पूर्व पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से)ग) तालचेर ताप बिजली घर में विद्युत उत्पादन कम होने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :

(1) संयंत्र एवं उपकरणों में कुछ खामियां।

(2) देखभाल करने में अधिक समय लगना।

(3) संचालन एवं देखभाल कार्य हेतु प्रशिक्षित स्टाफ की कमी।

(4) तालचेर ताप बिजली घर में बेल्ट कन्वेयर प्रणाली अपर्याप्त होना।

कोयला कंपनी के पास पर्याप्त सर्किट क्षमता है जो 5,00 ' टन बंकर कोयला कम्पनी द्वार निर्मित किया जाना था, उसमें 3 000 टन स्टीम एवं 2,000 टन स्लैक लगता। स्टीम सर्किट पहले ही पूरा हो चुका है और काम कर रहा है। स्लैक सर्किट अभी तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन स्लैक कोयला प्राप्त करने के लिए अस्थाई व्यवस्था कर दी गई है। स्लैक कोयला सर्किट का स्थायी प्रबन्ध जल्द ही पूरा होने वाला है।

दिनांक 7-3-1986 को बिजली घर में 49,576 टन कोयले का भंडार था जो 10 दिन के उपभोग के बराबर है।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में और अधिक पेट्रोल पम्प तथा खाना पकाने की गैस एजेन्सियां खोलना

3327. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में अपर्याप्त संख्या में पेट्रोल पम्प होने के कारण किसानों को पेट्रोल तथा डीजल प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या जौनपुर जिले में प्रत्येक 10-15 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जौनपुर जिले में सभी बड़े शहरों तथा गांवों में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां न होने के कारण यहां लोग आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन शहरों तथा गांवों में कतिपय गैस एजेन्सियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान जौनपुर जिले में कितने पेट्रोल पम्प तथा गैस की एजेंसियों की

मंजूरी दी गई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य पड़ोसी जिलों की तुलना में यह संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जौनपुर जिले में इस समय 37 रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिपें कार्य कर रही हैं तथा इसके अतिरिक्त, आर्थिक व्यवहार्यता तथा निर्धारित मानकों के आधार पर, तेल उद्योग ने जिले में खुदरा बिक्री केन्द्रों का विकास करने के लिए 1985-86 तक की अपनी विभिन्न विपणन योजनाओं में 10 और स्थानों को शामिल कर लिया है।

(ग) और (घ) इस समय केवल जौनपुर शहर में एक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्य कर रही है। उपलब्ध सम्भाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर जिले में केवल जौनपुर शहर में एक अन्य एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने का प्रस्ताव है।

(ङ) जबकि जौनपुर जिले में गत तीन वर्षों में 5 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रदान किए गए हैं जौनपुर शहर में एक और एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है। इस सम्बन्ध में जौनपुर जिले की स्थिति पड़ोसी जिलों की तुलना में बेहतर है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग के वाणिज्यिक संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को पेन्शन

3328. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपने वाणिज्यिक संगठनों में काम कर रहे कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्णय किया है और इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ वर्ष पहले खादी भवन, नई दिल्ली में कर्मचारियों की उपस्थिति में उन्होंने पेंशन देने की घोषणा की थी; और

(ग) यदि हां, तो पेंशन के इस मामले को कब तक अन्तिम रूप से समाधान किए जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का मूल प्रस्ताव अपने नियमित कर्मचारियों को पेंशन देने के बारे में था। किंतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से व्यापारिक कार्यकलापों में अपने कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ देने के लिए अब एक नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि इस प्रस्ताव की कई दृष्टियों से तथा अन्य मंत्रालयों के परामर्श से भी जांच करनी होगी, अतः प्रस्ताव के अंतिम निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित कर पाना कठिन है।

[अनुवाद]

सौर तथा पवन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तकनीक-विदों (टैक्नोक्रेट्स) को पुरस्कार

3329. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उपलब्ध सभी ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक समेकित ऊर्जा संकल्पना तैयार करने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सौर तथा पवन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तकनीक विदों (टैक्नोक्रैट्स) को पुरस्कार देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्राम स्तर की समन्वित परियोजनाओं के लिए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग आगे एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका लक्ष्य ग्रामों में ऊर्जा को आत्मनिर्भरता उपलब्ध करना है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के गया जिले में ग्रामीण डाक-घरों में सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र

3330. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया जिले में सभी ग्रामीण डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा ग्रामीण जनता को भारी असुविधा से बचाने के लिए गया जिले के सभी ग्रामीण डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि गया जिले में घेजान, विष्णुपुर, गया-बिगाहा, मुधारा और सरैया के ग्रामवासियों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, जो कि गया जिले में पाई-बिगाहा गांव में उपलब्ध है, दो-दो नदियों को पार करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा घेजान, विष्णुपुर, गया-बिगाहा, मुधारा और सरैया में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार

है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार 5 कि० मी० के षडभुजाकार क्षेत्र के प्रमुख ग्राम में केवल एक दूरसंचार सुविधा प्रदान की जानी होती है। यह सुविधा डाकघर अथवा निजी अहाते मे प्रदान की जा सकती है। निवेश की सीमित क्षमता को देखते हुए इस नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) केवल वर्षाऋतु के दौरान ही नदियां पार करनी पड़ती हैं। शेष अवधि के दौरान ये नदियां सूखी पड़ी रहती हैं।

(घ) इन ग्रामों में लंबी दूरी के पी० सी० ओ० प्रदान करने के मामलों पर विभाग की नीति के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा।

"क्राफ्ट पेपर" का उत्पादन और आयात

3331. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग पैकेजिंग उद्योग की "क्राफ्ट पेपर" की मांग पूरा करने में समर्थ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान "क्राफ्ट पेपर" की उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पादन और अन्य देशों से आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का "क्राफ्ट पेपर" संबंधी आयात नीति को उदार बनाने और अथवा उस पर आयात शुल्क कम करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) देश में पैकेजिंग सहित विभिन्न उपयोगों के लिए क्राफ्ट पेपर की मांग को मुख्य रूप से देशीय उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है और आयात न के बराबर होते हैं। यह अनुमान है कि देश में क्राफ्ट पेपर का उत्पादन कागज और गत्ते के कुल उत्पादन का 25-30 प्रतिशत है। पिछले 2 वर्षों के दौराम कागज और गत्ते की अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन
	(लाख मी० टनों में)	
1984	21·65	13.75
1985	23.49	15.00 (अनुमानित)

क्राफ्ट पेपर के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। आयातित क्राफ्ट

पेपर पर सीमाशुल्क कम करने के लिए संसद में प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के बजट प्रस्तावों में कोई परि-कल्पना नहीं की गई है ।

"पैकेजिंग" की अधिक लागत के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

3332. श्री अनादि चरण दास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लकड़ी/टीन के डिब्बों की बढ़ती हुई पैकेजिंग लागत के कारण चाय/काफी/दुग्धचूर्ण तम्बाकू, कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुओं के लागत मूल्य को नियन्त्रण में नहीं रखा जा सकता:

(ख) एक मानक वजन, जैसे 40 किलो तक, गत्ते, कारूगेटिड बाक्स/कागज के डिब्बों का इस्तेमाल अनिवार्य न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) किसी भी अन्य उत्पादित वस्तु के समान, पैकेजिंग सामग्री की निविष्टियों की कीमतें भी धीरे-धीरे बढ़ रही हैं जिसका तुलनात्मक प्रभाव अन्ततः पैक की जाने वाली और बेची जाने वाली वस्तु के मूल्य पर पड़ता है। चाय, काफी, दूध के पाउडर, तम्बाकू आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कुल कीमत पर पैकिंग लागत बढ़ने का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है ।

(ख) और (ग) लकड़ी और टिन के कंटेनरों के स्थान पर कोरोगेटिड बोर्ड के डिब्बों और गत्ते के डिब्बों का उपयोग किया जाना एक युक्तिसंगत और प्रगतिशील रिवाज है। कई किस्मों की उपभोक्ता वस्तुओं को पैक करने के लिए कागज आधारित डिब्बों/कन्टेनरों का निरन्तर विकास हो रहा है और इस समय इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की पैकिंग सामग्री का उपयोग कार्य की दृष्टि से भी ठीक रहेगा, आकर्षक भी रहेगा, अतः सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यापार और वाणिज्य में यह एक प्रथा बन जाने की सम्भावना है। शासनादेश द्वारा इसे लागू करना सम्भवतः आवश्यक नहीं होगा। वस्तुतः बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 तथा बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) अधिनियम, 1977 में पैकिंग के तरीकों अथवा पैकेजिंग सामग्री के उपयोग के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है ।

आवश्यक औषधों का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाएं

3334. डा० जी० विजय रामाराव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियां आवश्यक औषधों जैसे पेन्सिलीन विटामिन-बी-1 और एनलजीन के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है

जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है और अपेक्षीकृत निर्माताओं के लिए रास्ता खुला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आवश्यक औषधियों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार की कोई योजनाएं हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए इन औषधों के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त किया जायेगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 1985-86 में आई०डी०पी०एल० द्वारा अनलजिन, विटामिन बी-1 और पोट० पेनिसिलिन का उत्पादन लक्ष्यों के 90 प्रतिशत से अधिक और एच०ए०एल० द्वारा पोट० पेनिसिलिन का उत्पादन लक्ष्य 80 प्रतिशत से अधिक होने की आशा है। यह कहना सही नहीं है कि या तो लागतों में वृद्धि हुई है अथवा अपेक्षीकृत निर्माताओं द्वारा उत्पादन किया गया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम अनिवार्य औषधों के उत्पादन में सुधार करने हेतु कदम उठा रहे हैं।

(ग) औषध नीति की पुनरीक्षा की जा रही है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

3335. डा० जी० विजय रामाराव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल उत्पादित ऊर्जा में से 60 प्रतिशत ऊर्जा वाणिज्यिक क्षेत्र में खप जाती है और सन् 2000 तक यह खपत बढ़कर 75 प्रतिशत हो जायेगी जिसके फलस्वरूप गरीब वर्ग की पहुंच ऊर्जा से कम होकर वन अथवा कृषि अपशिष्ट अथवा गोबर तक रह जायेगी ?

(ख) क्या यह भी सच है कि सन् 2000 तक ईंधन की लकड़ी की मांग 300-350 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जायेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना में इस पर ध्यान दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) सन 2000 तक ईंधन काष्ठ मांग के लिए एक विस्तृत परिणात्मक सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है, हालांकि, स्थिति की गम्भीरता को अनुभव किया जा चुका है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के दौरान, काफी संख्या में कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं

जिनका लक्ष्य उन्नत प्रकार के चूल्हों के रूप में ईंधन काष्ठ की बचत एवं ईंधन काष्ठ की वृद्धि भी है। बायोगैस ऊर्जा बागवानी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास सहित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ाया जा रहा है।

कागज उद्योग पर उत्पादन शुल्क

3336. श्री विजय एन० पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कागज पर लगाए गए भारी उत्पादन शुल्क के कारण इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : कागज और गत्ते की विभिन्न किस्मों पर उत्पादन शुल्क कम करने के लिए समय-समय पर कागज उद्योग की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। निम्नलिखित कई राजकोषीय रियायतें पहले ही दी जा चुकी हैं जिससे कि उद्योग जीव्य आधार पर चल सके :—

(1) 1-4-79 से 31-3-1987 के बीच स्थापित होने वाले नए एककों को 5 वर्ष तक के लिए 50% तक उत्पादन शुल्क की छूट दी गई है।

(2) वजन के अनुसार 75% से अधिक खोई वाले कागज उत्पादन शुल्क से पूर्णतया मुक्त हैं।

(3) अपारम्परिक कच्ची सामग्री का उपयोग करने वाले छोटी कागज मिलें उत्पादन शुल्क में 50% तक छूट पाने की हकदार हैं।

(4) लकड़ी की लुगदी, चिप्स और रद्दी कागज का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कर दिया गया है और उस पर से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(5) लकड़ी के लठ्ठों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कर दिया गया है और उस पर रियायती दर से सीमा शुल्क लिया जाता है।

खाना पकाने की गैस के मूल्य में वृद्धि

3337. डा० चिन्ता मोहन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाटा होने के कारण खाना पकाने की गैस के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो खाना पकाने की गैस के सिलेंडर की लागत और खुदरा मूल्य तीन वर्ष पहले क्या थे और अब क्या हैं;

(ग) क्या उत्पादन लागत में वृद्धि की किसी सक्षम अभिकरण द्वारा जांच की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि मुश्किल से 50 करोड़ रुपये की लागत के उपकरण के अभाव में प्रति दिन 2 करोड़ रुपये मूल्य की गैस बेकार जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार की नीतियों के कारण वनों की कटाई किए जाने पर ध्यान दिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) हाल ही में की गई वृद्धि का कारण एल०पी०जी० की कीमत प्रक्रिया में आर्थिक सहायता को कम करना था।

(ख), (ग) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) प्राकृतिक गैस जो एल०पी०जी० से भिन्न होती है, तथा इसे एल०पी०जी० की तरह आर्थिक रूप से कम्प्रेस और स्टोर नहीं किया जा सकता है। जलाई गई गैस की मात्रा हाल ही में लगाये गये हिसाब के अनुसार कुल मूल्य करीब 30 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है।

लघु उद्योग के लिए आरक्षित वस्तुओं पर भारी उद्योग द्वारा अतिक्रमण

3338. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण को इस्पात के बर्तनों में ढालने की अनुमति दी है जिसमें केवल लघु और कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची पर अतिक्रमण हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो भारी उद्योगों द्वारा कितनी और वस्तुओं पर अतिक्रमण किया गया है और इस प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सेलम स्टील प्लांट द्वारा उत्पादित कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस इस्पात की बिक्री संवर्धन के लिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सेलम स्टेनलेस इस्पात को बर्तनों में ढालने के लिए कुछ लघु उद्योग एककों को नियुक्त किया है। इन बर्तनों का विपणन भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, यदि वस्तु का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है तो किसी बड़े अथवा मझौले औद्योगिक उपक्रम को नए उपक्रम की स्थापना करने अथवा विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि वे नए अथवा अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने का दायित्व

नहीं लेते। तथापि, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बड़े क्षेत्र के प्रवेश के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बड़े क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करेगी।

बिहार में वनों पर आधारित उद्योग

3339. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के बहुत से जिलों में वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में वनों पर आधारित अब तक कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के बिहार में ऐसे कितने उद्योग स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में प्राप्त हुई प्रगति सम्बन्धी रिपोर्टों से पता चला है कि बिहार राज्य में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की गुंजाइश है और वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम का कार्यान्वियन करके राज्य में स्थापित वनों पर आधारित उद्योगों की संख्या क्रमश: 720 और 2206 थी।

(ग) जैसा कि बिहार सरकार ने सूचना दी है, बड़े, मझौले, ग्राम्य और लघु उद्योगों के लिए राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए स्वीकृत परिव्यय में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई अलग से प्रावधान निर्दिष्ट नहीं किया गया है। किन्तु, रेशम-कीट उद्योगों की स्थापना के लिए विशिष्ट आवंटन किया गया है।

कोल इंडिया लि० कम्पनियों से चोरी किया गया कोयला

3340. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० की कम्पनियों से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कोयले की चोरी की गई है और इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) अब तक पता लगे ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोल इण्डिया लि० की कम्पनियों के लिए वर्ष 1983 की अपेक्षित सूचना का ब्यौरा नीचे दिया गया है : —

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	चोरी की गई कोयले की मात्रा टनों में (लगभग)	चोरी किए गए कोयले का मूल्य (रु० लाख में)	पकड़े गए मामलों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई
1.	से० को० लि०	839	2.10	52	21
2.	भा० को० को० लि०	2,753	8.10	819	141
3.	वे० को० लि०	869	1.74	68	199
4.	ई० को० लि०	4431	11.30	148	342

[हिन्दी]

आदरणीय श्री सागरमलजी गोपा की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

3341. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने देश के स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में डाक टिकटें जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग को आदरणीय श्री सागरमलजी गोपा (जैसलमेर) जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था, की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या डाक विभाग का विचार अप्रैल में उनके जन्म दिन पर डाक टिकट जारी करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अप्रैल में डाक टिकट जारी कर पाना सम्भव न होगा।

[अनुवाद]

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना

3342. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन जिलों में, वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में स्वीकृत किए गए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा टेलीफोन एक्सचेंज चालू नहीं किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। 1984-85 और 1985-86 में मंजूर किए गए कुछ टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोनघरों को चालू नहीं किया गया है।

(ग) साज-सामग्री मिलने में दिक्कत होने के कारण यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) इन सार्वजनिक टेलीफोनघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का संस्थापना कार्य सातवीं योजना के प्रारम्भ में पूरा कर दिया जायेगा।

विवरण

जनवरी 1986 का स्थिति।

		टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	पी० सी० ओ० की संख्या
1.	बाड़मेर	17	51
2.	जैसलमेर	4	12
3.	जोधपुर	23	64

केरल में तेल की खोज के लिए निर्धारित राशि

3343. श्री सुरेश कुरूप : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तेल और गैस का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, ड्रिलिंग आदि का कार्य करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लि० द्वारा अलग-अलग कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) उक्त कार्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ही केरल-कोंकण बेसिन में सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक खनन के कार्य में लगा हुआ है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बेसिन के लिए 40.34 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(ख) 29000 लाइन कि० मीटर का सर्वेक्षण करने तथा 12 कुएं खोदने का प्रस्ताव है।

(ग) 1985-86 के दौरान कोई भी अन्वेषणात्मक कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

मिनी और माइक्रो पन-बिद्युत संयंत्रों की स्थापना

3344. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में मिनी और माइक्रो पन-बिद्युत एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बिद्युत एकक किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) माइक्रो/मिनी/लघु जल-विद्युत परियोजनाएं राज्य योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही हैं और राज्य सरकारों को 5 करोड़ रुपये तक की लागत वाली इस प्रकार की स्कीमों को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लेने का अधिकार है तथा इसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में, 169.88 मेगावाट

की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 17 स्कीमें देश में निर्माणाधीन हैं। 148.03 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 66 स्कीमों को संलग्न विवरण के अनुसार सातवीं योजनावधि के दौरान चालू किये जाने की सम्भावना है।

विवरण

माइक्रो/मिनी जल-विद्युत स्कीमें जिन्हें सातवीं योजनावधि के दौरान चालू किये जाने की सम्भावना है

1	2	3	4
क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्कीमों की संख्या	प्रतिष्ठापित क्षमता (किलोवाट)
1.	हिमाचल प्रदेश	2	6500
2.	उत्तर प्रदेश	9	9870
3.	पंजाब	5	7100
4.	राजस्थान	6	32150
5.	जम्मू व कश्मीर	2	6000
6.	हरियाणा	1	10000
7.	गुजरात	1	5000
8.	मध्य प्रदेश	2	1000
9.	महाराष्ट्र	2	1575
10.	आन्ध्र प्रदेश	4	3480
11.	कर्नाटक	5	12250
12.	तमिलनाडु	3	16000
13.	असम	1	19950
14.	मणिपुर	6	4900

1	2	3	4
15.	नागालैण्ड	1	1000
16.	त्रिपुरा	1	1000
17.	अरुणाचल प्रदेश	15	10255
	जोड़ :	66	148030

सातवीं योजना में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का वितरण/निर्माण

3345. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए देश में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के वितरण और निर्माण के लिए बनाई गई नीति का क्षेत्रवार ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एल० पी० जी० सिलेण्डरों की वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः 45-50 लाख है। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तेल कम्पनियों द्वारा स्वदेशी निर्माताओं से सिलेण्डरों की खरीद की जाती है।

टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार

3346. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ख) क्या फाईबर ऑप्टिकल इक्विप्मेंट्स सेइल्युलर प्रणाणी अपनाने पर विचार किया गया है;

(ग) क्या धातु के आवरण वाले केबल का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए इस प्रकार की उच्च प्रौद्योगिकी कब तक अपनाई जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश की टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सातवीं योजना के दौरान स्थानीय जंक्शनों की प्रणाली में और लम्बी दूरी के नेटवर्क में फाइबर आप्टिक उपस्कर लगाए जा रहे हैं। संसाधन उपलब्ध होने पर कुछ महानगरीय नेटवर्क में सेइल्युलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन प्रणाली शुरू किए जाने की सम्भावना है।

(ग) विभाग में प्रयुक्त की जा रही केबिलों को पहले से ही स्टील टेप आवरण के तरीके से यांत्रिकी सुरक्षा दी गई है।

(घ) विवरण के अनुसार उच्च प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है।

विवरण

देश में टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय

(एक) कार्य अवधि पूरी करने वाले तथा घिसे-पिटे टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना तथा मरम्मत योग्य उपस्कर के रख-रखाव के लिए पर्याप्त पुर्जों की व्यवस्था करना।

(दो) केबिल पी० सी० एम० और फाइबर ऑप्टिक माइक्रोवेव प्रणालियों की व्यवस्था करके अन्त:-एक्सचेंज जंक्शन नेटवर्क में सुधार और विस्तार।

(तीन) जैली भरे केबिलों का प्रयोग करके, ड्राई केबिलों का दावीकरण, डक्टों की व्यवस्था करके बाह्य संयंत्र जो कि प्रणाली का सबसे कमजोर लिंक है, को पुन: व्यवस्थित करना। बड़े शहरों और कस्बों में सार्वजनिक उपयोगिता समन्वय बोर्डों का गठन।

(चार) इलेक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाना तथा पेंटाकोंटा क्रासबार ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज को बदलना क्योंकि अधिकांश एस० टी० डी० कालें इसके कारण असफल रहती हैं।

(पांच) इंटर-मैट्रो संचारण माध्यम की क्षमता बढ़ाना तथा पर्याप्त चैनल उपस्कर सुलभ करना।

(छ:) डाइरेक्टरी पूछताछ तथा ट्रंक बुकिंग पूछताछ जैसी महत्वपूर्ण ऑटो-मैनुअल सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(सात) टेलेक्स नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना तथा उसमें सुधार लाना।

दूरसंचार के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग आरम्भ करना

3347. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने और किन-किन शहरों में दूरसंचार के क्षेत्रों में अत्याधुनिक और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग आरम्भ किया गया है;

(ख) देश में राज्यवार कितने और किन-किन स्थानों पर डिजिटल परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं; और

(ग) देश में किन शहरों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोनों का प्रयोग आरम्भ किया गया है अथवा आरम्भ करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 33 स्थानों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए गए हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में अभी तक कहीं भी डिजिटलाइजेशन परियोजनाएं (समेकित अंकीय नेटवर्क) शुरू नहीं की गई है।

(ग) दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों का प्रयोग आरम्भ किया गया है। ऐसा प्रस्ताव भी है कि इन उपकरणों का प्रयोग धीरे-धीरे उन शहरों में भी आरम्भ किया जाएगा जहां इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित होने वाले हैं।

विवरण

उन शहरों के नाम, जहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए गए हैं

1. बम्बई
2. दिल्ली
3. कलकत्ता
4. मद्रास
5. अहमदाबाद
6. हैदराबाद
7. कानपुर
8. पठानकोट
9. श्रीगंगानगर
10. सिरसा
11. गांधीधाम
12. वीरावल
13. कुर्नूल
14. डिब्रूगढ़

15. इम्फाल
16. करूर
17. गुड़गांव
18. गुलबर्गा
19. चंगनचेरी
20. पालीमारवाड़
21. उदिपी
22. पोरबंदर
23. तिनसुकिया
24. ब्यावर
25. मेहसाणा
26. गया
27. कोसीकलां (उत्तर प्रदेश)
28. नैनीताल
29. उझानी (उत्तर प्रदेश)
30. अल्मोड़ा
31. चिल्कालूरीपेट (आंध्र प्रदेश) (टेलेक्स)
32. निजामाबाद (टेलेक्स)
33. उदयमपेरूर (एर्णाकुलम) (आई० एल० टी०)

बिजली की मांग, उत्पादन और सप्लाई

3348. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 को देश में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान अधिष्ठापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में औसतन उत्पादन कितना हुआ;

(ग) विद्यमान मांग की प्रतिशत के रूप में कितनी मांग पूरी की गई;

(घ) देश में बिजली की कमी वाले राज्य कौन से हैं;

(ङ) बिहार में बिजली की कमी वाले जिले कौन से हैं; और

(च) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) 31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार, देश में विद्युत उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 4 453 मेगावाट थी।

(ख) अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 के दौरान ताप-विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 50.8% था।

(ग) अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 की अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 155198 मिलियन यूनिट थी जिसकी तुलना में उपलब्धता लगभग 142726 मिलियन यूनिट थी जो कि लगभग 8 प्रतिशत कमी को दर्शाते हैं।

(घ) अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश; दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक तथा तमिलनाडु; पूर्वी क्षेत्र में बिहार तथा उड़ीसा को 10 प्रतिशत से अधिक विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा था।

(ङ) अप्रैल, 1985, फरवरी, 1986 के दौरान बिहार में लगभग 27.8 प्रतिशत विद्युत की कमी थी। सरकार द्वारा विद्युत की जिलेवार स्थिति की मानीटरिंग नहीं की जाती।

(च) देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने में तेजी लाना।
2. संयंत्र सुधार/नवीकरण कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान ताप-विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन को अधिकतम करना।
3. पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी लाना।
4. ऊर्जा संरक्षण के लिए उपाय करना।
5. फालतू मात्रा वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत की सप्लाई करना।

सिक्किम में उद्योगों की स्थापना

3349. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दस वर्षों के दौरान सिक्किम में किसी उद्योग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं और उन्हें किन स्थानों पर स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य में कोई उद्योग स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबन्ध सिक्किम राज्य में 5 मार्च, 1983 से लागू किए गए थे। उसके बाद सिक्किम में उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं :—

उपक्रम का नाम	स्थापना स्थल	उत्पादन की वस्तु और क्षमता	जारी करने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
आशय पत्र :—				
सिक्किम इण्ड० डेव० एण्ड इनवे० कार्पो० लिमिटेड	गंगटोक पूर्व, सिक्किम	रंगीन टी० वी० रिसीवर सेट —50,000 सेट सादे टी० वी० सेट रिसीवर सेट —10,000 सेट	16-7-84	अब व्यपगत
सिक्किम वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड	मिल्ली, जिला न्यू जलपाइगुड़ी	वनस्पति — 50 मी० टन प्रति दिन	13-11-84	कार्यान्वय-नाधीन
औद्योगिक लाइसेंस :—				
युकसोम बिवरीज एण्ड डिस्टिलरीज लिमिटेड	मेल्ली बाजार, सिक्किम	बीयर 50 हेक्टो लीटर प्रति दिन	6-7-84	कार्य जारी रखने का लाइसेंस

1	2	3	4	5
सिक्किम डिस्टिलरीज लिमिटेड	साईं बाबा नगर डाक घर, रंगपा, सिक्किम	आई० एम० एफ० एल० —27 लाख लीटर देशी शराब —19 लाख लीटर	14-9-84	कार्य जारी रखने का लाइसेंस

सीमेंट में मिलावट

3350. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट में मिलावट पर नियंत्रण रखने हेतु कोई तंत्र है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी सीमेंट किस्म नियन्त्रण आदेश, 1962 जिसे जुलाई, 1983 में संशोधित किया गया, के अधीन उत्पादित, भण्डारित अथवा देश में बेचा जाने वाला सीमेंट आई० एस० आई० विशिष्टियों के अनुरूप होना चाहिए और इस पर आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिह्न लगा होना चाहिए। भारतीय मानक संस्थान देश में जैसे क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से फैक्टरियों, गोदामों, भण्डारों आदि से नियमित रूप से सीमेंट के नमूने लेता है और इनकी जांच करता है। यदि इन नमूनों से यह पता चलता है कि सीमेंट घटिया किस्म का है अथवा इसमें मिलावट की गई है कि तो आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिन्ह/लाइसेंस निलम्बित अथवा रद्द किया जा सकता है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कार्रवाई भी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ौदा में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग

3351. श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या संचार मन्त्री बड़ौदा में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग के बारे में 3 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 2301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक 52,700 टेलीफोन कनेक्शनों की कुल अनुमानित मांग के सातवीं योजना के अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 52.700 नये टेलीफोन कनेक्शनों की अनुमानित मांग में से कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे; और

(घ) नये टेलीफोन कनेक्शनों की बकाया मांग कब तक पूरी हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) वित्तीय दिक्कतों और एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण।

(ग) लगभग 13,000।

(घ) नये टेलीफोन कनेक्शनों की शेष मांग 8वीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से पूरी की जाएगी, यह विभाग को आवंटित धनराशि पर निर्भर करेगा।

गुजरात में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

3352. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार का विचार गुजरात में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है;

(ख) सातवीं योजना के दौरान गुजरात में किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने का विचार है;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान बड़ौदा टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने पर विचार किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण—एक में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण-एक के क्रम सं० 2 पर दिए गए हैं।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर उनके नाम के सामने दी गई स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान करने की योजना बनाई गई है

क्रम संख्या स्थान का नाम		क्षमता	चालू होने की योजना (अस्थायी)
1	2	3	4
1. अहमदाबाद :	(I) स्थानीय एक्सचेंज	43,000 लाइनें	10,000 लाइनें पहले से ही चालू 8,000 लाइनें 1986-87 के दौरान 8,000 लाइनें 1987-88 के दौरान 10,000 लाइनें 1988-89 के दौरान 7,000 लाइनें 1989-90 के दौरान
	(II) ट्रंक स्वचल एक्सचेंज	3,000 लाइनें	1989-90 के दौरान
2. बड़ौदा :			
	(I) स्थानीय एक्सचेंज	10,000 लाइनें	1989-90 के दौरान
	(II) ट्रंक स्वचल एक्सचेंज	2,000 लाइनें	1989-90 के दौरान

1	2	3	4
3. सूरत :			
	(I) स्थानीय एक्सचेंज	6,000 लाइनें	4,000 लाइनें 1988-89 के दौरान। 2,000 लाइनें 1989-90 के दौरान
	(II) ट्रंक स्वचल एक्सचेंज	2,500 लाइनें	1,000 लाइनें 1987-88 के दौरान 1,500 लाइनें 1988-89 के दौरान
4. राजकोट :			
	(I) स्थानीय एक्सचेंज	2,000 लाइनें	1988-89 के दौरान
	(II) ट्रंक स्वचल एक्सचेंज	3,500 लाइनें	2,000 लाइनें 1988-89 के दौरान 1,500 लाइनें 1989-90 के दौरान
5. गांधीधाम		4,000 लाइनें	2,000 लाइनें पहले से ही चालू 2,000 लाइनें सातवीं योजना के दौरान
6. गांधीनगर		3,000 लाइनें	1986-87 के दौरान
7. वेरावल		3,000 लाइनें	2,000 लाइनें पहले से ही चालू 1,000 लाइनें सातवीं योजना के दौरान
8. पोरबंदर		4,000 लाइनें	3,000 लाइनें पहले से ही चालू 1,000 लाइनें सातवीं योजना के दौरान
9. मेहसाणा		4,000 लाइनें	3,000 लाइनें पहले से ही चालू 1,000 लाइनें सातवीं योजना के दौरान
10. कोडिनार		400 लाइनें	1986-87 के दौरान

गुजरात की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को मंजूरी

3353. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मंत्री गुजरात को विद्युत उत्पादन परियोजना की मंजूरी के बारे में 17 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4348 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजना के "कोयला-लिकेंज" के बारे में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई कोल-लिकेज की स्वीकृति को देखते हुए 120 किलोवाट क्षमता के सिम्का ताप बिजली विस्तार एकक संख्या 2 को अब मंजूरी दे दी जाएगी और उक्त निर्णय की सूचना राज्य सरकार तथा गुजरात विद्युत बोर्ड सहित संबंधित एजेन्सी को भी दे दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त परियोजना की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) सिक्का ताप विद्युत केन्द्र विस्तार की 120 मेगावाट की यूनिट सं० 2 के लिए कोयला लिंकेज के बारे में सिद्धांत रूप में सहमति हो गई है। तदनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी है बशर्ते स्थायी लिंकेज समिति द्वारा कोयला लिंकेज की पुष्टि कर दी जाए। कोयला लिंकेज की पुष्टि के बारे में स्थायी लिंकेज समिति की अगली बैठक में विचार किए जाने की सम्भावना है।

गुजरात में कोयला गारा पाइप लाइन परियोजना

3354. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मंत्री गुजरात में कोयला गारा पाइप लाइन परियोजना के बारे में 26 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1411 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू माजरी खुले मुहाने की खान से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के चन्द्रपुर ताप विद्युत स्टेशन तक प्रायोगिक गारा पाइप लाइन परियोजना का काम शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला गारा ढुलाम की लाभप्रदता का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रायोगिक गारा पाइप लाइन परियोजना का काम कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) न्यू माजरी ओपेनकास्ट खान से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के चन्द्रपुर ताप बिजली घर तक एक प्रदर्शन कोयला स्लरी पाइप लाइन बनाने के लिए

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया गया है। वास्तविक प्रदर्शन परियोजना पर कार्य इस रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। देश में कोयला स्लरी परिवहन की लाभकारिता इस प्रदर्शन परियोजना के परिणामों के आधार पर स्थापित की जा सकेगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों का प्रस्ताव

3355. श्री विष्णु मोदी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रस्तावों को शीघ्र निबटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण स्कीम समेत प्रत्येक विद्युत स्कीम, जिसमें पांच करोड़ रु० से अधिक पूंजी व्यय होने का अनुमान हो, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। तथापि ग्राम विद्युतीकरण निगम की निधियों से वित्त पोषित सभी स्कीमों को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत किया जाना अपेक्षित होता है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के बारे में किसी भी राज्य का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं पड़ा है। तथापि 10.3.1986 की स्थिति के अनुसार राज्य/राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त हुए 143 प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्राम विद्युतीकरण निगम में ये प्रस्ताव 2-6 महीनों से स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं।

(ग) और (घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम में लम्बित पड़े प्रस्तावों को 1986-87 के दौरान स्वीकृत किए जाने की आशा है बशर्ते ये तकनीकी दृष्टि से उचित और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाये जाते हैं।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम में (10.3.1986 तक) प्राप्त हुए और स्वीकृतिके लिए लम्बित पड़े ग्राम विद्युतीकरण प्रस्ताव की संख्या

क्र० सं०	राज्य	स्वीकृति के लिए विचारार्थ स्कीम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2	असम	9
3.	बिहार	7
4.	गुजरात	8
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	1
9.	केरल	—
10.	मध्य प्रदेश	44
11.	महाराष्ट्र	6
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	3
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	8
16.	पंजाब	4
17.	राजस्थान	12

1	2	3
18.	तमिलनाडु	4
19.	त्रिपुरा	—
20.	उत्तर प्रदेश	23
21.	पश्चिम बंगाल	9
22.	सिक्किम	—
	जोड़	143

[अनुवाद]

राज्यों को मिट्टी के तेल की पूर्ति

3356. श्री डी० बी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के लिए मंजूर किये गये पूर्ण कोटे की पूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र की मिट्टी के तेल की आवश्यकता क्या है और जनवरी, 1985 से जनवरी, 1986 तक प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित क्षेत्र को महीने वार कितना मिट्टी का तेल दिया गया; और

(घ) किन-किन राज्यों ने आवंटित कोटा नहीं उठाया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान चार महीनों के ब्लाक के आधार पर पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि में आबंटित मात्रा में 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर के लगाया जाता है तथा उसके अनुसार आबंटन किया जाता है। नियमित आबंटनों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, तूफान, एल० पी० जी०/साफ्ट कोक की कमी आदि जैसी विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिये तदर्थ आधार पर अतिरिक्त आबंटन भी किया जाता है।

जनवरी, 1985 से जनवरी, 1986 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किये गये

आबंटनों तथा पूर्ति दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्यवार तथा महीने वार विवरण देने में जितना समय और श्रम लगेगा, इससे शायद प्रस्तावित उद्देश्य की उतनी प्राप्ति नहीं होगी।

(ख) सिक्किम, त्रिपुरा तथा गोवा, दमण और द्वीव के संबंध में दस प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है।

विवरण

जनवरी, 1985 से जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आबंटन और पूर्ति दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य		जनवरी, 85 से जनवरी, 86 तक किया गया कुल आबंटन	(आंकड़े मीट्रिक टन) बिक्री (अनन्तिम)	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	469340	467,815	99.7%
2.	अरूणाचल प्रदेश	7,575	8,564	113.1%
3.	अंडमान और निकोबार	2,415	2,584	107.0%
4.	असम	208,570	214,423	102.8%
5.	बिहार	349,270	354,222	101.4%
6.	चंडीगढ़	16,965	17,218	101.5%
7.	दादर और नगर हवेली	2,415	×	
8.	दिल्ली	189,560	187,513	98.9%
9.	गुजरात	621,750	624,469	100.4%
10.	गोवा, दमन और द्वीव	23,780	20,900×	88.0%
11.	हरियाणा	126,700	125,629	99.2%
12.	हिमाचल प्रदेश	28,390	28,606	100.8%

1	2	3	4	5
13.	जम्मू और कश्मीर	55,165	56,102	101.7%
14.	कर्नाटक	355,575	346,056	97.3%
15.	केरल	200,380	198,164	98.6%
16.	मध्य प्रदेश	294,220	290,677	98.8%
17.	महाराष्ट्र	1179,880	1175,981	99.7%
18.	मणिपुर	16,455	16,995	103.3%
19.	मेघालय	12,750	14,562	114.2%
20.	मिजोरम	4,770	4,889	101.4%
21.	नागालैण्ड	7,980	8,935	112.0%
22.	उड़ीसा	116.735	116,534	99.8%
23.	पंजाब	254.005	254,274	100.1%
24.	पाण्डिचेरी	12,213	11,716	96.0%
25.	राजस्थान	202,285	200,570	99.2%
26.	सिक्किम	6,085	4,468	73.4%
27.	तमिलनाडु	527,460	515,609	97.8%
28.	त्रिपुरा	17,710	15,769	89.0%
29.	उत्तर प्रदेश	739,000	740,519	100.2%
30.	पश्चिम बंगाल	603,730	609,651	101.0%
31.	लक्षद्वीप	690	उपलब्ध नहीं	
	जोड़	6653,820	6633,364	99.7%

× दमण, दीव और दादरा तथा नगर हवेली में की गई बिक्री गुजरात की बिक्री में शामिल है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के आधुनिकीकरण के लिए जापान से सहयोग

3357. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की जापान से सहयोग करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो जापान की उस कम्पनी का नाम क्या है जिसकी सहायता से हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण के लिए किन्हीं अन्य देशों पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) फाउंडरी फोर्ज प्लांट में कुछ विशेष कार्यकलापों में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन प्राप्त करने हेतु हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच० ई० सी०) का जापान के मेसर्स हिटेची के साथ एक सहयोग चल रहा है।

अन्य विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, एच० ई० सी०, जापानी कंपनियों सहित विभिन्न विदेशी कंपनियों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। आधुनिकीकरण के किसी अन्य जापानी कम्पनी सहायता के किसी विशिष्ट प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) भारी मशीनी और औजार संयंत्र तथा फाउंडरी फोर्ज संयंत्र जिनकी परिधि में सी० एन० सी० बोरिंग मशीनों, मशीनी सेन्टर्स, उच्च मूल्य की कास्टिंग्स, मिट्टी हटाने के उपकरणों के लिए बाल्टियों, इत्यादि जैसे उत्पाद आते हैं की प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एच० ई० सी० के प्रबन्धकों के पास योजनाएं हैं।

वर्ष 1985-86 में पंजीकृत कम्पनियों की शेयर पूंजी

3358. श्री ई० अय्यपु रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में कितनी कम्पनियां पंजीकृत हुई;

(ख) नई पंजीकृत कम्पनियों की कुल शेयर पूंजी क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 की तुलना में शेयर-पूंजी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1985-86 के प्रथम 10 महीनों (अप्रैल, 1985 जनवरी, 1986) की अवधि में शेयरों द्वारा सीमित 2,413 नई कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। फरवरी-मार्च, 1986 का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) इन कम्पनियों की कुल प्राधिकृत पूंजी 2806.5 करोड़ रु० थी।

(ग) अप्रैल, 1985—जनवरी, 1986 की अवधि में पंजीकृत नई कम्पनियों की संख्या और उनकी प्राधिकृत पूंजी गतवर्ष की तदनुरूपी अवधि में क्रमश: 14.7 प्रतिशत और 62.5 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक थी।

कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन में कुएं की खुदाई

3359. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी बेसिन में अब तक कितने तेल कुओं की खुदाई की गई है;

(ख) कितने कुओं में सफलता मिली है और इन कुओं में अनुमानतया कितनी मात्रा में तेल या गैस निकालने के लिए उपलब्ध है; और

(ग) तमिलनाडू में कावेरी बेसिन में कितने कुओं में सफलता मिली है और वहां अनुमानतया कितने तेल और गैस के भंडार पाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 41

(ख) 13 कुओं में तेल/गैस मिली है। स्थानों को चिन्हांकित करने के बाद ही खोजों की मात्रा का पता लग सकेगा।

(ग) अभी तक 9 सफल कुएं खोदे गये हैं तथा नारी-मानम में परीक्षण उत्पादन आरम्भ हो गया है। अन्य स्थानों का अनुमान लगाने का काम प्रगति पर है।

फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिये इटली से ऋण

3360. श्री डी० बी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली ने विश्व बैंक के साथ चालू फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए वर्ष 1984 में सहवित्त के रूप में 1500 लाख डालर का ऋण देने के प्रस्ताव की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो ब्याज की दर और अदायगी के तरीके के बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो का क्रियान्वयन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। इस परियोजना (भाप जेनरेटरों) की लागत की सह-वित्त व्यवस्था करने के लिए इटली ने निम्नानुसार प्रस्ताव किया है :—

(i) 6 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान;

(ii) 55 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का आसान शर्तों पर ऋण; तथा

(iii) ठेके की विदेशी मुद्रा का शेष भाग निर्यात ऋण के रूप में।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कछार पेपर मिल (असम) के लिए बांसों की सप्लाई

3361. श्री सुदर्शन दास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछार पेपर मिल के लिए निर्धारित रायल्टी पर बांसों की दीर्घकालिक और निरंतर सप्लाई हेतु हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने असम सरकार और नार्थ कछार हिल जिला परिषद के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने दिसम्बर, 1980 में असम राज्य में दो लुग्दी और कागज मिलों को 30 वर्षों तक बांस की आपूर्ति करने के लिए असम सरकार और नार्थ कछार हिल जिला परिषद के साथ एक समझौता किया है। रायल्टी की दर निम्न प्रकार थी :—

पहले 10 वर्ष	:	30 रुपये प्रति मी० टन
अगले 10 वर्ष	:	40 रुपये प्रति मी० टन
अन्तिम 10 वर्ष	:	45 रुपये प्रति मी० टन

7 नवम्बर, 1985 को उपर्युक्त समझौते को एक पूरक समझौते द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें आरक्षित वन के लिए 30 वर्ष और वर्गरहित राज्य वन के लिए 10 प्रतिशत पट्टे की

अवधि निर्धारित की गई है। समझौते के अनुसार रायल्टी की दरों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है :—

	दर प्रति मी० टन	
	वर्ग रहित राज्य वन से मुली बांस के लिए	वर्ग रहित राज्य वन और आरक्षित वन से अन्य प्रकार के बांसों के लिए
1 से 5 वर्ष	40/-रुपये	30/-रुपये
6 से 10 वर्ष	45/-रुपये	35/-रुपये
11 से 15 वर्ष	—	40/-रुपये
16 से 20 वर्ष	—	45/-रुपये
21 से 25 वर्ष	—	50/-रुपये
26 से 30 वर्ष	—	55/-रुपये

केरल में डाक सम्बन्धी सेवाओं में अनुचित विलम्ब

3362. प्रो० के० वी० थामस : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में डाक सम्बन्धी सेवाओं में अनुचित विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिवासी भारतीय कम्पनी द्वारा सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के लिए सलाहकार सेवा

3363. प्रो० रामकृष्ण मोरे
डा० डी० एन० रेड्डी
श्री एन० वेंकट रत्नम
श्री वाई०एस०महाजन
} : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को प्रबन्ध सलाहकार सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक अनिवासी भारतीय कम्पनी के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों के लिए सलाहकार सेवा उपलब्ध कराई जायेगी उन क्षेत्रों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीय कम्पनी की विशेषज्ञता सरकारी क्षेत्र में विद्यमान विशेषज्ञता से उत्तम समझी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। किन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, जहां अनिवासी भारतीय कम्पनी की विशेषज्ञता सरकारी क्षेत्र के उद्यम में मौजूदा विशेषज्ञता से उत्तम हो सकती है, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग परखना पड़ेगा।

उड़ीसा के लिये मिट्टी के तेल का आबंटन

3364. श्री के० प्रधानी
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिए मिट्टी के तेल के आबंटन के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं;

(ख) 1985-86 के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा की मांग की गई है और वर्ष 1985-86 में (अब तक) उसे कितनी मात्रा का वास्तव में आबंटन किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि जनसंख्या के पिछड़ेपन, बिजली की अनुपलब्धता आदि के आधार पर मिट्टी का तेल उपलब्ध किया जाए; और

(घ) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल का अधिक आबंटन करने के उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर विचार करने का है विशेषत: जबकि राज्य में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, जो दूरदराज के गांवों में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए केवल मिट्टी के तेल पर निर्भर हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान चार महीनों के ब्लाक के आधार पर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में आबंटित मात्रा में 5 प्रतिशत

की वृद्धि देकर के लगाया जाता है। नियमित आबंटनों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, तूफानों, एल० पी० जी०/साफ्ट कोक की कमी आदि जैसी विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिए तदर्थ आधार पर अतिरिक्त आबंटन भी किये जाते हैं।

वर्ष 1985 के दौरान उड़ीसा राज्य को 106,630 मी० टन मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया इसके अतिरिक्त जनवरी से मार्च 1986 के महीनों के लिए 29,520 मी० टन का आबंटन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उड़ीसा राज्य को उनकी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मार्च-जून, 1986 के महीनों के गर्मी के ब्लाक के लिए 7 प्रतिशत की वृद्धि देकर के आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्च, 1986 के लिए उड़ीसा राज्य को 1,000 मी० टन का तदर्थ आधार पर आबंटन भी किया गया है।

पवन से बिजली पैदा करने के लिये संयंत्रों की स्थापना

3365. श्री सुभाष यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कच्छ के अतिरिक्त, जहां इस समय पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए पवन से बिजली पैदा की जा रही है, देश के अन्य भागों में भी पवन से बिजली पैदा करने के लिए संयंत्रों की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां। प्रत्येक 550 किलोवाट क्षमता के दो पवन फार्म पहले से ही तमिलनाडु के तूतीकोरिन और गुजरात के ओखा नामक स्थानों में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक 550 किलोवाट क्षमता के दो अन्य पवन फार्मों की शीघ्र ही उड़ीसा के पुरी और महाराष्ट्र के देवगढ़ नामक स्थानों में प्रारम्भ होने की आशा है। सातवीं योजना अवधि के दौरान आशा की जाती है ऐसी बहुत सी परियोजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी। पवन की उपलब्धता, अन्य तकनीकी तत्वों और वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात् ही स्थानों के लिए अंतिम निर्णय किया जाएगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की शंकरपुर खान का कार्यकरण

3366. डा० कृपासिंधु भोई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की शंकरपुर खान बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह कोयला खान कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) खान-मुहानों को भूमिगत आग के कारण बन्द कर दिया गया था। उसके बाद कार्य-स्थल का निरीक्षण किया गया है। कोयले का उत्पादन पानी निकाल देने और परिवहन सुविधाएं दुबारा उपलब्ध होने के बाद शुरू किया जाएगा। इसमें 2 वर्ष लग जाने की आशा है।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीश

3367. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : 14-3-1986 को, उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित दस महिला न्यायाधीश हैं :

आंध्र प्रदेश	1
मुंबई	1
कलकत्ता	3
दिल्ली	2
केरल	1
राजस्थान	2

उच्चतम न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।

गोदामों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण छादन

3368. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृ[illegible]स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक दबाव को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पाद [illegible] हुए [illegible] छादन में पर्याप्त कमी की जायेगी जैसा कि 14 फरवरी, 1986 के इकोनामिक टाइम्स में प्रक[illegible] हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का [illegible] है;

(ग) क्या पेट्रोलियम में एल्कोहल के प्रयोग (किश्वन और रसायनिक प्रक्रिया दोनों से) जैसा कि देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया जाता था और अमेरिका में इस समय किया जा रहा है, कि बावजूद इस स्थिति में आंशिक रूप से सुधार नहीं किया जा सकता है; और

(घ) क्या यह सच है कि कृषि अर्थव्यवस्था को सहायता करने के अलावा इससे सीसे की मिलावट, जिसके कारण भारी प्रदूषण होता है को समाप्त किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां। 1989-90 की मांग के अनुसार यह छादन घटकर 7 दिनों तक आ जाने की सम्भावना है।

(ख) देश में पैट्रोलियम उत्पादों की भण्डारण क्षमता की पर्याप्तता की लगातार पुनरीक्षा की जाती है तथा रकमों के उपलब्ध होने पर भण्डारण क्षमता में वृद्धि की जाती है या वहां जहां कार्यात्मक रूप से आवश्यक हो, वृद्धि की जाएगी।

(ग) और (घ) दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब देश में पेट्रोल की कमी थी तथा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात करना पड़ता था तब भारत में अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर प्रयोग किया जाता था। इस समय देश में पेट्रोल का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त इस औद्योगिक कच्चे माल के लिए अल्कोहल का इंधन के रूप में प्रयोग इष्टतम नहीं समझा गया है, इसका देश में ऊंचे मूल्य के रसायन बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देश में प्रयोग किये जाने वा[ली पैदा] आक्टेन पेट्रोल में सीसे का अंश अनुज्ञेय सीमा में है और इससे प्रदूषण के बहुत अधिक हो[पना करने] नहीं है।

कर्नाटक में विद्युत संयंत्र के लिए आवश्यक डीजल

[यदि हां.]

3369. [मन्त्री] श्री० एस० कृष्ण अय्यर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : [पहले]

(क) क्य[550] [स]च है कि कर्नाटक में उद्योग ने प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने हेतु [क ना] मेगावाट का केन्द्रीयकृत डीजल विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए परियोजना आर[म्भ की] है ऐ;

[और वि]

(ख) उक[्त] [या जा] के लिए आवश्यक डीजल की मात्रा क्या है; और

(ग) क्या स[रकार] का संयंत्र को आवश्यक डीजल तत्काल उपलब्ध कराने का विचार है क्योंकि कर्नाटक में [इस] की भारी कमी है ?

[डा० इ]

पेट्रोलियम [और प्रा]कृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य [इस्टि]सी बोर्ड का येलनानका में 120 मैगावाट का गैस टर्बाइन/डीजल सैट बनाने

का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए पेट्रोलियम ईंधनों की आवश्यकता का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :

एल०एस०एच०एस०/एफ० ओ०	—	103,240 मी० टन वर्ष
एच० एस० डी०	—	6664 मी० टन वर्ष

(ग) कर्नाटक सरकार को हाल ही में यह सूचित कर दिया गया है कि इन उत्पादों पर विदेशी मुद्रा के खर्च को देखते हुए इनकी सप्लाई का वचन नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

ब्यावर (राजस्थान) से रेल डाक सेवा कार्यालय का स्थानांतरण

3370. श्री विष्णु मोदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्यावर (राजस्थान) से रेल डाक सेवा कार्यालय स्थानांतरित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय के अचानक स्थानांतरित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त कार्यालय को वहां से स्थानांतरित किये जाने के बारे में आम जनता से कोई ज्ञापन मिला है;

(घ) यदि हां, तो उस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं।?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग) और (घ) ब्यावर (राजस्थान) में रेल डाक सेवा (आर० एम० एस०) जारी रखने के बारे में व्यक्तिगत रूप में, संसद सदस्यों और संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सातवीं योजना के दौरान सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण

3371. कुमारी पुष्पा देवी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट उद्योग के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग ने आधुनिकीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है जिसे तेजी से लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन प्रक्रियाओं को बदलना, ऊर्जा संरक्षण के उपाय करना, प्री-हीटर और प्री-कैल्सिनेटर जैसी प्रौद्योगिकियों को प्रगामी रूप से अपनाना, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना, आन्तरिक बिजली एकक स्थापित करना, खनन का आधुनिकीकरण करना, आदि सम्मिलित है। इस उद्योग द्वारा मार्च 1985 तक आधुनिकीकरण पर 402.45 करोड़ रुपये तथा विस्तार योजनाओं पर 333.16 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। विश्व बैंक से सहायता लेने के विषय में उल्लेखनीय है कि सीमेंट उद्योग के वास्ते विश्व बैंक से 2000 लाख अमेरिकी डालर का ऋण लेने के लिए बातचीत पूरी हो गई है। इस राशि में से 1650 लाख अमेरिकी डालरों का व्यय नम प्रक्रिया को शुष्क प्रक्रिया में बदलने के उद्देश्य से छ: विशिष्ट सीमेंट संयंत्रों के वित्तीयन के लिए होगा और शेष राशि अन्य विद्यमान संयंत्रों में छोटे पैमाने पर आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास कार्यों आदि पर खर्च की जाएगी। समूची परियोजना 7वीं योजना के दौरान पूरी हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

डाक और तार विभाग में कर्मचारियों की कमी

3372. श्री राजकुमार राय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मन्त्रालय (तार और डाक विभाग) में पदों के सृजन के अनेक मामले वित्त मन्त्रालय के पास लम्बित पड़े हैं जिसके कारण दो विभागों में महत्वपूर्ण काम चलाने के लिए कर्मचारियों की बहुत कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या कर्मचारी यूनियन के कुछ प्रतिनिधियों को यह बताया गया था कि वित्त मन्त्रालय की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और जब वे संचार मन्त्री से मिले तो उन्हें बताया गया कि वित्त मन्त्रालय ने प्रतिबन्ध लगाया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है और सरकारी काम करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए मंजूरी न देने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। पाबन्दी आदेशों में ढील देकर योजना खर्च के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए अपेक्षित पदों की मंजूरी दी जा रही है।

(ख) से (घ) पदों के सृजन पर सामान्य रोक लगी हुई है। परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण मामलों में जहां कार्य की तात्कालिकता होती है, संचार मन्त्रालय प्रस्तावों को वित्त मन्त्रालय के अनुमोदन के लिए भेज रहा है।

[अनुवाद]

स्थानिकमारी जिलों को आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई

3373. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानिकमारी जिलों को आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई और जनता में इसका वितरण करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान प्रत्येक जिले को कितना आयोडीनयुक्त नमक सप्लाई किया गया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) आयोडीनयुक्त नमक का व्यापार मुक्त होता है, तथापि अधिकांश राज्य सरकारें विनिर्माण केन्द्रों से आयोडीन युक्त नमक को उठाने के लिए अपने व्यापारियों को नामित करती हैं। आयोडीन युक्त नमक राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा तय की दरों के अनुसार गैर-सरकारी और सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जाता है। रेल द्वारा लाने-ले जाने में सामान्य नमक की अपेक्षा आयोडीन युक्त नमक को प्राथमिकता दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक की विनिर्माण क्षमता को गलगण्ड रोग और अन्य आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों का सामना करने के लिए देश की पूरी आबादी के उपयोग हेतु नमक के आयोडीनकरण की नीति के एक अंग के रूप में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए अभ्युपाय किए गए हैं। 13-12-1985 तक आयोडीन युक्त नमक बनाने वाले एककों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 12.7 लाख मी० टन वार्षिक है जबकि रोग से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों की कुल आवश्यकता 3.5 लाख मी० टन प्रति वर्ष है।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आपूर्ति की गई आयोडीन

युक्त नमक की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(हजार टनों में)

		निर्धारित वार्षिक कोटा	आपूर्ति
1.	मणिपुर	12.7	6.0
2.	नागालैंड	6.1	12.1
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.3	4.6
4.	पश्चिम बंगाल (5 जिले)	59.8	32.2
5.	सिक्किम	2.6	3.2
6.	जम्मू और कश्मीर	37.7	5.3
7.	हिमाचल प्रदेश	26.7	4.2
8.	पंजाब (3 जिले)	24.0	3.1
9.	हरियाणा (1 जिला)	9.7	4.0
10.	चंडीगढ़	3.5	1.5
11.	उत्तर प्रदेश (9 जिले)	55.8	28.1
12.	बिहार (1 जिला)	34.4	29.8
13.	महाराष्ट्र (1 जिला)	9.0	8.7
14.	मध्य प्रदेश (4 जिले)	41.7	9.2
15.	गुजरात (1 जिला)	8.4	3.6
16.	मिजोरम	4.0	3.7
17.	असम	—	45.4
18.	आन्ध्र प्रदेश	—	0.1

19.	दिल्ली	—	17.5
20.	राजस्थान	—	0.1
21.	तमिल नाडु	—	0.1

तालचेर में सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना

3374. श्री हरिहर सोरन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार ने सातवीं योजना के दौरान तालचेर में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सुपर ताप विद्युत संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की आशा है;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वियन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-I (2 × 500 मेगावाट) के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। विद्युत केन्द्र और अन्य सुविधाओं की वर्तमान अनुमानित लागत 1068.34 करोड़ रुपये है। यद्यपि, परियोजना के लिए सातवीं योजना में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, निवेश सम्बन्धी निर्णय वित्तीय संसाधनों को सुनिश्चित किए जाने सहित आवश्यक निवेशों पर निर्भर करेगा।

मुख्य संयंत्र के उपस्कर के लिए आर्डर देने के बाद एक 500 मेगवाट वाले यूनिट को चालू करने में लगभग 5 वर्ष का समय लगता है।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या समस्या है ?

श्री वसुदेव आचार्य : एक बहुत गम्भीर स्थिति है। संयुक्त राज्य अमरीका के सातवें बेड़े के छ: युद्ध पोतों ने कराची के पास लंगर डाल दिये हैं...

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं लिया जा सकता है। सभा में विदेश नीति पर चर्चा की जानी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह मामला बहुत अविलम्बनीय है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर पूर्ण चर्चा करने का मौका मिलेगा। मैं आपको आठ घण्टे की चर्चा की अनुमति दे रहा हूं। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो मैं स्थगन प्रस्ताव की भी अनुमति दे दूंगा। मैं उसकी अनुमति देने में नहीं रुकता। मैं आपके सुझाव पर विचार कर सकता हूं। इसमें कोई बात नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर एक बार फिर आकर्षित करता हूं। यह सभा पंजाब के लोगों की व्यथा की ओर ध्यान देने में विफल रही है और मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष चुप बैठा है। इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए विपक्ष ने मांग नहीं की है। आतंकवाद के खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। प्रति दिन अनेकों लोग मारे जा रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए विपक्ष द्वारा कोई मांग नहीं की गई है। पंजाब और देश के अन्य भागों में बढ़ते हुए आतंकवाद की हम निन्दा करते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि विपक्ष चुप बैठा हुआ है और वह इस पर कार्यवाही करने की मांग नहीं कर रहा है। हम आतंकवाद तथा देश-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए हर रोज मांग कर रहे हैं। किन्तु सभा में इसकी अनुमति अब तक नहीं दी गई है। मैं मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति दी जाये। यह बहुत गम्भीर स्थिति है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम चुप नहीं बैठे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : हम चुप नहीं बैठे हैं। सरकार पंजाब समझौते को क्यों लागू नहीं कर रही है ? चंडीगढ़ पंजाब को क्यों नहीं सौंपा गया है ?

प्रो० के० के० तिवारी : पंजाब में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : हम उग्रवाद की निन्दा करते हैं। हम निर्दोष लोगों की हत्या की निन्दा करते हैं, किन्तु आप आग को भड़का रहे हैं। आप सम्प्रदायकवाद को समर्थन दे रहे हैं। वे पंजाब समझौते को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं ? आपने यह स्थिति स्वयं पैदा की है।

प्रो० के० के० तिवारी : इस पर अवश्य ही चर्चा की जानी चाहिए। लोग मारे जा रहे हैं।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, एक दिन आपने आश्वासन दिया था।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हां, हम भी चर्चा चाहते हैं। हम भी आतंकवाद की निन्दा करते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आप अब भी पंजाब में आतंकवाद की निन्दा करने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कर दें, डिसकशन कर दें ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : हम आतंकवाद की निन्दा करते हैं (व्यवधान)

श्री हरि कृष्ण शास्त्री (फतेहपुर) : आपको स्वयं महसूस करना चाहिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। आप क्या गलती कर रहे हैं, पंजाब में जो कुछ हो रहा है क्या आपको उसकी कोई चिन्ता नहीं है ? (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : विपक्ष के सदस्य सभा में अनावश्यक मामले उठाते रहते हैं। विपक्ष के एक भी नेता ने पंजाब में आतंकवाद पर चर्चा करने हेतु मांग नहीं की है और न ही उन्होंने पंजाब में आतंकवाद की निन्दा की है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री वसुदेव आचार्य : हम चुप नहीं हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में रोज हत्याएं होती हैं, डकैतियां पड़ती हैं, साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कई जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, पंजाब की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हजारों, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए आप।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति पंजाब में हो रही है, कोई भी सभ्य समाज उसको ज्यादा दिन तक चलने नहीं देगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर बोल रहे हैं, बैठे-बैठे, आर्डर-आर्डर।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : रामूवालिया जी, पंजाब के अन्दर किसकी सरकार है ? (व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : पहले अपनी सरकार को संभालिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आप आतंकवाद का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। आप आग को भड़का रहे हैं··· (व्यवधान) हम उग्रवाद की निन्दा करते हैं; हम आतंकवाद की निन्दा करते हैं; हम हत्याओं की निन्दा करते हैं··· (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि यह एक राष्ट्रीय मसला है। यह राष्ट्रीय समस्या है किन्तु सरकार आग और भड़का रही है। वह उग्रवाद को समर्थन दे रही है··· (व्यवधान)। मैं इस बात को रिकार्ड कराना चाहता हूं कि सरकार के कई नेताओं के उग्रवादियों के साथ सम्बन्ध हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह ठीक है। काफी हो गया है। अब शांति रखिए।

[हिन्दी]

देखिए, हरेक मसले का हल शांति से होना चाहिए। मैं जानता हूं और देख रहा हूं कि दिल में आग लगती है। जब बहुत अनर्थ होता है, गड़बड़ होती है तो आत्मा भी जलती है और उसके साथ में देश जलता है। कोई भी इन्सान बेकसूर हो, उसकी जब हत्या होती है तो इन्सानियत रोती है तथा उसको बनाने वाला भगवान भी रोता है क्योंकि किसी आदमी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। एक कायर आदमी किसी की जान लेता है। आपके जज्बात मैं जानता हूं। मैं जानता हूं इस टेरोरिज्म के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको बेनकाब करने के लिए इसका यहां डिसकशन होना आवश्यक है। मैं चाहता हूं हम इस बात को समझें कि यह देश में किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी

एक स्टेट के लिए या किसी एक सूबे की बात नहीं है। यह सारे देश पर लागू होती है और जब तक देश है, तब तक हम हैं। इसकी आन-बान और शान को कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं चाहता हूं कि जो हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली है, वह कामयाब हो और उसके हिसाब से चुनी हुई सरकार कामयाब हो, हमारा यह सिद्धांत है। इसके साथ-साथ चुनी हुई सरकारों का यह कर्तव्य है कि उनकी कर्तव्यपरायणता कसौटी पर कसी जायेगी, जब वह अपने उद्देश्य में नाकामयाब होती है। उसके लिए भी हमारे पास विधान है। आप सुनते जाइए और बीच में मत बोलिए। मैं चाहता हूं कि देश के हित में, समाज के हित में, आत्मा के हित में, इन्सान की कांशियस के हित में, हमें इस चीज को निपटना है और सब को मिलकर निपटना है। सारे के सारे साथ मिलें। साथ-साथ मिलो और सदा मिलकर काम करो और जो कहीं भी त्रुटि होती है उसको ठीक करो। मैं, परसों आपको इस पर कम्पलीट डिसकशन अलाऊ करूंगा, 21 तारीख को।

[अनुवाद]

एकता के विरुद्ध उग्रवाद की चुनौती और देश में इसके परिणामों के बारे में हम 21 तारीख को पूरी चर्चा करेंगे···(व्यवधान)।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन छः बजे के बाद नहीं, छः बजे से पहले।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। उस दिन शुक्रवार है। किन्तु फिर भी जो भी दिन हो, हम उस पर चर्चा करने के लिए बैठेंगे। हमें इस देश के भाग्य की चिन्ता है, इसलिए हम इस पर चर्चा करने के लिए बैठेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। आपको कुछ करना होगा। हम इस मानव प्रतिष्ठा को विपत्ति में नहीं पड़ने देंगे। हमें मनुष्य की प्रतिष्ठा बनाये रखनी है और मनुष्य को इस साम्प्रदायिक खतरे से बचाया जाना चाहिए, मनुष्य और उसके अन्त:करण का उस समय हनन हो जाता है जब वह साम्प्रदायिकता की बात सोचने लगता है। मनुष्य विवेकहीन होता है, वह विश्वासघाती होता है, वह सबसे खतरनाक अपराधी होता है।

———

12.13 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

दक्षिण रेलवे के तेल्लीचेरी और माहे स्टेशनों के बीच हुई दुर्घटना के बारे में दिए गए वक्तव्य में शुद्धि करने वाला विवरण

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं दक्षिण रेलवे के तेल्लीचेरी और माहे स्टेशनों के बीच 28 फरवरी, 1986 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सम्बन्ध में उनके द्वारा उसी दिन स्वत: दिए गए

[श्री बंसी लाल]

वक्तव्य में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2260/86]

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा तथा एक विवरण

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2261/86]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पैराफिन मोम (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 478(अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० —2262/86]

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०— 2263/86]

भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्ष 1985 का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्ष 1985 के तीसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2264/86]

कम्पनी सचिव अधिनियम और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710/2/(एम) (1) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० —2265/86]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

[श्री एम० अरुणाचलम]

(एक) का० आ० 930(अ), जो 31 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्रीराम शूगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बोब्बिली का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 932(अ), जो 31 दिसम्बर 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्रीराम शूगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीतानगरम् का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 935(अ), जो 31 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुदूकोट्टै का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 13(अ), जो 9 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोननगर का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 24 (अ), जो 20 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स प्रियलक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा का प्रबन्ध-ग्रहण करने की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2266/86]

पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2267/86]

12.14½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग)—भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (हैदराबाद और हरिद्वार यूनिट) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.15 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दिल्ली में मेनिन्जाइटिस महामारी फैलने से उत्पन्न चिन्ताजनक स्थिति का समाचार

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"राजधानी में मेनिन्जाइटिस महामारी फैल जाने के समाचार, जिसका प्रभाव बहुत बड़ी संख्या में वयस्कों तथा बच्चों दोनों पर पड़ा है, से उत्पन्न चिन्ताजनक स्थिति और इस खतरे की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[श्री शान्ताराम नायक]

12.16 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय, दिल्ली में पिछले तीन महीनों के दौरान मेनिनजाइटिस के रोगियों की संख्या में उससे पहले के महीनों की तुलना में वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1985 के महीने के दौरान 222 व्यक्ति बीमार हुए और 33 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जनवरी, 1986 के दौरान 350 व्यक्ति बीमार हुए और 36 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और फरवरी, 1986 के दौरान 453 व्यक्ति बीमार हुए जिसमें से 44 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 15 मार्च, 1986 तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इन रोग से 236 लोग बीमार हुए और 37 लोगों की मृत्यु हुई।

मेनिनजाइटिस एक स्थानिकमारी रोग है और इस रोग से लोग वर्ष भर बीमार होते रहते हैं। यह रोग मेम्बरेम शोथ के कारण होता है जो मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को कवर कर लेता है। यह शोथ वाइरस, क्षयरोग और बैक्टीरिया के संक्रमण से हो सकता है। बैक्टीरिया मेनिनजाइटिस विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होता है जिसमें से एक मेनिनगोकोकल बैक्टीरिया है। प्रायः यह मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस है जिससे ऋतु-परिवर्तन के समय अधिक व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। इससे ज्यादातर बच्चे और युवा व्यस्क प्रभावित होते हैं और यदि इस रोग का तत्काल इलाज न किया जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है।

आमतौर पर मेनिनजाइटिस की घटनाओं पर और विशेषतौर पर मेनिनगोकोकल मेनिन-जाइटिस के सभी रोगियों पर निगरानी रखने के लिए रोगियों के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का सारा साल साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने की प्रणाली अपनाई गई है। जब कभी भी इस रोग की घट-नाओं में असाधारण वृद्धि होती है तो इस प्रणाली के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय विशेषज्ञों और अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ इसकी घटनाओं की पुनरीक्षा करता है। निगरानी रखने की इस प्रणालो को दिसम्बर, 1985 से मासिक आधार पर रिपोर्ट भेजने की प्रणाली बना दिया गया है। इससे पहले, मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस के फैलने की सम्भावनाओं के बारे में पूर्व सूचना देने के प्रयोजन से दिल्ली के विभिन्न भागों में सितम्बर, 1935 से इस रोग के वाहकों पर अध्ययन शुरू किये गये थे। साथ ही, अस्पतालों और अन्य एजेंसियों को एतिहाती और निवारक उपायों के बारे में सूचित करने के लिए पर्याप्त कदम भी उठाये गये थे। एतिहात के एक उपायों के रूप में डाक्टरों, नर्सों तथा अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को जो लगातार मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस के रोगियों के सम्पर्क में रहते हैं और जिन्हें इस रोग के लगने का अत्यधिक खतरा होता है, वैक्सीम से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए वैक्सीनों की पर्याप्त खुराकें उपलब्ध हैं। मेनिनजाइटिस के रोगियों के सम्पर्क में आने वाले माता-पिता तथा अन्य नजदीकी रिश्तेदारों जैसे व्यक्तियों के बचाव के लिए सल्फाडायाजीन लेने की सलाह दी जाती है। वैक्सीन रोग-रोधी शक्ति विकसित करने में समय लेती

है जबकि सल्फाडायाजीन का प्रभाव तत्काल हो जाता है।

रोकथाम के लिए सुझाए गये अन्य उपायों में भीड़ भाड़ से बचना तथा रहने के कमरों में हवा आने-जाने की उचित व्यवस्था करना शामिल है। यदि किसी व्यक्ति में मेनिनजाइटिस रोग होने का सन्देह हो तो रोगी के नाक तथा गले के आस्राव (डिसचार्ज) से बचने के लिए ऐतिहात बरतना आवश्यक है।

मेनिनजाइटिस के रोगियों की बढ़ती हुई संख्या सभी तरफ चिन्ता का कारण बनी हुई हैं, इसलिए इसके कुछ मुख्य लक्षण नोट करना आवश्यक है। पहला, रोगियों का जमघट नहीं देखा गया है। दूसरे, स्वस्थ लोगों में रोग लगने की दर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन दो बातों से पता चलता है कि इस रोग की ये बढ़ी हुई घटनाएं महामारी का रूप नहीं हैं।

अन्ततः कुल संख्या तथा प्रतिशत, दोनों को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान अब तक की रोग-दर तथा मृत्यु-दर 1985 के इन्हीं महीनों की रोग-दर और मृत्यु-दर से काफी कम रही है। जहां तक प्रतिशतता का सम्बन्ध है, 1985 के पहले दो महीनों की तुलना में 1986 के पहले दो महीनों में मेनिनजाइटिस के रोगियों में 38.8 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 1986 के पहले दो महीनों की मृत्यु-दर में 1985 के पहले दो महीनों की मृत्यु दर की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी अधिक की कमी हुई है।

सरकार इस स्थिति के प्रति पूर्णतः सजग है और हर रोज इस स्थिति को मानीटर करती है। दिल्ली के सभी सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालों को इस स्थिति से निपटने के लिए तथा उपलब्ध औषधियों का पर्याप्त भण्डार रखने के लिए कहा गया है। पिछले वर्ष हुई घटनाओं और मौतों के मुकाबले इस वर्ष हुई घटनाओं और मौतों से पता चलता है कि स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और यह पता चलता है कि अधिक से अधिक लोग अब ऐसे रोगियों को देखभाल और उपचार के लिए अस्पताल में ला रहे हैं। परिणामस्वरूप, मृत्यु-दर पिछले वर्ष की मृत्यु-दर की अपेक्षा काफी कम है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार यह सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है कि मृत्यु-दर में वास्तविक कमी आए और यह रोग आगे न फैले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री शान्ता राम नायक : महोदय, यह दो प्रकार की मेनिनजाइटिस जिन्हें तकनीकी भाषा में पायजेनिक मेनिनजाइटिस और मेनोओकोल मेनिनजाइटिस कहा जाता है, का पिछले 3 या 4 महीने से दिल्ली में प्रकोप फैला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्रम अगले कुछ वर्षों तक जारी रहेगा क्योंकि पिछले वर्ष भी भारी महामारी फैली थी। इसी बजट सत्र में दूसरे सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था; उससे पहले कुछ स्थानीय समाचारपत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर यह समाचार दिया था। उसके पश्चात् एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया और माननीया केन्द्रीय मन्त्री श्रीमती किदवई ने उसका उत्तर दिया था और यह घटनाक्रम इसी प्रकार चल रहा है। इसलिए, स्वास्थ्य मन्त्रालय को इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। मेरी इच्छा थी कि माननीया मन्त्री

[श्री शान्ता राम नायक]

महोदया श्रीमती किदवई इस सदन में उपस्थित होतीं। मैं यह नहीं कहता कि श्री कृष्ण कुमार इस मामले को निपटाने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें तथ्यों की जानकारी है, परन्तु वह इस मामले को देख रही थीं और उन्होंने राज्य सभा में भी इस विषय पर कुछ वक्तव्य दिए हैं, इसलिए मेरी इच्छा थी कि माननीय मन्त्री महोदया श्रीमती कदवई इस सदन में उपस्थित होतीं। 14 मार्च, 1985 को उन्होंने राज्य सभा में कहा था :

"जनवरी, 1985 से मेनिनजाइटिस के कारण अस्पतालों में भर्ती कराए गए मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। फरवरी और मार्च में भी वृद्धि की प्रवृत्तियां जारी रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1-1-1985 से 9-3-85 के बीच मेनिनजाइटिस के 1652 मामले प्रकाश में आए जिनमें से 225 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ताजा जानकारी के अनुसार 10 से 12 मार्च, 1985 के बीच 241 मामले में से 18 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।"

राज्य सभा में यह आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। अब मन्त्रालय और वक्तव्य दे रहा है मैंने 16-3-1986 के जनसत्ता में एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें आंकड़ों के माध्यम से औचित्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 190 मौतें हुई। पिछले वर्ष जनवरी से मार्च के बीच 1271 मामले हुए जबकि इस वर्ष इनकी संख्या केवल 809 है। इस प्रकार से आंकड़े को अदल-बदल कर एक तस्वीर प्रस्तुत की गई है और यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि स्थिति अब बेहतर है।

आगे मृत्यु दर का भी उल्लेख किया गया है। 1983 में इस बीमारी के कारण होने वाली मौतों का प्रतिशत 34.2 था। 1984 में यह 33.7 प्रतिशत था, 1985 में यह 14 प्रतिशत था और 1986 में यह 10 प्रतिशत रह गया है। यद्यपि, 1986 अभी समाप्त नहीं हुआ किन्तु आंकड़ों द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि गिरावट की प्रवृत्ति जारी है।

वास्तव में गिरावट की प्रवृत्ति स्वागत योग्य है। किन्तु यह प्रतिशत और यह आंकड़े बीमारी की गम्भीरता को नहीं दर्शाते और क्या यह बीमारी इन आंकड़ों द्वारा कम होने जा रही है। यह बात भी किसी संस्था द्वारा कही गई है, पिछली बार कोई वक्तव्य भी दिया गया था, जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जवाब दें। यह वक्तव्य चिकित्सकों की किसी संस्था द्वारा दिया गया। उनका कहना है कि एक बार जब यह महामारी आरम्भ होती है तो कम से कम चार वर्ष तक चलती है। क्या यह सच है? इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है?

जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है। इसमें कोई शक नहीं है कि मन्त्रालय इसके इलाज और इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीनों सहित आवश्यक औषधियों का आयात करने जा रहा है और उसने किया भी है। किन्तु हमें इस प्रकार के रोगों के इलाज के लिए औषधियों का आयात करने के बारे में एक स्पष्ट नीति तैयार करनी होगी। इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर एक विशिष्ट नीति तैयार

की जानी चाहिए। ऐसा पता चलता है कि पिछले वर्ष आवश्यक वैक्सीनों की 26,000 खुराकों और 74,000 खुराकों की दो पृथक-पृथक खेपों का आयात किया गया। मैं पूछता हूं कि क्या वैक्सीनों की इन खुराकों को अन्य राज्यों में अस्पतालों में भी वितरित किया गया या केवल दिल्ली में ही वितरित की गई। यह खुराकें इस महामारी के इलाज के लिए मंगवाई गई थीं, जो दिल्ली में व्यापक रूप से फैली हुई है और देश के शेष भागों में भी फैली हुई है, जहां से इस रोग से होने वाली मौतों की सूचना मिल रही है।

एक अन्य प्रश्न जो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं वह यह है कि—हालांकि मैं कोई चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हूं—क्या हैदराबाद के एक चिकित्सक पी० एस० कृष्णा मूर्ति ने यह दावा किया है कि इस मामले में होम्योपैथी की औषधियां कारगर साबित हो सकती हैं ? क्या मन्त्रालय द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है कि क्या होम्योपैथी की दवाएं अन्य दवाओं से अधिक कारगर साबित हो सकती हैं ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले। उसी डाक्टर के अनुसार, एनसिफ्लेटिस पर, जो आन्ध्र प्रदेश में फैल रहा था, को भी होम्योपैथी की दवाओं से काबू पाया गया। यदि ऐसी बात है तो इसकी जांच की जा सकती है।

किन्तु, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप चाहे जितनी बढ़िया औषधियों का आयात कर लें, जितनी भी बढ़िया स्वास्थ्य देखभाल कर लें, जहां तक रोगियों का इलाज करने का सम्बन्ध है, समय रहते किया गया इलाज किसी भी अन्य उपाय से अधिक कारगर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई रोगी अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उसका समय रहते इलाज नहीं किया जाता, तो मृत्यु दर में वृद्धि होगी। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन मामलों की कोई जांच की गई, जिनमें समय पर इलाज नहीं किया गया और यदि हां, तो उन डाक्टरों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई जिन्होंने समय पर कारंवाई नहीं की ? पिछले वर्ष जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक डाक्टर की मृत्यु हो गई और वह भी इसलिये क्योंकि गलत निदान के कारण समय से उपचार नहीं किया गया। इस प्रकार डाक्टर की अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसलिये यदि इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तो प्रभावी ढंग से इलाज नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि जब भी कोई आपतकाल होता है तो प्रत्येक डाक्टर सक्रिय हो जाता है। किन्तु कुछ ऐसे भी डाक्टर हैं, जो रोगियों की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार के मामलों में यदि आप उनके विरुद्ध कोई कारंवाई नहीं करते, न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाते, तो इस प्रकार की बातें होती रहेंगी और मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी।

इसलिये मैंने यह जो थोड़े से प्रश्न उठाये हैं, माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह कृपया इनका उत्तर दें।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, हमारा देश इक्कीसवीं शताब्दी की तैयारी में लगा है और हमारी सरकार "2000 ईसवी तक सभी के लिये स्वास्थ्य" के नारे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कारंवाई कर रही है। इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है :

[श्री चिन्ता मणि जेना]

"एतिहात के तौर पर रोगियों के नाक और गले से निकलने वाले पदार्थों के सम्पर्क से बचें"

क्या मैं पूछ सकता हूं कि गन्दी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जहां पर यह रोग व्यापक पैमाने पर फैल रहा है, इस बात का प्रचार करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ? निःसन्देह मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार-पत्रों के माध्यम से वह इसका प्रचार कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि गन्दी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कितने लोगों के पास साधन हैं कि वह रेडियो या टेलीविजन सेट खरीद सकें या कितने लोग नियमित रूप से समाचार-पत्र पढ़ने के आदी हैं ? क्या मंत्रालय ग्रामीण लोगों को निवारक उपायों के सम्बन्ध में बताने के लिये गन्दी बस्तियों, ग्रामीण और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में डाक्टरों के दल भेजने के बारे में विचार कर रहा है ?

मन्त्री महोदय ने बताया कि चालू महीने और वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बीमारी के मामलों और मृत्यु दर में कमी आई है। निस्सन्देह मन्त्रालय के लिये यह गर्व का विषय है। किन्तु क्या मैं जान सकता है कि 1 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में मेनिनजाइटिस की घटनाएं अधिक होती हैं। यदि हां, तो बच्चों के अभिभावकों, माता-पिता को स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिये और निवारक और उपचारात्मक उपाय किये जाने चाहिये।

मैं यह सुझाव दूंगा कि रोकथाम सम्बन्धी उपायों के प्रचार और बच्चों के अभिभावकों और माता-पिता के बीच निदान का कार्य एकीकृत बाल कल्याण और विकास सेवाओं को सौंपा जाना चाहिए। मुझे पता चला है कि यह लघु महामारी बिल्लियों द्वारा घर-घर फैल रही है। लगभग सभी घरों में पालतू बिल्लियां होती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह बीमारी बिल्लियों द्वारा फैलती है और यदि हां, तो इस बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ताकि वह अपनी बिल्लियों को अपने घरों से बाहर न जाने दें और इस बीमारी को अन्य घरों में फैलने से रोकें।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह बीमारी दूषित जल, विशेषकर पेय जल के इस्तेमाल से फैलती है। दिल्ली में पीने का पानी दूषित है और हम अपने घरों और संसद सदस्यों, मन्त्रियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के बंगलों में भी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। अभी हाल ही में हिन्दुस्तान टाइम्स आदि जैसे बहुत से समाचार-पत्रों में छपा था जब एक आदमी ने पानी के लिए नल खोला तो उसने पाया कि उसके गिलास में पानी के साथ एक छोटा-सा सांप भी था, जिसकी तस्वीर लगभग सभी समाचार-पत्रों ने प्रकाशित की थी। मुझे दिल्ली में दूषित जल का पिछले पांच या छह वर्षों का बड़ा खराब अनुभव है। मैं जल के दूषण के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को फोन करता रहा हूं, लेकिन कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। यदि हम पानी की बाल्टी को आधे घंटे के लिए रखें, तो उसकी तली में धूल या रेत जम जायेगी। कई बार जब मैं सुबह नल खोलता हूं, तो पानी

लाली लिए हुए होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई इसकी परवाह नहीं करता।

इसी प्रकार, मुझे कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण यह बीमारी फैलती है। आजकल यह आम बात हो गई है। अतः गरीब लोगों को बचाने के उद्देश्य से शुद्ध खाद्य और खाद्य पदार्थ तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या यह सच है कि शीत और वसन्त ऋतुओं में इस बीमारी का प्रकोप अधिक होता है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है? क्या कारण है कि इन ऋतुओं में यह बीमारी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। वर्ष की अन्य ऋतुओं में भी यह बीमारी अवश्य दिखाई देती है। परन्तु बसन्त और शीत ऋतुओं में यह बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है?

विकसित देशों की तुलना में तीसरे विश्व के देशों और हमारे देश जैसे विकासशील देशों में यह बीमारी अधिक फैलती है। विकसित देश इसका पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन बीमारियों का उन्मूलन करने के लिये हमारे देश में इस तरह की वैक्सीन बनाने के उद्देश्य से विदेशों से कोई जानकारी प्राप्त की जायेगी?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भयंकर बीमारी न केवल राजधानी में अपितु राजधानी के आसपास के सभी क्षेत्रों में आम जनता में आतंक का कारण बन चुकी है।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार राजधानी के सात अस्पतालों से अब तक 85 लोगों की मौत होने और ऐसे 809 मामलों के समाचार प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि सरकार को इन आंकड़ों की जानकारी है। गत कुछ सप्ताहों के दौरान इस भयंकर बीमारी से 25 बच्चों की मौत हुई है। सभी जानते हैं कि ज्वर, सिर दर्द और गले में दर्द इस रोग के लक्षण हैं। इस बीमारी का प्रभाव केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। समाचार मिल रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तथा हरियाणा के शहरों में भी फैल रही है। मैं इस बीमारी के फैलने के लिए सीधे सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूं। परन्तु सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस बीमारी के कारणों का पता लगाए जिससे लोग मर रहे हैं। यह बीमारी राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में फैली है।

क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि स्वास्थ्य सुरक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य जैसी बड़ी-बड़ी बातें असफल रही हैं? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कुछ ठोस प्रश्न पूछूंगा। (एक) वह सभा को स्पष्ट करें कि इस महामारी के क्या कारण हैं? (दो) इस बीमारी को पड़ौसी राज्यों और देश के अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? (तीन) इस खतरे से निबटने के लिए कितने नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं? (चार) सरकार ने अन्तरंग रोगियों को चिकित्सा सहायता देने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं? (पांच) अस्पतालों में कितने रोगियों, विशेषकर गरीब रोगियों को दाखिल किया गया है? और (छः) कितनी धनराशि की सहायता दी गई है अर्थात् इस महामारी का सामना करने और इसके

[श्री बलवंत सिंह रामूवालिया]

निबटने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जन-जीवन और जन-स्वास्थ्य के हित में इस बीमारी का युद्ध स्तर पर सामना करने हेतु जागरूक बने।

श्री एस० कृष्ण कुमार : प्रारम्भ में, मैं सरकार द्वारा इस विशेष बीमारी के उपचार और इलाज के लिए आरम्भ किए जा रहे उपायों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की बेहतर जानकारी के लिए संक्षेप में इसकी कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा।

'मेनिन्जाइटिस', जिसे स्थानिक रोग कहते हैं और चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी हमारी वर्तमान जानकारी के अनुसार तकनीकी रूप से और तर्क की दृष्टि से इसका पूरी तरह से उन्मूलन करना संभव नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी का 10 से 15 वर्ष का दीर्घावधि चक्र होता है और अल्पावधि का वार्षिक चक्र भी है जिसमें वर्ष के शीत और वसंत के महीनों के दौरान इसका प्रकोप बढ़ता जाता है। यह बीमारी विभिन्न किस्मों के रोगाणुओं के कारण होती हैं और मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस, जो एक विशेष बीमारी है और जो महामारी अथवा व्यापक महामारी की तरह फैलती है, एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया (जीवाणु) से होती है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार हमारी जनसंख्या के दो प्रतिशत लोग हर समय इस बैक्टीरिया को अपने गले में और उपरि श्वासनली में वहन किये रहते हैं। अत: कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ बीमारियां फैलेंगी तथा यह न केवल दिल्ली अथवा भारत में अपितु संसार के प्राय: सभी देशों में स्थानिक रूप में विद्यमान है। कुछ ही वर्ष पहले ब्राजील में महामारी फैली थी और विकसित तथा अविकसित देशों सहित संसार के विभिन्न भागों से महामारी के फैलने का समाचार है।

जहां तक इस बीमारी के आरम्भ होने का सम्बन्ध है, इसे पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। सरकार की नीति यह है कि लोगों को शिक्षित करने पर ध्यान दिया जाए ताकि लक्षणों का तत्काल पता चल जाये और रोगी को अस्पताल में तत्काल दाखिल करने और प्रभावी उपचार करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

रोगी को अस्पताल में तत्काल दाखिल करना और उसका तुरंत उपचार करना इससे होने वाली मौतों को कम करने की कुंजी है।

मेनिन्जाइटिस के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसाकि माननीय सदस्य, श्री शांताराम नायक ने सुझाव दिया है, इन आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं की गई है। ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। गत वर्ष मंत्री महोदया मोहसिना जी ने कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया था, वे आंकड़े उस वर्ष के थे। गत वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान इस बीमारी में वृद्धि हुई है। मैंने इस विवरण में उस वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष के आंकड़े दिए हैं और इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इसमें निश्चित रूप से कमी आई है। विशिष्ट रूप से कहें तो वर्ष 1985 में पहली जनवरी से 15 मार्च की अवधि

के दौरान 2088 मामले हुए और इनमें से 261 मामलों में रोगियों की मौत हो गई थी। इस वर्ष की उसी अवधि के दौरान ऐसे मामले 2088 से घटकर 1045 रह गए अथवा इसमें 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। मृत्यु की दर 201 से घटकर 103 हुई है अर्थात् 60 प्रतिशत की कमी आई है। ऐसा इसलिए हो पाया है कि इस मंत्रालय ने प्रचार के कारगर उपाय किए और स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा भी दी तथा रोग के लक्षणों के सम्बन्ध में लोगों में भारी जागरूकता पाई गई और बड़ी संख्या में लोगों ने तत्काल अस्पताल की सुविधा का लाभ उठाया है।

सरकार की नीति में बारीकी से निगरानी रखना भी शामिल है। पिछले महीने में ही हमने पांच उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हमने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। भारत में शहरों के प्रत्येक अस्पताल और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है तथा अस्पतालों और औषधालयों को पर्याप्त दवाइयां दी गई हैं। कुछ कर्मचारियों, जो रोगियों के संपर्क में लगातार आते हैं। मुख्यतया डाक्टरों, नर्सों और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों को टीके लगाये गये हैं। हम दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में इस रोग के प्रभाव के सम्बन्ध में विश्लेषण कर रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं। यह बीमारी मुख्यतया भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दिखाई देती है। गन्दे और प्रदूषित पानी का इस्तेमाल इसका कारण नहीं है। मानव ही इस बैक्टीरिया का एकमात्र आश्रयस्थल है, विशेषकर मानव का गला। जब कोई व्यक्ति छींकता है, तो छींक के साथ यह बीमारी संक्रमित हो जाती है अथवा वायु के माध्यम से उसके निकट संपर्क में आने पर भी इसका संक्रमण हो जाता है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में बसन्त और शीत ऋतुओं के दौरान मौसम शुष्क हो जाता है जिससे कि नाक में इस रोग का प्रतिरोध करने वाली श्लेष्मा सूख जाती है और उस समय रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। बसन्त और शीत ऋतुओं के दौरान, विशेषकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों में जहां आवास और सफाई की स्थिति बहुत खराब है, लोग एक दूसरे के पास बिल्कुल सिमट जाते हैं।

महोदय, इस विभाग ने जितना अधिक संभव हो, इस बीमारी के संबंध में जानकारी देने के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार-पत्रों जैसे प्रचार माध्यमों का प्रयोग करने की कोशिश की है। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, केवल गुजरात और महाराष्ट्र से इस वर्ष इस रोग के फैलने के समाचार प्राप्त हुए हैं। श्री नायक के इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या राज्यों में वैक्सीन भेजी गई है, इसका उत्तर "हां" में है। हमने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में वैक्सीन का वितरण किया है। वैक्सीन उपलब्ध है। हमारे पास पांच लाख खुराकें हैं और जो कोई भी राज्य मांगेगा, उसे यह दी जाएगी। मंत्रालय जनता को यह आश्वासन देना चाहेगा कि यह बीमारी महामारी नहीं है। इसके लिए सोच समझकर मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं कि कब इस बीमारी का उपचार महामारी के रूप में किया जाना है। जब किसी बीमारी को महामारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो हमें सिनेमा-घरों, स्कूलों और कालेजों को बन्द कर देना पड़ेगा; हमें लोगों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा और रोग के वर्तमान प्रभाव को ध्यान में रखते हैं। ऐसा यदि किया जाता है तो उसे जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया कहा जाएगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है। फिर

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

भी, यदि किसी वर्ग के लोगों अथवा कालोनी, अथवा स्कूल, कॉलेज में रोग के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि दिखाई देती है, तो यह मंत्रालय तत्काल कार्यवाही करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उस वर्ग विशेष के प्रत्येक व्यक्ति को इस बीमारी का प्रतिरोधक टीका लगाया जाये। वैक्सीन अस्पतालों में उपलब्ध है। यह बाजार में उपलब्ध है। उसी प्रकार, सल्फाडाइजीन नामक एक अन्य गुणकारी औषध है जो सस्ती तथा बहुत प्रभावी है जो तब तक बचाव करती रहेगी जब तक कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह औषध सरकारी अस्पतालों सहित सब जगह मिल सकती है और जो कोई भी नागरिक मांगेगा उसे यह औषध मुफ्त दी जाएगी। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये विशिष्ट मुद्दों में से कुछ मुद्दों का उत्तर देकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। माननीय सदस्य श्री बलवंत सिंह रामूवालिया द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने से संबंधित प्रश्न औषधि के प्रतिरोधक, संवर्धक और उपचारात्मक जैसे विशाल दायरों से संबंधित है। मेनिनजाइटिस से निबटने के लिए विशेष बजट व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पास इस बीमारी के आरम्भ होने से निबटने तक के लिए इस विभाग के सामान्य बजट के अधीन पूरी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां हैं।

कुछ दावे किए गये हैं कि होम्योपैथी की कुछ औषध प्रभावी हैं। यह श्री शांताराम नायक द्वारा मांगी गई जानकारी के संदर्भ में है। परन्तु यह चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से सिद्ध नहीं हुआ है। मंत्रालय आम जनता को यह सलाह देना चाहेगा कि यह एक गंभीर बीमारी है और यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो मौत ही इसका परिणाम होगी। अतः इस संबंध में कोई भी परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। अन्तरंग उपचार करने की हिदायत नहीं दी जाती है। रोगी का जीवन बचाने के लिए उसे तत्काल अस्पताल में दाखिल करना केवल एकमात्र रास्ता है। इस वर्ष किसी भी अस्पताल में किसी डाक्टर द्वारा समय पर कार्यवाही न किए जाने के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत है तो हम यथासम्भव सख्त कार्यवाही करेंगे।

मेरे पास रोगियों के आंकड़े नहीं हैं कि कौन गरीब हैं, कौन मध्यवर्गीय हैं तथा कौन धनवान् हैं। हम इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखते।

श्री अमल दत्त : (डाइमण्ड हार्बर) भविष्य में आपको ऐसे आंकड़े रखने चाहिए।

श्री एस० कृष्ण कुमार : आपकी राय पर गौर किया जायेगा।

इस बारे में मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इनमें आधे रोगी बच्चे होते हैं तथा आधे युवा वर्ग के होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए एकीकृत शिशु विकास योजना को प्रयोग में लाने के सुझाव पर विचार किया जायेगा लेकिन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के माध्यम से हमने पहले ही सभी संस्थाओं को सचेत कर दिया है। देश में 7000 एकीकृत शिशु विकास खण्डों में केवल 1,100 खण्ड हैं। हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे तथा यदि एकीकृत शिशु विकास योजना कार्यक्रमों की प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में पहले से ही यदि गर्दनतोड़ बुखार (मेनिन-

जाइटिस) सम्मिलित नहीं किया गया है तो हम इसे सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे।

स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय में स्थापित नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से हम प्रतिदिन बीमारी के मामले; मृत्यु-दर, उपचार पर निगरानी रख रहे हैं। आगामी सप्ताहों में हम यह प्रचार तथा शैक्षणिक स्तर पर प्रचार तेज करने जा रहे हैं कि रोगी को किस प्रकार अलग रखा जाये, अन्य व्यक्तियों की बीमारी से कैसे रक्षा की जाये। रोग के लक्षण क्या हैं तथा उक्त रोग के उपचार क्या हैं। हम सरकार की ओर से सदन को विश्वास दिलाते हैं कि अपने उपलब्ध तकनीक, प्रबन्धकीय, प्रशासकीय सम्पूर्ण स्रोतों को गतिशील कर हम राजधानी क्षेत्र तथा देश में मेनिनजाइटिस को पूर्णतः नियन्त्रित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तथा यह भी देखेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में सुधार हो क्योंकि इस बीमारी के मामलों को सामान्य पर्यावरणीय स्थितियों में सामान्य सुधार जैसे स्वच्छता, जलपूर्ति तथा इलाकों में भीड़भाड़ में कमी, जो महानगरीय क्षेत्रों के जीवन के अवगुण हैं, द्वारा दूर किया जा सकता है।

मैं माननीय सदस्यों को, इस विषय को उठाने तथा संसद के माध्यम से जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाते हैं।...

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : अभी भी वहां हालत बहुत खराब है। इसकी कहीं दवाइयां नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य एकदम गलत कह रहे हैं। सलफाडाइजिन जो इस बीमारी की मुख्य दवाई है, दिल्ली के सभी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में उपलब्ध है। कोई भी नागरिक इस दवा को प्राप्त कर सकता है। उपचार केवल अस्पतालों में है। अन्यथा यह खतरनाक बीमारी है। हम स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतया तैयार हैं और हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि दवाई उपलब्ध नहीं है या किसी रोगी का उपचार नहीं किया जा रहा है। हम सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेनिनजाइटिस पूर्णतया नियन्त्रण में है...(व्यवधान) यदि कोई विशेष शिकायत होगी तो हम इसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : आपके डाक्टर्स आपको थोड़े ही बताएंगे कि वहां दवाएं नहीं हैं। मैं आपको बताता हूं। आप जयप्रकाश अस्पताल में जाकर मालूम कीजिए कि वहां दवाएं नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : वे विशेष शिकायत कर सकते हैं और हम इसकी जांच करेंगे।

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

हम सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जनता को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति पूर्णत: नियंत्रण में है।

12.59 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में "नियम 377 के अधीन मामलों" पर चर्चा की जाएगी। श्री रामूवालिया।

[हिन्दी]

(एक) एक यूरोपीय आर्थिक पत्रिका में प्रकाशित मानचित्र में, जिसमें जम्मू और कश्मीर और भारत के कुछ अन्य भागों को भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर दिखाया गया है, त्रुटि सुधार की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से 14 मार्च, 86 को दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख यूरोपियन आर्थिक पत्रिका के वितरण की ओर दिलाना चाहता हूं जिस पत्रिका में भारतवर्ष का एक नक्शा अंकित किया गया है और बड़े अफसोस की बात है कि इस नक्शे में जम्मू कश्मीर का भू-भाग नहीं दिखाया गया। भारतवर्ष का पूर्वी भू-भाग जिसमें असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैंड, अरुणाचल और बंगाल के भी अनेकों हिस्से इस नक्शे में नहीं हैं। आश्चर्य की बात है कि इस पत्रिका को वित्त मन्त्रालय के पुस्तकालय द्वारा बांटा जा रहा है और देश की विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों के पास यह पत्रिका आज उपलब्ध है। यद्यपि सभी विदेशी पत्रिकाएं सरकार द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही देश में बांटी जा सकती हैं। किन्तु इस मामले में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन की कुशलता कहां गई। अतः मेरा आग्रह है कि सरकार इस मामले में बरती गई लापरवाही और उसके कारण जो हालात पैदा हुए हैं, उनसे सदन को सूचित करे और तुरंत इस नक्शे को ठीक कराए।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

(दो) पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : पटना विश्वविद्यालय देश के पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। बिहार की कमजोर वित्तीय हालत के कारण, विश्वविद्यालय का स्तर गिर गया है। बिहार में कम से कम एक विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए जो कि उच्च स्तर को बनाये रखे तथा विशिष्टता का केन्द्र हो। इस संस्थान का यदि पूर्ण विकास किया जाए तो यह अन्य संस्थानों को भी प्रेरणा देगा।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस संस्थान को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए और इस विश्वविद्यालय में व्यवहारिक भौतिकी तथा कम्प्यूटर का उन्नत विभाग शुरू किया जाना चाहिए।

(तीन) केरल में मट्टनचेरी पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : मट्टनचेरी—डब्ल्यू द्वीप पुल कोचीन को केरल के शेष भाग से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस पुल की गारंटी की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए एक नये पुल का शीघ्र ही निर्माण किया जाना चाहिए। मैं माननीय परिवहन मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वे कोचीन बन्दरगाह अधिकारियों तथा केरल सरकार को इस पुल के निर्माण के लिए निदेश दें।

(चार) योजना आयोग के पास विचाराधीन पड़ी सोन नहर के आधुनिकीकरण की योजना को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : नियम 377 के अधीन मैं केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान बिहार सोन नहर प्रणाली की दयनीय हालत के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं यह देश की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली लगभग 120 वर्ष पूर्व शुरू हुई। इससे बिहार में अत्यधिक उपजाऊ भूमि तथा भोजपुर जिले में लगभग 50 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। कई वर्षों से अति कमजोर रख-रखाव के कारण तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नई सिंचाई योजनाओं के लागू होने के कारण सोन नदी ने बिहार में सोन नहर प्रणाली को काफी कमजोर कर दिया है तथा इसकी क्षमता कम कर दी है। जो क्षेत्र बिहार के अन्न भण्डारण माने जाते थे तथा जो एक शताब्दी से अधिक समय से सोन नहर प्रणाली पर निर्भर थे, रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं।

जन प्रतिनिधियों के सतत प्रयास के बाद गत वर्ष विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए 1,200 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू की गई। इस मामले

[प्रो० के० के० तिवारी]

में सभी प्रारम्भिक जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्तालाप के कई दौर चल चुके हैं।

मुझे बताया गया है कि अब यह योजना, योजना आयोग के पास उनके अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी है।

इस योजना के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है क्योंकि यह बिहार में सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली है तथा राज्य में एक बड़े पिछड़े इलाके के किसानों को लाभ पहुंचाती है।

मैं केन्द्रीय सरकार से इस योजना को उच्च प्राथमिकता देने की और शीघ्र ही इसकी मंजूरी सुनिश्चित करने की जोरदार अपील करता हूं।

(पांच) पश्चिम बंगाल में हल्दिया में पैट्रो-रसायन परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि पश्चिमी बंगाल में हल्दिया में पेट्रो-केमिकल्स परियोजना को स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। ऐसा मालूम होता है कि उत्पादन-मिश्रण में परिवर्तन करने या पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम से आशय पत्र के नये संयुक्त क्षेत्र कम्पनी को हस्तांतरण करने के प्रति केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्ध के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को इस परियोजना में शामिल होने की स्वीकृति नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने से इन्कार कर दिया है तथा परियोजना के कार्यान्वियन में राज्य सरकार के साथ शामिल होने से भी इन्कार कर दिया है तथा साथ ही जब राज्य सरकार के निजी क्षेत्र के साथ अनुबन्ध कर लिया हो तो वह परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब कर रही है।

केन्द्रीय सरकार को टालमटोल की नीति छोड़नी चाहिए जिससे परियोजना की लागत में वृद्धि ही होगी तथा इस प्रकार यह पश्चिमी बंगाल को एक प्रमुख औद्योगिक परियोजना के लाभ से वंचित कर देगी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त परियोजना के लिए शीघ्र ही आवश्यक मंजूरी प्रदान करे।

[हिन्दी]

(छः) काशी एक्सप्रेस रेल गाड़ी को दोबारा बरास्ता जौनपुर—प्रतापगढ़ चलाने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्व-

पूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं :—

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ के लोग लाखों की संख्या में बम्बई में रहते हैं जहां पर उनमें से काफी लोग बस गए हैं अथवा व्यापार करते हैं। उन्हें बम्बई जाने के लिए कमिश्नरी मुख्यालय होने के बावजूद भी फैजाबाद से कोई भी ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है : गोरखपुर से बम्बई जाने के लिए ट्रेन लखनऊ होकर जाती है और बनारस से भी दो ट्रेनें महानगरी एक्सप्रेस व काशी एक्सप्रेस इलाहाबाद होकर बम्बई जाती है। इस प्रकार से गोरखपुर, बनारस, लखनऊ व इलाहाबाद के बीच में स्थित करीब 10 जिलों के लोग पूरी तरह से बम्बई जाने हेतु रेलवे से वंचित रह जाते हैं। उन्हें लखनऊ, बनारस अथवा इलाहाबाद जाकर बम्बई के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है, जिससे काफी परेशानी होती है। करीब 20 लाख लोगों को यह असुविधा होती है, जिससे असंतोष व्याप्त है। इसलिए मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की भयंकर समस्या को देखते हुए काशी एक्सप्रेस को उपरोक्त बनारस, जौनपुर, शाहगंज, मालीपुर, अकबरपुर, गोसाईगंज, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद रूट से प्राथमिकता देकर बम्बई तक चलाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें और इसी रूट से बनारस तक वापसी में भी चलाई जाए तथा अकबरपुर जंकशन से यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए सभी ट्रेनों में कम से कम बर्थ प्रथम श्रेणी तथा 8 बर्थ द्वितीय श्रेणी की आरक्षित करने हेतु आदेश निर्गत करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(सात) राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत पिछड़ा राज्य है। राजस्थान में बड़े उद्योगों के विकास की बहुत आवश्यकता है। राज्य सरकार राजस्थान में बहुत पहले से ही केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की अपर्याप्तता की वकालत कर रही है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा राजस्थान में लगाया गया पूंजी निवेश बहुत कम है। यह पूरे देश में इस प्रकार के पूंजी निवेश का 1.90 प्रतिशत है।

देश में भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा दो अतिरिक्त एकक और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एक एक स्थापित किये गये हैं। भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह संकेत दिया गया है कि उनकी औद्योगिक संस्थान प्रतिरक्षा के इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए दो या तीन एकक स्थापित करने की योजना है। राज्य सरकार ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को सामान्य दर पर भूमि, विद्युत शक्ति, पानी; मकान आदि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सभी प्रकार की सम्भव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत सरकार द्वारा सभी सम्बद्ध बातों पर विचार करने के उपरान्त निश्चय किया गया कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकक राजस्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर स्थापित की जाएं।

[श्री शांति धारीवाल]

अब हाजीरा बीजापुर गैस पाइप लाइनें भी राजस्थान के आरपार बिछाई जा रही हैं। मैं सरकार से राजस्थान में उद्योग खोलने का अनुरोध करता हूं क्योंकि राज्य में हाजीरा गैस पाइप लाइन के मार्ग में अनेक औद्योगीकरण के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं।

मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देने और समर्थन की प्रतीक्षा करूंगा।

—— -- - ——

1.07 म० प०

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
तथा
ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]'

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 और 13 पर साथ-साथ चर्चा करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी	—	अनुपस्थित
श्री सी० जंगा रेड्डी	—	अनुपस्थित
श्री इन्द्रजीत गुप्त	—	अनुपस्थित
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	—	अनुपस्थित
डा० ए० के० पटेल	—	अनुपस्थित
प्रो० सैफुद्दीन सोज	—	अनुपस्थित
श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति	—	अनुपस्थित
श्री एम० रघुमा रेड्डी	—	अनुपस्थित

अत: मद संख्या 12 पर दिया गया सांविधिक संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया। अब मैं माननीय मन्त्री जी को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बुलाता हूं।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

माननीय समस्यों को ज्ञात है कि राष्ट्रपति ने ठेका श्रम अधिनियम 197० (विनियमन और उत्सादन) का संशोधन करने के लिए 28 जनवरी, 1986 को एक अध्यादेश जारी किया था। वर्तमान विधेयक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन किसी संस्थापना के मामले में एक ही सरकार उपयुक्त सरकार होनी चाहिए। यह हमें एक समान औद्योगिक सम्बन्धों का सम्बन्धी नीति तैयार करने और निरीक्षण सम्बन्धी अभिकरणों की बहुलता को कम करने में, जो कि प्रशासनिक रूप में वांछनीय नहीं है, सहायता मिलेगी।

विधेयक राज्य सभा द्वारा पहले ही 11 मार्च, 1986 को पारित किया जा चुका है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

'कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री के० राम चन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक 1986 पुरःस्थापित किया है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रयोजन यह है कि वे पहले से ही एक अध्यादेश जारी कर चुकी हैं और उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए अब यह संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

जहां तक अध्यादेश के जारी किये जाने का सम्बन्ध है मैं सरकार से और माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसको जारी करने की इतनी अधिक आवश्यकता क्या थी क्योंकि अधिनियम 123 में यह अपेक्षित है कि एक अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, जबकि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि शीघ्र ही कार्यवाही करने की आवश्यकता हो। जब तक इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न न हों कि शीघ्र कार्यवाही की आवश्यता हो, एक अध्यादेश जारी नहीं किया सकता है।

[श्री के० राम चन्द्र रेड्डी]

1.10 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

निःसन्देह, एक अध्यादेश जारी करने की सरकार की शक्ति है परन्तु यह एक बहुत विशेष सामान्य शक्ति है। इसका उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिए। संसद की शक्तियों को उपेक्षित करके अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि अध्यादेश का जारी किया जाना अवैध न भी हो तथापि एक अध्यादेश का जारी किया जाना भी पूर्ण रूप से नैतिक और वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है।

मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य और उसके उद्देश्य और कारणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। कहीं भी इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता और इसके महत्व का उल्लेख नहीं किया गया है। मान लीजिए की अध्यादेश जारी न किया गया होता, तो क्या हो जाता? ऐसी क्या सम्भाव्यता थी जिसे सरकार इस अध्यादेश को जारी कर सामना करना चाहती थी? वो इन बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं। इन परिस्थितियों में अध्यादेश का जारी करना अथवा इसका प्रचालन न्यायोचित नहीं हो सकता।

अब हमें अध्यादेश को जारी किए जाने से सम्बन्धित परिस्थितियों की ओर ध्यान देना चाहिये। जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह में अखबारों में इस बात का संकेत दिया गया कि संसद के फरवरी के दूसरे सप्ताह के अन्त में समवेत होने की संभावना है। अगले दिन सरकार ने जल्दी में एक वक्तव्य दिया कि संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है। तब यह अध्यादेश 28 फरवरी, 1986 को जारी किया गया। सत्र बुलाए जाने के लिए सम्मन 1-2-1986 को जारी किए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि अध्यादेश सत्र बुलाने के लिए सम्मन जारी किये जाने से ही दो या तीन दिन पहले जारी किया गया था। इसलिए, मैं इस प्रकार की अत्यावश्यकता को जानना चाहूंगा। क्या आकाश टूट पड़ता यदि, अध्यादेश जारी न किया जाता?

महोदय, सामान्य परिस्थितियो में उन्हें संसद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस सरकार को सिर्फ सत्र के बुलाने के लिए सम्मन जारी करने के दो या तीन दिन पहले अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इससे सरकार की संसद के प्रति लापरवाही प्रदर्शित होती है। वे इसे इसका पूरा सम्मान नहीं दे रहे हैं। वे लघु परिपथ को अपनाकर संसद की अवहेलना पर तुले हैं।

विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इस संशोधन की कभी आवश्यकता हैं। उद्देश्य और धारणा विवरण में यह कहा गया है कि दो अधिनियम हैं। एक 1947 का औद्योगिक

विवाद अधिनियम और दूसरा 1970 का ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम। इन दोनों अधिनियमों में उपयुक्त सरकार की व्याख्या की गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार उपयुक्त सरकार केन्द्रीय सरकार है और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के अनुसार राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है। इस संशोधन से वे राज्य सरकार की शक्ति अपने अधिकार में लेना चाहते हैं ताकि राज्य सरकार इस अधिनियम को लागू न कर सके।

महोदय, दोनों अधिनियम बिल्कुल अलग-अलग हैं। दोनों अधिनियमों का सीमा एक दम भिन्न है। आप दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। इसलिए, सरकार को इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता कहां थी ? जब ये दोनों चीजें एकदम भिन्न हैं तो सरकार को समक्ष प्राधिकरण या उपयुक्त सरकार की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है ? यहां 185 अधिनियम हैं। क्या सरकार समेकित विधान लाना चाहती है ? आप यह नहीं कर पायेंगें। यहां ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जिनके अन्तर्गत किसानो, कामगारों आदि के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। सरकार कामगारों के कल्याण के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है। जब इस प्रकार की स्थिति है और बहुत से अधिनियम पहले से मौजूद हैं तो आपको समेकित विधान लाना चाहिए। इस प्रकार का मार्ग क्यों अपनाया गया ? सरकार ने जल्दबाजी में यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

जब आप इस पहलू पर सर्वोच्च न्यायालय के सुरिन्दर सिंह बनाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और केन्द्रीय सरकार के फैसले के साथ विचार करते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कामगारों को छः महीने के उपरान्त उनके कार्य···

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। इस विधेयक के लिए केवल एक घंटे का समय आवंटित किया गया है और आपके दल ने दो सदस्यों के नाम दिए हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा कि सभी लोगों को छः माह की सेवा के उपरान्त समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कुछ लोगों के निहित हितों में बाधक रहा होगा; कुछ लोग जो इससे प्रभावित हुए और शायद सरकार उन लोगों के निहित स्वार्थ के आगे झुक गई है और वह जल्दबाजी में निहित स्वार्थों को सहायता देने के लिए उल्टा विधेयक लाई है। सरकार इन वर्षों में क्या करती रही ?

सोलह वर्ष बीत गए और उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि 1947 के अधिनियम और 1970 के अधिनियम में उल्लिखित विभेदक शर्तें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। क्या ऐसा कोई दृष्टांत है जहां कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में परस्पर विरोध हुआ हो ? मैं समझता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की कोशिश की हो और राज्य सरकार

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

उसमें रुकावट बन गई हो अथवा राज्य सरकार ने इसके प्रवर्त्तन को रोकने की कोशिश की हो। क्या इस अधिनियम को लागू करने के मामले में केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विरोध होने का कोई दृष्टांत है ? यदि ऐसी परिस्थितियां थी, तो मन्त्रालय को यह बताने के लिए सामने आना चाहिए था कि राज्य सरकार ने एक ऐसे अधिनियम के क्रियान्वयन में रुकावट डाली है जो श्रमिकों के हित में है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें श्रमिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। रेलवे में 20 लाख कामगार हैं और सात लाख ठेके पर काम कर रहे हैं। कोयला खानों में सात लाख कामगार हैं और एक लाख ठेके पर काम कर रहे हैं। जिन ठेकेदारों ने इन कामगारों को काम पर लगाया हुआ है, वे उन्हें उनकी मजूरी ठीक से नहीं देते। उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं और उन्हें कोई उपदान आदि नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपने वक्तव्य को समाप्त कीजिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैं विवश हूं। इस विधेयक के लिए केवल एक घंटा नियत किया गया है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जब मैं इस वाद-विवाद को शुरू कर रहा हूं, तो आपको मुझे पर्याप्त समय अवश्य देना चाहिए। यदि आप केवल विधेयक को पारित करने के इच्छुक हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। किन्तु यदि आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय देना होगा।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : कामगारों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना है। इस विधेयक में राज्य सरकारों की शक्तियां छीन ली गई हैं और सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार के हाथों में केन्द्रित कर दी गई हैं। 1970 से सरकार ने कामगारों के लिए कुछ नहीं किया है। यदि सरकार निहित स्वार्थों के कहने पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी, तो कर्मचारियों की परेशानियां निरन्तर बनी रहेंगी। इसीलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में पुन: विचार करें और इस विधेयक को वापस ले लें तथा तत्पश्चात एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें ताकि कामगारों के हितों की रक्षा हो सके।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मान-

नीय मन्त्री जी ने इस संशोधन की उपयोगिता के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है और इससे समान औद्योगिक सम्बन्धों संबंधी-नीति की व्यवस्था होगी और निरीक्षणकर्ता एजेंसियों की बहुलता में कमी होगी। सरकार ने इस अधिनियम के अधीन कुछ कार्यवाहियां की हैं और इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कुछ व्यक्तियों पर मुकदमें चलाए हैं और इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति दोषी भी पाये गए हैं। यह संशोधन आवश्यक है क्योंकि यह ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के बीच के अन्तराल को पूरा करेगा। इससे औद्योगिक नीति में बहुत सहायता मिलेगी। दूसरी ओर मेरे विद्वान साथी ने अध्यादेश के प्रख्यापन के बारे में, विधेयक के बारे में तथा उसके बाद इस विधेयक की उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि यह अध्यादेश विधि सम्मत नहीं है क्योंकि इसे सभा को बुलाए जाने से कुछ पहले ही प्रख्यापित किया गया था और उनके अनुसार जनवरी 1985 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के कारण इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की आवश्यकता हुई। यदि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर समुचित ध्यान देती है, तो इसमें क्या हानि है? यदि उनके अनुसार यह सही है कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण यह लाया गया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बल्कि उन्हें तो इसके लिए श्रम मन्त्री की प्रशंसा करनी चाहिए थी।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम और यह अधिनियम दोनों एक समान लागू होते हैं। इन्हें लागू करने वाले अभिकरण भले ही विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त करे। यह अधिनियम ठेका मजूरी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तो केवल ठेका मजूरी व्यवस्था को विनियमित करने और उसे प्रतिबन्धित करने के लिए है। यदि ठेका मजूरी का उन्मूलन कर दिया जाता, तो अधिक अच्छा होता। किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकारें कार्य करती हैं और अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार कार्य करती है। सामान्य क्षेत्रों में पर्यवेक्षी अथवा निरीक्षणकर्ता अभिकरण दो प्रकार के दृष्टिकोण व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए इसे क्रियान्वित करना कठिन है और इसीलिए इस विधेयक को अब लाया जाना उचित है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहूंगा। वे यह देखें कि इस विधेयक को शीघ्र पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाए।

निर्माण उद्योग देश में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। निर्माण उद्योग में श्रमिकों की ओर उचित ध्यान देना होगा, क्योंकि श्रमिकों के लिए बनाये गये कानूनों का अनेक बार उल्लंघन किया जाता है। इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ दिल्ली में ही नेहरू प्लेस में कन्टीनेन्टल कंस्ट्रक्शन कम्पनी नाम का एक संगठन है। 17.3.1985 को मैंने माननीय मन्त्री जी से पूछा था कि क्या यह सही है कि उड़ीसा के श्रमिकों के ठेकेदारों के लाइसेंसों का इस वर्ष नवीकरण नहीं किया गया है और फिर भी उन्हें श्रमिकों की भर्ती करने दी जा रही है और

[श्री सोमनाथ रथ]

श्रमिकों को देश में तथा विदेशों में काम पर लगाने दिया जा रहा है। इसका मुझे यह उत्तर दिया गया था कि उड़ीसा इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कारपोरेशन, भुवनेश्वर ही ऐसा एकमात्र संगठन है जिसे लाइसेंस दिया गया है, और किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया है। अपने एक पिछले प्रश्न में मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था कि उड़ीसा में तथाकथित ठेकेदार दिल्ली की इस सबकन्टीनेन्टल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी तथा कुछ अन्य कम्पनियों के उप-अभिकर्ता हैं और उन्होंने विदेशों में भेजने के लिए श्रमिक भर्ती किये है और हालांकि उत्तर के अनुसार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी किसी प्रकार की राशि लेने की हकदार नहीं है, फिर भी उसने इन श्रमिकों से 5000 रुपये से 15000 रुपये तक ऐंठे हैं। केवल एजेंसी ही पन्द्रह सौ रुपये तक की राशि लेने की हकदार थी। श्रम विभाग को इस बात का धन्यवाद कि पुलिस स्टेशन में दो शिकायतें दर्ज कर दी गई थी। ये मामले चल रहे हैं, हालांकि हमें इन मामलों से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि करार में इन निर्माण कम्पनियों अथवा एजेंसियों द्वारा जो कि मजदूरों को विदेशों में भेजने के लिए प्राधिकृत हैं. उप-अभिकर्ताओं के माध्यम से मजदूरों की भर्ती करने की व्यवस्था कब तक समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें उप-अभिकर्ताओं के माध्यम से भर्ती क्यों करने दी जा रही है। मेरे पास इस संबंध में संगत पत्र और जानकारियां हैं। मैंने पूर्ववर्ती श्रम मंत्री को भी इस मामले से अवगत कराया था और उन्होंने इसके लिए सभा में मुझे बधाई दी थी। इस कन्टीनेन्टल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता ? एक प्रश्न यह भी है। दिल्ली की यह कन्टीनेन्टल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन और अन्य कम्पनियां भी मजदूरों से अपने अनधिकृत ठेकेदारों के माध्यम से भारी रकमें वसूल कर रही हैं। केवल यही नहीं, वे इन मजदूरों से कुछ समय भारत में भी काम करवाते हैं और काम पूरा करा लेने के बाद ही वे उन्हें विदेश भेजने का वायदा करते हैं। एक अन्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्हें विदेश भेज दिया जाता है, तो भारत में इन कम्पनियों के माध्यम से उनको जो मजूरी प्राप्त होती है, उसमें से 10 प्रतिशत राशि की कटौती कर दी जाती है और कम्पनियों अथवा अभिकरणों द्वारा यह राशि उप-ठेकेदारों को दे दी जाती है। महोदय मैं आपके माध्यम से, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों में इस कन्टीनेन्टल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के खातों को जब्त कर लिया जाये और विदेशों में भेजे गये मजदूरों की मजूरी में से जो 10 से 15 प्रतिशत तक की गैर-कानूनी कटौती की गई है, उसकी वसूली की जाये तथा इस सम्बन्ध में अन्य कार्यवाहियां करने के साथ-साथ कटौती की यह राशि इन मजदूरों को दे दी जाये।

इस समय उड़ीसा के पासपोर्टधारी ऐसे 500 श्रमिक हैं जो इन कम्पनियों अथवा एजेंसियों के अधीन काम कर चुके हैं और जिन्हें विदेश नहीं भेजा गया तथा बहुत तंग किया गया है। जिन मजदूरों को अपने पासपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विदेश भेजा जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में अवश्य ही जांच की जानी चाहिए। माननीय मन्त्री जी को इन मजदूरों की रक्षा करनी चाहिए। जब तक इन मजदूरों को विदेश न भेज दिया जाये, इन निर्माण कम्पनियों द्वारा किसी भी

व्यक्ति को विदेश भेजे जाने पर रोक लगा दी जाये। कन्टीनेन्टल कन्सट्रक्शन कम्पनी तथा अन्य कम्पनियां बदले की भावना से, एक व्यक्ति द्वारा सिफारिश किये जाने पर ही कुछ व्यक्तियों को विदेश भेज रही है। इस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है उससे 147 पासपोर्ट जब्त करके लौटा दिये गये हैं, इस सम्बन्ध में सूचना तो कम से कम दर्ज करानी चाहिये। इस बात की बहुत संभावना है कि उसे मुकदमे पर कुछ धनराशि खर्च करनी होगी और अपने इस घाटे को पूरा करने के लिये वह और अधिक धनराशि ऐंठकर मजदूरों को भेजने के लिए प्रेरित हुआ हो। मेरे पास बहुत से दस्तावेज हैं। ये पूर्ववर्ती श्रम मन्त्री को पहले ही दिये जा चुके हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने आप्रवास अधिनियम के अधीन कर अपवंचन करने के अलावा मजदूरों को तंग करने और उनका शोषण करने जैसे बहुत से अपराध भी किये है। मेरे पास कम से कम ऐसी 16 कम्पनियों अथवा एजेंसियों की सूची है जो यह कार्य कर रही हैं। उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। मैं इस सभा में मजदूरों के पक्ष का समर्थन करने के लिए बोल रहा हूं। संसद सदस्यों को दिये जाने वाले एक लेटर पैड पर जालसाजी से लिखित एक पत्र उड़ीसा के एक समाचारपत्र – 'समाज' में प्रकाशित किया गया था किन्तु बाद में इस समाचार पत्र ने इसका खण्डन कर दिया। यह मेरा अपना मामला नहीं है, बल्कि यह तो सभा का मामला है, इससे यह पता चलता है कि और तो और संसद सदस्यों को भी, जो सरकार को मामलों की जानकारी देते हैं और जो सभा में इस शोषण, इस गिरोह, इस धोखाधड़ी, पैसा बनाने वाले गिरोहों, भ्रष्टाचार आदि के बारे में बोल रहे हैं, किस प्रकार ये इन लोगों द्वारा नहीं छोड़ा जाता। वे संसद सदस्यों को शर्मिन्दा करना चाहते हैं, जनता की दृष्टि में उनके सम्मान को कम करना चाहते हैं। मेरा विचार है कि पीठासीन अधिकारी को सदस्यों को इस स्थिति से बचाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये, अन्यथा इस सभा में किसी भी सदस्य के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना बहुत कठिन हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : वह पत्र क्या है, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ रथ : मैं इसे सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने अब तक इसे इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने इसे सभा पटल पर रखने के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति नहीं ली है। अन्यथा मैं इसे रख चुका होता। मैं इसे बाद में रखूंगा। मैं इसे मन्त्री महोदय को दिखाऊंगा। महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लूंगा और सभी दस्तावेजों को सभा के समक्ष रखूंगा। इनसे यह पता चलेगा कि इन मजदूरों से किस प्रकार करोड़ों रुपये ऐंठें गये हैं। ये दस्तावेज श्रम मन्त्री को दिये जा चुके हैं। इनकी प्रतियां मेरे पास हैं। (व्यवधान) उन्होंने मात्र सूचना दर्ज कर दी है। एक व्यक्ति से 147 पासपोर्ट जब्त किये गये हैं। अब इसी व्यक्ति को सभी निर्माण कम्पनियों तथा अन्य कम्पनियों द्वारा मजदूरों को बाहर भेजने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिये श्रम मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले में कड़ी कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर यह कहा जाय कि यह बहुत इन्नोसेंट अमेंडमेंट है, उस पर कोई नाक भौं सिकोड़ने की आवश्यकता नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहां तक इस आपत्ति की बात है कि सेशन से पहले आर्डिनेंस के द्वारा कोई चीज लागू न की जाय, यह कहना उचित नहीं है। ओरिजिनल लेजिस्लेशन में तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखा जाना जरूरी है। लेकिन जहां तक संशोधन की बात है यह इस बात को जाहिर करता है कि कोई गलती थी, कोई कन्फ्यूजन था उसको ठीक किया जा रहा है और उसको जितनी जल्दी ठीक किया जाय उतना ही अच्छा होता है। इसमें भी केवल इतना ही किया गया है कि जहां जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट लागू होगा उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, शेष के लिए स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी।

यह जो ओरिजिनल ऐक्ट है यह 1970 में लागू हुआ। यह सही है कि कुछ उस पर काम भी हुआ है। लेकिन इतना बड़ा यह देश है, इसमें कान्ट्रैक्ट लेबर जिन बेचारों के कोई अधिकार नहीं होते, जिनके कोई वेतनमान नहीं होते, जिनको महंगाई भत्ता नहीं मिलता, जिनकी कोई सर्विस कंडीशंस नहीं होतीं, ओवरटाइम नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती, ग्रेच्युइटी नहीं मिलती, ले आफ नहीं मिलता, ऐसे क्लास आफ वर्कर्स के लिए जितनी तेजी के साथ इसको लागू किया जाना था उतनी तेजी से वह नहीं हुआ। गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह यह कान्ट्रैक्ट लेबर मोजूद है जिनको कभी भी बाहर किया जा सकता है, कभी भी सड़क पर निकाला जा सकता है। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह और बीस-बीस साल काम करने के बाद में ऐसी स्टेज पर ये बाहर किए जाते हैं जब इनका कोई पुरसा-हाल नहीं होता।

भोपाल में अभी दो साल पहले के० के० ड्राइसेल फैक्ट्री बन्द की गई, जो रेगुलर मजदूर थे उनको तो कम्पेन्सेशन भी मिला, ग्रेच्युइटी भी मिली, लेकिन जो कान्ट्रैक्ट लेबर थे उनको बगैर कुछ दिए बिना किसी सहारे के सीधे सड़क पर फेंक दिया गया। बल्कि वहां पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का जो नोटिस दिया था उसमें भी वहां स्ट्रेन्थ जो रेगुलर थी हालांकि उससे दुगुनी स्ट्रेन्थ है, आधे लोग कांट्रैक्ट लेबर की तरह से काम कर रहे हैं मगर उसमें भी उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। बीस बीस साल तक उन्होंने काम किया है।

1983 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पेटीशन पर यह फैसला दिया था कि सभी राज्य कान्ट्रैक्ट लेबर ऐडवाइजरी बोर्ड बनाएं और यह फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के लिए दिया गया था कि वहां पर जितने भी इनके पद पेरिनियल हैं उनको परमानेन्ट किया जाना चाहिए, रेगुलर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे हमारा सेंटर का लेबर डिपार्टमेंट हो चाहे राज्यों के लेबर डिपार्टमेंट हों, यह खुद एक मिसाल है कि 83 से लेकर 86 हो गया, तीन वर्षों में हम केवल एक फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में कितने पेरिनियल जाब्स हैं उनके लिए कमेटी बनाकर तय नहीं कर पाए और उसको लागू नहीं कर पाये।

जहां जहां यह कोशिश की गई कि ठेका प्रथा समाप्त हो तो कोशिश यह की गई कि वह कहावत है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न मरीज रहेगा न मर्ज रहेगा, उन्होंने मजदूरों को ही निकालना शुरू कर दिया। तो यह देखने की आवश्यकता है कि ठेका प्रथा समाप्त करने का मतलब है कि मजदूरों को स्थायी किया जाना चाहिए, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। उनको सड़क पर नहीं कर देना चाहिए।

इसी प्रकार से एक बड़ा अच्छा सुझाव तामिलनाडु की ठेका श्रम सलाहकार समिति ने दिया था कि इस कानून की, जो दसवीं धारा है उसका संशोधन करके जहां पर बारहमासी किस्म के कार्य हों वहां पर ठेका प्रथा समाप्त करनी चाहिए। लेकिन यह भी नहीं किया। लेबर लाज में यदि कोई भी ऐसा संशोधन आयेगा तो यह पूरा सदन उसका स्वागत करेगा। आज तो यह जंगल हो गया है कानूनों का और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें कि संशोधन की आवश्यकता न हो। पिछले वर्ष जो हमारे श्रम मन्त्री थे, श्री टी० अंजैया, उनके सफेद बालों से तो जरूर ऐसा लगता था कि वे बुजुर्ग हैं लेकिन जिस ढंग से उन्होंने श्रम मन्त्रालय में काम किया है वह उल्लेखनीय है। उन्होंने जवानों की तरह से काम किया। शरीर, मन और मस्तिष्क से जवानों की तरह से ही उन्होंने काम किया। उन्होंने इस बात का वायदा किया था कि जितने भी लेबर कानून हैं उनकी समीक्षा की जायेगी और एक व्यापक लेजिस्लेशन लाया जायेगा क्योंकि आज कई कानून तो ऐसे हैं जिनमें कन्ट्राडिक्शन्स हैं, उनमें परिभाषायें भी अलग अलग हैं। ऐसी हालत में यह बहुत जरूरी है कि जिस स्टेज में हम पहुंच गए हैं, इक्कीसवीं शताब्दी में हम प्रवेश करना चाहते हैं तो आज जिस प्रकार के लेबर लाज बने हुए हैं जिनमें कन्ट्राडिक्शन्स हैं, परिभाषाओं में अन्तर है, उन कानूनों को ठीक किया जाए।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वर्तमान श्रम मन्त्री जी काफी नौजवान हैं और हम आशा करते हैं कि पहले के श्रम मन्त्री श्री टी० अंजैया से भी अधिक तेजी से काम करके वे इस बात को साबित करेंगे कि वे मजदूरों की ज्यादा भलाई करना चाहते हैं, मजदूरों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, यह संशोधन विधेयक, जो सदन के समक्ष है, इसमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, में संशोधन करने में आपेक्षा की गई है। अधिनियम में किया जाने वाला वर्तमान संशोधन बहुत छोटा है। यह इस बात की व्याख्या करता है कि श्रमिक विवादों को निपटाने के लिए "उपयुक्त सरकार" कौन-सी होगी। पहले यह उपबन्ध था कि ठेका श्रमिकों और ठेकेदारों के बीच उठे विवादों में हस्तक्षेप करने और उन्हें निपटाने के लिए वही

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बाजू बन रियान]

राज्य सरकार "उपयुक्त सरकार" होगी जिस राज्य में वह एकक कार्य कर रहा होगा। किन्तु अब इस संशोधन के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को कार्रावई करने की शक्ति से वंचित किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ली जा रही हैं। यह सच है कि वास्तविकता में प्रत्येक राज्य में भारतीय खाद्य निगम, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भारतीय नौवहन निगम, एन०बी०सी०सी० आदि जैसे विभिन्न केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिक काफी लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं। अब सरकार को अचानक इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? मूल अधिनियम 1970 से प्रवृत्त है। किन्तु 1970 से 1985 तक इन 15 वर्षों के दौरान सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की। यह आवश्यकता अब क्यों महसूस की जा रही है? महोदय, पिछले एक या दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल स्थित बर्नपुर इस्पात परियोजना, दुर्गापुर इस्पात और उवरक निगम, मैट्रो रेलवे आदि जैसे प्रतिष्ठानों जहां ठेका श्रमिक काम कर रहे थे कुछ श्रमिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं? इन मामलों में पश्चिम बंगाल के श्रम आयुक्त ने हस्तक्षेप किया और श्रमिकों के लिए संतोषजनक हल खोज निकाला। राज्य सरकार ने श्रमिकों को नियमित किये जाने की व्यवस्था की और इस बात का भी ध्यान रखा कि श्रमिकों को उनकी बकाया राशि अदा की जाए।

इसके विपरीत, मैं अन्य राज्यों की कुछ और घटनाओं का उल्लेख करूंगा। लगभग दो वर्ष पूर्व आसाम आयल डिविजन के अन्तर्गत कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों ने अपनी बकाया राशि के भुगतान के लिए आन्दोलन किया। उन्हें केन्द्रीय और औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा बेरहमी से पीटा गया और उनका भुगतान किए बिना उन्हें भगा दिया गया। महोदय, हरियाणा में पानीपत उर्वरक निगम में ठेका श्रमिकों और ठेकेदारों के बीच विवाद की एक और घटना हुई। श्रमिकों ने अपने न्यायोचित देयों की मांग की थी उन्हें भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा पीट कर भगा दिया गया।

पिछले 10 या 15 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक विवादों के मामलों में निर्णयों की एकरूपता के बारे में कोई परवाह नहीं की जबकि केन्द्र और लगभग अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। वह इसके प्रति अब क्यों अचानक चिन्तित हो उठे हैं। क्योंकि वह यह देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की वामपन्थी सरकार श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा कर रही है। वह श्रमिकों का पक्ष ले रही है। किन्तु अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार ठेकेदारों का साथ ले रही है और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सहायता से श्रमिकों को भुगतान किए बिना मार पीट करके भगा रही है।

इसलिए मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह संशोधन देश के लाखों ठेका श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर यह विधेयक केवल ठेकेदारों के हितों

को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। महोदय, मुझे मालूम है कि उन यूनिटों और निगमों, जहां पर ठेका श्रमिक नियोजित किए जाते हैं के अधिकारी ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ करके श्रमिकों को धोखा देते हैं और स्वयं पैसा बनाते हैं। उन्हें उनकी मजदूरी दिलाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इस प्रकार के बहुत से यूनिट घाटे पर चल रहे हैं। इस प्रकार ठेकेदारों और अधिकारियों की सांठ-गांठ से सरकार को घाटा हो रहा है, उद्योगों को नुकसान हो रहा है और श्रमिकों को उनके न्यायोचित हक से वंचित किया जा रहा है। इसलिए, मैं इस विधेयक का इसके वर्तमान रूप में पूरी तरह से समर्थन नहीं करता। मुझे प्रसन्नता होगी यदि सरकार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और निजी संस्थानों में ठेकेदारों के आधीन काम करने वाले लाखों मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करती है। मुझे वास्तव में प्रसन्नता हुई होती यदि सरकार ने इन सभी निर्धन श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया होता। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसा करेगी ? नहीं, उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं जानता हूं कि यह सरकार केवल मुट्ठी भर लोगों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। हमने प्रायः यह आरोप लगाया है। महोदय ठेका श्रमिक अधिनियम काफी समय से देश के विभिन्न भागों में प्रवृत्त है। मैं जानना चाहता हूं कि यह संशोधन प्रस्तुत करने का वास्तविक उद्देश्य और प्रयोजन क्या है। मैं चाहता हूं कि जब मन्त्री महोदय उत्तर दें तो वह यह बताएं कि किन-किन राज्यों में राज्य सरकार के हस्तक्षेप करने से उद्योग या श्रमिकों के हितों को नुकसान हुआ है। इन राज्यों के नाम क्या हैं। विगत में श्रमिक विवादों का हल खोजने के लिए राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से यदि उद्योग को कोई हानि नहीं हुई या श्रमिकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा तो यह विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी क्या थी।

मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ठेका श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। तब हम अवश्य अपनी पार्टी का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और उसका समर्थन करेंगे।

महोदय, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं संगमा साहब को धन्यवाद देता हूं कि वे बड़ी मेहनत के बाद इस बिल को लाए। मेरा ख्याल है, इस बिल को लाने में उनको पसीना आया होगा। आप मेहरबानी करके यह बतलाइए कि इस बिल के नीचे कितने आदमियों को आज तक सजा दी गई है। अब तक जितने भी लेबर-लॉज सरकार द्वारा लाए गए हैं, वे सब अलमारी में रखे हुए हैं। लेबर-लॉज पास करने का मुख्य कारण यह है कि इन्सपैक्टर का राज कायम कर देना और कुछ नहीं है। इस लेबर-लॉज को आप पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि आपने क्या-क्या कानून बनाए हैं। कितने सुन्दर कानून बनाए हैं। संगमा साहब तो बड़ी स्पष्ट बात कहने वाले व्यक्ति हैं। इसमें कहा गया है कि ठेकेदार लोगों को कैसे रखेंगे।

[श्री मूल चन्द डागा]

[अनुवाद]

(क) "ऐसे प्रत्येक संस्थान में, जहां पर सामान्यत: बीस या अधिक श्रमिक ठेके पर काम करते है, उनके 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उचित आकार के दो कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) इन में से एक कमरा बच्चों के खेलने के लिए प्रयोग किया जाएगा और दूसरा कमरा बच्चों के सोने के लिए।

(ग) ठेकेदार खेलने के कमरे में पर्याप्त खिलौने और शयन कक्ष में पर्याप्त चारपाईयां और बिस्तर उपलब्ध कराएगा ?

क्या नागालैण्ड, कर्नाटक या केरल में ऐसा है ?

[हिन्दी]

ये कान्ट्रेक्टर कौन होते हैं। यह खून चूसने वाले लोग होते हैं, श्रम करने वाले लोगों का शोषण करने वाले लोग होते हैं। आपने कानून बना दिया। मुझे एक बात यह बताइए कि यह क्या कानून है कि 20 आदमी होंगे, तब कानून लागू होगा। एक आदमी का खून भी जो लेता है, वह हत्या है, पाप है और अपराध है। एक गांव में कुआं खुदवाने के लिए एक काश्तकार ने 5 आदमी को लगा दिया और कहा कि हम तुम्हें 200 रुपये देंगे। उन्होंने 10 दिन तक कुआं खोदा लेकिन उसमें पत्थर निकल आया और कुआं आगे नहीं खुद सका। तो 200 रुपये उनको नहीं दिये गये बल्कि उनको थाने में बुलाया और उनसे कहा गया कि मूर्ख तुमने जो कान्ट्रेक्ट किया था, उसको पूरा नहीं किया और तुम्हें कुआं खोदना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें होती हैं और उनपर आपका कानून लागू नहीं होता है।

आप संविधान की आर्टिकल 42 और 43 को देखें। वे क्या कहती हैं। मैं पढ़ देता हूं :

[अनुवाद]

42. "राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

43. राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य किसी प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशेष कर···"

[हिन्दी]

श्रीमन्, मैं कर्नाटक की ही बात नहीं कहता, सारे देश में ये ठेकेदार आदमियों का खून चूस लेते हैं और आप यह देखें कि घर में जो नौकर हैं, उनकी क्या दशा होती है। आपने कब उनके लिए कानून बनाया है। घर का मालिक उस नौकर का शोषण करता है। धनवान लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उनको नहीं देते और इस तरह से एक आदमी दूसरे आदमी का खून चूसता है।...(व्यवधान) हम तो गम के आंसू पीते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब संगमा साहब हैं। आप यह बताइए कि इस कानून के सेक्शन 24, 25 और 26 में आपने किन-किन को सजाएं दीं। पिछले 10 का रिकार्ड आप देखकर बताइए कि कितने आदमियों को सजाएं दीं और तीन साल में किन-किन को जेल भेजा। इसमें 3 मंथ्स सिम्पुल इम्प्रिज़नमेंट और फाइन है। कितने ठेकेदारों को आपने सजा दी और आपकी जो पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स हैं, उनमें से कितनों का चालान किया। एफ० सी० आई० के चेयरमैन का चालान किया। फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया कितना शोषण मजदूरों का करता है। वह कहता है कि इतनी बोरियां डालनी पड़ेगीं और तब इतना पैसा मिलेगा। क्या आप यह बताएंगे कि हमने इन-इन पब्लिक अन्डरटेकिंग्स का चालान किया। संगमा साहब इतना ही कह देंगे कि हम तो थोड़े दिन हुए मिनिस्टर बने हैं। इस कांट्रेक्ट लेबर का मतलब यही है कि कांट्रेक्टर कहता है कि मैं तेरा खून चूसूंगा, तेरा शोषण करूंगा। इस वर्ग को अबोलिश कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए।

आपका बीस मेम्बरों का बोर्ड है। आप बताइये कि इसकी बैठक कब हुई, यह बोर्ड कब बैठा ? आपके इंस्पेक्टर कहां-कहां गये ? संगमा साहब हमने देखा है कि जो आपके इंस्पेक्टर काम करते हैं। इंस्पेक्टर के घर पर महीने के महीने चंदा पहुंच जाता है। यह इंस्पेक्टर राज है।

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि आप इस कानून को देखें। जब तक आप एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं लायेंगे तब तक इस कानून का कोई फायदा नहीं है। लेबर लाज के अन्दर मैंने जब इस कानून को पढ़ा। आपका यह एक्ट सन् 1970 में बना था—मैं आपका ध्यान इसकी कुछ क्लाजिज की तरफ दिलाता हूं :—

[अनुवाद]

यहां आपने कहा है : "....ऐसे किसी भी संस्थान को जहां पर बीस या अधिक श्रमिक काम करते हैं।"

[हिन्दी]

18-19 आदमी तक तो कोई कांट्रेक्ट पर लेबर रख सकता है।

20 लेबर होने के बाद आप इस कानून को लागू करेंगे।

[श्री मूल चन्द डागा]

[अनुवाद]

मैं आपका ध्यान धारा 3 की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें कहा गया है कि "केन्द्रीय सरकार, जल्द से जल्द, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें 20 सदस्य होंगे···17 से अधिक नहीं···और दो और···"

[हिन्दी]

आपका इतना बड़ा बोर्ड है, यह कब बैठता है, क्या बातें करता है ?

[अनुवाद]

आप इंस्पैक्टर की अनुमति से ही मुकदमा दायर कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

हम उनको सजा क्या देते है ? तीन महीने की सजा हो सकती है। एक इसमें यह लिखा है कि कोई आदमी जो लेबर है वह खुद मुकदमा नहीं कर सकता है।

[अनुवाद]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : क्या वह थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते ?

[हिन्दी]

यह क्या कानून है ? संगमा साहब, आपके डिपार्टमेंट ने आपको कह दिया और आप इसे यहां ले आए।

[अनुवाद]

श्री राज कुमार राय : तब तो यह सबसे बड़ी विषमता है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : यह बात तो है। यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय ने घंटी बजा दी है यह कहने के लिए कि समाप्त करो। मैं आपसे यह कहता हूं कि आप एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लाने की बात करें। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि हमने ठंडे पानी का इंतजाम कर

दिया या ठंडा पानी पिला दिया। मैं अपने राजस्थान के अन्दर हालत देखता हूं। जो लोग कांट्रैक्टर होते हैं ये पोलिटिशियंस के दोस्त होते हैं।

इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक की शिकायत या उसकी लिखित अनुमति के बिना किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा और कोई भी न्यायालय ..."

[हिन्दी]

इसमें यह हालत है। आप मेहरबानी करके बताइये कि इसमें किस को सजा दी गयी। आप नागालैण्ड के लिए ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के लिए कानून बनाइये और एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लाइये। ब्योरोक्रेसी को आप समझा दें कि यह अपने पास रखे।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैं आपको यह प्रति दे सकता हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं ठेकाश्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक 1986 का समर्थन करता हूं। यह 1970 के मूल अधिनियम में आने वाले शब्द "उपयुक्त सरकार से सम्बन्धित विषमता को दूर करने के सीमित प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है। मूल अधिनियम में आयी "उपयुक्त सरकार" शब्दों की परिभाषा 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम में आई परिभाषा से भिन्न है और अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान संशोधन प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि मैं उपर्युक्त उल्लिखित मौजूदा कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संशोधन का समर्थन करता हूं किंतु मैं ठेका श्रम प्रणाली का कड़ा विरोध करता हूं जिसकी कि मूल अधिनियम में परिकल्पना की गई है। यह केवल बिचौलियों का ही समर्थन करता है जो मजदूरों के खून पसीने की कमाई खाते हैं। यह प्रणाली हमारे देश जैसे सभ्य देश में नहीं होनी चाहिए और यदि हम ध्यानपूर्वक इस अधिनियम का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि 1970 के अधिनियम में यदि किसी के हितों की रक्षा की गई है तो वह बिचौलियों के न कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की गई है जिनके लिए 1970 का अधिनियम पारित किया गया था। मैं मंत्री महोदय तथा इस सदन का ध्यान इस अधिनियम के एक या दो शब्दों की ओर आकर्षित करता हूं। धारा 2 (ख) में व्यवस्था है कि :

जब एक कामगर को किसी संस्थान में अथवा उसके कार्य के लिए भाड़े पर नियुक्त किया जाता है तो उसे ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित माना जाएगा।

[श्री ए० चार्ल्स]

"किराए पर" शब्द अत्यन्त अपमानजनक है। हम वाहन किराए पर लेते हैं, दैनिक इस्तेमाल की बहुत सी वस्तुएं बर्तन आदि किराए पर लेते हैं। किंतु यह कहना कि किसी व्यक्ति को किराए पर लिया गया है, यह उसका अपमान है। हम केवल किसी व्यक्ति को काम करने के लिए रखते हैं। इस प्रकार यह आधुनिक विचारधारा के विरुद्ध है। ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम का शीर्षक भी गुमराह करने वाला है। मैंने 1970 के ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के उपबन्धों को पढ़ा है। इस अधिनियम में जो कुछ दिया गया है, उससे ठेकेदारों के हित को संरक्षण मिलता है।

2.00 म० प०

खण्ड 10 पर आते हुए जो ठेका श्रमिकों को नियोजित करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से सम्बन्धित है। मैं उप-खण्ड (ख) (ग) और (घ) पढ़ता हूं। उप-खण्ड (घ) में उल्लेख है "वर्षानुवर्षी प्रकार का कार्य" उप-खण्ड (ग) में उल्लिखित है। क्या वह नियमित कर्मकारों के माध्यम से मामूली तौर से किया जाता है और उप-खण्ड (घ) में उल्लिखित है। क्या प्रचुर संख्या में कर्मकारों को नियोजित करना पर्याप्त है। आश्चर्य की बात है कि इन सभी मामलों में यह अधिनियम लागू नहीं होता है। इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण दिया जाता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई कार्य अथवा प्रक्रिया वर्षानुवर्षी प्रकार का है, तो उसके सम्बन्ध में उपयुक्त सरकार का निर्णय अन्तिम होगा अत: यह अधिनियम ऐसे कार्य पर लागू होता है जो नियमित कर्मकारों को नियोजित करके नियमित आधार पर किया जाता है। महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि लोगों को भर्ती करते समय भर्ती से संबंधित सामान्य नियमों का पालन किया जाना चाहिए ताकि आरम्भ से ही उनके हित का समुचित संरक्षण किया जा सके और ऐसे मामलों में ठेका श्रमिकों को नियोजित न करना पड़े।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां श्रमिकों को नियोजित करने में उनके हित का अनादर करते हुए ठेकेदारों द्वारा बहुत कदाचार किया जाता है। मैं इस इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम, भारतीय नौवहन निगम और भारतीय भांडागार निगम का उल्लेख करूंगा और समय सीमित होने के कारण मैं इन सभी विषयों के बारे में विस्तारपूर्वक नहीं बोलूंगा, परन्तु मैं मन्त्री महोदय का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र में इससे सम्बन्धित एक विशेष मामले की ओर आकर्षित करूंगा। लगभग पांच वर्ष पहले त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक ठेकेदार को माल की ढुलाई का ठेका दिया गया था। उसने उस कार्य के लिए 90 श्रमिक नियोजित किए। तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद वह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दे दिया गया। इस बीच उन 90 श्रमिकों ने अपनी सहकारी समिति बनाई और उन्होंने उस ठेके के लिए आवेदन किया। परन्तु उक्त समिति को वह ठेका न देकर बम्बई की मेसर्स क्लीनवेल को दे दिया गया और इससे बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हुई। इस नई फर्म ने उन कर्मकारों को नियोजित करने से इंकार कर दिया जो गत तीन वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं और फर्म ने इस बात

पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए 3000 से 5000 रुपये देने चाहिए। यह मामला श्रम न्यायालय में पहुंचा। उसके बाद उसे उच्च न्यायालय में ले जाया गया। उच्च न्यायालय ने सुस्पष्ट निर्देश दिया है कि कर्मकारों के दावे को मान्यता दी जानी चाहिए। उस निर्णय के बावजूद, ठेकेदार ने श्रमिकों के उस समूह को नियोजित करने से इंकार कर दिया और अब वह सारा मामला उच्चतम न्यायालय में है। मैंने इस सम्बन्ध में नागर विमानन मन्त्रीजी को लिखा। उनसे जो उत्तर मिला वह यह है कि, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, वह कुछ नहीं कर पायेंगे। यह खेद की बात है कि तीन वर्षों से कार्य करते आये कर्मकारों को अपनी सामान्य शिकायतों को दूर करने हेतु उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय और इस सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि कर्मकारों के सामान्य हितों की सुरक्षा करने, उनके न्यूनतम वेतन की सुरक्षा करने, उनकी भविष्य निधि, उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए विभिन्न विधान हैं, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि। इस 1970 के अधिनियम को लाकर उन सभी विधानों को केवल यह देखने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता है कि ये सभी लाभ ले लिये जायें। संक्षिप्त में यह ऐसा मामला है और इस सारे मामले को समाप्त करने के लिए 1970 का अधिनियम पारित किया गया है।

अध्याय 5 में ठेका श्रमिकों के कल्याण और स्वास्थ्य के बारे में विचार किया गया है। मेरे मित्र श्री डागा जी ने उन सभी विषयों को विस्तार से स्पष्ट किया है और इसलिए मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा, परन्तु ये सभी लाभ देने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार को सौंपी गई है और आप सोच सकते हैं कि इससे कर्मकारों के हित की सुरक्षा किस प्रकार होने वाली है।

खण्ड 21 में फिर बताया गया है कि :

"ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को मजदूरी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

महोदय, ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम उस पर लागू हो। ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ठेकेदार की दया पर छोड़ दिया जाता है।

फिर धारा 26 और 27 बहुत ही अवास्तविक है। श्री डागा जी ने इन सभी बातों का उल्लेख किया है। कर्मकारों को अपनी शिकायतों को लेकर न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं है। या तो निरीक्षक मुकदमा दर्ज करें अथवा कर्मकारों को निरीक्षक की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। यदि वे तीन महीने के भीतर मुकदमा दर्ज नहीं करते तो वह मामला व्यपगत हो जाता है और इसलिए वे न्यायालय में कोई याचिका दर्ज नहीं कर सकते।

इस अधिनियम के खण्ड 32 में विभाग में नियुक्त अन्य विभिन्न व्यक्तियों को असाधारण सुरक्षा प्रदान की गई है।

[श्री ए० चार्ल्स]

"कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सदभावना पूर्वक की गई हो × × × ×, किसी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अनुज्ञापन अधिकारी या किसी अन्य सरकारी सेवक या यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध न होगी।"

2.4½ म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मकारों के हितों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है परन्तु ठेकेदारों के हित की सुरक्षा की जाती है तथा निरीक्षक और अधिकारियों के हित पर ध्यान दिया जाता है जो ठेकेदारों से भी अपना-अपना हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस अधिनियम के समूचे उपबन्धों को देखें कि इनमें से कोई भी उपबन्ध कर्मकारों के हित की सुरक्षा नहीं करता और वह कर्मकारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए एक व्यापक विधान लाएं क्योंकि सरकार उनके प्रति वचनबद्ध है। बजट में गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया है। सरकार उन्हें निर्धनता रेखा के ऊपर लाना और गरीब लोगों को वास्तव जीवन देना चाहती है। अतः मैं आग्रह करता हूं कि कर्मकारों की सुरक्षा के लिए एक नया विधान लाया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह उन विसंगतियों को दूर करके लाया गया है जिनका मैंने पहले ही निवेदन किया था कि ये विसंगतियां दूर की जानी चाहिए।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक को केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कार्यों को केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के अधीन लाने के लिए लाया गया है क्योंकि कुछ बातों में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच विरोध है। मैं मानता हूं कि इस विसंगति को दूर किया जाना है और जो संगठन केन्द्र के अधीन हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमित करना पड़ेगा। जब ठेका प्रणाली समाप्त की जायेगी, तो केन्द्रीय सरकार को उसे अमल में लाना पड़ेगा।

मेरे मित्र कुछ बातों के बारे में विस्तार से ठेका प्रणाली की वास्तविक व्यवस्था के बारे में कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ठेका प्रणाली को बिल्कुल अथवा कम से कम सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में समाप्त क्यों नहीं करती जो केन्द्रीय सरकार के हैं। भारतीय खाद्य निगम सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है और यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। उन्होंने देश भर में गोदाम

बनाए हैं और ये गोदाम स्थायी निर्माण हैं तथा उनके कार्य के लिए कर्मकार आवश्यक हैं। यह कोई स्थायी उपाय नहीं है, यह स्थायी व्यवस्था है। यदि भारतीय खाद्य निगम में कोई ठेका श्रमिक नहीं है, तो आप किसे भुगतान कर रहे हैं। उनके पास और भी कर्मचारी होंगे जो माल चढ़ाने और उतारने का कार्य कर रहे होंगे। क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी और उन्हें स्थायी बनाने पर विचार करेगी ? ठेका प्रणाली समाप्त करने का यह एक उपाय है। क्या आप कृपया भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली समाप्त करेंगे। मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति बताने के लिए भारतीय खाद्य निगम का उदाहरण दे रहा हूं और किस प्रकार ठेका प्रणाली से आम जनता गम्भीर रूप से प्रभावित है, उसका उल्लेख कर रहा हूं। भारतीय खाद्य निगम के देश भर में फैले गोदामों में हजारों श्रमिक कार्य करते हैं जिनकी कर्मचारी कहलाने की कोई पात्रता नहीं है। उनके नाम कहीं भी रिकार्ड में नहीं हैं। वे किसी न्यूनतम वेतन के हकदार नहीं हैं वे किसी सांविधिक वेतन और सांविधिक लाभ के हकदार नहीं हैं। सरकार जो संरक्षण प्रदान कर रही है वे उनमें से किसी के हकदार नहीं हैं। वे उन बिचौलियों की दया पर रहते हैं जो ठेका लेते हैं। उन्हें ठेकेदारों से दिहाड़ी दर पर मजदूरी मिलती है। जब वे काम करते हैं, तो वे किसी न किसी उपाय से कुछ पैसा प्राप्त करते हैं। उनके स्थान पर एवजी लोग काम कर रहे हैं और ठेकेदार धन कमाता है। सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ठेका प्रणाली समाप्त करके उन्हें विभाग में नियमित क्यों नहीं करती ?

मैं कहना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जब आप इस विधेयक को सभा में रख रहे हैं तो आपकी अपनी सरकार ने, श्रम विभाग ने क्या किया है। यही समय है कि आप इस विषय पर अमल करें। बम्बई, मद्रास और विशाखापत्तनम में भारतीय खाद्य निगम में कामगार वर्ग, जो दिहाड़ी पर काम कर रहा है और विभागीय कर्मचारियों के रूप में खपने की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष करता आया है, उनकी छंटनी की जा रही है। उनकी संख्या 7000 तक है। सभी स्थानों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा 7000 कामगरों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। यदि आप सही मायने में यह संशोधन लाना चाहते हैं, तो विधेयक पारित करने से पहले, मेरा निवेदन यह है कि इन कामगारों को विभागीय कर्मचारियों के रूप में वापिस लिया जाए। आप अपनी सदाशयता प्रदर्शित कीजिए। यह आपका अपना विभागीय उपक्रम है केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

रेलवे का उदाहरण लीजिए। यह एक स्थायी निकाय है। यहां निर्माण कार्य निरंतर रूप से चलता रहता है और लोग नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। आप उन्हें क्या वेतन दे रहे हैं और उन्हें कौन नियोजित करता है। कार्य को विभागीय रूप से और सीधे करने की बजाय आप ठेकेदार नियुक्त करते हैं और ठेकेदार रेलवे के लिए लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। रेलवे में लाखों लोग ठेका प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं। यह एक अन्य सरकारी उपक्रम है। यदि आप वास्तव में देश में ठेका प्रणाली समाप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप स्वयं करके दिखाइये।

आइये अच्छा काम हम ही प्रारम्भ करें। आप इस विभाग में जो कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है ठेका प्रणाली को समाप्त कर दीजिये।

[श्री थम्पन थामस]

यदि आप हमारे देश के विभिन्न पत्तनों के विषय में विश्लेषण करें तो पाएंगे कि वहां के कामकाज का अजीब तरीका है। वहां बिचौलिये मनुष्यों की सप्लाई करके आजीविका अर्जन कर रहे हैं। इस देश में मनुष्यों की क्या प्रतिष्ठा है? एक आदमी जो दूसरे आदमी को सप्लाई करता है कमीशन पाता है। कितनी बुरी बात है? इन बातों को मैं किस प्रकार स्पष्ट करूं? इसे क्या कहा जाये? मैं इस बात को किसी अन्य प्रकार से नहीं कहना चाहता हूं किन्तु आदमियों का व्यापार करने वाला व्यक्ति लाभ कमाता है। यदि आप मनुष्यों को उचित सम्मान देते हैं तो इस प्रकार के सम्मान को बन्द कीजिए। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले और उसके स्वामित्व वाले पत्तनों में बिचौलिये और ठेकेदार हैं और वे लोग मजदूरों की सप्लाई करके धन कमाते हैं और आप इसे बिना किसी हिचक के 'श्रमिक पूर्ति प्रणाली' कहते हैं। पत्तनों में इस श्रमिक पूर्ति प्रणाणी को लोग अच्छी तरह से जानते हैं और यदि मैं 100 मजदूर सप्लाई कर सकूं तो मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है। न कोई काम करना पड़ेगा। आप मनुष्यों को क्या सम्मान दे रहे हैं? यदि आप मानव का वास्तव में सम्मान करना चाहते हैं और यदि आप लोगों में अच्छी भावना उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप इस प्रणाली को समाप्त कर दीजिए तथा पत्तनों और अन्य क्षेत्रों में ठेकेदारी प्रणाली को बन्द कर दीजिये। हालांकि डाक श्रमिक बोर्ड अधिनियम बन गया है और उन्होंने कर्मचारियों को विनियमित किया है तथा उनका विभागीकरण कर दिया है। परन्तु मंगलौर जैसे अधिकतर पत्तनों में ठेकेदार ही श्रमिकों की पूर्ति करते हैं। वहां सभी प्रकार के श्रमिकों की पूर्ति की जाती है। उनमें से केवल कुछ को ही स्थायी किया जाता है। यह उसका दूसरा पहलू है।

मैं आपके ध्यान में एक और मामला लाता हूं जिस पर मेरे मित्र श्री सोमनाथ रथ भी अपने भाषण में प्रकाश डालेंगे। श्रमिकों के सम्बन्ध में सलाहकार समिति से सम्बद्ध होने के कारण मुझे इसका पता चला है। इस देश में ऐसे कुछ लोग भी हैं जो लोगों को विदेशों में भेजकर उनका शोषण करते हैं। वह भी एक प्रकार की ठेका प्रणाली है। देश के विभिन्न भागों में ऐसी अनेक जाली कम्पनियां बन रही हैं जो लोगों को भर्ती करके उन्हें विदेशों में भेजते हैं और उन्हें विदेश भेजने पर यदि इस देश के कानून के अनुसार विदेशी नियोक्ता उन्हें अदायगी करता है तो उन्हें वह राशि जमा करानी पड़ती है। इन लोगों को उनको भर्ती करने वालों द्वारा ही भेजा जाना चाहिए। परन्तु होता क्या है? रोजगार की तलाश में आने वाला गरीब आदमी अपनी सम्पत्ति, अपने जेवरात, अपनी माता, पत्नी की सम्पत्ति तथा अन्य सभी चीजें बेचकर वीसा प्राप्त करने के लिए धन देता है और उन्हें निर्माण कार्य के लिए भेज दिया जाता है। वहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वहां उनकी रक्षा कौन करता है? आपने यहां ऐसी कम्पनियों को, जो कि जाली हैं पंजीकृत किया हुआ है, जो लोगों को भर्ती करके विदेश भेज रहे हैं। आप उन्हें विनियमित कैसे कर सकते हैं?

मेरा निवेदन है कि यदि आप वास्तव में ठेका प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं और लोगों

को वास्तविक सम्मान प्रदान करना चाहते हैं तो सरकारी कानूनों को कड़ाई से लागू करें। इसे राज्य सरकारों और अन्य संगठनों की निगरानी पर छोड़ने का प्रयत्न न करें। सरकार को इस प्रथा को रोकने के लिए काफी कठोर कदम उठाना पड़ेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक, 1986 का समर्थन करता हूं। यह केवल तीन खंडों वाला छोटा सा विधेयक है। परन्तु आकार में छोटा होने पर भी विधेयक सारे देश में एक समान श्रम नीति बनाने और बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है।

यह विधेयक जनवरी में प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए हमारे समक्ष है। इस विधेयक का विषय 'उचित सरकार' की परिभाषा है और आज हम इस सभा में इस पर चर्चा कर रहे हैं। 'उचित सरकार' शब्द के विषय में भिन्न-भिन्न विधानों में अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं अतः इस परिभाषा के विषय में समानता लाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में 'उचित सरकार' की परिभाषा दी गई है और केन्द्रीय सरकार को 'उचित सरकार' माना गया है। परन्तु उत्तरवर्ती अधिनियम, अर्थात ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 में एक अलग परिभाषा की गई है। उसमें राज्य सरकार को 'उचित सरकार' माना गया है। अतः इससे इस क्षेत्र में एक दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है और उसे लागू करने के मामले में कठिनाई होती है जिसे कि दूर करना पड़ेगा। अतः इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे विरोध की गुंजाइश हो।

इस पर बोलते हुए मुझे यह ध्यान में आया है कि सरकार ने दोनों अधिनियमों की परिभाषाओं में इस प्रकार का अन्तर किस प्रकार आने दिया। हमारे यहां विधि और श्रम मंत्रालय दोनों ही हैं। इन मंत्रालयों में अत्यधिक सक्षम और इस कार्य की बेहतर जानकारी रखने वाले अधिकारी मौजूद हैं और विशेषकर यह अधिनियम काफी समय बाद लाया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में अधिनियमित किया गया था और यह अधिनियम जिसमें हम संशोधन कर रहे हैं वह काफी समय पश्चात 1970 में आया है। जब उन्होंने 1970 में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। तब एक समान परिभाषा के प्रयत्न क्यों नहीं किये गए। कम से कम मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने मंत्रालय को ऐसे सभी उपबन्धों में जिनमें विभिन्न श्रम कानूनों में भिन्न-भिन्न परिभाषाएं मौजूद हैं उन पर अब नये सिरे से ध्यान दें। क्या हमें इस ओर ध्यान दिलाने के लिए सदैव न्यायपालिका पर निर्भर रहना चाहिए। क्या उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को ही इस पर टिप्पणी करनी चाहिए और तत्पश्चात वह संशोधनों के रूप में संसद के समक्ष आनी चाहिए। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। यह स्वागत योग्य है कि सरकार ने इस संशोधनकारी विधेयक में एक समान श्रम नीति तैयार की है और निरीक्षण एजेंसियों की बहुतायतता को भी कम करने को कहा गया है।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ठेका श्रम को विनियमित करने और उसका उत्सादन करने के रूप में दोहरा है। जैसा कि मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था, इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य ठेका श्रम को पूर्ण रूपेण समाप्त करने का नहीं है। यदि यह प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो अच्छा ही है। कांग्रेस दल सभी प्रकार के शोषणों से मुक्ति दिलाने और हमारे देश में विद्यमान मध्यस्थ प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। अब यह समय की बात है कि हम इसे कितना शीघ्र कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक क्षेत्र में हमें ठेका श्रम प्रणाली को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। जहां कहीं भी स्थायी प्रकार का कार्य हो हमें इस ठेका श्रम प्रणाली को जारी नहीं रहने देना चाहिए। मेरे मित्रों ने भारतीय खाद्य निगम, रेलवे का भी हवाला दिया है जहां यह प्रणाली चालू है और वे वह कार्य कर रहे हैं जिसे श्रमिक स्थायी आधार पर कर सकते हैं। उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। वहां इस ठेका श्रम प्रणाली के जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह ठेका श्रम प्रणाली अथवा ठेकेदारी कोई सम्माननीय प्रणाली नहीं है। हम जानते हैं कि अधिकतर ठेकेदार शोषण करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं। परन्तु उनमें से अधिकतर लोग लालची हैं और श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करते हैं। हमारे माननीय श्रम मन्त्री जो कि युवा और उत्साही हैं श्रमिक वर्ग के जहां तक उनके हितों का सम्बन्ध है संरक्षक हैं। एक दिन जब हम गुवाहाटी में साथ ही थे कुछ माननीय सदस्य भी वहां थे, तो उन्हें भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों की दशा देखकर अत्यधिक दुख हुआ। वे लोग कई दशकों से हमेशा यहीं काम करते आ रहे हैं परन्तु उन श्रमिकों की सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं। वे अभी भी ठेका श्रमिक हैं और उनकी हालत दयनीय है। संक्षिप्त में, कभी कभी उनकी स्थिति गुलामों अथवा बंधुआ मजदूरों से भी बदतर होती है। इस क्षेत्र में सुधार की काफी सम्भावनाएं हैं। इसके लिए कानून हैं। श्रम मंत्रालय इस पर कार्य कर रहा है कि हम सभी सम्भावित तरीकों से और कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में इस ठेका श्रम प्रणाली को शीघ्रता से किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस ठेका प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करना सम्भव नहीं है परन्तु श्रमिकों के कार्य और रहन-सहन की स्थितियों को अवश्य सुधारना है। हमारे देश में अच्छे और प्रगतिशील कानून हैं। परन्तु उन्हें उचित प्रकार से कार्यान्वित करने की इच्छा शक्ति की कमी है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने मंत्रालय को यह निदेश दें कि वह इन कानूनों को सही भावना से कार्यान्वित करें।

महोदय, इस देश में सरकार सबसे बड़ी नियोजक है और इसे न केवल सबसे बड़ा नियोजक होना चाहिए वरन्, सबसे अच्छा नियोजक भी होना चाहिए। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में चार लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं।

अन्त में, मैं एक वाक्य से अपनी बात समाप्त करता हूं। सुरेन्द्र सिंह बनाम केन्द्रीय लोक निर्माण

विभाग के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया था कि 6 महीने की सेवा के पश्चात समान कार्य के लिए समान वेतन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। हमें हमेशा उच्चतम न्यायालय पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। राजनीतिक प्रणाली को न्यायपालिका से अग्रणी होना चाहिए। अतः इस ऐतिहासिक फैसले का ठीक से अध्ययन किया जाये और तदनुसार उचित कार्यवाही की जाये।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो संशोधन है वह एक साधारण संशोधन है कि प्रापर एथारिटी कौन होगी। स्टेट गवर्नमेंट के स्थान पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रखा गया है—यह ठीक ही है। लेकिन यह एक ऐसा मौका है कि हम कान्ट्रैक्ट लेबर के विषय में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि अपने देश में कान्ट्रैक्ट लेबर बाण्डेड लेबर का दूसरा नाम है। मेरे पास रोज 50-60 मजदूर आते हैं जोकि उत्तर बिहार से दिल्ली नौकरी की खोज में आये हुए हैं। वे खासकर कांस्ट्रक्शन इण्डस्ट्री में लगे हुये हैं, मकान बनाने के उद्योग में लगे हुये हैं। वे कान्ट्रैक्ट लेबर हैं और उनके साथ इतना बुरा सुलूक होता है जिस पर आपको विश्वास ही नहीं आयेगा। इन लोगों को रोजाना 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। एक महीने के बाद रमेश का नाम बदल कर सुरेश हो जाता है और परवतिया का नाम बदल कर सतवतिया हो जाता है। कहीं कोई भी रिकार्ड नहीं रहता है और न उनको कोई पूछने वाला ही है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जोकि इन बिल्डिंग कान्ट्रैक्टर्स को पकड़ सके। कांस्ट्रक्शन इण्डस्ट्री में जो बड़े बड़े प्रमोटर्स और कान्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, ये करोड़पति ही नहीं अरबपति हैं। इन्होंने जिन मजदूरों को रखा हुआ है उनको ये जिस बुरी तरह से एक्सप्लायट करते हैं उनको आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे और आपके चाहने के बावजूद मुझे डर है कि इस देश में कांट्रैक्ट लेबर पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। मेरा अनुरोध यह है कि कांट्रैक्ट लेबर समाप्त भले ही न हो लेकिन कांट्रैक्ट लेबर को न्याय मिले, उन्हें प्राविडेंट फंड मिले, उन्हें ग्रैच्युटी मिले तथा अन्य वेलफेयर मेजर्स का लाभ उनको पहुंचे। उनके पीने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने देखा है कि कांट्रैक्ट लेबर जो कांस्ट्रक्शन इण्डस्ट्री में लगा हुआ है उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उनको 15-20 मिनट या आधा घंटा भी खाने की छुट्टी नहीं दी जाती है। ये मजदूर केवल बिहार के ही नहीं हैं जिनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मजदूरों की भी बुरी हालत हो रही है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि कांट्रैक्ट लेबर में जो भी लेबर लगा हुआ है उनकी हालत को सुधारा जाये।

एक नई चीज दिल्ली और उसके आस-पास हो रही है जिसके बारे में सम्भवतः आपको और मन्त्री जी को भी पता हो। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि इस सिलसिले में मैंने जब भी कभी मन्त्री जी का ध्यान किसी समस्या की ओर आकर्षित किया है तो उन्होंने तुरन्त उस पर ऐक्शन लिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐक्शन लिया बल्कि आउट आफ दि

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

वे जाकर, जो मजदूर हमारे पास आते थे जिनको न्याय नहीं मिलता था या किसी का पैसा बाकी होता था तो उनको उन्होंने एम्पलायर्स से न्याय दिलवाया। इस बात के लिये मैं जरूर मन्त्री जी की तारीफ करूंगा। जैसाकि मैंने अभी कहा यहां दिल्ली और दिल्ली के आस-पास एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। कुछ लोग एक एजेंसी बना लेते हैं। जैसे मिल-मालिकों को, कारखानेदारों को या दूसरे लोगों को सेक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत होती है, एक-एक मिल मालिक को पचास-पचास सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत होती है अलग-अलग फैक्टरीज में रखने के लिये। वे किसी बेनामी एजेंसी से एक सिक्योरिटी गार्ड्स की एजेंसी बना लेते हैं, जिसमें गार्ड्स की भरती होती है और उन्हें सौ-दो सौ रुपये तनख्वाह दी जाती है। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी को इसका पता होगा। महीने-दो महीने बाद उनको हटा दिया जाता है। दूर देहात से लोग काम करने के लिए आते हैं, उनको जो भी तनख्वाह दी जाएगी, वे तैयार हो जायेंगे। हटा देने के बाद कहा जाता है कि तीन-चार महीने बाद आना, तुम्हें रख लिया जाएगा। जो ज्यादा जिद्द करता है, उसे कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ चोरी का इल्जाम है और तुम्हारे लिए एक ही उपाय है कि तुम नौकरी छोड़ कर चले जाओ। देहाती आदमी को ज्ञान कुछ नहीं होता है, नौकरी छोड़कर भाग जाता है। इस तरह की एजेंसी दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद में बहुत सी चल रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि वे उनके साथ न्याय दिलायें।

मैं आपको यह कभी नहीं कहूंगा कि कान्ट्रैक्ट लेबर को आप समाप्त कर दीजिए। यदि आप कान्ट्रैक्ट लेबर समाप्त कर देंगे, तो जो रोजी-रोटी उन्हें मिल रही है, वह भी नहीं मिलेगी। इसलिये मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि आप उनके साथ न्याय कीजिये। बहुत से लोग रोटी की खोज में इन्सान की जिन्दगी बिताने के लिये आ जाते हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि उनको न्याय मिले।

आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि टेहरी गढ़वाल में जहां पर डैम बन रहा है, वहां बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूरों को पिंजरों में रखा जाता है, ताकि वे कहीं भाग न जाएं। उन्हें पिंजरों में खाना दिया जाता है। हम लोग इक्कीसवीं सदी में जाने की बात करते हैं और यहां इन्सान, इन्सान के साथ जानवरों का सा सलूक करता है और हम चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उस चेहरे से नकाब को दूर किया जाए, जो समाज में अपने को सभ्य कहता है। जो मजदूरों का शोषण करता है। कान्ट्रैक्ट लेबर-कोल इण्डस्ट्री में बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूं, माननीय मंत्री जो अपने जवाब में कहेंगे कि हमने कोल इण्डस्ट्री से कान्ट्रैक्ट लेबर को बहुत कुछ दूर कर दिया है। आपने दूर तो की है, लेकिन अभी भी बहुत है। वहां पर दादागिरी चल रही है। माफिया जिस तरह से हावी है, वे सभी लोग जानते हैं। वहां यदि मजदूर को मजदूरी दस रुपये दी जाती है, तो माफिया सब लोगों के सामने उसमें से पांच रुपये निकाल लेता है और कहता है कि पांच रुपये में अपना गुजारा करो। यह तो कोल इण्डस्ट्री की बात है, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया और रेलवे में भी यही स्थिति है। मैं जानता हूं कि रेलवे का नेचर-आफ-जाब ऐसा है, जहां रैगुलर एम्प्लाई नहीं रख सकते हैं, लेकिन रैगुलर एम्प्लाई रख सकते हैं। यह मेरा ख्याल है, रेलवे का ट्रैक मैंने देखा है, उसकी मरम्मत के लिए आप कान्ट्रैक्ट लेबर रखते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि मैं कान्ट्रैक्ट

लेबर को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं यह जानता हूं कि वही कान्ट्रैक्ट लेबर जो 15-16 घंटे काम करता है। परमानेंट कर देने पर वह पांच घंटे भी काम नहीं कर सकता है। मैं खुद ही कहता हूं कि यह हमारा दोष है। लेकिन रास्ता कुछ ऐसा अपनाना चाहिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। कांट्रैक्ट लेबर में वेलफेयर मैजर्स इस तरह से अपनाए जाए, ताकि मजदूरों का शोषण न हो।

इतना कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० आर० नटराजन (डिण्डिगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ठेका श्रम अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में "समुचित सरकार" की समान परिभाषा देकर इन दोनों अधिनियमों में भिन्न-भिन्न परिभाषा से उत्पन्न विसंगत स्थिति को दूर करने वाले ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक, 1986 का अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से स्वागत करता हूं।

फिर भी इस सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। ठेका श्रम अधिनियम ठेका श्रम का उत्सादन नहीं करता। यह श्रमिकों के रोजगार को स्थायी आधार पर विनियमित करता है। यदि ठेकेदार मजदूरों को मजदूरी अदा नहीं करता है, तो यह मजदूरी मूल नियोजक द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन अब नियोजक इस अधिनियम के संशोधन से सुरक्षित हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि अधिनियम की खामियों को दूर करें तथा मूल नियोजक को निविदा आमंत्रित करने तथा निविदाकर्ता को काम देने के उसी आधार पर लाया जाय जिस आधार पर ठेकेदारों को काम दिया जाता है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि ठेकेदार को मजदूरों को बीमा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा जाए जैसाकि औद्योगिक मजदूरों के मामले में किया जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगूलेशन एण्ड एबोलीशन) एक्ट, 1970 के एमेंडमेंट पर बोलने का मौका दिया और मैं इसका समर्थन करता हूं।

यह एक छोटा-सा और संक्षिप्त-सा संशोधन है, जिससे बहुत सारी एनोमलीज जो पहले थी, उनका अन्त हो रहा है। इसलिए यह स्वागत योग्य है। कान्ट्रैक्ट लेबर की जब बात आती है, तो

[श्री राजकुमार राय]

स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान कान्ट्रैक्टर्स की तरफ जाता है, जो बहुत सारे लोगों को एक जगह एकजुट करके, उन्हे इकट्ठा करके किसी काम पर लगाते हैं और उनसे काम लेते हैं और उनके बल पर बड़े-बड़े ठेके लेते हैं और बहुत ज्यादा धन उससे प्राप्त करते हैं और उसका एक छोटा-सा हिस्सा, बहुत छोटा सा अंश गरीब मजदूर को देते हैं। यह शक्ल बनती है कान्ट्रैक्ट लेबर की। आपको अनुभव होगा कि ऐसी हालत में जो बड़े कान्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे देश में लखपति, करोड़पति और अरबपति की हैसियत में हैं, वे सब लेबर का शोषण करते हैं और उनका एक्सप्लायटेशन करते हैं और उनके नाम पर लिए हुए धन में से जो उनके हिसाब-किताब में होता है, उसका बहुत थोड़ा हिस्सा उनको देते हैं और इतना कम हिस्सा उनको देते हैं कि वे ठीक से गुजर-बसर नहीं कर सकते, ठीक से मकानों में रह नहीं सकते। वहां पर सफाई नहीं होती है और इससे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता और उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ भी नहीं सकते। मनुष्य अगर मजबूर है, तो निश्चय ही वह इस बात को भी स्वीकार कर सकता है कि गर्मियों में जलते हुए चूल्हों की तरह बने हुए मकानों में रहे और जाड़ों में ठंडक से फ्रीज किये हुए घरों में निवास करे लेकिन अगर उनकी सेवाएं नियमित हों, उनकी सर्विस नियमित हो, तो वह ऐसा भी कर सकता है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस माननीय सदन में कह सकता हूं कि हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके मन में श्रमिकों के प्रति अच्छी भावना है लेकिन जैसाकि भाई राजहंस जी कह रहे थे कि ऐसा होता है कि मजदूरों से साल, दो साल काम लेकर मालिक बनिये के मुनीम की तरह बस्ता लेकर, उनको निकाल देता है और वह यह कहता है कि तुम्हारा काम खराब है। दिल्ली की कन्स्ट्रक्शन कम्पनीज के कन्ट्रैक्टर हों या साऊथ इण्डिया की कन्स्ट्रक्शन कम्पनीज के कन्ट्रैक्टर हों, मैं इन्हीं की बात नहीं करता हूं बल्कि आज पूरे देश में इन कान्ट्रैक्टर्स की यही हालत है और यही नहीं, हमारी सरकार की जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं और उनमें जो मजदूरों से काम कराते हैं, उनका रवैया भी ठीक उसी तरह का है। फर्क इतना ही है कि वहां पर बैठा हुआ एक अरबपति कान्ट्रैक्टर होता है और सरकारी अन्डरटेकिंग में बैठा हुआ एक बड़ा अफसर होता है और वे दोनों ही मजदूरों का खून चूसते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि 70-72 करोड़ वाले देश में गरीब लोगों के श्रम के बल पर ही देश चलाया जा सकता है और उनको उन्नत किये बिना हम सभ्य समाज की स्थापना नहीं कर सकते। लेकिन होता यह है कि दिन भर काम करने के बाद दो-चार साल काम करने के बाद उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है। बिल्डिंगें खड़ी की हैं, सड़कें बनाई हैं, रेल पटरियां बिछाई हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनकी सेवाओं की कोई गारन्टी नहीं है। तो ऐसे शासन से और प्रशासन से क्या लाभ? बीसवीं शताब्दी बीत रही है, इक्कीसवीं शताब्दी में हम जा रहे हैं। अगर हमने श्रमिक की स्थिति को नहीं समझा तो क्या किया।

शक्तिनगर, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में श्रमिकों के बारे में मैंने एक क्वेश्चन किया था। मेरा प्रश्न तो एडमिट नहीं हुआ लेकिन मुझे उसका जवाब आ गया कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में शक्तिनगर स्थित सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना में कमीशन के आधार पर कोई श्रमिक सप्लाई नहीं किया जा रहा है।

इसलिए उनसे कैन्टीन, सफाई, आशुलिपि और कार्यालय के अन्य काम लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैंने निवेदन किया था कि इनसे *जब आपने इतने दिनों काम लिया है तो क्यों नहीं आप इन्हें* कैंटीन सफाई, आशुलिपि, कार्यालय के अन्य कामों में खपा लेते हैं जिनकी कि आपके पास जगहें खाली हैं और जिन पर रिक्रूटमेंट करने में आप काफी भ्रष्टाचार करेंगे। इसका मेरे पास एन० टी० पी० सी० से जवाब आता है। जिनके खिलाफ मैं शिकायत करता हूं उन्हीं से एक एम० पी० के पास जिसने कि एक पार्लियामेंटरी क्वेश्चन के जरिये से जानना चाहा था, जवाब आता है। मेरा क्वेश्चन रिजेक्ट कर के मुझे जवाब दिया गया। ऐसी उपेक्षा की गई है।

मान्यवर, रेलवे के बारे में मैं आपसे क्या बात कहूं ? मैं मानता हूं कि रेलवे की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं लेकिन श्रमिकों की भी आप दशा को देखिए। कई दर्जन मजदूर दिल्ली आकर रेलवे में कंस्ट्रक्शन का काम करते रहे, कई साल तक काम करते रहे, उसके बाद उन्हें काम से हटा दिया गया। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश से आये और पांच साल तक उन्होंने जगह-जगह पटरियां डालीं और उन्हें काम से हटा दिया गया। उन्होंने अर्ज की, जब किसी ने उनकी अर्ज को नहीं सुना तो वे सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस मामले में जितने भी पिटीशनर्स हैं उनको एबजोर्ब किया जाए। लेकिन इस फैसले की रेलवे वाले अवहेलना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये लोग हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं। मान्यवर ऐसा कोई कानून बनवाइए, जिस तरह से हमारे साथी कह रहे थे कि मजदूरों को किसी केज में रखा जाता है, रेलवे के किसी पिंजरे में मजदूर आए और उसका फोटो ले लिया जाए कि वह मजदूर वहां गया हुआ है और रेलवे वाले उसको नहीं रख रहे हैं। हम उस मजदूर का लिंक कैसे साबित करेंगे ? क्या मान्यवर आप यह मानने को तैयार हैं कि जो आदमी पांच साल तक काम किया है, जो भूखों मर रहा है, जिसने चंदा करके, भूखा मर कर, भीख मांग कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया और जिस आदमी को एब्जोर्पशन का आदेश हुआ, वह आदमी काम पर न जाए। यह उनकी हिमाकत है जो यह कहते हैं कि वह हमारे यहां आ ही नहीं रहा है, या यह कहते हैं कि वह बद-तमीज है इसलिए हम उसको नहीं रख रहे हैं। श्रीमन् आपने इसको देखा, अभी मैंने आपको एन० टी० पी० सी० के बारे में बताया।

मान्यवर, लोग कहते हैं कि बोण्डेड लेबर नहीं हैं। मेरे यहां, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती जिलों में ईंटों के भट्टों पर बिहार के रांची जिले से मजदूरों को लाकर रखा हुआ है। आप, मान्यवर, इस बात की चैकिंग करा लें कि वहां रांची के लेबर हैं या नहीं। रांची से एक-एक आदमी से अंगूठा लगवा कर, उनका हाथ कटवा कर वहां लाया जाता है और वहां उनसे 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम लिया जाता है। मजदूर की बीवी अपने बच्चे को बांध कर सिर पर 20-20 और 25-25 ईंटें ले करके चलती है तब जा करके उसको दस रुपये दिये जाते हैं। मान्यवर यह शोषण हो रहा है। यह मिनिमम वेज एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, चाइल्ड लेबर एक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।

[श्री राजकुमार राय]

इसलिए सरकार को सतर्क होने की जरूरत है। अगर इस पर कड़ी दृष्टि नहीं डाली गई, इसके बारे में कोई ऐसा कोड नहीं लाया गया जिससे कि यह चीजें रुकें तो मान्यवर बड़ा अनर्थ होने वाला है। इसके लिए आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री मानिक सान्याल (जलपाईगुड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर बोलते समय कई माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन बहुत साधारण है। हम सोचते हैं कि यह इतना साधारण संशोधन नहीं है। इस संशोधन के पीछे एक निश्चित नीति एक निश्चित विचारधारा स्पष्ट रूप से कार्यशील है। उक्त विचारधारा यह है कि अभी तक केन्द्रीय सरकार के राज्यों में स्थित उपक्रमों में विभिन्न श्रम-विवादों में हस्तक्षेप करने और उन्हें हल करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। उन विवादों को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिकार का प्रयोग करने तथा उन उपक्रमों में विभिन्न विवादों में हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप कई घटनाएं तथा कई बातें हुई हैं। इससे उक्त विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता पैदा हुई। महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में लागू किया गया। इसके काफी समय बाद काफी अनुभव प्राप्त करने के बाद ठेका श्रम अधिनियम बनाया गया। वास्तव में हमने कई बार मांग की कि इस ठेका श्रम प्रणाली को ही समाप्त कर देना चाहिये। इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह प्रणाली ठेकेदारों को मजदूरों का शोषण करने, काला धन इकट्ठा करने तथा प्रबन्धकों के साथ एक रिश्ता जोड़ने का अवसर दे रही है। इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य अपने विविध अनुभव बता चुके हैं। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं हमने अपने अनुभव से यह देखा है कि कोयला तथा राख की ढुलाई के लिए रेलवे में मजदूरों को ठेकेदारों के माध्यम से रखा जाता है। औद्योगिक मजदूरों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती है उन्हें वैसी कोई भी सुविधा नहीं दी जाती हालांकि औद्योगिक मजदूरों के लिए भी संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। महोदय, 'संरक्षण' का क्या अर्थ है? आज मालिकों तथा प्रबन्धकों के लिए कोई दाण्डिक उपाय निर्धारित नहीं किए गए हैं। उनके लिए कोई दण्ड निर्धारित नहीं है। जब केन्द्रीय सरकार स्वयं ही मालिकों के लिए दण्ड का प्रावधान नहीं करती जबकि वे ठेकेदारों द्वारा मजदूरों के शोषण के अवसर पैदा कर रहे हैं तो निस्संदेह ठेकेदार शोषण के अधिकाधिक अवसर प्राप्त करेंगे तथा स्थिति का लाभ उठायेंगे। ठेकेदारों को अधिक सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने से राज्य सरकार के अधिकार छिनने लगते हैं। यदि आज राज्य सरकार के पास यह अधिकार नहीं होता है तथा यदि थोड़ी सी मजदूर अशान्ति से कानून व व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है तो उक्त व्यवस्था को कौन

* मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सम्हालेगा ? क्या आज केन्द्रीय सरकार को सारे देश भर में उन सब स्थानों तथा जिलों में कोई आधार-भूत सुविधा प्राप्त हैं, जहां केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की इकाइयां हैं ? क्या वहां केन्द्रीय श्रम आयुक्त का कोई कार्यालय नहीं है ? यदि वहां ऐसा कोई कार्यालय नहीं है, तो गरीब मजदूर किसके पास जाएंगे? अपनी विपदाओं तथा शिकायतों से मुक्ति पाने के लिए ये बेचारे मजदूर अदालत तक नहीं जा सकते क्योंकि ये अत्यधिक गरीब होते हैं तथा इनके पास इतने वित्तीय साधन नहीं होते। सामान्यत: वे अपने विवादों को श्रम आयुक्त के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। उन्हें इस अवसर से भी वंचित किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि उनका शोषण जारी रहने दिया जा रहा है। क्या इस लम्बे अनुभव के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने चाहिए ? यदि हम पश्चिमी बंगाल में देखते हैं कि रेलवे में क्या हो रहा है, जीवन बीमा निगम में क्या हो रहा है, भारतीय खाद्य निगम में क्या हो रहा है। मैं त्रिपुरा में एक छोटी सी घटना का हवाला देता हूं। त्रिपुरा में भारतीय खाद्य निगम के मजदूर अपनी मजदूरी तथा विभिन्न अन्य मांगों को लेकर ठेकेदार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वहां क्या हुआ ? चावल के भण्डार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से बाहर निकाले जा रहे थे, लेकिन मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। उन्होंने बार-बार केन्द्र को अभ्यावेदन भेजे हैं। वे केन्द्र को अपनी दुर्दशा से अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या को हल करने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाए गए। लेकिन वह ठेकेदार मजे से चावल गोदाम से बाहर ले जा रहा है। विनियमित और स्थायी करने के बारे में स्थिति बड़ी निराशाजनक है। आज देश भर में मजदूरों की छंटनी हो रही है और हम उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम इन गरीब मजदूरों को भेड़ियों के मुंह में डाल रहे हैं। महोदय, केन्द्रीय सरकार ने अपने नीति सम्बन्धी वक्तव्य में कहा है कि वे देश को 21वीं सदी में ले जायेंगे। लेकिन 21वीं सदी में वे किसे ले जाएंगे। जब ये मजदूर खाक में मिल जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे ? मैं श्रम मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने हमें क्या संरक्षण दिया है ? मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की अभी काफी गुंजाइश है। हमें इस विषय पर गम्भीरता से पुन: विचार करना चाहिये। यदि यह विधेयक दो घंटे के संलिप्त तथा सरसरी तौर पर विचार-विमर्श के बाद कानून में परिणत हो जाता है, तो मैं सोचता हूं, कि यह हमारी गरीब जनता तथा मजदूरों के प्रति बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। मुझे उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार ऐसा करने का विचार छोड़ देगी। इसके साथ ही महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ठेका श्रम अधिनियम संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई खास विवाद का प्रश्न नहीं है लेकिन हमारे सी० पी० एम० के साथी ने इस पर सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बीच में ला दिया है। कानून बनाकर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देते हैं लेकिन कोई भी सरकार उसका पालन नहीं करती है।···(व्यवधान) हमारे यहां इत्तिफाक से बड़े पैमाने पर तीन सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं। एन० टी० पी० सी० का सिंगरौली और रिहन्द मे तथा राज्य विद्युत परिषद का अनपरा में है। इसी तरह से हमारे यहां

[श्री राम प्यारे पनिका]

कोल-माइंस भी हैं। एन० टी० पी० सी० वगैरह में सारा का सारा काम कान्ट्रेक्टर के माध्यम से होता है। इस एक्ट में प्रावधान है कि जो प्रिंसिपल एम्पलायर होगा, वह कान्ट्रेक्ट लेबर्स की सूची तैयार रखेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सर्वे करा लें। मिर्जापुर के जितने भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थान हैं किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है। राजकुमार राय जी जिसका जिक्र कर रहे थे वह उत्तर श्रमिकों के हित में बड़ा भयावह है। जहां तक क्रियान्वयन का प्रश्न है राज्य सरकारों के पास कोई सक्षम मशीनरी नहीं है। इंसपैक्टर्स और लेबर कमिश्नर नहीं हैं जिसका नतीजा यह हो रहा है कि इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाता है। किसी कान्ट्रेक्टर के पास दो हजार लेबर है तो अधिक से अधिक दो सौ का रजिस्ट्रेशन है और अगर सौ लेबर हैं तो बीस का ही रजिस्ट्रेशन है। इस तरह से लेबर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए, इसमें सुधार करने की जरूरत है। इस एक्ट के माध्यम से उनको सुविधा देने की बात भी कही गई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रदेश में और अन्य जगहों पर भी कांट्रेक्ट लेबर्स के लिए आराम कक्ष, कैन्टीन और लैटरीन वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है। हम लोग एक के बाद एक कानून बनाते जाते हैं लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन कौन देखेगा। वैस्ट बंगाल में भी इसका पालन नहीं हो रहा है। इतवार का वेतन भी नहीं देते हैं। मैडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, कोई डाक्टर नहीं है और न ही कोई फर्स्ट एड की सुविधा उन लोगों के लिए है। हमारे माननीय मंत्री जी बड़े सक्षम हैं। जिन-जिन विभागों में वे रहे हैं, हम सब लोग उनके कामों की सराहना करते रहे हैं। अभी हाल ही में इस विभाग को इन्होंने संभाला है। तीन-चार रोज पहले इन्होंने कान्ट्रेक्ट लेबर बोर्ड की बैठक भी बुलाई थी। जिस मंशा से आप इस कानून को बना रहे हैं। वह उसके अनुरूप है आप सारे देश में इसका पालन कराने की व्यवस्था करें। यह बात सही है कि जो आपने इसमें बहुत से अधिकार दिए हुए हैं, उसका पालन करने वाले जो लोग हैं वे उसका एकदम नाजायज उपयोग कर रहे हैं। वे लोग अपना हित देख रहे हैं इसलिए बड़े पैमाने पर शोषण होना स्वाभाविक है। बहुत से कारखाने ऐसे हैं जहां पर कांट्रेक्ट लेबर की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी अस्थाई नेचर का काम उनसे कराया जा रहा है। ग्रेच्युटी, प्राविडेंट फण्ड और बोनस की सुविधा जो दूसरे कर्मचारियों को है, वह कांट्रेक्ट लेबर्स को नहीं है। उसका लाभ बड़े-बड़े कान्ट्रेक्टर्स उठा रहे हैं। केवल एक ही जगह पर मेरे क्षेत्र में कम से कम दस हजार कान्ट्रेक्ट लेबर्स काम कर रहे हैं। बागवानी, अस्पताल का काम और सफाई वगैरह का सारा काम कांट्रेक्टर्स के पास है। वहां जो साइकल स्टैण्ड है, चूंकि वह सब मेरे क्षेत्र में है, यही नहीं रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन है सब में एक जैसी स्थिति है। यहां पर अभी बात कही गई कि कोल फील्डस में कान्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। जहां अभी भी कोयले की चुनाई होती है, वहां हजारों की संख्या में लोगों का शोषण किया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप कोल इण्डिया का सर्वेक्षण करायें, पूरे कोल इण्डिया के अन्तर्गत जितनी कोलफील्ड्स हैं, जैसे सिंगरौली है, मेरे क्षेत्र में है, आप उन सबका सर्वे करवाइये और देखिये कि किस तरह से वहां कान्ट्रैक्टर्स लोग मैनेजमैंट से मिलकर, बड़े-बड़े अधिकारियों से मिलकर लेबर का शोषण कर रहे हैं।

सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह कान्ट्रैक्ट सिस्टम हमारे मैनेजमेंट के लोगों के लिए, एक्जीक्यूटिव्ज के लिए और बड़े ठेकेदारों के लिए वरदान हो गया है और कोई भी ठेका एलाट करने से पहले ये लोग ठेकेदार से अपना परसैंटेज ले लेते हैं। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि आप इस कान्ट्रैक्ट सिस्टम को पूरी तरह से एबौलिश कीजिए और इसके स्थान पर एक नया विधेयक लाइये जिसमें ऐसा प्रावधान हो कि चाहे किसी भी नेचर का काम हो, तब तक आप उसको वही सुविधायें देंगे जोकि एक इनीशियल कर्मचारी को दी जाती हैं, आप उसको परमानेंट की तरह ट्रीट करेंगे और जब भी वैकेन्सी परमानेंट हो आप उन्हीं कान्ट्रैक्ट लेबर के अनुभवी लोगों को परमानेंट करेंगे, जो वहां पहले से काम कर रहा है।

इसी तरह से बदली लेबर सिस्टम भी हमारे देश में चला हुआ है। अगर कोई लेबर छुट्टी पर चला जाता है तो बदली में काम करने के लिए हमारे यहां दूसरी लेबर को लगा लिया जाता है और उसे ही बदली लेबर कहते हैं। चाहे वह सरकारी संस्था है या गैर-सरकारी, एक-एक फैक्टरी में उनकी संख्या दो-दो और तीन-तीन हजार तक है, और कान्ट्रैक्टर्स उन्हें लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वे उनके मस्टर रोल पर हैं बल्कि एक ही काम को चार तरह से करवाया जाता है : कुछ मस्टर रोल पर, कुछ कैजुअल लेबर के नाम से, और कोई कान्ट्रैक्ट लेबर के नाम से। यानी एक ही काम को चार-पांच प्रकार से कराने का जो सिस्टम है, उस तरह से भी कान्ट्रैक्टर्स हमारी लेबर का शोषण करते हैं। यहां तक कि हमारी गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स और सरकारी संस्थाएं भी शोषण करने में किसी से पीछे नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तब ही कोई कानून बनायें जब आप उसको ठीक तरह से इम्पलीमेंट करने की स्थिति में हों। अगर आप इम्पलीमेंट नहीं कर सकते तो आपको मौनीटरिंग पर जोर देना चाहिए। आप लेबर विभाग में अपना प्रतिनिधि बिठाइये। कहीं कहीं आपने अपने प्रतिनिधि को लेबर कमीशन में बिठाया भी है लेकिन वह भी कुछ देख नहीं पाते हैं। आपके यहां, प्रदेश लेवल पर एक लेबर कमिश्नर होना चाहिए जो यह देखे कि जितने कानून बनाये जाते हैं उन पर ठीक तरह से अमल हो रहा है या नहीं।

हमारी सरकार लेबर के हित में, श्रमिकों के हित में पिछले 6-7 साल से लगातार प्रयत्नशील है और मैं जानता हूं कि उसने अनेकों संशोधन किए हैं, अनेकों नए कानून बनाए हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है कि उनका परिपालन ठीक से नहीं होता। खासतौर से आपकी वैस्ट बंगाल की सरकार के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि वहां शोषण का कहीं पार नहीं है। वहां बेचारे लेबर दिन भर कलकत्ता में घूमकर शाम को फिर ट्रेन पकड़ कर वापस चले जाते हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है। दूसरे जब सेन्टर और स्टेट की बात आती है, जब काम करने की बात आती है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दोष दिया जाता है और जब पावर लेने की बात होती है तो उसे अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जहां जिम्मेदारी की बात आती है तो केन्द्रीय सरकार पर थोप दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को सरकारिया कमीशन के सामने जाना चाहिए कि हमारे विरोधी दल के लोग जिस तरह से कन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, वे कैसे दूर होंगी। इन चन्द शब्दों के साथ मुझे आशा है कि हमारे सक्षम लेबर मिनिस्टर शीघ्र ही हिन्दुस्तान की लाखों लाख कान्ट्रैक्ट लेबर के हित में एक काम्प्री-

[श्री राम प्यारे पनिका]

इन्क्लिव बिल लायेंगे जो तमाम लेबर के हित में होगा, खेतिहर मजदूरों के हित में होगा निगमों और संस्थाओं में जिस तरह से ठेकेदार लोग आज शोषण बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, उससे उन्हें दबाया जाएगा। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में कुछ अमेंडमेंट लाने के लिए यह बिल इस सदन में लाया गया है और इससे लोग काफी आशान्वित हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा इस बिल का नाम है, वैसे तो आप कुछ एनोमेलीज दूर करने के लिए इस बिल को यहां लाये हैं, लेकिन इस बिल का नाम ही अपने आप में एक दूसरे का विरोधी है, क्योंकि इसका नाम है – कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन) अमेंडमेंट बिल, 1986 और इसके जरिए आप रैगुलेट भी करना चाहते हैं और एबौलिश भी करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूं कि दो परस्पर विरोधी बातें हैं और साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

3.00 म० प०

इससे यह स्पष्ट है कि सरकार की मंशा, जिस तरह से आज ठेका मजदूरों का शोषण हो रहा है और जो हमारे आजाद देश के लिए कलंक है उसको दूर करने की इच्छा नहीं रखती है और मजदूरों को उससे मुक्त करने की बात नहीं सोचती है, यह बहुत विचित्र बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे यहां इतनी तरह के मजदूर अभी भी कानूनी रूप में मौजूद हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल मजदूर, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल मजदूर। पता नहीं डिपार्टमेंटल वाले लोग क्या करते हैं और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल वाले क्या करते हैं। केजुअल, टैम्परेरी कांट्रेक्टर और बदली मजदूर, इस प्रकार से कई तरह के मजदूर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जबकि श्रम-जगत में सरकार की समान काम के लिए समान दर पर मजदूरी दी जाए की नीति का दृढ़ता से पालन किया जाये। उनको तरह-तरह के नाम देकर शोषण करने का अधिकार उनके नियोजकों को आप देते रहे हैं, दे रहे हैं। चाहे सरकार नियोजक के रूप में हो, चाहे कोई व्यक्ति काम कर रहा हो या कोई प्राइवेट कम्पनी काम कर रही हो, यह समाप्त होना चाहिए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह से छोटे-मोटे अमेंडमेंट के जरिए अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो और देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके, तो इसके लिए सरकार को मजदूरों की एक ही कैटेगरी बनानी चाहिए और जो सहूलियत आप परमानेंट मजदूरों को देते हैं, वे ही तमाम सहूलियात जब कोई

3.02 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मजदूर एम्प्लाइड होता है, उस समय से ही वेज की आपको गारंटी करनी चाहिए।

चूंकि सभापति महोदय, ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं केवल एक ही पाइंट पर बोलना चाहता हूं और वह यह है कि इस तरह के चाहे आप एक हजार कानून ले आएं, यहां पर हजार तरह से भाषण दे दें, अमेण्डमेण्ट्स के जरिए चाहे जितने कानून लाएं, ऐम्स एण्ड ऑब्जैक्शंस में लम्बी-चौड़ी बातें कर दें, लेकिन मजदूरों की जो समस्या है वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अतः मेरा अनुरोध यह है कि अगर आप वास्तव में मजदूरों की दशा सुधारना चाहते हैं, तो संविधान में एक संशोधन लाया जाना चाहिए और वह संशोधन ऐसा हो, जिसमें "राइट-टू-वर्क" मजदूरों को मिले, आम जनता को अगर राइट-टू-वर्क देने का संशोधन आप लाते हैं, तब ही इस स्थिति में सुधार हो सकता है।

अभी यहां पर कई लोगों ने कहा और मुझे भी मालूम है, बोट क्लब पर एक बार नहीं, कई बार, बोकारो के मजदूरों ने सरकार के सामने धरना दिया है। उनकी मांगें क्या थीं—उनमें कोई दस साल से काम कर रहा है, कोई चौदह साल से काम कर रहा है, कोई पन्द्रह साल से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक वे कांट्रैक्टर लेबर ही हैं। इस बारे में सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के तमाम डिसीजंस हैं और आपकी सरकार की यह मान्यता है कि जो भी स्थाई नेचर के काम होंगे, उन कामों पर कार्यरत मजदूरों को स्थाई मजदूर की मान्यता मिलेगी। लेकिन मैं श्रम मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं आप प्राइवेट कम्पनियों की बात तो छोड़िए, आपने जो स्टैंडिंग रूल्स बना करके रखा है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि इतनी अवधि तक जो मजदूर काम कर लेगा, उसको परमानेंट मजदूर की हैसियत से मान्यता दी जाएगी, इस प्रावधान को आपकी अपनी सार्वजनिक क्षेत्र में जो कम्पनियां हैं, जो आपके हाथ में हैं, वे कितना लागू करती हैं। अगर आप एक भी ऐसी कम्पनी बता दें, तो मैं मान जाऊंगा। जो स्टैंडिंग रूल्स आपके हैं, उनको आपकी कम्पनी में ही लागू नहीं किया जाता, उनको नहीं माना जाता है। मैंने यह सवाल पिछले पालियामेंट में उठाया था, उसमें ही मुझे यह जानकारी मिली कि आपके स्टैंडिंग रूल मौजूद हैं और खुद सरकार के माफिक जो कम्पनी काम कर रही हैं, उसमें आज तक वह स्टैंडिंग रूल नहीं माने गये हैं। कैसे उम्मीद की जाये कि मजदूरों के हित में जो इस तरह के कानून आप ला रहे हैं, सोचते हैं कि उन्हें करायेंगे, वह कैसे सम्भव हो सकेगा ?

इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मजदूरों की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनको आप हटायें, राइट टू वर्क कांस्टीट्यूशन में लायें और तमाम मजदूरों को कानूनी अधिकार और जो उनकी सुविधाएं हैं, वह दें। इस तरह का एक कंप्रीहेंसिव बिल लाकर ही आप उनको फायदा पहुंचा सकते हैं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय सभापति महोदय, मैं कांट्रेक्ट लेबर (रैगुलेशन एण्ड एवालीशन) बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे अमैंडमैंट तो बहुत लम्बा चौड़ा नहीं है, अभी सेक्शन 2 में एप्रोप्रिएट गवर्नमैंट की परिभाषा में तरमीम का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इस सम्बन्ध में आपके सामने ठेका श्रम पर जो कुछ लोग काम करते हैं, उनकी दिक्कत हाई-लाइट करना चाहता हूं। वैसे सभी, सदन के सदस्य इस बात को महसूस करते हैं कि कांट्रेक्ट लेबर एक सामाजिक बुराई है और आर्थिक नीति के जरिए ही इसका उद्धार किया जा सकता है, इसमें सुधार लाया जा सकता है।

अपने से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य से मैं सहमत हूं कि इस एक्ट के अन्दर दोनों ही बातें हैं और एक दूसरे के कांट्रेडिक्टरी है। एक तरफ तो एक्ट में प्रावीजन है कि कांट्रेक्ट लेबर की सर्विसेज को या उनकी हालत को रैगुलराइज किया जाये, साथ ही उसमें उनके एबोलीशन की बात भी है।

मैं माननीय मंत्री जीं से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी स्थिति ऐसी है कि जब तक हम कांट्रेक्ट लेबर को बिल्कुल समाप्त नहीं करते, उस समय तक हम इसको ठीक नहीं कर सकते, रैगुलराइज करने की बात नहीं कर सकते। आज हमारी ,जो नीति है, उसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि आज जो हमारी आर्थिक नीति है, उसके मुताबिक हमारी सुरक्षा सरकार के पास नहीं है। हर आदमी यह महसूस करता है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी पैसे के साथ है।

[अनुवाद]

मेरी सुरक्षा धन के साथ जुड़ी है।

[हिन्दी]

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी आदमी के पास कुछ धन है तो वह यह महसूस करता है कि मैं कुछ सुरक्षित हूं, मेरे पास पैसा है, किसी भी कठिनाई या दिक्कत के समय मेरा पैसा मेरे काम आ सकता है, इससे मेरी सुरक्षा बनी रहेगी। अगर ज्यादा पैसा है तो वह महसूस करता है कि मेरी सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उससे करप्सन भी फैल जाती है क्योंकि हर इंसान यह चाहेगा कि मेरा जीवन ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो। इसलिए अपने आपको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए वह करप्शन भी करता है, बेईमानी भी करता है और नाजायज तरीके से धन इकट्ठा करने की कोशिश भी करता है।

मैं कहना चाहता हूं कि .कांट्रेक्ट लेबर तभी समाप्त हो सकती है जब हमारी सुरक्षा की जिम्मे-

दारी सरकार की कि हर आदमी को उसकी आजीविका चलाने के लिए कम-से-कम उसकी जरूरियात की चीजों की गारंटी सरकार के पास है, तभी इस तरह की चीज हो सकती है। वह तभी हो सकता है जब हमारी बेसिक नीति, आर्थिक नीति और उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली की जाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर प्रदेश में अलग-अलग किस्म से कांट्रेक्ट लेबर का शोषण किया जाता है। हमारे प्रदेश हरियाणे में आमतौर से शुगर मिल में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में और जो ईंट तैयार करते हैं भट्टों के अन्दर, ब्रिक किन में लेबर का शोषण किया जाता है। लेबर का शोषण मालिक कम करता है, लेकिन बिचौलिया जो कांट्रेक्ट लेता है कि कैसे काम कराना है, वह इसमें ज्यादा शोषण करता है। मालिक ने तो पेमैंट करना है, वह एक आदमी को ठेका दे देता है और उसकी पूरी कीमत अदा करता है। लेकिन वह ठेकेदार जो मजदूर आदि रखता है, वह न तो उनको न्यूनतम मजदूरी देता है और न ही अन्य सुविधायें देता है। इस प्रकार वह उनकी गरीबी और मजबूरियों का पूरा फायदा उठाकर उनको कम से कम पैसा देकर हमेशा अपने साथ बांधे रखता है। फिर यहीं से बंधुआ मजदूरी शुरू हो जाती है।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस बंधुआ मजदूरी को करवाने में ठेकेदारों के साथ-साथ कुछ नेताओं का भी हाथ रहता है। नेता लोग बंधुआ मजदूरों को और कांट्रेक्ट लेबर को इकट्ठा करके उन्हें लालच देते हैं कि हम तुम्हारी बंधुआ मजदूरी खत्म करेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कानून के अन्दर इस प्रकार का प्रावीजन हो कि उन लोगों का कम से कम शोषण हो, उनको न्यूनतम मजदूरी जरूर मिले और उनको डिसपेंसरी की, दवाइयों की, अस्पताल की और स्कूल की सुविधाएं अवश्य मिलें। हमने यह भी देखा है कि कई मालिकों की यह सब सुविधाएं देने की गुंजायश भी होती है, लेकिन फिर भी वह यह सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

कई जगहों में 14-15 साल तक के बच्चे भी कांट्रेक्ट लेबर का काम करते हैं जिससे उन बच्चों का भरपूर विकास नहीं हो पाता है। वह अपना पेट भरने के लिए, किसी भी प्रकार की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे उनका जीवन बरबाद हो जाता है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस प्रकार का इसमें प्रावधान करें जिससे गरीब लोगों का कम से कम शोषण हो और जो पैसे वाले लोग हैं, जो बिचौलियों का काम करते हैं वह नाजायज तरीके से उन मजदूरों का शोषण न कर पायें।

हमने देखा है कि जब सरकारी पुल या सड़कें आदि बनती हैं तो उनका भी पहले कांट्रेक्ट लिया जाता है। इस काम के लिए सरकार की ओर से जे० ई० और सब-डिविजनल इंजीनियर होता है। आप इसमें देखें कि वह अपना काम डाइरेक्ट मजदूरों से कराएं। आप मजदूरों की सर्विस का बाकायदा कोई ऐसा तरीका बनाएं जिससे कि वह रेगुलराइज हों। अगर कोई मजदूर थोड़ी सी हिम्मत करके अपने अधिकारों की मांग करता है तो ठकेदार उसकी छुट्टी कर देता है। मेरा निवेदन है कि

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम बेसिकली गलत है। जब तक यह सिस्टम चलता रहेगा, तब तक बंधुआ मजदूरी खत्म होने वाली नहीं है। अतः इस सिस्टम को एबालिश कर देना चाहिए।

आमतौर से कोई कम्पनी कांट्रेक्ट के जरिए काम कराती है। ऐसे समय मालिक लोगों से एडवांस पैसा ले लिया जाता है। जो मजदूर कांट्रेक्ट पर काम करते हैं, उनको बाद में पेमेंट की जाती है। बाद में पेमेंट देने पर मालिक लोग छुट्टी की तनख्वाह काट लेते हैं और डेलीवेजिज पर प्रतिदिन के हिसाब से उनकी पेमेंट की जाती है। इसमें मेरा निवेदन है कि कांट्रेक्ट लेबर पर जो काम करें उनको न्यूनतम माहवारी तनख्वाह अवश्य मिले। इस चीज का निरीक्षण करने के लिए इंसपेक्टर रखें जोकि समय-समय पर जाकर चैकिंग करें। अगर हो सके तो रजिस्टर मेंटेन करें जिनकी बाकायदा ढंग से देखभाल की जाए। उन मजदूरों को भरपेट कमाई हो सके, इस बात का आप खास ध्यान रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि मैंने जो निवेदन किया है, उस पर मन्त्री जी गौर फरमाएंगे।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सभापति महोदय, ठेकाश्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक पर बोलते समय मैं ऐतिहासिक भावनाओं को सभा में प्रस्तुत करूंगा। इतिहास बलिदान, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के विरुद्ध संघर्ष की घटनाओं से भरा हुआ है। इतिहास बताता है कि किस प्रकार हमारे पूर्वज, कुछ संगठन भी समाप्त हो गये। उन्होंने शोषण से बचने तथा श्रमजीवी लोगों तथा जन सामान्य के भी अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपनी आहुति दे दी। मेरा यह विचार है कि यह संशोधन श्रमजीवी लोगों के शोषण को बढ़ाने वाला है। इस संशोधन से श्रमजीवी लोग बोनस, भविष्य-निधि, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं इत्यादि कतिपय अधिकारों से वंचित हो जाएंगे क्योंकि ये सुविधाएं ठेका मजदूर को नहीं दी जातीं।

अनिश्चितता से हमेशा कड़वाहट पैदा हुई है। कड़वाहट और नैराश्य अनिश्चितता के परिणाम हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हमें श्रमजीवी, लोगों के लिए उनके जीवन में निरंतर अनिश्चितता का समर्थक होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कम से कम हम उसके समर्थक नहीं बनना चाहते और यही कारण है कि मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

ठेका मजदूरों के बारे में पहले से ही कानून और अधिनियम है। तब भी कोयला तथा राख की ढुलाई वाले मजदूरों को नियमित नहीं किया गया है। 10 हजार लोग ठेका आधार पर रेलवे विभाग में काम कर रहे हैं तथा 6,000 लोग ठेका आधार पर भारतीय खाद्य निगम में कार्य कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम में मजदूर बिना किसी सूचना के छटनी का सामना कर रहे हैं। बिना उन्हें

निकालने के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

इस अधिनियम का दूसरा दु:खद पहलू यह है कि अब तक राज्य सरकारें अपने राज्य में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कार्य करने वाले लोगों की कतिपय सुविधाओं के बारे में कुछ कह लेते थे। लेकिन इस विधेयक को लाकर सरकार राज्यों को उनके हस्तक्षेप करने के अधिकारों से वंचित करने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह श्रमजीवी लोगों की सहायता करने के राज्यों के अधिकारों का हनन है। सत्तारूढ़ पक्ष के मेरे एक मित्र ने काफी ऊंचे स्वर में कहा। मैंने उनकी प्रशंसा की तथा जब उन्होंने कहा कि काम करने का अधिकार होना चाहिए तो हमने उनके समर्थन में मेज थपथपायी। क्या मैं माननीय मंत्री से यह कह सकता हूं कि एक ओर तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य काम करने के अधिकार की जोरदार दलील दे रहे हैं और दूसरी ओर वे रोजगार की सुरक्षा को छीन रहे हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है? इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से गुजारिश करता हूं कि महोदय मेरी पार्टी शिरोमणि अकाली दल... (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आप सही खराब लोगों के साथ बैठे हैं। आप हमारे पास आकर बैठें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : लेकिन मैं स्वयं को आपके साथ समझता हूं। मैं आपका मित्र हूं।

श्री हरीश रावत : आप हमारे साथ आकर बैठें। केवल तभी... (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : विपक्ष में रहते हुए भी दोस्ती हो सकती है। हम आपको यहां आमंत्रित करते हैं। जो भी हो महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पहलू पर गौर करना होगा। सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों का विरोध किया और अंत में यही कहा कि मैं इसका समर्थन करूंगा।

श्री राम प्यारे पनिका : एक सदस्य ने भी इसका विरोध नहीं किया। हमने अपनी भावना व्यक्त की है। विभिन्न उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारें मौजूद हैं। उनका यह कहना गलत है कि हमने इसकी आलोचना की। ऐसी बात नहीं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : उनके कथन की मैं प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है, वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सत्तारूढ़ पक्ष से जो कुछ हमारे मित्रों ने कहा मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करता हूं। यह एक स्वस्थ वार्तालाप का तरीका है कि सत्तारूढ़ पक्ष में होते हुए भी उन्होंने इसकी आलोचना की, मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं अभी कह रहा था कि किस प्रकार

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

आप काम करने के अधिकार का उल्लेख करके रोजगार की सुरक्षा छीन रहे हैं। यह विधेयक लाखों श्रमजीवी लोगों के भाग्य से जुड़ा हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे इस संशोधन को पूर्णरूप से निकाल दें जिससे उनके अधिकार छिन रहे हैं और मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इस संशोधन के बदले में इन गरीब लोगों तथा ठेका मजदूरों के हितों तथा अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कुछ उचित उपाय लायें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, कान्ट्रेक्ट लेबर रैगुलेशन एण्ड एबोलिशन) अमेंडमेंट बिल पुन: विचार हेतु पन्द्रह साल बाद सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। यह बात भी अपने आप में सत्य है कि तब से लेकर आजतक लगातार प्रति वर्ष कांट्रैक्ट लेबर की संख्या बढ़ रही है। मन्त्रालय के एक सर्वे के अनुसार चार साल से ज्यादा कांट्रैक्ट लेबर, कैज्युअल लेबर नहीं है, ऐसा बताया गया है। मंत्रालय द्वारा बताई गई संख्या अपने आप में इतनी अपूर्ण है कि ऐसा लगता है कि सर्वे करते वक्त मंत्रालय ने सारे आसपैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखा।

श्री राम प्यारे पनिका : सिर्फ मेरी कान्स्टीचूयेंसी में दो लाख कांट्रेक्ट लेबर है।

श्री हरीश रावत : जितनी जानकारी अथोरिटीज और राज्य सरकारों ने उनको दी है, उसी को कम्पाइल करके उन्होंने पार्लियामेंट के सामने रख दिया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से, कि एक प्रापर सर्वे होना चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : यह फीगर कब दी है ?

श्री हरीश रावत : पिछले वर्ष के सर्वे में चार लाख कांट्रेक्ट लेबर और कैज्युअल लेबर की संख्या बताई गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रापर सर्वे किया जाना चाहिए और इसकी जानकारी पूरे देश को, सदन को और आपके मंत्रालय को रखनी चाहिए।

एक बात समझ में आती है कि कांट्रैक्ट लेबर प्राइवेट कन्ट्रैक्टर्स के पास ही नहीं है, हमारी जो सरकार की अण्डरटेकिंग्स है, चाहे कोल हो, चाहे डाक हो, चाहे डेसू हो, चाहे रेलवे हो, इन सब जगहों पर छोटे-छोटे काम कान्ट्रैक्टर्स द्वारा करवाए जाते हैं। ये कांट्रैक्टर्स आप दिल्ली में देख लीजिए। यहां काफी बिल्डिंग्स में कन्स्ट्रक्शन का काम हो रहा है, डी० डी० ए० द्वारा और दूसरी कई एजेंसियों द्वारा। वे कांट्रैक्टर्स उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार से गरीब लोगों को लाए हैं। यदि उनके रहने की जगह को देखा जाए, तो आप देखेंगे कि आपके एक्ट को किस तरह से वायोलेट किया जा रहा है। आपकी नाक के नीचे किस तरह से एक्ट का उपहास किया जा रहा है। उसको मजाक बनाया जा रहा है।

यह एक गम्भीर बात है। यदि आप राज्यों की उनकी स्थिति पर छोड़ दें, तो कम से कम दिल्ली में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांट्रेक्ट लेबर के नाम पर हजारों मजदूरों के साथ ज्यादती की जा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठायें। जब आप कदम उठायेंगे, तो हम समझेंगे कि आप ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर, असंगठित क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक अंडरटेकिंग्स या दूसरी जगहों पर ज्यादती हो रही है, बल्कि जहां पर छोटे-छोटे काम होते हैं, वहां पर कांट्रैक्ट लेबर के साथ अन्याय किया जाता है। उनकी कंडीशन और भी दुखद है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई न कोई कानून हमको ऐसा बनाना चाहिए, जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम कर रहे मजदूरों की दशा सुधारने के लिए हो। जहां तक आपकी मंशा का सवाल है, इरादे का सवाल है, सब लोग उसका स्वागत करते हैं। बहुत सारे कानून इस सदन में पास किए हैं। हमें श्रम मंत्रालय पर दोषारोपण नहीं करते हैं। जो कानून बनाए गए हैं, उनको लागू करने के मामले में, जो लॉ-इनफोर्समेंट एजेंसी हैं, वह कमेटेड नहीं है, उनमें विल-पावर की कमी है, वह आपकी मंशा या संसद की मंशा को ठीक से लागू नहीं करना चाहती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रापर प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि राज्यों के साथ मिलकर इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि जो श्रम कानून बनाए गए हैं, संसद में जिनको पास किया गया है, उनको लागू किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस बात को देखें कि किस प्रकार से संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनको ईमानदारी के साथ लागू किया जाए।

[अनुवाद]

***श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** (अमालापुरम) : सभापति महोदय यह संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी 1986 को प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया गया है। मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। महोदय यह सरकार अध्यादेशों और अधिसूचनाओं की सरकार प्रतीत होती है। यह अध्यादेश और अधिसूचना राज है। यह सरकार संसद के सत्रों के आरम्भ होने से ठीक पहले अध्यादेश प्रख्यापित करती है और चुपचाप सभा पटल पर दूरगामी परिणाम वाली अधिसूचनाएं रख देती है। यह लोकतन्त्र और लोकतान्त्रिक परम्पराओं का मजाक है। जनता के प्रतिनिधियों से स्वीकृति प्राप्त करने की बजाय यह सरकार अध्यादेशों को प्रख्यापित करने पर विश्वास रखती है। यह लोकतंत्र के मानदण्डों और परम्पराओं के विरुद्ध है।

महोदय, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में पारित किया गया

* मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए० के० वी० वी० महेश्वर राव]

था। इस विधान को बने 16 वर्ष से अधिक समय हो गया है किन्तु देश में ठेकाश्रम प्रणाली को विनियमित करने अथवा उसका उत्सादन करने के लिए अबतक कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा ठेका-श्रमिकों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार द्वारा उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने अथवा उन्हें न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि सरकार ने उनके कल्याण में कोई रुचि नहीं दिखाई है। श्रम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार श्रम सम्बन्धी 108 विधान हैं, किन्तु इनमें से किसी भी विधान को भलीभांति क्रियान्वित नहीं किया गया। इन गरीब मजदूरों का शोषण करने वाले बिचौलियों और ठेकेदारों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। महोदय इस संशोधन से ठेका मजदूरों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। सरकार कहती है कि यह एक साधारण संशोधन है। किन्तु इस तथाकथित साधारण संशोधन में राज्य सरकारों में निहित शक्तियों को छीना जा रहा है। इस संशोधन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, निरीक्षणकर्ता अभिकरणों की बहुलता में कमी करने के बहाने शक्तियों को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है। यह निंदनीय है। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में काम कर रहे ठेका मजदूरों की समस्याओं को बेहतर समझ सकेंगी। वे ठेका मजदूरों के मामलों में अधिक कारगर ढंग से कार्यवाही कर सकते हैं। राज्य सरकारें उनकी समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान कर सकेंगी। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारों की शक्तियों को छीनने की बजाय राज्य सरकारों की शक्तियों को बनाए रखना बेहतर होगा।

महोदय बहुत से नैमित्तिक मजदूर विभिन्न सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये नैमित्तिक मजदूर केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रणाधीन संगठनों में काम कर रहे हैं। किंतु क्या सरकार ने उनके लिए कुछ किया है? गरीब मजदूर बहुत कष्ट उठा रहे हैं। उन्हें भविष्य निधि की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, कोई आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा अथवा शिक्षा सुविधा प्राप्त नहीं है। भारतीय खाद्य निगम, डाक-तार, पत्तनों, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आदि में बहुत से नैमित्तिक मजदूर काम कर रहे हैं। चूंकि उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, इसलिए वे अत्यन्त दुखी जीवन जी रहे हैं। ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं। उनके दिमागों में नौकरी छूट जाने का भय सदा बना रहता है। उन्हें काम पर बने रहने की कोई गारंटी नहीं दी जाती। गरीबों के हितार्थ अनेक कल्याण कार्यक्रमों में इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता। ठेकेदार जब चाहे काम पर रख लें जब चाहें निकाल दें, की नीति में विश्वास करते हैं। ठेकेदार अपनी ही सनकों और इच्छाओं के अनुसार इन नैमित्तिक मजदूरों को काम देते हैं और उनका बुरी तरह शोषण करते हैं। इसलिए अब यह बहुत आवश्यक हो गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नैमित्तिक मजदूरों और कामगरों के उत्थान के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति कुछ रुचि दिखाई जाए। इन गरीब कामगरों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए इन्हें वर्ष में 300 दिन काम देना होगा और उनकी दैनिक मजदूरी को कम से कम 20 रुपए तक बढ़ाना होगा। इस समय न तो उनके पास 300 दिन का काम है और न ही उनकी दैनिक मजदूरी 20 रुपए के आसपास है। अतः केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित

करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम 20 रुपए की दैनिक मजूरी प्राप्त हो सके और कम से कम 300 दिन के लिए काम दिलाया जा सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

महोदय देश में ऐसे बहुत से बिचौलिए हैं जो गरीबों को खाड़ी के देशों में रोजगार दिलवाने का वायदा करके उन्हें ठगते हैं। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कई बिचौलिए सक्रिय हैं। इन बिचौलियों का कोई कार्यालय अथवा पता नहीं होता। ये लोग गरीबों को खाड़ी के देशों में काम दिलाने का लालच देकर उनसे भारी धनराशि वसूल करते हैं। ये गरीब लोग इन ठेकेदारों पर विश्वास करके अपना सब कुछ बेचकर इन्हें धन देते हैं। किंतु ये बिचौलिए धन इकट्ठा करके एकदम गायब हो जाते हैं। गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। इसलिए बिचौलियों अथवा ठेकेदारों के कार्यों पर उचित रूप से निगरानी रखना आवश्यक है। इस प्रकार के बिचौलियों द्वारा गरीबों को ठगने से रोका जाना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या पर विचार करेगी और इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

महोदय, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 16 वर्ष पहले बना था। किंतु इसे पूर्णरूप से क्रियान्वित नहीं किया गया। इस अधिनियम को कड़ाई से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। सरकार को ठेका मजदूरों, बन्धवा मजदूरों और नैमित्तिक मजदूरों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उनकी मजूरी बढ़ाई जानी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इन लोगों के प्रति न्याय करेगी।

महोदय, बोलने का अवसर दिए जाने तथा अपने भाषण को पूरा करने के लिए समय दिए जाने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : सभापति महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने और विशेषकर इस विधेयक को व्यापक समर्थन तथा स्वीकृति प्रदान करने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : हमने इस विधेयक की आलोचना की है। (व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : विपक्ष का अनुमोदन उन माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जिन्होंने इस सांविधिक संकल्प को प्रवर्तित तो किया है किंतु सभा में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने चाहा है कि इस प्रस्ताव को न रखा जाए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष ने किस प्रकार इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनके प्रति आभारी हूं।

श्री अमल दत्त डायमण्ड (हार्बर) : कौन जानता था कि आप इस विधेयक को आज लाएंगे? आप अपनी सुविधानुसार इस विधेयक को आज लाए हैं। आप अपनी सुविधानुसार कार्यों की व्यवस्था करते हैं और फिर उन माननीय सदस्यों पर आक्षेप लगाते हैं जो अनुपस्थित हों। यह बहुत बुरी बात है।

श्री ए० चार्ल्स : संसद के सत्र के दौरान सभी से यह आशा की जाती है कि वे सभी दिन उपस्थित रहें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। ठीक है आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं इतना अधिक समर्थन देने के लिए विपक्ष का हार्दिक धन्यवाद कर रहा हूं···

श्री अमल दत्त : आपने यह टिप्पणी बहुत ही व्यंग्यपूर्ण की है।

श्री पी० ए० संगमा : माननीय सदस्य ने केवल इसी बात पर जोर दिया है कि जो प्रस्ताव लाया गया है, वह इस देश में औद्योगिक सम्बन्धों की एक समान नीति तैयार करने की दिशा में एक अच्छा कदम तो है किन्तु पर्याप्त नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया है कि यह अपर्याप्त है तथा कुछ और अधिक किया जाना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से सहमत हूं। मैंने इस अधिनियम को पढ़ा है और मैंने इस अधिनियम के उपबंधों में कमियां पाई हैं, इस पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अनुभव बताये हैं कि कामगारों का किस प्रकार शोषण हो रहा है। अधिनियम के प्रावधानों का किस प्रकार पालन नहीं किया जा रहा है।

श्री अमल दत्त : क्या आपने कुछ किया है ?

श्री पी० ए० संगमा : मुझे भी इस आशय की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मेरे विचार से इसका एक कारण यह भी है कि अधिनियम में जो दण्ड सम्बन्धी उपबंध किया गया है, वही इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरक प्रतीत होता है क्योंकि दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध यह है कि यदि कोई इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह तीन महीने के कारावास अथवा 500 रुपए के जुर्माने का भागी होगा। मैं समझता हूं कि इस कानून के उपबन्धों का पालन करने की अपेक्षा 500 रुपये का जुर्माना देना निश्चित रूप से अधिक आसान है।

श्री अमल दत्त : जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं, वही इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मैं यह स्वीकार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रत्येक बात में व्यवधान न डालें।

श्री पी० ए० संगमा : दूसरी बात शिकायतें दर्ज किए जाने के बारे में कही गई है। हमें इन सबकी जांच करनी है और मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि हमें इस सभा में एक अन्य व्यापक संशोधन लाना होगा।

श्री अमल दत्त : नियोक्ताओं द्वारा भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि जैसे भुगतान

न किए जाने के विरुद्ध दण्ड सम्बन्धी उपबंध तैयार किए जाने चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : एक और आरोप लगाया गया है और वह राज्य सरकार की शक्तियों को छीनने के प्रयास के सम्बन्ध में है। मैं यह मानता हूं कि कोई भी अपना सिरदर्द बढ़ाने के लिए किसी दूसरे की शक्तियों को छीनना पसन्द नहीं करेगा। कुछ लोगों ने भारतीय खाद्य निगम का उदाहरण दिया है। मैं इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करूंगा। उच्चतम न्यायालय ने अब यह निर्णय दिया है कि जहां तक भारतीय खाद्य निगम का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि, राज्य सरकार 31 दिसम्बर 1985 तक इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लें कि वह ठेका मजदूर व्यवस्था को समाप्त करेगी अथवा नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस मामले में राज्य सरकार क्यों आती है ?

श्री पी०ए० संगमा : हरियाणा सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय किया है। बिहार सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों ने कहा है कि नहीं। हम ठेका मजदूर व्यवस्था को समाप्त नहीं करेंगे। पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्यों ने इस बारे में बहुत कहा है कि "हम उनकी शक्तियां छीनने का प्रयास कर रहे हैं," किंतु जहां तक मुझे जानकारी है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लेने का निर्देश मिल जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। यदि भारत सरकार कामगारों का कल्याण करने वाली नहीं होती तो यह स्थिति हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होती। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हमारे लिए यह कहने के लिए बहुत सुविधाजनक होता कि "मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसके लिए राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है।" मैं आसानी से अपनी जिम्मेदारी से बच सकता था। किंतु हम ऐसा नहीं चाहते। हम इस देश में कानून और नीति की एकरूपता चाहते हैं और यदि एक राज्य में कामगारों को कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो तो हम यह नहीं चाहते कि दूसरे राज्य के कामगारों को उस लाभ से वंचित रखा जाए। इसी कारण हम चाहते हैं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकार एक ही होनी चाहिए। इसी कारण हम इस प्रस्ताव को लाये हैं।

रेड्डी जी ने केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय सम्बन्धी मुद्दा उठाया है। निःसंदेह यह पूर्णतः सही है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय नैमित्तिक कामगारों से सम्बन्धित है और हम यहां ठेका मजदूरों के बारे में बात कर रहे हैं जोकि ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए जाते हैं। इसलिए यह बात नहीं बनती। आपको कुछ ऐसा कारण बताना चाहिए जिससे कि हो सकता है कि हम उच्चतम न्यायालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सम्बन्धी निर्णय से छुटकारा पाने का प्रयास करें। यह बिल्कुल अलग बात है। इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ ने निर्माण कम्पनियों के भ्रष्टाचार के बारे में एक विशेष प्रश्न उठाया है।

[श्री पी० ए० संगमा]

मैं निस्संदेह इस पर विचार करूंगा। मैं अवश्य इसकी जांच करूंगा। मैं निस्संदेह माननीय सदस्य द्वारा बताए गए कुछ विशेष मामलों की जांच करूंगा···(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह तरीका ठीक नहीं है। आप उन्हें प्रत्येक वक्तव्य में टोक नहीं सकते।

श्री पी० ए० संगमा : इन कुछ शब्दों के साथ मैं पुन: माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक को सभा में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.42 म० प०

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम श्री जनार्दन पुजारी द्वारा 21 फरवरी, 86 को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे ।

श्री माधव रेड्डी ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम में संशोधन करने वाले इस विधेयक का आंशिक समर्थन करता हूं ।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है क्योंकि यह अधिनियम पिछले कई वर्षों से लागू है और यह पाया गया है कि इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। पिछले एक वर्ष की अवधि में हमने विभिन्न वित्तीय संस्थानों सम्बन्धी कानूनों में अनेक संशोधन पारित किये हैं। इनमें से कुछ वांछित थे, किन्तु इनमें से कई संशोधनों का उद्देश्य किसी को भी जानकारी दिये बिना वस्तुतः सरकार की नई आर्थिक विचारधारा को लागू करना था। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के मामले में यही हुआ है। अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में भी यही हो रहा है। मैं इस बारे में बाद में कहूंगा। किन्तु जो संशोधन स्वागत करने योग्य है, उन्हें प्रस्तुत करने के लिये मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

मैं समझता हूं कि शुरू में जब यह अधिनियम पारित किया गया था, तो इस बैंक की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये थी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया था और आज इस बैंक की प्रदत्त पूंजी लगभग 440 करोड़ रुपये है। इसलिए इस बैंक की अधिकृत पूंजी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है और अब इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया जा रहा है तथा केन्द्रीय सरकार को इसमें और 1000 करोड़ रुपये—अर्थात् 2000 करोड़ तक वृद्धि करने का अधिकार दिया जा रहा है। अब, जबकि हम इस निगम की अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के लिए सहमत हो रहे हैं, यह समझा जाता है कि आप यदि आज नहीं, तो बाद में बैंक की प्रदत्त पूंजी में अंशदान करने वाले हैं। आपने अपने वित्तीय ज्ञापन में इसका उल्लेख किया है। यह बैंक सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन है। इसमें गैर सरकारी अंशदान नहीं करने दिया जाता। किन्तु जब आप अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं, तो निश्चय ही आप बैंक की प्रदत्त पूंजी में भी वृद्धि करेंगे और प्रदत्त पूंजी में केवल सरकार द्वारा अंशदान किया जाना है। इसकी व्यवस्था कहां पर है ? कम से कम मुझे तो यह कहीं पर पता नहीं चला मैं यह मालूम करने का प्रयास कर रहा था कि यह व्यवस्था कहां है—चालू वर्ष के बजट में अथवा अगले वर्ष के बजट में। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप अधिकृत पूंजी में 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि कर रहे हैं, तो हम कम से कम यह आशा करते है कि आप इसमें इस वर्ष 300 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये तक का अंशदान करने वाले हैं। मुझे इसकी कोई व्यवस्था नजर नहीं

[श्री सी० माधव रेड्डी]

जाती। मुझे प्रसन्नता होती यदि आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपने कुछ शेयर जनता को बेचने देते। ऐसा करना गलत नहीं है क्योंकि हमारे सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को जनता से पैसा इकट्ठा करने दिया जा रहा है। आप इस देश की जनता को इस देश के औद्योगिक विकास में भागीदार क्यों नहीं बनने देते ? ऐसा करने से आपको आसानी से जनता से लगभग 500 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर तो सदा सरकार के पास ही रहेंगे। खैर, इस पर विचार करना सरकार का काम है।

कुछ अन्य संशोधनों के बारे में मुझे आपत्ति है, जैसे बैंक के कार्यक्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी संशोधन, बैंक को उन क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने की अनुमति देने सम्बन्धी संशोधन जहां पहले उसे पूंजी निवेश करने की अनुमति नहीं थी। इनमें से कुछ कार्य-क्षेत्र ठीक हैं जैसे खनन सम्बन्धी कार्यों अथवा सेवाप्रदायी कार्यकलापों, परामर्शदायी सेवाओं के लिए बैंकों का वित्तीयन अथवा पुर्नवित्तीयन करना। हमें खण्ड 2 में दी गई परिभाषा में संशोधन करने को कहा जा रहा है। किन्तु हम बैंक को ऐसे अन्य अनेक कार्यकलापों में प्रवेश करने की अनुमति भी दे रहे हैं जो कि बहुत बांछित नहीं हैं जैसे कि पट्टा कारोबार। आजकल पट्टा कारोबार बहुत लोकप्रिय हो गया है। इस देश में प्रत्येक सम्पन्न कम्पनी पट्टा कारोबार कर रही है। आप इस देश की प्रमुख वित्तीय संस्था को, जिसे मुख्यतः उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कतिपय ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने दे रहे हैं जो कि पूर्णतः विकासात्मक नहीं हैं। सही मायने में वे वास्तविक औद्योगिक विकास के लिए नहीं हैं, अधिक से अधिक ये सतही कार्यकलाप हैं। (व्यवधान)

यह सच है। इस किस्म के कार्य के लिए पूंजी की कमी नहीं है। इस किस्म के संगठन को ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहिए जहां गैर सरकारी पूंजी निवेश बहुत कम होता है, जहां पूंजी नहीं लगाई जाती। पट्टा कारोबार इतना लोकप्रिय हो गया है कि प्रत्येक सम्पन्न कम्पनी, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक कम्पनी पट्टा कारोबार, वित्तीयन कारोबार में प्रवेश कर रही है। पिछले सत्र के दौरान आपने यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को वित्तीयन कारोबार करने की अनुमति दी है। अब आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसकी अनुमति दे रहे हैं।

मेरे विचार में यह एक ऐसा कार्य है जिसके बारे में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यद्यपि यह वांछनीय है, तथापि यह ऐसा कार्य है जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस तरह के कार्य के लिए गैर-सरकारी पूंजी की कोई कमी नहीं है। उद्योगों के विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के कार्य की आवश्यकता ही नहीं है। पट्टा देने का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है मर्चेंट बैंकिंग जैसी अन्य बातें भी हैं। यह अच्छी बात है कि हम मर्चेंट बैंकिंग का प्रयोग आरंभ करने वाले हैं। परन्तु जन साधन का बीमा करने जैसी जो भी सेवा करना हम चाहते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बीमा करने की सुविधाएं प्रदान करने में उदार हैं। आप पहले से ही ऐसा करते आये हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पहले से ऐसा कर रहा है। आप मर्चेंट बैंकिंग जैसी महत्वहीन सेवा कर रहे हैं जो प्रत्येक बैंक कर रहा है मैं नहीं मानता हूं कि यह कार्य वांछनीय है। इसमें अनावश्यक रूप से गुमराह होना पड़ता है

और इससे आप अपनी शक्ति और संसाधनों को ऐसे कार्य पर व्यर्थ कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्य के लिए देश में उद्यम का कोई अभाव नहीं है।

मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कुछ कार्यकलापों पर चर्चा करना चाहता हूं। यह देश के औद्योगिक विकास को संवर्धित करने का प्रमुख औद्योगिक विकास बैंक है। मैं समझता हूं कि यह कार्य सराहनीय हैं। बैंक का कार्य-निष्पादन भी बहुत अच्छा है। परन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यह बैंक देश में औद्योगिक स्थिति के बारे में यथार्थवादी नहीं है। जहां तक औद्योगिक वित्त पोषण के लिए ऋण-इक्विटी के अनुपात में कटौती से जुड़े प्रश्न का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय को मालूम है कि पहले हमारा ऋण-इक्विटी का अनुपात लघु क्षेत्र में 3:1 और मध्यम क्षेत्र में 1:2 था। अब वह घट कर क्रमश: 2.5:1 और 1.5:1 रह गया। इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका तत्काल प्रभाव यह हुआ है कि इससे देश में उद्योगीकरण की गति धीमी होती गई। यदि आप आंकड़ों पर ध्यान दें, तो गत चार महीनों से हुए इस परिवर्तन के फलस्वरूप पहले के अनुपातों के आधार पर जितने सारे उद्योग स्थापित किये जाने थे, उतने नहीं हो पाये क्योंकि उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अपनी ओर से अधिक पूंजी जुटानी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप परियोजना में उद्यमियों की भागीदारी में वृद्धि हुई। पहले वह परियोजना की कुल लागत का 17.5 प्रतिशत थी। वह उद्यमी का न्यूनतम अंशदान था, जो उसकी अपनी पूंजी थी। अब यह बढ़कर परियोजना की कुल लागत का 22.5 प्रतिशत हो गया। मध्यम उद्योगों के सम्बन्ध में यह देखा गया है उद्यमियों को 20 से 30 लाख रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े थे जो संभव नहीं था और यही कारण है कि कुछ उद्योग स्थापित नहीं किये जा सके। इसकी क्या आवश्यकता है। यह आवश्यकता तब उत्पन्न हुई जब सरकार यह मान कर चली कि पूंजी बाजार की स्थिति बहुत ही अच्छी है, देश में पूंजी उपलब्ध है। प्रत्येक कंपनी को संसाधन जुटाने के लिए जनता से अंशदान प्राप्त करने हेतु जनता के पास जाना पड़ता है। यह अच्छी बात है। जनता से अंशदान प्राप्त करने हेतु कौन जनता के पास नहीं जाना चाहता? परन्तु उन छोटी कंपनियों की स्थिति क्या होगी, जिनकी अपनी प्रतिष्ठा नहीं है अथवा नई कम्पनियां जो मध्यम दर्जे के अथवा छोटे उद्योग स्थापित करना चाहती हैं। उनकी प्रतिष्ठा क्या है। वे जनता से अंशदान के माध्यम से किस प्रकार अधिक संसाधन जुटा पायेंगी? जनता के पास जाने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि वित्तीय संस्थानों अथवा दलालों अथवा बैंकों को जनता के धन का बीमा करना पड़ेगा। जब तक कम्पनी जनता के धन, का, जिसके लिए वह जनता के पास जाती है, बीमा नहीं करती, वह जनता के पास जा ही नहीं सकती।

[हिन्दी]

यह तो ऐसी बात है कि पुजारी ही परमीशन नहीं देता, भगवान तो देता है, लेकिन पुजारी नहीं देता।

[अनुवाद]

जनता किसी भी कम्पनी को अंशदान करने को तैयार है बशर्ते कि परियोजना अच्छी हो और उद्यमी अच्छा हो। परन्तु जनता के पास जाने के लिए एक शर्त यह है कि बीमा करने वाले इक्विटी

[श्री सी० माधव रेड्डी]

पूंजी का बीमा नहीं करेंगे। वस्तुतः छोटी कंपनियों, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र और मध्यम क्षेत्र में जनता का योगदान लगभग नगण्य है। आप किसी अंशदान की आशा नहीं कर सकते क्योंकि आप को जनता के पास जाने की अनुमति नहीं है। एक अन्य मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि ऋण गारंटी निगम ने ऋण गारंटी योजना की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने अपनी योजना में फेर बदल किया है। मैं यह मामला इसलिए उठा रहा हूं कि लघु क्षेत्र में ऋण गारंटी का औद्योगिक विकास से सीधा सम्बन्ध है और औद्योगिक विकास बैंक लघु क्षेत्र को दिये गये सभी ऋणों का पुनः वित्तपोषण कर रहा है। अब उन्होंने एक शर्त रखी है कि यदि ऋण गारंटी प्रणाली कार्य नहीं कर रही है, यदि राज्य वित्तीय संस्थान अथवा राज्य वित्तीय निगम ऋण गारंटी प्रणाली के अन्तर्गत गारंटी व्यवस्था का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो पुन: वित्त पोषण की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसी शर्त क्यों रखी गई है। लघु क्षेत्र का पुनः वित्त पोषण करना और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनः वित्त पोषण प्राप्त करना राज्य वित्तीय निगमों का मुख्य कार्य है। इस व्यवस्था को समुचित रूप से बनाये रखा जाना चाहिये। परंतु क्योंकि आजकल ऐसे वित्तीय निगम परिवर्तित ऋण गारंटी योजना को नहीं अपना रहे हैं, वे कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे पुनः वित्तपोषण प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि यदि आप ऋण गारंटी प्रणालीं के नियंत्रण में आते हैं, तो पुनः वित्तपोषण उपलब्ध है। क्या कारण है कि ये वित्तीय संस्थान राज्य स्तर पर नई ऋण गारंटी प्रणाली को नहीं अपना रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कोई पन्द्रह वर्ष पहले जब देश में ऋण गारंटी प्रणाली लागू की गई थी ऋण गारंटी शुल्क नाममात्र ही था। यह एक प्रतिशत का दसवां हिस्सा था। यही नाममात्र शुल्क था। आज कल वह बढ़कर एक प्रतिशत हो गया। इस ऋण गारंटी के कारण लघु उद्योगपतियों को ब्याज के अतिरिक्त एक प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

पहले हमने सोचा था कि वित्तीय संस्थान इसका भुगतान करेंगी। परंतु आज उसका भार उद्यमियों पर डाला जा रहा है। इसी वजह से लघु उद्योगपतियों का ऋण मध्यम उद्योगों के ऋण की तुलना में महंगा पड़ता है क्योंकि मध्यम उद्योगपति ऋण गारंटी प्रणाली के अन्तर्गत नही आते हैं।

मैं यह कहते हुए इस बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि कोई लघु उद्योगपति गैर-पिछड़े क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसे 14 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा जिसमें एक प्रतिशत गारंटी कमीशन शामिल है। इसी के लिए मध्यम उद्योगपति को $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। आप कृपया हिसाब लगाइये और मुझे बताइये कि क्या मैंने गलत बताया है। लघु उद्योगपति को वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के लिए मध्यम उद्योगपति की तुलना में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अतः आप इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि सभी राज्य वित्तीय निगमों को ऋण गारंटी प्रणाली अवश्य अपनानी चाहिए? जो निगम चाहे, वह अपना सकता है। परन्तु ऐसे अच्छे निगम, जिनका कार्य निष्पादन अच्छा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हैं, जो इसे अपनाना नहीं चाहते, आप उन पर क्यों जोर डालेंगे? आप क्यों कहते हैं कि आपको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ओर से पुनः वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है। यह गलत बात है।

तीसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं, वह उस विशेष निधि के सम्बन्ध में है जिसे आपने नये

बजट के अधीन बनाया है अथवा जिसके बनाये जाने की सम्भावना है जिसका संचालन लघु क्षेत्र का विकास करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाने वाला है। मैं नहीं जानता कि इस निधि का उपयोग किस काम में आयेगा। यह केवल बजट घोषणा है कि एक विशेष निधि बनाई जा रही है जिसका संचालन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस निधि की राशि कितनी है जिसके संबंध में इतनी चर्चा चल रही है कि इससे लघु क्षेत्र को मदद मिलेगी। आज की आवश्यकता क्या है ताकि हम इस निधि का उपयोग इस विशेष प्रयोजन के लिए करने की कोशिश कर सकें।

आज लघु क्षेत्र को, कुछ अड़चनों के साथ, राज्य वित्तीय निगमों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तपोषण के रूप में धनराशि मिल रही है। वे बैंकों से कार्य पूंजी की राशि जैसी ऋण संबंधी आवश्यकताएं प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें केवल सामान्य ऋण देने के लिए किसी विशेष निधि की आवश्यकता नहीं है। आज देश में लघु उद्योग को केवल एक ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वह यह है कि यदि वह रुग्ण हो जाता है तो उसकी प्रभावी ढंग से सहायता करने वाला कोई संस्थान नहीं है। मुख्य और मध्यम उद्योगों के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। मध्यम और मुख्य उद्योग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। यदि उद्योग को और धनराशि की आवश्यकता होती है, तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक उनकी सहायता करने की स्थिति में है। परन्तु लघु उद्योगों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

देश में लगभग एक लाख लघु एकक हैं, जो आज रुग्ण हैं। यह स्वयं मंत्रालय की रिपोर्ट है। अब उनकी सहायता कौन करता है? क्या इस राशि का उपयोग उन लघु एककों का पुनर्वास करने के लिए किया जायेगा, जो रुग्ण हो गये हैं। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी निधि होगी। इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि कौन सा अभिकरण गठित किया जायेगा और इस निधि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा।

4.00 म० प०

महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक विकास मंत्रालय विशेषकर तकनीक विकास महानिदेशालय के बीच समन्वयन का अभाव है। यह बात हाल ही में अनेक मामलों में प्रकाश में आई है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक विकास मंत्रालय के निर्देश पर नहीं चल रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास क्षमताओं का पता लगाने का अपना मानदंड है। मान लीजिए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक महसूस करता है कि किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक हो गई है, तो वे वित्त पोषण करना केवल इस छोटे से कारण पर कर देते हैं कि वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस क्षेत्र में उत्पादन बहुत अधिक हो गया है। मैं इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हाल ही में जारी किये गये अनेक नियामक परिपत्रों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, परन्तु मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कई मामले हैं जहां तकनीक महानिदेशालय ने एक दृष्टिकोण अपनाया और पंजीकरण पत्र दिया गया लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक अन्य दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बहुत अधिक हो गई है और इसलिए वे

[श्री सी० माधव रेड्डी]

इस क्षेत्र के लिए पुन: वित्तपोषण नहीं करेंगे। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही वित्तीय संस्था, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक केन्द्रीय सरकार की नीति के विरुद्ध क्यों चले और वह भी किसी अन्य मंत्रालय के अधीन। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बोर्ड में आप तकनीकी विकास महा-निदेशक को क्यों नहीं रखते ? मैं जानता हूं कि सचिव (उद्योग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बोर्ड में हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ये सचिव इतने व्यस्त होते है कि ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाते तथा उनकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिये जाते हैं जिनके बारे में उन्हें तब पता चलता है जब कि उद्यमियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से धन न मिल पाने के कारण परेशान हुए चार-पांच महीने हो जाते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय होना चाहिये। उद्योग विभाग की सलाहकार समिति में हमें ऐसे कई मामले बताये गये जिनमें इन दोनों में परस्पर समन्वय का अभाव था जिसके कारण उद्यमियों को काफी परेशानी हुई।

महोदय, मैं एक ही स्थान से ऋण देने की योजना का स्वागत करता हूं। विचार बहुत अच्छा है। आज ऋण आवेदनों पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा किसी अन्य अन्तर्गत एजेंसी जैसी विभिन्न एजेन्सियों के बीच परस्पर समन्वय के आधार पर स्वीकृति दी जा रही है। उनकी संस्थागत समिति की बैठकें होती हैं और उसमें इस बारे में विचार किया जाता है। यदि इस समन्वय के बावजूद भी ऐसा होता है तो समन्वय के अभाव की संभावना है। इन सब संस्थाओं के मध्य परस्पर सहयोग का अभाव है। अब यह उपबंध शामिल किया गया जिसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे इसकी प्रसन्नता है तथा मैं विधेयक की इस धारा का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि एक ही स्थान से ऋण देने की योजना को तत्काल लागू करने के लिए और औद्योगिक वित्त के लिए आवेदनों की स्वीकृति में विलम्ब न होने देने के लिए कुछ अनुदेश दिये जाने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से बिना किसी अड़चन के ऋण प्राप्त होना चाहिये।

4.04 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पूरे विश्व में सबसे आगे है और यदि इसके सभी कार्यकलापों को देखा जाय, तो यह दूसरे नम्बर पर आता है। प्रथम स्थान पर कोरियन विकास बैंक आता है।

बैंक ने हमारे औद्योगिक ढांचे की विविधता और विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसका कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत है जिसमें काफी संचालकीय उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

यह एक शीर्षस्थ बैंक है जिसका कार्य राज्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करना है तथा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संगठनों को

प्रोत्साहन देना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है चाहे वे संगठन वस्तुओं के निर्माण कार्य में लगे हों या उनके प्रोसेसिंग कार्य में लगे हों अथवा विद्युत के उत्पादन और वितरण में ही क्यों न लगे हों। जहां तक औद्योगिक संगठनों से जमानत लेने के ढंग और स्वरूप का सम्बन्ध है इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और न ही एक औद्योगिक संगठन की सहायता के लिए या उसकी क्षमता के बारे में कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा है। इस प्रकार अपने कार्य-संचालन में यह काफी स्वविवेक से काम लेता है।

इस संशोधनकारी विधेयक में औद्योगिक संगठन की परिभाषा का विस्तार किया गया है ताकि बैंक ऊर्जा के भण्डारण खानों का विकास, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा में जैसे कतिपय क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके संशोधन में शामिल की गई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार इलेक्ट्रोनिक्स और अनुसंधान तथा विकास है। औद्योगिक विकास में इन सभी गतिविधियों का बहुत महत्व है। यह वास्तव में इन महत्वपूर्ण गतिविधियों में आई एक क्रांति है। जो हमारे देश में आई द्वितीय औद्योगिक क्रान्ति के लिए जिम्मेवार है। इस संबंध में इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर कहना संभव नहीं है।

इस संशोधन के फलस्वरूप पट्टा प्रथा उप-पट्टा कारोबार करने वाली कम्पनियों को भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है, जिस पर श्री रेड्डी ने आपत्ति उठाई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पट्टा कारोबार बहुत बढ़ गया है। वास्तव में तीन वर्ष पहले देश में ऐसा व्यापार नहीं होता था। इस प्रकार का व्यापार करने वाली कंपनियों की संख्या अब लगभग एक सो है। कुछ बैंक भी इस व्यवसाय में सम्मिलित होने को तत्पर हैं। कम से कम दो बैंक-केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों की स्थापना करने की योजना की खबर मिली है तथा अन्य बैंक इस उद्देश्य के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं। वित्तीय कठिनाइयों तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र में अपेक्षित भारी पूंजी निवेश को ध्यान में रखते हुये इस व्यवसाय के बढ़ने के अच्छे आसार हैं।

अन्ततः यह एक बहु प्रयोजन किस्म का संशोधन है जिसके अन्तर्गत सरकार बैंक की गतिविधियों में किसी भी उचित समझी जाने वाली गतिविधि को शामिल कर सकती है। यह एक बहु-प्रयोजन प्रावधान है। जिसे काश सरकार से न जोड़ा होता।

इस संशोधन द्वारा बैंक के व्यवसाय में आशातीत वृद्धि होने से तथा बैंक की जिम्मेवारी बढ़ जाने से यह स्वाभाविक हो गया है कि हमें पूंजी के स्रोतों को बढ़ाना चाहिये। इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया जाय। इस सीमा को यदि उचित समझा गया, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

बैंक के विकासशील कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान हैं, क्योंकि इन्हें अन्य आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं की तरह सरकार की गारंटी पर या ऐसी गारन्टी के बिना अपने बान्ड तथा डिबेन्चर बेच कर तथा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों पर

[श्री वाई० एस० महाजन]

जनता से जमा राशि स्वीकार करके बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से रिजर्व बैंक से या अन्य किसी बैंक या किसी विदेश में वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकता है।

प्रस्तावित संशोधन के साथ-साथ बैंक को बिना किसी कठिनाई के अपने बढ़ते हुये दायित्व को निभाने में समर्थ होना चाहिए।

इस विधेयक में मूल अधिनियम की धारा में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। ताकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रोत्साहनवर्धक तथा विकासशील कार्यकलापों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सके। प्रस्तावित संशोधन से बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों को भी ऋण तथा अग्रिम धन दे सकेगा; किसी औद्योगिक कारोबार में निवेश करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को ऋण तथा अग्रिम धन की स्वीकृत दे सकेगा और तीसरे साख पत्र जारी कर सकेगा, उनकी पुष्टि तथा पृष्ठांकन कर सकेगा और उसके अन्तर्गत बिलों तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर धनराशि वसूल कर सकेगा।

इन परिवर्तनों से इसके कार्यकरण में एक महत्वपूर्ण सुधार आयेगा। संशोधन में यह भी स्पष्ट है, जिसमें बैंक पहले ही ग्रस्त हो, कि यह केवल देश में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी परामर्श दे सकेगा तथा वाणिज्यिक बैंक सेवाएं प्रदान कर सकेगा। इससे इसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार होता है।

इन परिवर्तनों से बैंक की स्थिति मुख्य वित्तीय एजेंसी के रूप में सुदृढ़ हो जायेगी तथा इससे यह अपनी भूमिका प्रभावपूर्ण ढंग से निभा पायेगा।

अन्त में, भारतीय उद्योग के विकास में बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से यह देश के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक रहा है। पिछले क्षेत्रों में विशेष रूप से उद्योग रहित क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को सहायता वर्ष प्रति वर्ष बढ़ी है। इसने इन क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने, प्रशिक्षण देने, तथा सहायता देने के लिए और वहां तकनीकी व परामर्शी सेवाएं शुरू करने के लिए राज्य स्तर की एजेंसियों के कार्य में सामन्जस्य स्थापित कर दिया है।

इससे लघु उद्योग क्षेत्र को विशेष लाभ होगा क्योंकि बैंक के पुनर्वित्त कार्य संचालन से इसे भरपूर लाभ होगा। राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से कुल ऋण का 30 प्रतिशत लघु उद्योगों को जाता है। बीज पूंजी योजना को उदार बनाने, लघु औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा पुनरुद्धार के लिए पुनर्वित्त योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाने तथा छोटी से छोटी औद्योगिक इकाइयों को उनकी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता समेत एक लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने के बैंक के हाल ही के निर्णय के फलस्वरूप इन इकाइयों की प्रगति अवश्यम्भावी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मेरे ख्याल से इस बिल में जितने अमेन्डमेन्ट्स हुए हैं वह सारे इण्डस्ट्री की ग्रोथ को ध्यान में रखकर हुए हैं और इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है।

मुझे दो-तीन बातें ही कहनी हैं। आपने इसका अथराइज्ड कैपिटल बढ़ा दिया है, 500 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ दिया है तथा 2,000 करोड़ तक का प्राविजन कर दिया है। जिस कदर मुल्क में इण्डस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं उसमें मैं कहूंगा कि यह 2,000 करोड़ भी कम है। इसको ज्यादा होना चाहिए, चार-पांच हजार करोड़ एक होना चाहिए। मुझे इस बारे में दो-तीन बातें ही कहनी हैं। आपने इसकी फंक्शनिंग का स्कोप बढ़ा दिया है। पहले आई० डी० बी० आई० इण्डस्ट्री को लोन दिया करती थी, पहली बार आपने सर्विस इण्डस्ट्री को भी इण्डस्ट्री माना है और अब अस्पताल को, कंसल्टेंसी को और इस तरह की कई चीजें हैं जिनको भी अब आप इसके मातहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि अभी भी अपने देश में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसे यह पता नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस—चाहे स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या आई० डी०बी० आई० हो— उनसे लोन किस तरह से मिलता है, इण्डस्ट्री किस तरह से सेटअप होती है या सर्विस इण्डस्ट्री और यह कन्सल्टेंसी किस तरह से सेट-अप की जा सकती है और उसमें सरकार क्या मदद कर सकती है। बहुत से लोग ज्ञान के अभाव में इंडस्ट्री या कन्सलटेंसी या सर्विस इन्डस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप अखबारों में लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन का विज्ञापन देते हैं, यूनिट ट्रस्ट का विज्ञापन देते हैं, मेरा अनुरोध होगा कि आई०डी०बी०आई० या स्टेट फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स का इसी तरह से विज्ञापन दिया जाए, ताकि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग या डाक्टरी की डिग्री लेने के बाद जान सके कि वह कोई इंडस्ट्री या कंसलटेंसी किस प्रकार सेटअप कर पाएगा। इसके बाद कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि सारी सुविधाएं उसको एक ही जगह पर मिल जायें।

मैं किसी राज्य विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि कोई आदमी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन के पास जाता है, तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि हमारी पत्ती कितनी होगी, हमारा शेयर कितना होगा। आप थोड़ा समझिए, मैं बात को ज्यादा खोल कर नहीं कहना चाहता हूं। वह आदमी कहता है— भाई अभी तक प्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, अभी इंडस्ट्री ही नहीं बैठी है, मैं आपको शेयर कहां से दूं। व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए, ताकि यह भ्रष्टाचार खत्म हो, जिसकी वजह से आदमी तंग आ चुके हैं।

दूसरी बात यह कि आपने लीजिंग बिजनैस के लिए भी प्रयोजन किया है। मीडियम स्माल स्केल इंडस्ट्री को भी फाइनेन्स करने का प्रोवीजन किया है। आप रोजाना अखबारों में देखते हैं कि दो-चार लीजिंग कंपनियां रोजाना खुल रही हैं। लीजिंग या रि-लीजिंग दोनों ही आकर्षक व्यापार बन गई

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

है। मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि लीजिंग कंपनियों को फाइनेन्स करना चाहते हैं, तो बड़े सोच-समझकर कीजिए। मैंने पता लगाया है कि कई लीजिंग कंपनियां हेरा-फेरी में संलग्न है। लीजिंग अच्छी चीज है, लेकिन एक साथ लीजिंग का इतना बड़ा बूम आ गया है, जो पहले नहीं था। ऐसा लगता है कि पहले किसी को अन्दाजा नहीं था। जैसे विडियो का बूम आया था। इसलिए लीजिंग कंपनियों को जो आप फाइनेन्स करें, वह सोच समझ कर करें।

अन्त में, मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारा सारा उद्देश्य जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। अभी भी हमारे देश में अनेक ऐसे जिले हैं,जो नो इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं। जहां पर कोई उद्योग है ही नहीं। जहां उद्योगों की बहुत बड़ी गुंजाइश है, वहां लोग किन्हीं कारणों को वजह से उद्योग लगाने की हिम्मत नहीं करते हैं। हो सकता है, वहां बड़ी रेल लाइन न हो, बिजली नहीं हो, वह क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता हो, सूखा पीड़ित क्षेत्र हो, पानी का इन्तजाम न हो। अपना देश तो पिछड़ा हुआ देश है ही, लेकिन इस पिछड़े हुए देश में भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, रिजनल इम्बैलेंस है, जहां पर लोग लाचार होकर रोजी-रोटी की तलाश में दूसरी जगहों पर जाते हैं और बन्धुआ मजदूर की जिन्दगी बिताते हैं। नो-इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट चाहे देश के किसी भी भाग में हो, मेरा आपसे निवेदन होगा आई० डी० बी० आई०, स्टेट फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन को आप बाध्य करें कि वे ज्यादा से ज्यादा धन नो-इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट में लगाएं, जिससे पुअरेस्ट-आफ-दि-पुअर को फायदा हो। ऐसे लोगों को फायदा हो। जो यह सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें गरीबी मे पैदा किया है और हम गरीब भी मर जाएंगे। वे एक तरह से गुलामी की जिन्दगी जी रहे हैं। पहली बार राजीव गांधी जी के नेतृत्व में लोगों में उत्साह बढ़ा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस देश के नेतृत्व के हाथ तभी मजबूत होंगे, यदि आप पिछड़े इलाकों में आई०डी०बी०आई० और स्टेट फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन को नए-नए उद्योग लगाने में मदद करेंगे।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : हमारे परम मित्र श्री महाजन ने यह आशा व्यक्त की है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारत में द्वितीय औद्योगिक क्रान्ति लाने में एक अहम भूमिका अदा करेगा लेकिन उसी समय वे आसानी से यह भूल जाते हैं कि प्रथम औद्योगिक क्रान्ति के बाद 70,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां या तो बन्द हो गई थीं या रुग्ण हो गई थीं तथा लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये। इसलिए ऐसी उच्च आशा अभिव्यक्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रुग्ण इकाइयों को तथा अन्य ऐसे उद्योगों को जिन्हें धन के अभाव का सामना करना पड़ रहा है, पुनः सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए।

देश के पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भागों विशेषत: पश्चिमी बंगाल में उद्योगों को आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ रहा है पिछले दो या तीन वर्षों में पटसन उद्योग लगभग पूरी तरह रुग्ण हो गया

है। इसके कई कारण हैं। लेकिन निस्संदेह न तो कच्चे पटसन की कमी है और न ही पटसन उद्योग क्षेत्र में साहस की कमी है। अभी तक यह सच है कि इन उद्योगों के पास आधुनिकीकरण के लिए धन का अभाव है इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग, चाय उद्योग तथा स्थापित किये जा रहे कुछ अन्य उद्योगों को भी धन उपलब्ध कराकर अहम भूमिका निभा सकता है।

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश के पश्चिमी भाग, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक पूंजी लगाई है। इसलिए यह प्रतीत होता है एक राज्य का पक्ष लेकर दूसरे के साथ भेदभाव किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अब 1,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जा रहा है और सरकारी अधिसूचना द्वारा इसको बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये तक किया जा सकता है। इस प्रकार आगामी वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अतः एक ओर इसको मित्र बनाने और दूसरी ओर दुश्मन बनाने की शक्ति भी बढ़ जायेगी। एक विशेष स्थान पर आर्थिक शक्ति के जमा होने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और इसके कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और अन्यत्र स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को इस ढंग से कार्य करना चाहिए कि क्षेत्रीय कार्यालय वहीं पर अपना निर्णय ले सकें। वे जहां ठीक समझें, उद्योगों को आर्थिक सहायता दे सकें। इन क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रेतर स्पष्टीकरण के लिए हमेशा मुख्यालय का मुंह नहीं ताकना चाहिए। यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसी ढंग से कार्य करता है जैसा कि वह इस समय करता है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के हाथों में अब जो सम्पूर्ण आर्थिक शक्ति केन्द्रित है वह देश के कुछ भागों में उद्योगों के हितों के विरुद्ध जा सकती है। इसलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस प्रकार से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए कि यह प्रत्येक भाग तथा देश के प्रत्येक उद्योग के साथ न्याय कर सके।

श्रीमन्, इस विधेयक में ऊर्जा क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसमें अथवा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा विद्युत का उत्पादन भंडारण तथा वितरण शामिल हैं, महत्वपूर्ण उपबन्ध किया गया है। मैं यह नहीं जानता कि क्या प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को उसका अपना हिस्सा मिलेगा। लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इन बोर्डों की ओर उचित ध्यान देना चाहिए और धन उपलब्ध करना चाहिए जिससे उन्हें धन की कठिनाइयों से छुटकारा मिल सके और वे देश के सभी भागों में विद्युत उत्पादन भंडारण तथा वितरण बढ़ा सके।

औद्योगिक नीति की परिभाषा को व्यापक बनाकर खानों का विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सम्बद्ध सेवाओं आदि इसके अन्तर्गत लाकर तथा इनमें दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिक्स को भी शामिल करके मूल अधिनियम में एक संशोधन के रूप में इस विधेयक में अनेक अच्छे प्रस्ताव हैं। इससे देश के विभिन्न भागों में इन उद्योगों के प्रसार में सहायता मिलेगी बशर्ते कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ऐसा करना चाहें। यदि बैंक इस व्यवस्था के अन्तर्गत ठीक प्रकार से कार्य कर सकें, यदि इन उद्योगों,

[श्री रेणुपद दास]

विशेष रूप से दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिक्स की ओर उचित ध्यान दिया जाता है, तो राज्य विद्युत बोर्डों या खान या इलेक्ट्रोनिक्स, जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं और जिनके पास पूंजी की कमी है, के इस क्षेत्र का भी अन्य क्षेत्रों की तरह और प्रसार हो सकता है। अतः इन उद्योगों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे बैंक से धन दिये जाने की आवश्यकता है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उन उद्योगों की सहायता करनी चाहिए जो जनता से निधि नहीं लेते हैं अथवा जिन्हें जनता से आसानी से निधि उपलब्ध नहीं होती है। अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्य कार्य इन उद्योगों की ओर ध्यान देना होना चाहिए।

श्रीमन्, मैं प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं। उद्योगों के विकास के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता होगी। इसका दूसरा उद्देश्य कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है और जब तक प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि नहीं की जाती है तब तक इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करनी चाहिए। इसलिए इन सभी उपबन्धों का स्वागत है।

इस बैंक को इस तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे कि यह देश के सभी भागों में सभी उद्योगों के लिए सहायक हो सके। मैं मन्त्री महोदय को यह याद दिलाना चाहूंगा कि हमें उन सभी बातों को भूल जाना चाहिए जो इस बैंक द्वारा इस बीच में की गई हैं। इस बैंक को कार्य करना चाहिए और इसे देश के सभी भागों विशेष रूप से देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर भागों में धन का समान रूप से वितरण करना चाहिए।

इस शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1985 पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस विधेयक का पूर्णतः स्वागत करती हूं और इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करती हूं। सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से देश भर में औद्योगिक विकास में सहायता कर रही है। हमने औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है और औद्योगिक प्रगति में विश्व में हमारा आठवां स्थान है। मैं इसके लिए माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देती हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इस देश में हरित क्रांति लाने में किसानों की सहायता कर रहा है।

मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2 के उपखंड (तीन) के स्थान पर "खनन जिसके अन्तर्गत खानों का विकास भी है" प्रतिस्थापित

*मूलतः कन्नड़ में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किया गया है। हमारे देश में मैंगनीज, तांबा, चांदी, लौह अयस्क आदि के भारी भंडार हैं। कर्नाटक में स्वर्ण, मैंगनीज, लौह अयस्क, चूना-पत्थर आदि प्रचुर मात्रा में मिलता है। इन अयस्कों को निकाला जाना है और उनका अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाना है। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं और हमारी सरकार इस संशोधन द्वारा इस प्रकार के कार्यों में सहायता करने के लिए आगे आ रही है।

ऊर्जा का उत्पादन भंडारण तथा वितरण उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने इस सभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कहा है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में यदि निजी क्षेत्र भी आगे आना चाहता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगी कि वह इस प्रकार के उन क्षेत्रों को सभी सहायता उपलब्ध करें जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसे अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि देश भर में बिजली की कमी है।

इस विधेयक का अन्य रुचिकर पहलू यह है कि मूल अधिनियम की धारा 4 में प्राधिकृत पूंजी को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि केन्द्रीय सरकार ठीक समझती है, तो वह इसे बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर सकती है। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देती हूं।

उज्ज्वल भविष्य वाली 21वीं सदी में प्रवेश के समय हमें देश में उपलब्ध सभी कच्चे माल का उपयोग करने के योग्य हो जाना चाहिए। सरकार ने इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाये हैं और वह तीव्र गति से औद्योगीकरण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। लेकिन एक बड़ी धनराशि वसूल नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

कुछ उद्यमी ऋण ले लेते हैं और बाद में उसकी अदायगी नहीं करते हैं। वही व्यक्ति फिर ऋण लेना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिए और ऋण वसूल करने के लिए सरकार द्वारा सभी उपाय किए जाने चाहिए।

बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे महानगरों में बहुत सी कम्पनियां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता ले रही हैं। लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की उदार सहायतार्थ कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी पहुंचनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कर्नाटक के साथ कुछ अन्याय किया गया है। अतः मेरा सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि वह यह देखे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उस कर्नाटक को भी, जहां आजकल भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करे, इस प्रकार के क्षेत्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए।

माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के मध्य समन्वय की कमी का उल्लेख कर रहे थे। योजना आयोग पांच वर्षों की अवधि के लिए देश के लिए उर्वरकों, सीमेंट आदि की अपेक्षित मात्रा निर्धारित करता है। फिर लाइसेंस जारी किये जाते हैं। जब उद्यमी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जाते हैं, तो वह उनके अनुरोधों को इस तर्क पर अस्वीकार कर देता है

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

कि उत्पादन में वृद्धि हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्यमियों को उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

उद्योग मंत्रालय लाइसेंस जारी करता है लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। विभागों के बीच समन्वय नहीं है और इससे देश भर में परियोजनाएं स्थापित करने में बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं। अतः मूल विभाग और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बीच उचित समन्वय होना चाहिए।

कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश दोनों में केवल एक-एक जिले को ही उद्योग रहित जिला घोषित किया गया है। कुछ राज्यों में 13 से 14 जिले उद्योगरहित जिले घोषित किए गए हैं। कर्नाटक में ऐसे बहुत से जिले हैं जिनमें कोई उद्योग नहीं हैं लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां केवल एक जिले को ही उद्योगरहित जिला घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों और उद्योग मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उन्होंने केन्द्र को यह सुझाव दिया है कि उद्योग जिला घोषित करते समय वह प्रत्येक ब्लाक को एक यूनिट के रूप में मानने पर विचार करें। मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि उद्योग रहित जिला घोषित करते समय सरकार को राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले कच्चे माल की उपलब्धता पर भी विचार करना चाहिए।

वर्ष 1986-87 के बजट में सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रावधान की घोषणा की है। यह सराहनीय है और मैं इसका स्वागत करती हूं। कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा तालुका स्तर पर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। तभी तीव्र गति से औद्योगीकरण हो सकता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी समाप्त होगी।

आजकल कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। रुपये की विनिमय दर बदलती रहती है। अतः बैंकों को कम से कम अवधि के भीतर वित्तीय सहायता देनी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बैंकों को पुनः पूर्ति करने में असाधारण विलम्ब करता है। मूल्यांकन के स्तर पर भी अत्यधिक विलम्ब होता है। अतः सभी स्तरों पर इस प्रकार के विलम्बों से बचने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए।

एक उद्योग के रुग्ण होने के भी बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कुप्रबन्ध या धन की कमी या श्रमिक समस्याओं के कारण रुग्ण हो सकता है। इन कारणों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और फिर रुग्ण उद्योगों को पुनः स्थापित तथा पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। यह देखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि इस प्रकार पुनर्जीवित उद्योग फिर कभी रुग्ण न हों। विपणन और निर्यात के उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

मैं यह भी विश्वास करती हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मेरे कर्नाटक राज्य के तेजी से औद्योगीकरण के लिए अधिक से अधिक सहायता देगा।

श्रीमन्, आपने मुझे बोलने के लिए जो यह अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के उपबन्धों में कोई व्यक्ति कमियां नहीं निकाल सकता है। किन्तु महोदय यह धनराशि प्राप्त होने के बाद और अधिक कार्यों के लिए बैंक की पूंजी बढ़ाने के बाद आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि क्या विकसित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। अथवा अल्प विकसित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इन बैंकों द्वारा जो धनराशि जारी की गई है, उसका लेखाजोखा वास्तव में आपके बजट में नहीं लिया गया है। मुद्रास्फीति घाटे की अर्थव्यवस्था से नहीं होती है, मुद्रास्फीति इन बैंकों द्वारा जारी की गई धनराशि के कारण होती है और जिसे बहुत छोटे क्षेत्रों में लगाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे धनराशि देते हैं, लोग इस धन से माल तैयार करते हैं और उनका लाभांश कम से कम 20 प्रतिशत होता है और मूल्य बढ़ जाते हैं। लाभ उससे कम नहीं होता है, यह उससे अधिक ही होता है। वे धनराशि देते हैं किन्तु वे यह कभी नहीं देखते कि किन लोगों को इसका वास्तव में लाभ मिल रहा है। आखिर यह लोगों का ही तो पैसा है। यह किसी का अपना पैसा नहीं है। इस पैसे का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। जब आप उन उद्योगों का वित्त पोषण करते हैं तो आपको उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारित करने चाहिए। आप उन्हें चार प्रतिशत अथवा पांच प्रतिशत से अधिक की अनुमति क्यों देते हो? आप उन्हें इस बात की अनुमति क्यों देते हो कि अपने कर्मचारी किसी विशेष क्षेत्र से ही लें? आप इस लाभ को सब में क्यों नहीं बांटते? क्या वे राष्ट्रीय संस्थाएं हैं अथवा किसी विशेष क्षेत्र अथवा किसी विशेष शहर अथवा किसी विकसित शहर की संस्थाएं हैं? इसलिए इन बातों को देखने की जरूरत है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बड़े किसानों को धन दे रहा है, इस प्रकार बड़े किसानों को अबाध धनराशि देने के कारण गरीब किसान, छोटे किसान और सीमांत किसान घबराहट में बिक्री कर देता है ताकि वह बीज और उर्वरक खरीद सके। इसी तरह लघु उद्योग बड़े उद्योग द्वारा पिस रहा है। अतः आपको स्पष्ट रूप से इन सभी बातों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। धनराशि मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए दी जानी चाहिए न कि किसी भी वस्तु तथा हर वस्तु के उत्पादन के लिए। जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है, उनके उत्पादन के लिए बड़े उद्योगों विशेष रूप से उन उद्योगों को जिनका इन बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हममें से जो ग्रामीण क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से, पर्वतीय क्षेत्रों से आये हैं, वे यह जानते हैं कि इस तरह के विकास से हमारे लोगों को कठिनाई हो रही है। वस्तुओं के दाम दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं। पर्वतीय लोगों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, वे बाजार में नहीं आती हैं, वे बिक्री केन्द्रों तक नहीं आ पाती हैं। यदि आप वास्तव में उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं तो आपको उनका संतुलित विकास करना होगा। आप पर्वतीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों, जो देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विद्यमान

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

हैं, के बारे में क्या कर रहे हैं ? इस देश पर जब कोई कठिनाई या कोई विपत्ति आती है तो पर्वतीय लोग ही उसका मुकाबला करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक अच्छा उपाय है बशर्ते कि धनराशि का उचित ढंग से इस्तेमाल हो और इसका उपयोग सारे देश में एक समान विकास के लिए हो। भारत का प्रत्येक भाग इन सभी बातों का लाभ प्राप्त करने का हकदार है न कि केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रहने वाले लोग इसके हकदार हैं। आप उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं जो बड़े शहरों में रहने वाले इन लोगों की तरह ही अच्छे नागरिक हैं ? इसलिए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि इस धनराशि का इस तरह से इस्तेमाल हो कि सारे देश का समान विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० एस० राव (मछलीपत्तनम) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस देश में वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित बैंकों के द्वारा विशेष रूप से सीधे बड़े उद्योग क्षेत्र की और लघु उद्योग क्षेत्र की अच्छी सेवा कर रहा है। आठ हजार करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है और 5200 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। अब भारत की संचित निधि से पुन: पूंजी बढ़ाना सही नहीं होगा क्योंकि बैंकिंग संस्थायें अपने ही कारोबार से धन इकट्ठा करने की स्थिति मे हैं। इसलिये इस धन को भारत सरकार से अथवा बजट से लेना ठीक नहीं है। महोदय, हम जानते हैं कि बैंक जब पहले निजी व्यक्तियों के हाथों में थे, तो वे अपार धन कमाते थे। किन्तु इन सभी लाभों को आम आदमी तक पहुंचाने के इस पावन उद्देश्य और कुछेक लोगों के पास जमा धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हमने इन सभी बैंक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया है किन्तु इसके साथ-साथ कार्यक्षमता और सम्पत्ति की उत्पत्ति सुरक्षित रखी जानी चाहिये। यह सच है कि पिछले वर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भारत सरकार को लाभ के रूप में 32 करोड़ रुपये दिये गये थे। किन्तु 415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का यह केवल आठ प्रतिशत ही है। ऋण लेने वालों पर उचित निगरानी और संभावित अंकुश रख कर मै आशा करता हूं कि वे केवल अपने आंतरिक संसाधन से ही और ज्यादा धन जुटाने में समर्थ होंगे और इससे भारत की संचित निधि में से और अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलापों के बढ़ते हुए क्षेत्र को समर्थन करता हूं। मेरी यह भी राय है कि पट्टा और उप-पट्टा तथा किराया खरीद को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋण देने के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों कर रियायतों के द्वारा पहले से ही काफी रियायतें दी जाती हैं जिससे अनेक लोग कर रियायतों का फायदा उठाकर उस क्षेत्र में धन निवेश करने के लिये तैयार हैं। अत: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उस धन को निवेश करने की आवश्यकता है जो कुछ अन्य उत्पादनोन्मुख उद्योगों में निवेश किया जा सकता है। अब मैं पृष्ठ 3 पर खण्ड 7 (घ ग) की ओर आता हूं जिसमें यह कहा गया है :

> "किसी औद्योगिक समुत्थान में निवेश विनिधान के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति को उधार और अग्रिम धन अनुदत्त करना···"

उसका मतलब यह है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उन सभी व्यक्तियों को ऋण देने के लिए तैयार है जो उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, यह सही नहीं होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का यह लक्ष्य नहीं है और इसलिए ऐसा करने से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लक्ष्य ही बदल जाएंगे। मैं मंत्री महोदय से पुन: अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को देखें कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लक्ष्यों से क्या प्रयोजन हल होने वाले हैं।

प्रो एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मैं समझता हूं स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए।

श्री० के० एस० राव : 'स्व-नियोजित व्यक्ति' नहीं लिखा हुआ है। और यदि यह ऐसा है भी तो यह ठीक है। व्यक्ति विशेष को ऋण देना व्यापार बन जायेगा और इससे उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

एक पहलू आवास का है जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया है। संसद में इस बात को बार-बार व्यक्त किया गया है कि आवास एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की काफी संभावनाएं बढ़ सकती हैं और यह भी महसूस किया गया है कि इस देश में आवास की भारी कमी है। अत: जब हम सब महसूस करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए आवास एक मूल आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को आवास के लिए ऋण देने से वह अपने लिये कम लागत पर मकान लेने में समर्थ हो सकेगा। इसलिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आवास को एक प्राथमिक क्षेत्र मानते हुए इस पर गहराई से विचार करना चाहिये।

एकाधिकार घरानों, विशेष रूप से वे बड़ी-बड़ी फर्में जो निवेश करने की स्थिति में हैं, को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण लेने हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अपने लिए ऋण या तो जनता से या अपने आन्तरिक उत्पादन से ही जुटाना चाहिये। इसलिये एकाधिकार घरानों को ऋण देने का प्रावधान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जाना चाहिये। उद्योग रहित क्षेत्रों में अथवा ऐसे क्षेत्रों में जहां भारत सरकार को नुकसान हो, में उद्योग आरम्भ करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना सही है। किन्तु उन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण देना ठीक नहीं है। ऋण देना कोई आसान नहीं है बल्कि इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए कि क्या धनराशि का बार-बार निवेश करने से धन के जमाव में वृद्धि हो रही है। यदि यह धन व्यर्थ पड़ा रहेगा तो इसके परिणाम बहुत असंतोषजनक होंगे। चूंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हजारों करोड़ रुपये निवेश कर रहा है इसलिए इसे अपने हित में तथा साथ ही राष्ट्र के हित में प्रभावकारी प्रबन्ध के लिए सक्षम लोगों को अपने-अपने व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु आगे आना चाहिए।

ऋण लेने के सम्बन्ध में उन सक्षम व्यक्तियों को वरीयता देनी चाहिए जिन्होंने अपना काफी समय किसी उद्योग में व्यतीत किया है, जिनके पास अपना कोई निजी उद्योग आरम्भ करने हेतु पर्याप्त जानकारी, दक्षता और योग्यताएं हों और जिनके पास इसके लिये धन नहीं है। उन्हें इसके लिये वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि हमें ऐसे कई लोगों की जानकारी है जिन्होंने अपना काफी समय उद्योग में लगाया है और फिर उद्योग से निकलकर उन्होंने अपना निजी उद्योग आरम्भ किया है जिसके द्वारा

[श्री के० एस० राव]

उन्होंने राष्ट्र के लिये करोड़ों रुपये की सम्पत्ति अर्जित की है। इसलिये उन्हें ऋण देने में वरीयता दी जानी चाहिए।

जो हजारों करोड़ों रुपये ऋण के रूप में दिया जा रहा है, उसमें से अच्छी खासी प्रतिशतता में धन रूग्ण उद्योगों में बन्द पड़ा हुआ है। अत: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उन उद्योगों के सम्बन्ध में जिनके रूग्ण होने की संभावना है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तात्कालिक कार्यवाही की जाये ताकि सरकार रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए हाल में पारित किये गये विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही करने में समर्थ हो सके।

पूंजी में संवर्द्धकों के शेयर के बारे में हमने कई बार देखा है कि कुछ संवर्द्धक इस दृष्टि से उद्योग में आ रहे हैं कि उद्योग में उत्पादन आरम्भ होने से पहले ही वे अपना धन वापिस कर देंगे। ऐसे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि किसी समय यह पाया जाये कि कोई विशेष उद्योगपति इस तरह का है तो उसे न तो अपने नाम पर और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसका वह इच्छुक हो, ऋण लेने हेतु प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये ताकि उद्योग में इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

धन का बार-बार निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल धन बढ़ता है बल्कि लाभ भी बढ़ता है। इस बात पर निगरानी रखी जानी चाहिये कि क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये गये धन को कई बार उपयोग में लाया जाता है और निवेश किया जाता है या केवल एक बार। धन का बार-बार निवेश करने से लाभ की महत्ता की उपयोगिता बढ़ेगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा धन समय पर उपलब्ध किया जाना चाहिए। यदि मूल्यों में वृद्धि के कारण अथवा कर या उत्पादन शुल्क के ढांचे में परिवर्तन के कारण उद्योग को घाटा हो रहा हो तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को चाहिए कि वह इन बातों को ध्यान में लाए और उन उद्योगपतियों को समय पर अपेक्षित अतिरिक्त धन उपलब्ध कराए ताकि उद्योग पुन: रुग्ण न होने पाए। इस पर लम्बा समय लगाने तथा इसे पुन: रुग्ण बनाने के बजाय उन्हें धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उद्योग को पुनर्जीवित करने के मामले में उसे समय पर तत्काल धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि इस संस्था द्वारा ये सभी उपाय किए गए हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारी प्रगति दर 4.5 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत ही नहीं होगी बल्कि इससे भी ज्यादा होगी। इन बैंकों को इस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाकर सामान्य बजट में उल्लिखित सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक करने में महान भूमिका निभानी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, सरकार तरकीब से कुछ अधिकार लेना चाहती है। पार्लियामेंट को इग्नोर करके इन्होंने इस बिल के जरिये अपनी पावर्स ले ली हैं। पुजारी जी को क्या कहा जाये। उन्होंने कह दिया कि हम तो आर्डर से इसको 500 से 1000 और 2 हजार से 3 हजार तक बढ़ा देंगे। अगर आप इसको बढ़ाना ही चाहते हैं तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो यह कहूंगा कि यह पार्लियामेंट के अधिकारों पर हमला है।

(व्यवधान)

आप चाहें तो रावत जी के एरिया को डेवलप कर सकते हैं या चाहें तो किसी भी एरिया में घूम सकते हैं। आप जल्दी-जल्दी इस ऐक्ट को पास करा रहे हैं। यह हिल एरिया वाले जब बोलने लगे तो मुझे शक होने लगा कि पहाड़ों में पैसा लगाकर क्या यह सिर फोड़ेंगे। (व्यवधान)

राजस्थान में वह सोना होता है, अगर आप केनाल के लिए पैसा दे देते हैं तो राजस्थान सारे हिन्दुस्तान को फीड कर सकता है। हिन्दुस्तान में 108 प्रोजेक्ट चलते थे। जिस प्रोजेक्ट में पहले 2460 रुपया लगता था उनपर आज 14 हजार करोड़ रुपया अधिक लग रहा है। यह गलती उन बैंक्स और इन्स्टीट्यूशन की है जो कि फाइनांस नहीं करते हैं।

ऐक्ट के अन्दर जो क्लाजिज हैं, उसमें आपने पार्लियामेंट को इग्नोर करके पावर्स ले ली हैं। पार्लियामेंट को यह बात बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। आई० डी० बी० आई० कहता है कि हम फाइनान्स कारपोरेशन को पैसा देते हैं। फाइनांस कारपोरेशन कितनी गड़बड़ करता है, यह कभी आपने जाना। मैं तो यह कहूंगा कि यह पैसा आई० डी० बी० आई० का नहीं है, बल्कि यह पैसा हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीबों का है।

आपका फाइनांस कारपोरेशन स्टेट की शक्ल देखकर पैसा देता है। उनसे अगर लोन लेना हो तो भगवान ही जानता है कि क्या-क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वहां पर बड़े-बड़े टेक्नीकल अफसर बैठे हैं। वह कहां के अफसर हैं ? चार दिन पढ़ाई की और बन कर आ गये टैक्नीकल अफसर। आपके जितने बड़े-बड़े अफसर हैं वह ऊपर से आदेश आने के बाद ही काम करते हैं। जैसे ही यू० पी० के चीफ मिनिस्टर का फोन आया कि रावत जी को लोन मिलना चाहिए तो तुरन्त लोन मिल जायेगा।

(व्यवधान)

आज पुजारी जी स्मगलिंग को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाते हैं, लेकिन आप पहले उन एक लाख से ज्यादा सिक इंडस्ट्रीज को देखिए जो कि 4 हजार करोड़ रुपया खा गई हैं। इनको देखने की किन की जिम्मेवारी है। मेरे ख्याल में कुल 95 हजार इंडस्ट्रीज हैं। अगर मैं एक लाख कह दूं तो गलत नहीं होगा। आज 1 लाख सिक इण्डस्ट्रीज हिन्दुस्तान में हैं जिनमें लगा हुआ 4 हजार करोड़ रुपया डूब गया है।

सभापति महोदय : डागा जी, आप बैठ जाइए, अब जल संसाधन मंत्री श्री शंकरानन्द जी एक स्टेटमेंट देंगे।

5.00 म० प०

रावी-व्यास जल अधिकरण विधेयक को वापस लेने के कारण दर्शाने वाला वक्तव्य

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : पंजाब व्यवस्थापन के ज्ञापन के पैराग्राफ 9 में सन्दर्भित मामलों के सत्यापन और अधिनिर्णयन के लिए एक अधिकरण के गठन की परिकल्पना की गई है। यह अधिकरण कतिपय अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से पहले गठित नहीं किया जा सका। चूंकि पंजाब व्यवस्थापन की सभी शर्तों को 26 जनवरी, 1986 से कार्यरूप देने की मंशा थी, अतः राष्ट्रपति ने रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 (1986 का 2) 24 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित कर दिया था ताकि पंजाब व्यवस्थापन के पैरा 9 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए रावी व्यास जल अधिकरण का गठन किया जा सके। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और वह उस सदन के पास लम्बित है।

2. इसी बीच, यह महसूस किया गया कि अन्तर्राज्यीय-जल विवाद, अधिनियम, 1956 (1956 का 33) में उपयुक्त संशोधन करके उसके उपबन्धों के अन्तर्गत एक अधिकरण का गठन करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इससे, उठाई जाने वाली किसी सम्भावित आपत्ति का खंडन किया जा सकता है कि एक अलग अधिनियम के अन्तर्गत अधिकरण का गठन करके इस मामले का विशेष प्रतिपादन किया गया है।

अतः यह प्रस्ताव है कि इस मामले के अधिनिर्णयन हेतु एक अधिकरण गठित करने के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करके इस आशय का प्रावधान कर दिया जाए तथा रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 को निरस्त कर दिया जाए और विधेयक को वापस ले लिया जाए।

5.02 म० प०

रावी-व्यास जल अधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषकों द्वारा रावी-ब्यास प्रणाली से, जैसी वह 1 जुलाई, 1985 को थी, दावा किये गये जल के प्रयोग की और उपभोग के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए जल की मात्रा के सत्यापन के लिए और उनके शेष जल में हिस्से की बाबत पंजाब और हरियाणा के दावे के न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषकों द्वारा रावी-ब्यास प्रणाली से, जैसी वह 1 जुलाई, 1985 को थी, दावा किए गए जल के प्रयोग की और उपभोग के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए जल की मात्रा के सत्यापन के लिए और उनके शेष जल में हिस्से की बाबत पंजाब और हरियाणा के दावे के न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

———

5.04 म० प०

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक (—जारी)

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : श्रीमन् मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहा था कि फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस के द्वारा जो लोन दिया जाता है उसको देने के जो तरीके हैं उन तरीकों में आप बतायेंगे कि भ्रष्टाचार है या नहीं। मैं तो समझता हूं आज वही लोग लोन ले सकते हैं जिनका नजराना देने का स्वभाव बन गया है। अगर कोई नजराना पेश नहीं करता तो उसको लोन नहीं मिलता है। कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वहां पर कोई ईमानदार इण्डस्ट्रियालिस्ट आकर कहे कि मुझे लोन की आवश्यकता है और उसको लोन मिल जाए। पुजारी जी कृपा करके वहां पर उत्तर देंगे तो बताएंगे जब कोई आदमी लोन लेने के वास्ते वहां पर इन्क्वायरी करने के लिए जाता है और फिर उनके सारे सवालात के जवाब भर का दे देता है फिर भी वे दूसरा आब्जेक्शन, फिर थर्ड आब्जेक्शन लगा कर उसको लौटा देते हैं जिससे वह आदमी दुखी हो जाता है। आपने "वन विन्डो सर्विस" के सम्बन्ध मे रिपोर्ट सदन में पेश की है।

वह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, उस रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि कितने लोगों ने लोन मांगा और कितने लोगों की दरख्वास्तें अभी तक तय नहीं हुई हैं। हमारी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें उसने कहा

[श्री मूल चन्द डागा]

है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री और कोटेज इन्डस्ट्री की हालत कब सुधरेगी। मैं चाहता हूं कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री अगर सिक हो जाएं, तो ऐसी सिक इन्डस्ट्री की एकाउन्टेबिलिटी आई०डी०बी० आई० की होनी चाहिए और फाइनेंशियल कारपोरेशन की होनी चाहिए, लेकिन वे लोग अपनी भूमिका ईमानदारी के साथ नहीं निभाते हैं। आप बराबर उनकी जांच करवाते हैं। जो आई० डी० बी० आई० के अन्दर डायरेक्टर हैं, उनमें हमारा प्रतिनिधि नहीं होता है और न ही किसी स्माल स्केल इन्डस्ट्री व काटेज इन्डस्ट्री का प्रतिनिधि होता है। संसद का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसलिए उसके अन्दर ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए, जो साधारण हों और देश के हितों की रक्षा कर सकें।

5.07 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आपने कहा कि मैडिकल मदद देंगे, एक्सटेंशन कर देंगे, एक्टिविटीज बढ़ाएंगे, तो एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि आई० डी० बी० आई० अपनी भूमिका इतनी स्वच्छ तरीके से निर्वहन करे, ताकि लोगों में एक साख जमे कि वास्तव में वे लोग निष्ठा से काम कर रहे हैं।

इतना कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आई० डी०बी० आई० 1964 से आज तक देश के मुख्य फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन के रूप में ऋण देने, कंसलटैंसी और मार्केटिंग में गाइडेंस देने का काम कर रहा है। उद्योग के क्षेत्र में जो कुछ भी काम आई० डी०बी०आई० ने किया है, उसका हम सब लोग समर्थन ही करेंगे।

आपने इस बिल के माध्यम से शेयर कैपिटल बढ़ाने और एरिया आफ आपरेशन एनलार्ज करने के लिए प्रोविजन किया है—उसका भी मैं समर्थन करता हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आई०डी०बी०आई०, फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स, विशेष तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स हैं, उनमें और अधिक कोआर्डिनेशन रखने, समन्वय रखने में मदद करनी चाहिए। विशेष तौर से जब आई०डी०बी०आई० खुद सामने होता है, तो लोगों के सामने कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब किसी बैंक के माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीचूशंस के माध्यम से ऋण देने का काम करता है, तो उसमें बहुधा यह देखने में आया है कि लोगों को समय पर मदद नहीं मिल पाती है। जो बैंक इत्यादि उनके माध्यम से काम करते हैं, वे उदासीनता बरतते हैं। बहुत से लोगों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे उनको इन्डस्ट्री लगाने में परेशानी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आई०डी०बी०आई० को न केवल अपने ऋण देने की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है, बल्कि जहां पर दूसरे माध्यमों के माध्यम से ऋण वितरित करती है, उस पर और अधिक कन्ट्रोल एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल में कहा गया है कि सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर दिया गया है, यह

बात केवल कहने की है, यदि इसको व्यवहारिक रूप में देखा जाए, तो इसको पालो नहीं किया जाता है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बात को देखें कि फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स लोगों को ऋण वितरित करने पर अधिक ध्यान दें। जो वसूली है, इसके मामले में भी आई०डी०बी०आई० का ज्यादा पैसा, बहुत बड़ा हिस्सा बड़े-बड़े उद्यमियों के पास फंसा हुआ है और वे लोग अलग-अलग नाम से, अलग अलग तरीके से डिफ्रेन्ट फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से समय-समय पर मदद लेते रहते हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि एक से अधिक फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से कोई व्यक्ति मदद न ले पाए। यदि मदद लेता है तो कम से कम एक प्रिंसपल फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन के रूप में आई० डी० बी० आई० को इस बात को देखना चाहिए कि अगर बहुत सारी एजेंसियां मदद करें, तो उनकी आड़ में लोग रुपया न लें और जो मुख्य उद्देश्य है और जिसके लिए वह ऋण लेता है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक शिकायत आई०डी०बी०आई० के विषय में राज्य वित्त मन्त्री जी से करना चाहूंगा और वह यह है कि आई० डी० बी० आई० ने समान रूप से डिफ्रेन्ट स्टेट्स में रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है। कुछ राज्यों को ही आई०डी० बी०आई० ने पैसा दिया है और ऋण सुविधाएं दी हैं और वही उसके विशेष कृपा पात्र हैं और लगातार उन्हीं एरियाज में, जहां पहले मदद की गई है, वहीं अब भी मदद करते जा रहे हैं। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि न केवल आई०डी०बी०आई० बल्कि दूसरी जो फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं जैसे आई० एफ०सी० आई० या आई०सी०आई०सी०आई०, इन्होंने उत्तर प्रदेश की बहुत कम मदद की है और उत्तर प्रदेश की तरह कुछ और राज्य भी हैं, जिन की मदद करने के मामले में यह वित्तीय संस्थाएं बहुत कम आगे आई हैं। आप वित्त मन्त्री हैं और वित्त मन्त्रालय का काम यह भी है कि वह यह देखें कि रीजनल इम्बैलेंस दूर हो और उसके लिए ये वित्तीय संस्थाएं बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं, बहुत बड़ा भाग अदा कर सकती है। इनके जरिये जो ऋण वितरित हो रहा है, वह समान रूप से वितरित हो रहा है और हर स्फेयर में वे ऋण दे रही हैं, इन दोनों चीजों को आप देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने का काम बहुधा नहीं किया जाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम आई० डी० बी०आई० के पास एक सर्वे होना चाहिए कि किस सेक्टर में हमको मदद करनी है और किस रीजन में किस तरीके से मदद करनी है और किस प्रकार की इन्डस्ट्री की मदद करने की जरूरत है। जो बड़े उद्योग हैं और जो बड़े उद्यमी हैं, जो आई० डी० बी० आई० से ऋण लेते हैं, उनके ऊपर आई०डी०बी०आई० यह शर्त लगा सकता है कि जो पिछड़े हुए एरियाज हैं, जो इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज हैं और जिनको बैकवर्ड डेक्लेयर किया गया है, वहां पर विशेष रूप से इन्सेंटिव देने की जरूरत है और वे लोग उन एरियाज में इन्डस्ट्री लगाएं और जब वे ऐसा करें तभी आई० डी० बी० आई० उनकी मदद करे मगर आई०डी० बी० आई० तो इस बात को नहीं देखता है। वह तो केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखता है और यह देखता है कि वाइएबिल है या नहीं है और इससे कितना रिटर्न मिल सकता है और यह चल सकता है या नहीं चल सकता है। केवल इसका काम यही सब देखने का है। वह इस बात को देखने का काम नहीं करता है कि उन पिछड़े क्षेत्रों के प्रति भी उसकी जिम्मेवारी है और दूसरे क्षेत्र भी उससे मदद की उम्मीद करते हैं और वे सोचते हैं कि आई०डी०बी०आई० उनकी मदद के लिए आगे आएगा।

मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि वहां आप एक अच्छे उद्देश्य को लेकर इस बिल को सदन में

[श्री हरीश रावत]

लाए हैं, वहां पर आप ऐसा कोई प्रोविजन भी करें ताकि आई०डी०बी०आई० और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स समान रूप से हर राज्य की मदद करें और विशेष कर उन राज्यों की मदद के लिए आगे आएं, जो औद्योगिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं इस बिल को होलहार्टेडली सपोर्ट करती हूं। आई०डी०बी० आई० की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए और आई०डी०बी०आई० काम भी करता है नोटाऊट लेकिन थोड़ी-थोड़ी गलती भी करता है। जो काम करता है, उससे भूल भी होती है और गलती भी होती है। जब हाऊस में कोई डिस्कशन होता है, तो उस डिस्कशन में हम लोग हिस्सा भी लेते हैं और हम लोग एमेंडमेंट भी दे सकते हैं और बोल भी सकते हैं। हम फ इनेंस मिनिस्टर साहब को कांग्रेचूलेट करते हैं। इस बिल में कुछ प्वाइंट्स रखे गए हैं।

[अनुवाद]

"अतः औद्योगिक एककों की परिभाषा का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि बैंक, ऊर्जा की कमी खानों के विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, सम्बद्ध सेवाओं, पट्टे, उप-पट्टे पर देने के कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार और इलैक्ट्रानिकी जैसे कुछ क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सके।"

[हिन्दी]

सर मैं इसको सपोर्ट करती हूं जो अथोराइज्ड कैपिटल पांच सौ से एक हजार करोड़ था, उसको गवर्नमेंट का प्रपोजल दो हजार करोड़ रुपये करने का है। लेकिन राजहंस जी ने जैसा कहा, उनका जो ओपिनियन है, हमारा भी सेम ओपिनियन है कि इसको दो हजार से पांच हजार करोड़ किया जाना चाहिए। सिक इंडस्ट्री के लिए भी यह कैपिटल होना चाहिए।

हम लोगों को देखना है कि गवर्नमेंट के बहुत उद्योग हैं। उसकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। गरीब आदमियों के लिए काम करने के लिए, देश के भले के लिए, इंडस्ट्रीज के भले के लिए और जो वर्कर्स हैं उनके भले के लिए जो पालिसीज का इंपलीमेंटेशन होना चाहिए, वह पालिसीज का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है।

कभी-कभी हमारे अपोजिशन वाले गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बोलते हैं कि उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पांसिबल नहीं है। कुछ करप्ट आफिसर्स हैं, एक्चुअल्ली वे इसके लिए रिस्पांसिबल हैं। इसका कहने के साथ-साथ मैं करप्शन के प्वाएंट पर ज्यादा नहीं बोल सकती हूं। आई० डी० बी० आई० की जो मूल एक्टीविटीज हैं, उनमें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज को और बड़ी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने की है। (व्यवधान)

इसमें सिक इंडस्ट्रीज को मोडरेनाइज करने की बात भी आती है। इसके लिए आई०डी०बी० आई० का जो कमिटमेंट है, उसके मुताबिक सिक इन्डस्ट्रीज का मोडरेनाइजेशन तभी होगा जब सिक इंडस्ट्रीज को जितना कैपिटल देने के लिए आई० डी० बी० आई० कमिट करता है उतना कैपिटल दे। यह न हो कि आधा कैपिटल देने के बाद अपना हाथ खींच ले। इससे क्या होता है कि हमारे इन्टर-प्रिन्योर्स जो कि मिडिल क्लास के होते हैं या स्माल इन्टरप्रिन्योर्स होते हैं वे रास्ते में रह जाते हैं। वे रोड में घूमते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीच्युशंस के पास घूमते हैं मिनिस्टर्स के पास घूमते हैं फिर भी उन लोगों को जस्टिश नहीं मिलता है। जो आई० डी० बी० आई० का कमिटमेंट होता है उसको उसे फुलफिल करना चाहिए। लेकिन आई० डी० बी० आई० जो रुपया फिक्स करता वह सारा रुपया नहीं देता है। वह देने को बोलेगा 25 करोड़, देगा 12 करोड़। वह कहता है कि इससे काम शुरू करो, बाकी का बाद में देगा। लेकिन जब आधा काम हो जाता है तो आई०डी०बी०आई० अपना हाथ हटा लेता है। इससे वह इन्डस्ट्री सिक हो जाती है। यह इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्राब्लम है। यह प्राब्लम किसी एक स्टेट में नहीं है, यह सारी कंट्री में प्राब्लम है। गवर्नमेंट की पालिसी यह नहीं है कि सारी सिक यूनिट्स को टेक ओवर करे। गवनमेंट को इसके बारे में गाईड लाइन्स देनी चाहिए और उनका फोलोअप होना चाहिए। यह जो सिक इंडस्ट्री हो जाता है और वर्कर्स रोड पर आ जाता है उसको एब्जोर्ब करने के लिए कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए।

बहुत सी इंडस्ट्रीज जो सिक होती हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से भी होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की इर्रेरिस्पांसिब्लिटी के कारण भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की एक्टीविटीज ऐसी होती है कि उससे भी इंडस्ट्री सिक हो जाती है। किसी स्टेट का किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्ट्रेस्ट होता है और वह स्टेट उस इंडस्ट्री के लिए काम करती है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आई० डी०बी० आई० को बोलेगी फाइनेंशियल इंस्टीच्युशंस को बोलेगी। जिस इंडस्ट्री में हम लोग रहेंगे या जिसमें हम लोग इंट्रेस्ट लेंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट वाले इन्ट्रेस्ट नहीं लेते। इसलिए आई० डी० बी० आई० को गाईडलाइन्स देनी चाहिए। जो गाईडलाइंस हों उनको फुलफिल किया जाना चाहिए। कई स्टेट गवर्नमेंट मेनीपुलेट करने की कोशिश भी करती है। आप सब को कहिए कि गाईडलाइंस के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज काम करें।

वर्कर कोई सीटू या एटक या इंटक का नहीं होता, वर्कर की कोई डेफीनेशन नहीं होती, वर्कर्स की कोई यूनियन नहीं होती, वर्कर को जब भूख लगती है, क्षुधा लगती है तो सबकी एक ही भूख होती है।

[अनुवाद]

भूखे आदमी को सौन्दर्य का ज्ञान नहीं रहता और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता।

[हिन्दी]

इन सब चीजों को हमें देखना चाहिए। (व्यवधान)

[कुमारी ममता बनर्जी]

माडर्नाइजेशन करने का आई०डी०बी०आई० का जो प्रासेस है यह बहुत इजी होना चाहिए। इजी प्रासेस होने से स्माल स्केल इन्डस्ट्री इन्टरप्रेनर्स वहां से हैल्प ले सकते हैं।

आज बंगाल में जूट इंडस्ट्रीज की बहुत प्राब्लम्स हैं, उसका अभी माडर्नाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए 400 करोड़ रुपया आई० डी० बी० आई० को जूट इन्डस्ट्री के लिए देना चाहिए, सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसका अलाटमेंट करे नहीं तो जूट इन्डस्ट्री क्लोज हो जाएगा और अपोजीशन के लोगों को जो कि कहते हैं कि यह दे दीजिए, वह दे दीजिए, मुफ्त में बोलने का मौका मिल जाएगा। ये लोग पेपर में न्यूज छपने के लिए बोलते हैं, पेपर में देखने, सुनने के लिए बोलते हैं। जूट इन्डस्ट्री की क्या प्राब्लम है, वर्कर्स की क्या प्राब्लम है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। जूट इंडस्ट्री के लिए आई० डी०बी०आई० को 400 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो यह इन्डस्ट्री नहीं चल सकती। (व्यवधान)

एन० टी०सी० में आज बहुत प्राब्लम है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 38 करोड़ रुपया दिया है माडर्नाइजेशन के लिए, लेकिन उसका ठीक तरह से यूटीलाइजेशन नहीं हुआ है। इसका कारण मिस-मैनेजमेंट और मिस-हैण्डलिंग है। सरकार जो पैसा देती है उसको कुछ लोग आपस में बांट लेते हैं, लूट-पाट कर खा लेते हैं, उसका सही उपयोग नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि एन० टी०सी० को जो रुपया गवर्नमेंट ने दिया है, उसका यूटीलाइजेशन नहीं हुआ है, इसको सरकार को देखनाहोगा।

(व्यवधान)

एक चीज की तरफ और सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जो फारेन बैंकर्स हैं, फारेन बैंकर्स को इस देश की इन्डस्ट्री से ज्यादा इन्ट्रेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक हैं, उनको देश की इन्डस्ट्री से इन्ट्रेस्ट होता है। अगर कोई इन्डस्ट्री सिक हो जाती है तो उसको आई० आर० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, नेशनलाइज बैंक्स आदि की तरफ से क्रेडिट देना चाहिए, लोन देना चाहिए। आई०आर०बी०आई० जो लोन देता है या आई०डी० बी० आई० देता है, देश की इन्डस्ट्री से इनको इंट्रेस्ट होता है, लेकिन फारेन बैंकर्स को कोई इन्ट्रेस्ट नहीं होता। लोन देकर वे आधे समय में छोड़ देते हैं जिससे वर्किंग कैपिटल का शार्टेज हो जाता है और इन्डस्ट्री सिक हो जाती है। इस तरह से एक-एक करके इन्डस्ट्रीज सिक होती जाती हैं, लेकिन जो इन्डस्ट्रीज सिक हो जाती हैं और आज हो रही हैं, उनके लिए हम इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ्रूट फुल रिजल्ट हमको नहीं मिलता है।

श्री राम प्यारे पनिका : इन्डस्ट्री सिक होने के कारण क्या हैं ?

कुमारी ममता बनर्जी : कारण कई हैं, मिस-मैनेजमेंट है, इरिस्पोंसिबल एक्टीविटीज है, कारण बहुत हैं और हम लोग यहां कहते हैं, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट होना चाहिए।··· (व्यवधान)

रूरल वर्कर्स की तरफ, रूरल एरियाज की तरफ हमारा ध्यान आना चाहिए। रूरल एरियाज

में जहां नो-इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर इन्डस्ट्री होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पालिसी भी है कि नो-इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स में इन्डस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन अभी उसका फुलफिलमेंट ठीक से नहीं हो रहा है जो नो इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रूरल सेग्मेंट है, उस तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान जाना चाहिए।

(व्यवधान)

ठीक है, मैं इस बिल का होल-हार्टेडली सपोर्ट करती हूं। आई० डी० बी०आई० के फंक्शन, इंप्लीमेंटेशन, एक्टीविटीज और करप्शन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। आई०डी०बी०आई० के पीछे एक चक्र है, कैसा चक्र है, जब कोई फैक्ट्री माडर्नाइजेशन के लिए उसके पास जाती है तो एक हाथ में रुपया रहे और एक हाथ में इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करता है। यह भी आपको देखना चाहिए। आपके बहुत उद्योग हैं, गवर्नमेंट के बहुत उद्योग हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको लुक-आफ्टर करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की, ओर से यह एक अच्छा प्रस्ताव है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लिखित है और मैं इसे उद्धृत करता हूं।

"भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योग के विकास के लिए प्रत्यय और अन्य सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए उद्योगों के संप्रवर्तन या विकास में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए और ऐसी संस्थाओं के विकास में सहायता करने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था है···"

अतः मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मूल अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप औद्योगिक प्रतिष्ठानों की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिये जिससे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य को मध्यम दर्जे और लघु दर्जे के उद्योगों तक बढ़ाया जा सके अन्यथा मध्यम और लघु उद्योगों के हित संरक्षण नहीं किया जा सकता यद्यपि यह बताया गया है कि यह अधिनियम लघु उद्योगों को भी सहयोग देने की स्थिति में है।

महोदय, इसमें यह भी बताया गया है और मैं उद्धृत करता हूं:

"मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(क) "एक सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर 'एक हजार करोड़ रुपये' प्रतिस्थापित किया जाए।"

(ख) परंतुक में "पांच सौ करोड़ रुपए" के स्थान पर "दो हजार करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छा है। यह वृद्धि अच्छी रही परन्तु इसके होते हुए भी

[श्री आशुतोष लाहा]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आता है। अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, इस सभा के समक्ष आए बिना, अपनी प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्यथा समय-समय पर उसके कार्य-निष्पादन में बाधाएं आएंगी। मान लीजिए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य बढ़ते जाते हैं और वे यह आवश्यक समझते हैं कि प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी की राशि बढ़ाई जानी चाहिए, तो उनके लिए संसद में आकर उसे अनुमोदित और स्वीकृत करना सम्भव नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता स्वयं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को दी जानी चाहिए ताकि वे कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार अपनी पूंजी में वृद्धि कर सके।

अब मैं धारा 9 के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। मैं यह बात अपने व्यावहारिक अनुभव से कह रहा हूं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छी बात है। परन्तु प्रायः हमने देखा है कि यदि कोई रुग्ण कम्पनी अथवा कोई कम्पनी ऋण प्राप्त करने जाती है, वे ऋण प्राप्त करने के बाद अपने शेयर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में गिरवी रख देती है। ऐसी विभिन्न कम्पनियां हैं जिनके 70 प्रतिशत शेयर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास गिरवी पड़े हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कंपनी को व्यवसायिक प्रबन्ध क्यों उपलब्ध नहीं कराता? किसी कंपनी के रुग्ण हो जाने पर हमें इस व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब उनका 80 प्रतिशत शेयर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में गिरवी पड़ा है और जब वे और ऋण प्राप्त करने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जाती है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को व्यावसायिक प्रबन्ध की व्यवस्था करनी चाहिए। वे कहते हैं कि वे व्यावसायिक प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं करेंगे।

महोदय, जब मेरे पास कम्पनी के शेयर हैं और मुझे वोट देने का अधिकार है, तो क्या तब यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं प्रबन्ध व्यवस्था उपलब्ध कराऊं? रुग्ण एकक के लिए प्रबन्ध व्यवस्था कौन करेगा? अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जब वे मूल अधिनियम की धारा 9 में संशोधन कर रहे हैं, तो इसमें इस सीमा तक संशोधन किया जाना चाहिए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक कार्य यह भी हो कि यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास किसी कम्पनी के अधिक शेयर हैं, तो वे उसके लिए व्यावसायिक प्रबन्ध की व्यवस्था करेंगे। अन्यथा भविष्य में कोई भी रुग्ण कम्पनी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता और वित्तपोषण से टिक नहीं सकती।

महोदय, मेरा अन्तिम प्रश्न त्रुटिपूर्ण ढंग से ऋण देने के सम्बन्ध में है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि कोई एकक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जाता है और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करता है तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह समझें कि कोई कंपनी किसी विशेष चरण में इस प्रकार की सहायता चाहती है। प्रायः प्रत्येक मामले में यह देखा गया है कि औद्योगिक एककों को ऋण दिया जाना बिल्कुल गलत है। यदि कोई औद्योगिक एकक इस वर्ष किसी विशेष अवधि के दौरान 50 लाख रुपये का ऋण चाहता है तो उसे दो वर्षों के बाद ऋण दिया जाता है। यह न केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपितु राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऋण के त्रुटिपूर्ण स्वरूप के कारण ही अधिकांश उद्योग रुग्ण हो गए हैं। उन्हें वित्तीय

संस्थानों, विशेषकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय सहायता नहीं मिलती जिसके परिणामस्वरूप वे रुग्ण हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप भारी ब्याज का बोझा नहीं उठा सकते।

ये कुछ कमियां हैं जो विशेषकर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, विहार, असम और उड़ीसा में भी बिभिन्न औद्योगिक एककों को रुग्ण करने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि कोई सर्वेक्षण किया जाए तो आप देखेंगे कि उड़ीसा में 60 प्रतिशत से अधिक गैर-सरकारी एकक, जिन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण ले रखा है, बन्द हो गये हैं अथवा शीघ्र ही बन्द होने वाले हैं। उन एककों को उनके निर्धारित कायक्रम के अनुसार ऋण नहीं दिये गये। कुछ ऐसे उपबन्ध होने चाहिए जिससे कि उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण उपलब्ध किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का विधेयक के प्रति उनके सहयोग और समर्थन के लिए आभारी हूं। वस्तुत:, श्री माधव रेड्डी और अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत ही ठोस सुझाव दिये हैं और उनमें से कुछ सुझाव मेरे ध्यान में हैं।

माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी ने पूछा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के काय को लीजिंग कारबार में वित्तपोषण के लिए करने की बात बड़ी बुद्धिमतापूर्वक कही है तथा उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग खोले जाने के बारे में भी कहा है। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से लघु उद्योगों को सहायता दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने उद्यमियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उल्लेख किया। श्री माधव रेड्डी और कुछ अन्य सदस्यों ने भी विशेष निधि, लघु उद्योग विकास निधि का उल्लेख किया और उनका ब्यौरा जानना चाहा।

महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक प्रमुख संस्थान है जिस पर कम्पनी अधिनियम लागू नहीं होता है इसका एक प्रथक अधिनियम है अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य उद्योगों का संवर्धन करना और देश के औद्योगिक विकास के लिए सहायता देना भी है यह एक शीर्ष निकाय है। इसका कार्य समन्वय करना और पुन: वित्त-पोषण भी करना।

अब मैं पहले मुद्दे पर आता हूं जिसे माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी ने उठाया है जो पिछड़े क्षेत्रों और दी गई रियायतों के सम्बन्ध में है। इसे श्री रावत और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों में से एक कार्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना भी है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अधिक राशि प्राप्त हो रही है। मैं अभी

[श्री जनार्दन पुजारी]

आपको प्रतिशतवार राशि के बारे में बताऊंगा, जो इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए दी गई है। यह 51.9 प्रतिशत है और इन क्षेत्रों को दी गई राशि 1788.1 करोड़ रुपये है जबकि इसकी तुलना में 1983-84 में यह राशि 1040.9 करोड़ रुपये थी। यहां इन उद्योगों को क्या लाभ मिलेंगे यदि वह उद्योग विहीन क्षेत्रों में उद्योग लगाएंगे, ब्याज की दर रियायती है अर्थात् 14 प्रतिशत के मुकाबले 12.5 प्रतिशत। इसके अलावा संस्थापकों का अंशदान 17.5 प्रतिशत है जबकि अन्य मामलों में यह 22.5 प्रतिशत है। ऋण साम्य पूंजी अनुपात, अर्थात् वापस अदायगी की अवधि और प्रारम्भिक मोहलत अवधि के सम्बन्ध में भी उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

इस योजना की एक अन्य विशेषता यह है कि परियोजना के विशेष आधारभूत ढांचे के लिए भी 12.5 प्रतिशत की रियायती दर से परियोजना की लागत के 20 प्रतिशत तक के लिए सहायता दी जाती है। निर्माण अवधि के दौरान कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा।

विशिष्ट क्षेत्र आधारभूत ढांचा सहायता केन्द्र और राज्य सरकारों के परामर्श से भी दी जाती है। यहां भी विशेषकर उद्योग विहीन जिलों में व्यावहारिक परियोजनाओं का पता लगाने के लिए चरण-बद्ध तरीके से अध्ययन किए जा रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि हमारा एक कार्यक्रम है "उद्यमी विकास कार्यक्रम" जिसके अन्तर्गत उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी होने चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : पिछले वर्ष लगभग 2220 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि सहायता भी दी जा रही है। अब तक 8000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जब कभी भी वह व्यवहारिक परियोजनाओं के लिए कहते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता दी जाती है। मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें देश भर में सभी राज्यों को समान वितरण करना चाहिए। वितरण किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जाना चाहिए। विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों और उद्योग विहीन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए और इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ सदस्यों का यह मत है कि क्योंकि यह जनता का पैसा है हमें बहुत सावधानीपूर्वक खर्च करना चाहिए। डागा जी का विचार है कि हम पहाड़ों में बहुत अधिक धन लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई गलत बात नहीं। पैसा लगाने से रोजगार बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्हें राव जी से शिकायत है कि वह अधिक धन की मांग कर रहे हैं और इसलिए वह तर्क कर रहे हैं। यहां हमें एक बात ध्यान मे रखनी होगी कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना है। उद्योगविहीन क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उद्योगपतियों को भी आगे आना चाहिए और इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने चाहिए। आप एक उद्योगपति या कारोबारी

व्यक्ति के दृष्टिकोण को भली भांति समझ सकते हैं। जब तक यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक न हो, जब तक उसे कुछ मुनाफा होने की आशा न हो, वह वहां पर अपनी परियोजना आरम्भ नहीं करेगा। यहां पर भी हमें यह बात अपने ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ ही हमें उन्हें प्रोत्साहन देने होंगे ताकि वह इन स्थानों पर जाएं। इसलिए यह प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

अब मुझे, आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में एक बात कहनी है। लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लोग कहते हैं कि गांवों या पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जब तक कोई वहां जाकर काम आरम्भ नहीं करता, मैं नहीं समझता कि तब तक वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक की शाखाएं खोलने के मामले में, बैंकों में काम करने वाले लोग स्थानांतरणों को लेकर विरोध कर रहे हैं। जब हम कोई शाखा खोलते हैं, तो वह कहते हैं कि वहां पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, पुलिस सुरक्षा नहीं है, परिवहन की अन्य सुविधाएं नहीं हैं। यहां मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले आप वहां पर बैंक आरम्भ करें। यदि कोई भी शुरूआत नहीं करना चाहता तो आधारभूत सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध कराई जाएंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि शायद वह प्लाट विकसित करने के बारे में कह रहे हों। वह महसूस करते हैं कि सरकार को प्लाट विकसित करने के लिए आगे आना चाहिए। यह सहायक होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : यहां यह बात नहीं है। यह बात आम तौर पर कही जा रही है। यदि पुलिस विभाग वहां पर जाता है, तो वह भी आधारभूत सुविधा दे। यदि कोई सड़क बनाई जाती है, तो वह भी आधारभूत सुविधा है। उदाहरण के लिए यदि वहां पर कोई हाई स्कूल खोला जाता है, तो वह भी आधारभूत सुविधा है। इसी प्रकार से शुरूआत की जानी चाहिए। इसलिए यदि सभी कहते हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है या कोई कहता है कि वहां पर यह सुविधा नहीं है, मैं नहीं समझता कि पिछड़े क्षेत्रों को कभी भी इस प्रयोजन के लिए विकसित किया जा सके। मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का इस्तेमाल कर सकती हैं तथा कुछ लोगों की इस दलील का शमन कर सकती हैं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। इस प्रयोजन के लिए मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अन्य केन्द्र केवल महानगरों में ही आरम्भ किए जाते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई भी निर्धन व्यक्ति के पास आने को तैयार नहीं। उनकी प्रशिक्षण अवधि में ही उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्हें आवास तथा अन्य सुविधाएं चाहिएं : यदि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो भी वह शहरी क्षेत्र में रहना चाहता है। वह प्रशिक्षण के समय भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं मालूम कि वह बाद में जाने के लिए तैयार होगा या नहीं। इसीलिए यह विरोध हो रहा है। इसलिए सरकार का विचार यह है कि इन लोगों का प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में ही होना चाहिए। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को कठिनाइयों का सामना करना चाहिए।

[श्री जनार्दन पुजारी]

महोदय, तब वह वहां जाते में नहीं हिचकिचाएंगे। इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बापू लाल मालवीय (शाजापुर) : मेरा निवेदन है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को क्यों नहीं लेते ? शहर वालों को ही गांव क्यों भेजते हैं ? गांव में भी बड़े पढ़े-लिखे लड़के हैं। आप शहर के लड़कों को लेते हैं वे वहां जाते नहीं हैं आप गांव के लड़कों को क्यों नहीं लेते जो वहीं रह सकते हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, रोजगार दिया जाना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी है। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्बन्ध है, हम उन्हीं लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों और जिलों में रहते हैं। इस प्रकार से यह सब किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय की प्रशंसा करता हूं कि इस पहलू की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अब मैं, माननीय सदस्य द्वारा लघु उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में उठाए गए विषय के बारे में बताऊंगा। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं। लघु उद्योगों को वर्ष 1983-84 में पुनर्वित्त के रूप में 645.6 करोड़ रुपये की राशि दी गई। वर्ष 1984-85 में इसे बढ़ा कर 984 करोड़ रुपये कर दिया गया। 645.3 करोड़ रुपये से 984 3 करोड़ रुपये एक वर्ष में 339 करोड़ रुपये की वृद्धि।

उपाध्यक्ष महोदय : समय के बारे में क्या स्थिति है। क्या यह समय से दिया जाता है।

श्री जनार्दन पुजारी : हमारे साथ यही एक समस्या है। इसके लिए हमें और सरकार को इस पर निगरानी रखनी होगी। यह बताया गया है कि वह स्वायत्तशासी निकाय है। इसके लिए हम राजनीतिज्ञ जिम्मेदार हैं। हम यहां संसद के भीतर और उसके बाहर हस्तक्षेप की बात करते हैं। यदि लोग किसी सहायता की मांग करते हैं तो वह तुरन्त दी जानी चाहिए। मैं इसे समझ सकता हूं। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह समय से दी जाए, कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

श्री माधव रेड्डी ने जो बात कही कि विरोध और निकम्मेपन के कारण कुछ समस्या थी। हमें आलस्य दूर करना होगा। किन्तु हम राजनीतिज्ञों में से या कोई अन्य कह सकता है कि वहां स्वास्त॰

शासन है और इसका अर्थ राजनीतिक हस्तक्षेप लगाया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

इसके साथ-साथ इस बात पर विचार करना संसद का काम है कि क्या मन्त्री या यह सभी लोग संसद और लोगों के प्रति जवाबदेह है। यह कहा जा सकता है कि उन्हें हाथ नहीं लगाया जा सकता और हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यदि यही होना है तो हमें इस बारे में विचार करना होगा। हमें क्या करना होगा ? सभी जवाबदेह होने चाहिए न केवल मन्त्री। प्रत्येक व्यक्ति जवाबदेह है। यह संस्थाओं के प्रमुखों का कर्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि धन समय पर उपलब्ध हो।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक तकनीकी व्यक्ति जो यह सोचता है कि वह एक उद्यम आरम्भ कर सकता है, एक परियोजना लगाता है। वह अपनी कमाई की सारी बचत उसमें लगा देता है। यदि एक छोटी गल्ती—इसे गल्ती भी नहीं कहा जा सकता—नहीं होती तो वह उद्यम आरम्भ हो गया होता। तीन वर्ष लग गए। एक दिन वह आया और कहने लगा। श्रीमान यदि मुझे कुछ नहीं दिया गया तो मुझे आत्म-हत्या करनी होगी। यदि मैं मर भी जाऊं तो किसी को एक भी पैसा देने को तैयार नहीं हूं" ऐसी स्थिति में मन्त्री क्या करे ? यह कहा जाता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए। यदि हम कुछ कहते हैं, तो यह हस्तक्षेप होगा। ऐसे मामलों में हम क्या करें ? एक या दो मामले हमारी जानकारी में लाए गए हैं। माननीय सदस्य यह मुद्दा भी उठा रहे हैं। यही चर्चा का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तविक मामलों में हमें कोई नहीं रोकेगा। हम यहां इसीलिए बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम संसद के अधिनियमों से अधिशासित होते हैं। हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : श्री माधव रेड्डी ने एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और पूछा है कि जहां तक पूंजी आधार का सम्बन्ध है बजट में क्या व्यवस्था की गई है। वह इसे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं उनकी तथा अन्य सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1986-87 के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह पर्याप्त राशि है यदि आवश्यक हुआ तो और राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री माधव रेड्डी द्वारा अन्य मुद्दा उठाया गया कि उद्योग मंत्रालय और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बीच कोई समन्वय नहीं है। उन्होंने कहा है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०) को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य

[श्री जनार्दन पुजारी]

की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग मन्त्रालय और डी० जी० टी० डी० दोनों को भारतीय औद्योगिक विकास बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है। माननीय सदस्य द्वारा एक अन्य बात यह उठाई गई है कि वे बहुत व्यस्त हैं, वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कार्य-व्यवस्था की यह एक चूक अथवा कमी है जिसे हमें दूर करना है। इसके बारे में मैं उद्योग मन्त्री को लिखूंगा और श्री रेड्डी द्वारा उठाए गए मुद्दे की ओर उनका ध्यान दिलाऊंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : उद्योग में इस प्रकार का सुझाव प्राप्त व्यक्तियों को भी निदेशक के रूप में मनोनीत किया जाना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। माननीय सदस्य द्वारा जो एक और मुद्दा उठाया गया है वह मशीन आदि किराये पर लेने की बुद्धिमत्ता के बारे में है। जब तक उन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाकर संयत्र और मशीनें आदि किराए पर लेने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तब तक इससे सहायता नहीं मिलेगी। सभी उद्यमी एकदम से संयंत्र और मशीनें नहीं खरीद सकते हैं। उन्हें इसके लिए समर्थ बनाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए, परियोजना की लागत कम करने की दृष्टि से ही यह उपबंध किया गया है। हमें देखना है कि इसका क्या प्रभाव होता है। यह केवल चुनीदा मामलों में किया जाएगा। हम यह नहीं कहते कि हम यह सिद्धांत सभी मामलों में लागू कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मकानों के निर्माण के लिए ऋण के बारे में क्या प्रस्ताव है।

श्री जनार्दन पुजारी : व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसके पक्ष में हूं। जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का सम्बंध है, किसी निश्चित सीमा तक हम खाद्य और कपड़े के लिए धन दे सके हैं। अब हमें मकानों के निर्माण और मकान उपलब्ध कराने की ओर ध्यान देना होगा। इसलिए इस प्रयोजन के लिए भी जैसाकि मैंने पहले कहा बैंकिंग क्षेत्र से मकानों के निर्माण के लिए और अधिक धन दिया जा सकता है। इस बजट में हमने मकानों के निर्माण के लिए अधिक धन रखा है। सरकार का ऐसा विचार है। इसके साथ-साथ हम मकानों के निर्माण और बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक योजना संसद में रखेंगे।

माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी ने जो अन्य प्रश्न उठाया है, वह लघु उद्योग विकास कोष बनाए जाने के बारे में है। इसे केवल लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाया गया है ताकि उनकी सभी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी हो सकें। जैसाकि आप जानते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का काम बड़े उद्योगों की रुग्णता की ओर ध्यान देना है। उसने यह काम करना शुरू कर दिया है। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, हम देख रहे हैं कि वहां यह कहां तक कारगर रहता है। हमें यह भी देखना है कि इस नये विकास कोष से लघु उद्योगों को कहां तक सहायता मिलेगी। यह काम भी किया जा रहा है और इसके बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। पूर्ण ब्यौरा बाद में दिया जाएगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या इसमें पुनः संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : इस विधेयक में नहीं। उन्होंने एक विशेष कोष का उल्लेख किया है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : उसका उल्लेख सामान्य बजट में किया गया था। क्या इस विधेयक में कुछ संशोधन करने की जरूरत होगी या नहीं ?

श्री जनार्दन पुजारी : इसमें नहीं। यदि आपको संशोधन से डर लगता है, तो हम संशोधन नहीं करेंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : यदि आवश्यक हुआ, तो हमें उसमें संशोधन करना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। कुमारी ममता बनर्जी ने अन्त में हमारे वाद-विवाद में कुछ जान डाली है। वे कुछ सजीवता से आईं। उन्होंने कुछ मुद्दे भी रखे और कहा कि कुछ उद्योग रुग्ण हैं। 1979 में रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन के अनुसार 52 प्रतिशत मामलों में इस रुग्णता के कारण कुप्रबन्ध, धन का अन्यत्र उपयोग, बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी, तथा श्रमिक समस्या आदि हैं। इस अध्ययन में इसके कारण बताये गए हैं। अतः यह सच है कि सभी क्षेत्रों के प्रबन्धकों को इस पहलू की ओर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम इस सम्बन्ध में कैसे सुधार कर सकते हैं और जहां कहीं भी धन की जरूरत होगी। हमें उनके लिए भी धन देना होगा।

श्री के० एस० राव द्वारा एक और प्रश्न पूछा गया और उन्होंने खण्ड 7 के अन्तर्गत उप-खन्ड (ख ग) का उल्लेख किया है अर्थात्—

> "किसी औद्योगिक समुत्थान में विनिधान के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को उधार और अग्रिम धन अनुदत्त करना"।

यह आरम्भिक पूंजी आप जानते ही हैं कि यह क्या है—सहायता प्रदान करने के लिए है ताकि ऐसे संस्थापक जिनके पास अपने पर्याप्त संसाधन नहीं हैं··· (व्यवधान)

श्री के० एस० राव : कोई भी व्यक्ति ऋण ले सकता है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास संस्थापक के रूप में अंशदान करने के लिए अपने साधन नहीं हैं, ऋण ले सकता है। यह ऐसा प्रावधान है जिससे वह ऋण लेने में समर्थ होता है। कुछ लोगों के पास उद्योग आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक पूंजी नहीं होती है। इस प्रयोजन के लिए यह उपबंध किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

श्री के० एस० राव : इसका दुरुपयोग किया जाएगा।

श्री जनार्दन पुजारी : हम देखेंगे कि कोई इसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ और प्रश्न उठाये हैं। बैंकिंग क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कुछ धनराशि सीमांत किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य गरीब लोगों को दी जानी चाहिए और वे यह जानना चाहते थे कि हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं तथा हम केवल बड़े उद्योगों की ओर ही क्यों ध्यान दे रहे हैं।

बैंकिंग क्षेत्र सीमांत किसानों, छोटे किसानों, उद्योगपतियों, और कुटीर उद्योगों को ऋण दे रहा है तथा 5000/ रुपए तक के लिए बैंकों द्वारा कोई प्रतिभूति अथवा जमानत नहीं मांगी जाती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी है। इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों, सहकारी बैंकों से 3,101 करोड़ रुपए की राशि ली गई है। लगभग एक करोड़ चौंसठ लाख परिवारों को सहायता दी गई है। कुछ और भी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम इस क्षेत्र को सहायता देते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कई अन्य योजनाएं हैं। इन योजनाओं से भी इस क्षेत्र को धन प्राप्त हो रहा है। हम इन लोगों की देखभाल के लिए क्या काम कर रहे हैं? यदि आप इन सभी कार्यक्रमों — ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों की ओर देखें, तो आप पाएंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र के लिए आबंटित धनराशि और वह भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अधिक धन का आवंटन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। यहां कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। कल मैंने इस बात का उल्लेख यहां संसद, लोक सभा में किया था और मैंने उन सभी प्रकार की राज सहायताओं का ब्यौरा दिया था, जो हम किसानों, इस देश के लोगों, आम आदमी को और मध्यम दर्जे के लोगों को तथा प्रेस को भी देते हैं।

मैंने यह भी कहा था कि सभी क्षेत्रों के लिए किसी न किसी तरह की राज सहायता दी जा रही है तथा कुल 5,349.96 करोड़ रुपए की राज सहायता दी जा रही है। यह वह राशि है जो राज-सहायता के रूप में उन सभी वर्गों के लोगों को दी जा रही है, जिनका मैंने उल्लेख किया है। अत: इस क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का पूरा समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे। खण्ड 2, श्री बाला साहेब विखे पाटिल यहां नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4, श्री बाला साहेब विखे पाटिल उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 6 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7, श्री विखे पाटिल उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 से 11 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 1 (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1985" **के स्थान पर** "1986" **प्रतिस्थापित किया जाये** (1)

(श्री जनार्दन पुजारी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"छत्तीसवें" के स्थान पर "सैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए (1)

श्री जनार्दन पुजारी

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ दिया गया

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये,"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.04 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 19 मार्च, 1986/28 फाल्गुन, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, सीलमपुर, दिल्ली-53